Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय–सूची

1.	उपलब्धियों का सिंहावलोकन	1–10
	पशुधन	
	वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार की पहल वार्षिक योजना 2022–23 और 2023–24	
2.	संगठन	11–20
	संरचना	
	कार्य	
	अधीनस्थ कार्यालय	
	वैधानिक / स्वायत्त निकाय	
	शिकायत प्रकोष्ठ	
	एससी / एसटी / ओबीसी पीडब्ल्यूडी / ईडब्ल्यूएस के लिए संपर्क अधिकारी	
	सतर्कता इकाई	
	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	
	सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	
	अनूसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा अन्य के लिए आरक्षण	
	महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की रोकथाम	
	न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन	
3.	गोपशु विकास	21–58
4.	डेयरी विकास	59–84
5.	पशुपालन	85–100
6.	पशुधन स्वास्थ्य	101–130
7.	पशुपालन सांख्यिकी	131–144
8.	व्यापारिक मामले	145–148
9.	अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजाति उप–योजना (टीएसपी)	149–152
10.	महिलाओं का सशक्तीकरण	153–164
11.	अंतराष्ट्रीय सहयोग	165–168
12.	जीव जंतु कल्याण	169–180

13. क्रेडिट, विस्तार और प्रचार 181–198
14. विभागीय लेखा संगठन 199–214
15. संसद अनुभाग के कार्यकलाप 215–218
16. विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति 219–224

अनुबंध

I. 20वीं पशुधन संगणना 2019 के दौरान पशुधन और कुक्कुट की कुल राज्य–वार संख्या 227–228
II. प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन–अखिल भारतीय 229–230
III. वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय 231–232
IV. पशुपालन और डेयरी विभाग का संगठनात्मक चार्ट और प्रभागों के बीच कार्य आवंटन 233–236
V. पशुपालन और डेयरी विभाग को आवंटित विषयों की सूची 237
VI. पशुपालन और डेयरी विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की सूची 238
VII. 31 मार्च, 2023 तक अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और पशु चिकित्सा सहायता केन्द्रों की संख्या 239–240
VIII. ''राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम'' के तहत वित्तीय प्रगति 241–242
IX. ''राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम'' के तहत वास्तविक प्रगति 243–248
X. विभाग द्वारा संस्वीकृत राज्य–वार एमवीयू 249–250
XI. वर्ष 2023 (जनवरी–दिसंबर) के दौरान भारत में पशुधन रोगों की प्रजाति–वार घटनाएं 251–252
XII. सभी एक्यूसीएस केंद्रों से ली गई पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयात/निर्यात रिपोर्ट 253–266
XIII. पशुपालन और डेयरी विभाग का लेखा संगठन 267–268
प्रयोग किए गए संक्षिप्त शब्द 269–272

अध्याय–1

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

अध्याय-1

1.1 जब से सभ्यता प्रारम्भ हुई है, तब से कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन से संबंधित कार्यकलाप मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बने रहे हैं। इन कार्यकलापों ने न केवल खाद्य और भारवाही पशु शक्ति में योगदान दिया है बल्कि इनसे पारिस्थिति की सन्तुलन भी बनाए रखा गया है। सहायक जलवायु और स्थलाकृत्ति के फलस्वरूप, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्रों की भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक भूमिका रही है। पारम्परिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का भी इन कार्यकलापों को जारी रखने में योगदान रहा है। ये कार्यकलाप लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.2 पशुधन उत्पादन तथा कृषि आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक–दूसरे पर निर्भर हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था तथा कृषि का एक महत्वपूर्ण उप–क्षेत्र है। यह अधिकांश किसानों के लिए जीविका का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, यह महत्वपूर्ण आदानों के रूप में खेती में सहायता कर रहा है, परिवार के स्वास्थ्य और पोषाहार में योगदान दे रहा है, आय को अनुपूरक कर रहा है, रोजगार के अवसरों की पेशकश कर रहा है, और अन्ततः जरूरत के समय यह भरोसेमंद खेती के 'पशुओं का बैंक' है। यह सम्पूरक और अनुपूरक उद्यम के रूप में कार्य करता है।

1.3 जुलाई, 2022–जून 2023 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी–2008) के उद्योग समूह 014 (पशु उत्पादन) और उद्योग समूह 015 (मिश्रित खेती) में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) (मूल स्थिति और सहायक स्थिति) में श्रमिकों का अनुमानित प्रतिशत नीचे तालिका में दिया गया है:–

तालिका 1.1: पीएलएफएस 2022–23 के दौरान एनआईसी–2008 के उद्योग समूह 014 और 015 में शामिल आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत

एनआईसी–2008 के अनुसार उद्योग समूह (3 अंकीय कोड)	उद्योग समूह का विवरण	आम तौर पर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत (पीएस+एसएस)
014	पशु उत्पादन	6.45
015	मिश्रित खेती	3.63

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट, 2022–23, एमओएसपीआई

व्याख्यात्मक नोटः

(i). कर्मियों की परिभाषा (नियोजित व्यक्ति) : वे व्यक्ति, जो संदर्भ अवधि के दौरान, किसी आर्थिक गतिविधि में लगे थे या वे, जो आर्थिक गतिविधियों के प्रति अपने लगाव के बावजूद, बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्यौहारों, सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यों या अन्य आकस्मिकताओं से जुड़े कर्मियों के कारण अस्थायी रूप से कार्य से दूर हो गये थे।

(ii). सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) कर्मियों की परिभाषाः सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कर्मियों को सामान्य प्रिंसिपल स्टेट्स (पीएस) और सहायक स्थिति (एसएस) पर एक साथ विचार करके प्राप्त किया जाता है। सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) के कर्मियों मे निम्न व्यक्ति शामिल हैं (क) वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अपेक्षाकृत लंबे समय तक काम किया था और (ख) शेष आबादी में से वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों तक काम किया था।

1.4 भारत में पशुधन और कुक्कुट के व्यापक संसाधन हैं जिनकी ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन बोवाईन (गोपशु, भैंस, मिथुन और याक), 74.26 मिलियन भेड़ें, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.6 मिलियन सूअर और लगभग 851.81 मिलियन पोल्ट्री है। पिछली दो संगणनाओं के दौरान पशुओं और कुक्कुट की संख्या का प्रजाति–वार ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.2 पशुधन और कुक्कुट (पोल्ट्री) की आबादी

क्र.सं.	प्रजातियां	19वीं पशुधन संगणना, 2012 (सं. मिलियन में)	20वीं पशुधन संगणना, 20219 (सं. मिलियन में)	वृद्धि दर 2012–19 (% में)
1	गोपशु	190.90	193.46	1.34
2	भैंस	108.70	109.85	1.06
3	याक	0.08	0.06	-24.90
4	मिथुन	0.30	0.39	29.52
कुल बोवाइन		**299.98**	**303.76**	**1.26**
5	भेड़	65.07	74.26	14.13
6	बकरी	135.17	148.88	10.14
7	सूअर	10.29	9.06	-12.03
8	अन्य पशु	1.54	0.79	-48.05
कुल पशुधन		**512.06**	**536.76**	**4.82**
9	पोल्ट्री	729.21	851.81	16.81

पशुधन और पोल्ट्री आबादी की विभिन्न प्रजातियों का राज्य–वार ब्यौरा **अनुबंध–I** में दिया गया है।

1.5 पशुधन उत्पादन

1.5.1 दिनांक 31 मई, 2024 को जारी एमओएसपीआई के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) चालू कीमतों पर लगभग 13,55,460 करोड़ रुपये है जो कृषि और सहायक क्षेत्र जीवीए का लगभग 30.23% और कुल जीवीए का 5.50% है। स्थिर मूल्यों (2011–12) पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पशुधन क्षेत्र का जीवीए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.02% की सकारात्मक वृद्धि के साथ लगभग 6,90,268 करोड़ रू. है।

चित्र 1.1 : जीवीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान % में

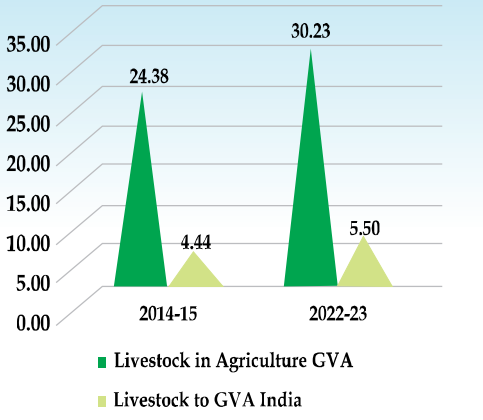

चित्र 1.2 : जीवीए से अन्य कृषि का योगदान % में

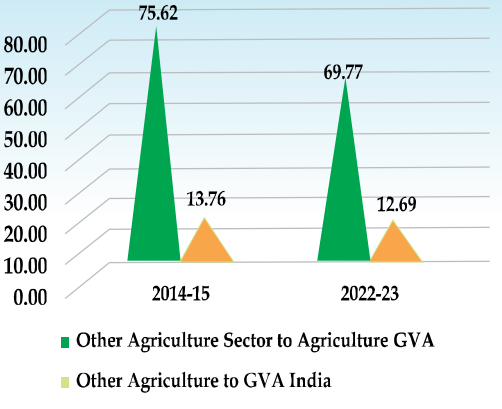

1.5.2 दूध का उत्पादनः भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान दुग्ध उत्पादन क्रमशः 222.07 मिलियन टन और 230.58 मिलियन टन है, जो 3.83% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022–23 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 459 ग्राम प्रतिदिन है। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक दूध का उत्पादन तथा प्रति वर्ष संगत वृद्धि दर (%) नीचे दी गई है:

चित्र 1.3 : वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) के साथ दुग्ध उत्पादन (अखिल भारत)

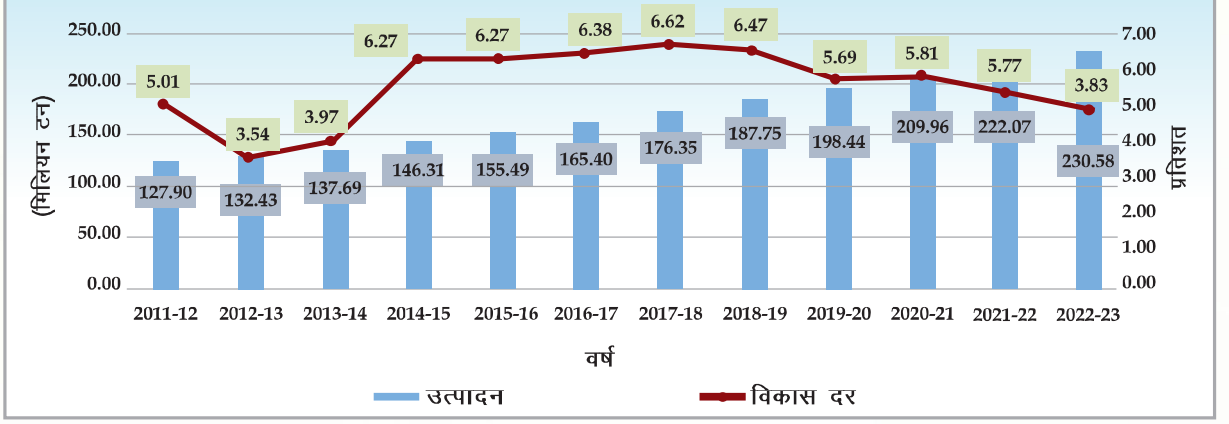

1.5.2.1 दूध की औसत उत्पादन दर : वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न प्रजातियों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति दुधारू पशु प्रति दिन दूध का औसत उत्पादन नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3: दूध की औसत उत्पादन दर

विदेशी गाय (कि.ग्रा./दिन/पशु)	संकर नस्ल गाय (कि.ग्रा./दिन/पशु)	देसी गाय (कि.ग्रा./दिन/पशु)	नॉन–डिस्क्रिप्ट गाय (कि.ग्रा./दिन/पशु)	देसी भैंस (कि.ग्रा./दिन/ पशु)	नॉन– डिस्क्रिप्ट भैंस (कि.ग्रा./दिन/पशु)	बकरी (कि.ग्रा./दिन/पशु)
11.42	8.41	4.17	2.87	6.76	4.82	0.50

1.5.2.2 वर्ष 2022–23 के दौरान दूध उत्पादन की प्रतिशत हिस्सेदारी

चित्र 1.4 : वर्ष 2022–23 में प्रजाति–वार दूध योगदान

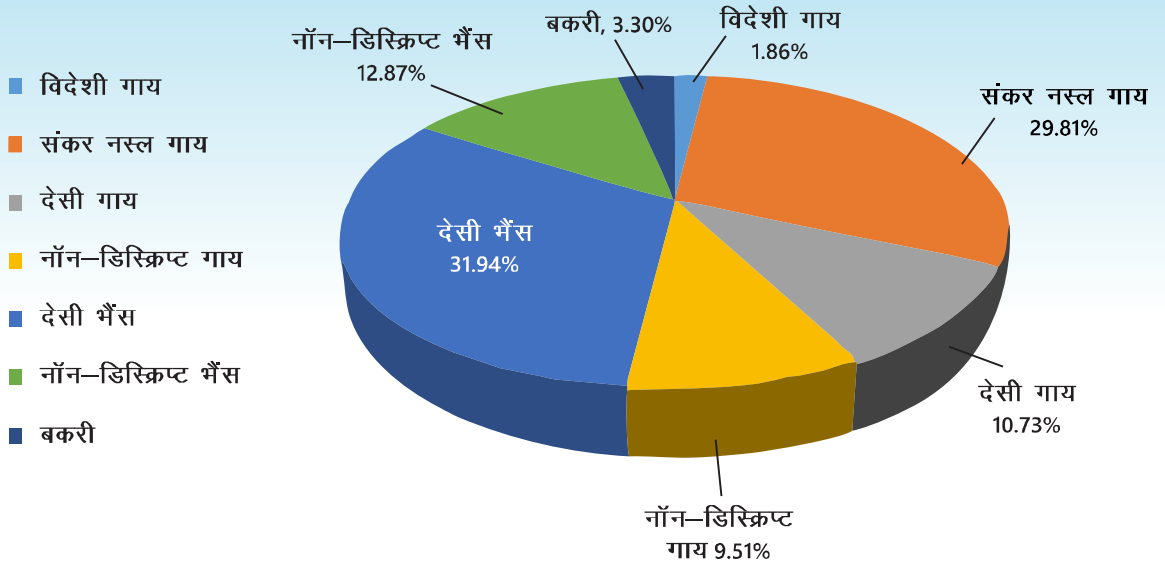

उपरोक्त चार्ट गोपशु, भैंस और बकरी द्वारा दूध उत्पादन के योगदान को दर्शाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि दूध उत्पादन में लगभग 45% देशी/नॉन– डिस्क्रिप्ट भैंसों का योगदान है और इसके बाद वर्णसंकर/विदेशी गोपशु द्वारा 32% योगदान दिया जाता है। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में देशी/नॉन– डिस्क्रिप्ट गोपशु का योगदान 20% है। देश भर में कुल दूध उत्पादन में बकरी के दूध का योगदान 3% है।

1.5.3 अंडा उत्पादन: भारत में कुक्कुट उत्पादन में पिछले चार दशकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह पारंपरिक पालन पद्धति के स्थान पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्तमान में, हमारे देश में कुल पोल्ट्री आबादी 851.81 मिलियन (20वीं पशुधन गणना के अनुसार) है और वर्ष 2022–23 के दौरान अंडे का उत्पादन लगभग 138.38 बिलियन है। वर्ष 2022–23 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 101 अंडे प्रति वर्ष है। वर्ष 2022–23 के दौरान अंडे के उत्पादन में 6.77% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2011–12 से 2022–23 तक देश का प्रति वर्ष अंडा उत्पादन और संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाई गई है:

चित्र 1.5 : वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक अंडा उत्पादन के साथ संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) (अखिल भारत)

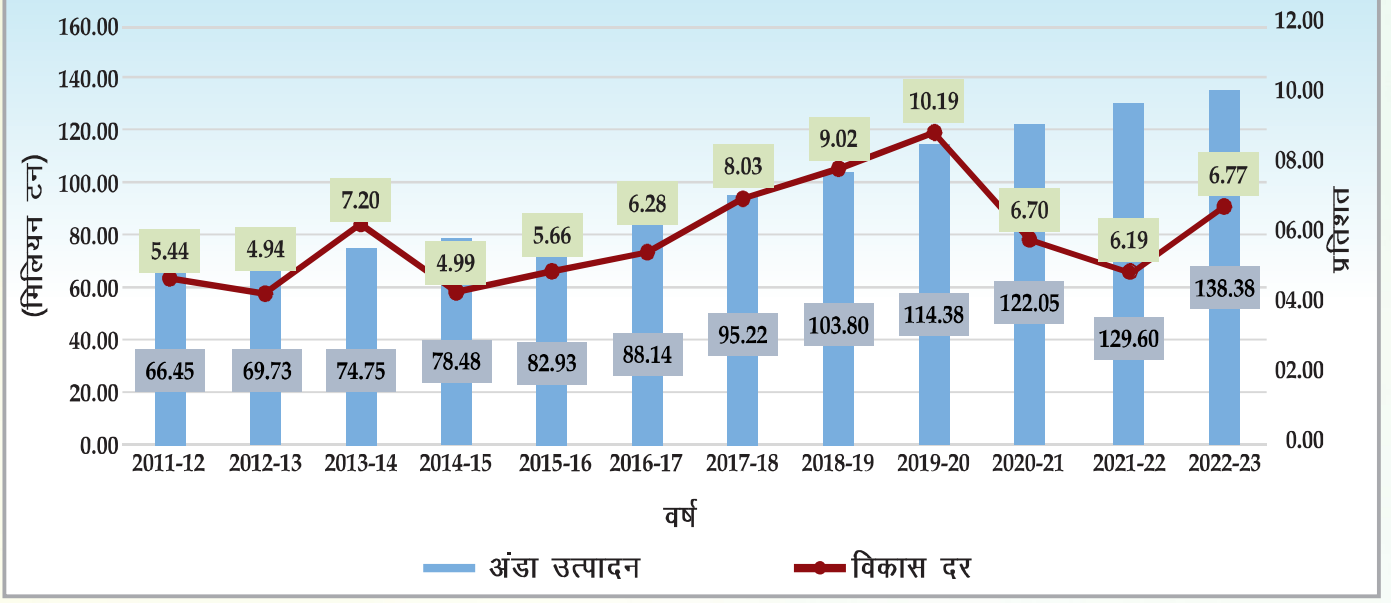

1.5.4 ऊन उत्पादनः बारहवीं योजना (2012–13) की शुरुआत में ऊन का उत्पादन 46.05 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 48.14 मिलियन कि.ग्रा. हो गया था, लेकिन वर्ष 2022–23 में घटकर 33.61 मिलियन किलोग्राम रह गया। वर्ष 2022–23 के दौरान ऊन उत्पादन ने 2.12% की वृद्धि दर दर्शाई है। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक देश में ऊन का उत्पादन और प्रतिवर्ष संगत विकास दर (%) नीचे दिये गए ग्राफ में दर्शाई गई है:

चित्र 1.6 : वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक ऊन उत्पादन के साथ संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) (अखिल भारत)

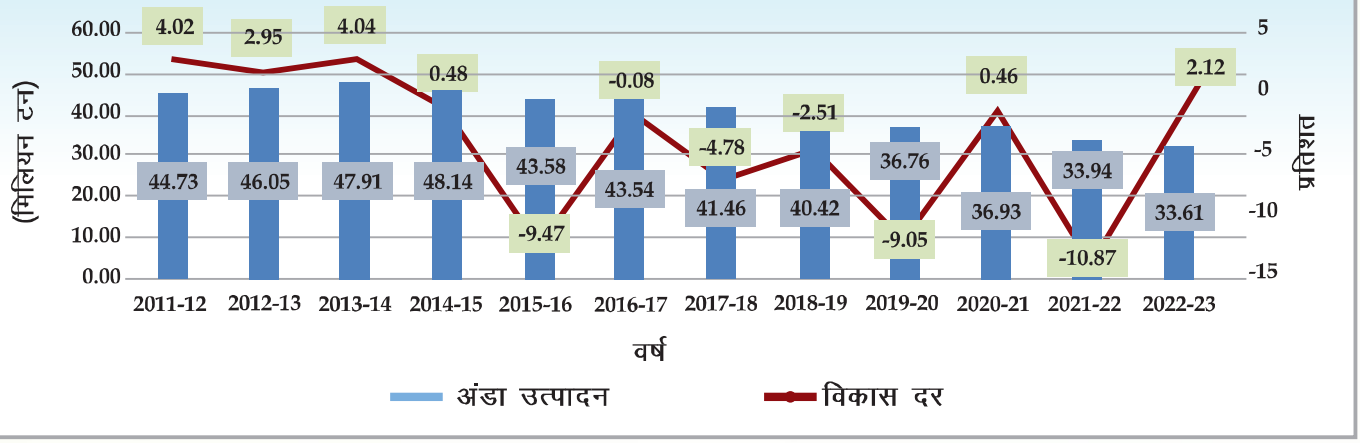

1.5.5 मांस उत्पादनः वर्ष 2014–15 के दौरान मांस का उत्पादन 6.69 मिलियन टन था जो वर्ष 2022–23 में और बढ़कर 9.77 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान मांस उत्पादन में 5.13% की सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है। वर्ष 2022–23 के दौरान मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 7.10 कि.ग्रा./वर्ष है। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक देश में मांस का उत्पादन और प्रति वर्ष संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाई गई हैः

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) का उत्पादन **अनुबंध–II** में दिया गया है।

चित्र 1.7 : वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक मांस उत्पादन के साथ संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) (अखिल भारत)

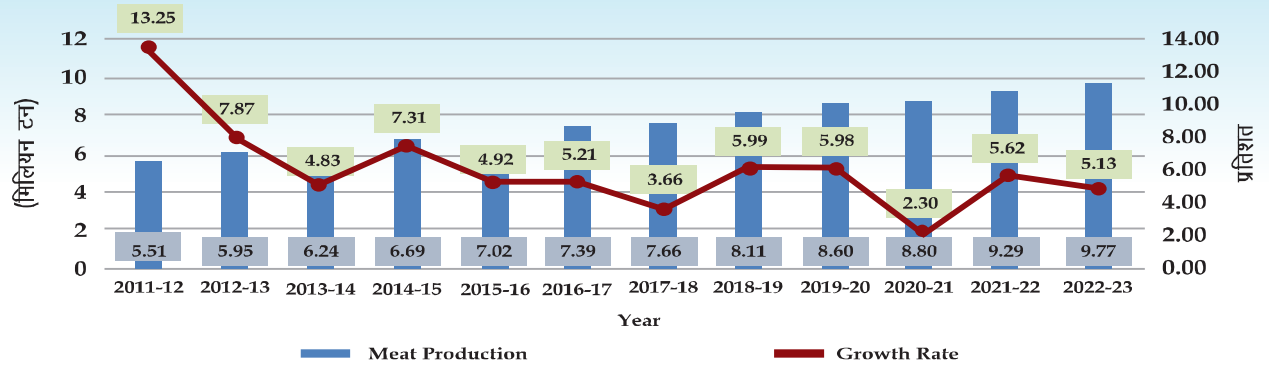

1.5.6 भारत के पशुधन उत्पादों का वैश्विक परिदृश्यः

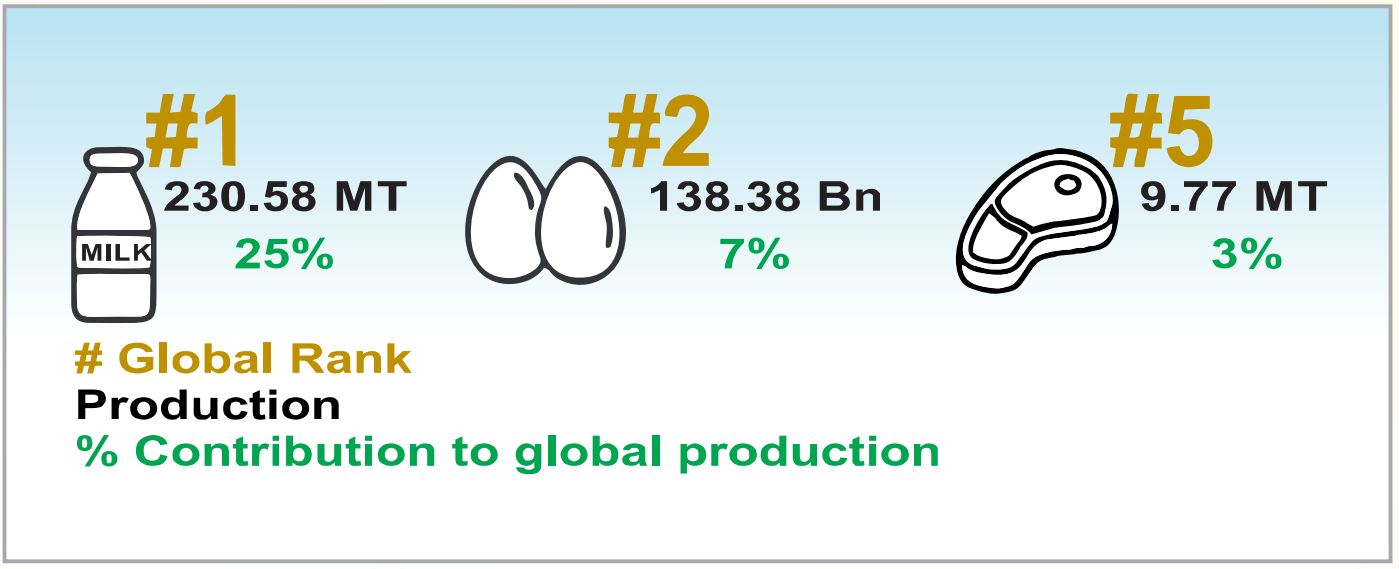

स्रोतः एफएओ वेबसाइट और बीएएचएस, 2023

वैश्विक स्तर पर भारत 230.58 मिलियन टन प्रति वर्ष के साथ दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और यह विश्व दूध उत्पादन का 25% है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। इसी तरह, 138.38 बिलियन प्रति वर्ष के साथ भारत अंडे के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 9.77 मिलियन टन प्रति वर्ष के

साथ मांस उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। यह उत्पादन विश्व मांस उत्पादन का 3% है।

1.6 स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (ए–हेल्प):

- ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में समुदाय–आधारित पशुधन संसाधन व्यक्तियों को एकीकृत करके पशु स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के लिए, इस विभाग ने "स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (ए–हेल्प)" नामक एक नया कैडर विकसित करना शुरू किया है। यह कैडर प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य कर सकता है, 24/7 द्वार पर पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान कर सकता है, और पशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार कर सकता है। ये एजेंट पशुधन रिकॉर्ड का रखरखाव करते हैं, बीमा, ईयर–टैगिंग, पशु पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं, बेहतर रोग प्रबंधन और ट्रेसबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। वे किसानों को वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रथाओं, स्वच्छता और पोषण के बारे में शिक्षित करते हैं, जिससे रोग की घटनाओं में कमी आती है और समग्र पशुधन स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्राथमिक चिकित्सा और मामूली पशु चिकित्सा प्रथाओं में प्रशिक्षित, ए–हेल्प छोटी बीमारियों का तुरंत समाधान कर सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ने से रोक सकते हैं,और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों से जुड़कर गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रोग निगरानी, प्रकोप प्रबंधन और राशन संतुलन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी, निवारक देखभाल का समर्थन करती है और उत्पादकता बढ़ाती है। किसानों और पशु चिकित्सा सेवाओं के बीच के अंतर को पाटकर, ए–हेल्प एजेंट समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हैं, स्वस्थ पशुधन आबादी और अच्छी कल्याण प्रथाओं में योगदान करते हैं।
- इस मॉडल को ए–हेल्प कार्यकर्ता के रूप में आगे प्रशिक्षण और मान्यता प्रदान करके पशुधन (पशु सखी) के लिए डीएवाई–एनआरएलएम के तहत विकसित मौजूदा कैडर का उपयोग करके पूरे देश में लागू किया जाएगा। चयनित पशुसखियों या एसएचजी सदस्यों को पशु कल्याण, वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य में कुशल बनाया जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा।
- वर्ष 2023–24 के दौरान, यह कार्यक्रम 7 राज्यों में शुरू हुआ और इसके साथ ही, वर्तमान में यह कार्यक्रम 15 राज्यों में लागू हो रहा है।
- ए–हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इसमें कौशल वृद्धि, नई तकनीकों को अपनाने, प्रत्यायन स्थिति के माध्यम से अधिक सामाजिक मान्यता, ए–हेल्प संबंधी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाकर अतिरिक्त आय प्राप्त करने के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और किसानों के द्वार पर स्थानीय संसाधन व्यक्ति (LRP) के रूप में सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है। इसके अलावा, उन्हें अपने फील्ड संबंधी कार्यों के दौरान एक समर्थक वातावरण बनाने के लिए विभिन्न उपकरण प्रदान करके भी सहायता दी जा रही है।

1.7 वार्षिक योजना 2022–23 और 2023–24

1.7.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर पर 4288.84 करोड़ रुपए आंबटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 3440.97 करोड़ रूपए कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वास्तविक व्यय 2660.83 करोड़ रूपए था। वर्ष 2023–24 के लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर पर 4687.85

करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 4183.93 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आवंटित धनराशि में से दिनांक 31.03.2024 तक विभाग द्वारा 3485.21 करोड़ रू. का व्यय किया जा चुका है।

1.7.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 और वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के लिए योजना–वार बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय **अनुबंध–III** में दिया गया है।

*****

अध्याय–2

संगठन

संगठन

अध्याय-2

2.1.1 पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1972 (ई) दिनांक 14.06.2019 द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक विभाग है। पशुपालन और डेयरी विभाग मूलतः 1 फरवरी, 1991 को कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात पशुपालन और डेयरी विकास का विलय करके एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग के मात्स्यिकी प्रभाग तथा बाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक भाग को दिनांक 10 अक्तूबर, 1997 में इस विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। अंतरिम बजट उदघोषणा 2019–20 के अनुसरण में, मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 762 (ई) दिनांक 05.02.2019 के द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में से मात्स्यिकी प्रभाग को अलग करते हुए एक नया विभाग नामतः मत्स्यपालन विभाग बना दिया गया।

2.1.2 यह विभाग, श्री परशोत्तम रूपाला, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता दो राज्य मंत्री नामतः डॉ. संजीव कुमार बालियान और डॉ एल. मुरूगन करते हैं। इस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव (पशुपालन और डेयरी) हैं।

2.1.3 इस विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, एक अपर सचिव, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) विभाग के सचिव की सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट और विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आबंटन **अनुबंध–IV** में दिया गया है।

2.2 कार्य

2.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने, डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड और पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीसीएसईए) से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

2.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देता है। कार्यकलापों का मुख्य बल (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित आधारभूत संरचना के विकास; (ख) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रख–रखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देने; (ग) स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान के माध्यम से पशुधन के परिरक्षण और संरक्षण; (घ) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) के सुदृढ़ीकरण और (ड़) भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (एडव्ल्यूबीआई) और पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीसीएसईए) से संबंधित मामलों पर है।

2.2.3 इस विभाग को आबंटित विषयों की सूची **अनुबंध–V** में दी गई है।

2.3 अधीनस्थ कार्यालय

2.3.1 यह विभाग पूरे देश में स्थित निम्नलिखित

क्षेत्रीय / अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन देखता है (तालिका 2.1)।

तालिका 2.1 अधीनस्थ कार्यालय

क्र.सं.	अधीनस्थ कार्यालय	संख्या
i.	पशुपालन का उत्कृष्टता केंद्र	1
ii.	नस्ल सुधार संस्थान	10
iii.	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	4
iv.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1
v.	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	7
vi.	चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत	1
vii.	पशु संगरोध प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र	5
viii.	दिल्ली दुग्ध योजना	1
	कुल	**30**

* दिनांक 14 मार्च, 2023 के आदेश संख्या एफ.ए. –430011 / 3 / 2023–स्था. (मुख्यालय) के द्वारा हैस्सरघट्टा, बंगलुरु में 5 संगठनों को एक संघ के रूप में भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत पशुपालन का उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच) की स्थापना की गई है। इसका गठन भारत सरकार के 'मिशन कर्मयोगी' के तहत राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) संबंधी डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। सीईएएच 642 एकड़ में फैला हुआ है, जो हैस्सरघट्टा, बंगलुरु में पांच संस्थानों में विभक्त है, अर्थात् (i) केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और प्रशिक्षण संस्थान (सीपीडीओ और टीआई), (ii) केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपीटीआई), (iii) केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), (iv) पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा (AQCS), बंगलुरु और (v) क्षेत्रीय चारा स्टेशन (आरएफएस)।

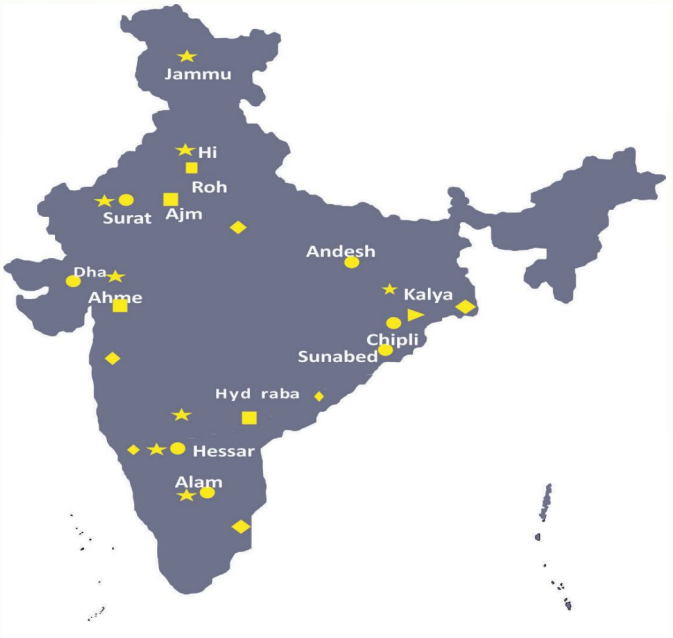

सूची	
शीर्ष	प्रतीक
केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) –7	●
केन्द्रीय पशु पंजीकरण यूनिट (सीएचआरयू) –4	■
क्षेत्रीय चारा केंद्र (आरएफएस) –8	*
राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएएच), यूपी –1	◆
पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केंद्र (एक्यूसीएस) –6	●
केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म –1	▲
केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (सीपीडीओ) –5	+
केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान	●

2.3.2 इन अधीनस्थ कार्यालयों की सूची **अनुबंध–VI** में दी गयी है।

2.4 वैधानिक / स्वायत्त निकाय

2.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना

सन 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय आणंद, गुजरात (भारत) में है। बाद में सन 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। एनडीडीबी ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की योजना बनाई और वर्ष 1970 से वर्ष 1996 तक उसे सफलतापूर्वक लागू किया। हाल ही में, एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण I, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) तथा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन/सहायता में भी लगा हुआ है।

एनडीडीबी सहकारी रणनीतियों का पालन करते हुए डेयरी और अन्य कृषि तथा संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है, योजनाएं बनाता है और उनका आयोजन करता है और डेयरी सहकारी समितियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ–साथ ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है। एनडीडीबी और उसकी सहायक कंपनियों का मुख्य फोकस पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग सेवाएं, सहकारी सेवाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बायोगैस/खाद प्रबंधन के माध्यम से सतत डेयरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डेयरी क्षेत्र को अधिक कुशल, प्रभावी और टिकाऊ बनाने पर है। एनडीडीबी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपनी स्वयं की योजनाएं भी चला रहा है जैसे – आशाजनक दुग्ध संघों को पुनर्जीवित करना, डेयरी सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए विपणन पहल, एथनो–पशु चिकित्सा दवाओं के माध्यम से रोग नियंत्रण कार्यक्रम, वन हेल्थ आदि।

एनडीडीबी विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के अनुरोध पर पश्चिमी असम दूध संघ, पूर्वी असम दूध संघ, झारखंड दूध परिसंघ, वाराणसी दूध संघ, लद्दाख डेयरी परिसंघ और महानंद (महाराष्ट्र डेयरी परिसंघ) के साथ–साथ महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना के लिए व्यावसायिक समर्थन भी प्रदान कर रहा है।

एनडीडीबी भारत को 'विश्व की डेयरी' बनाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इसे सुसाध्य बनाने के लिए कई पहल–उपाय किए जा रहे हैं। एनडीडीबी, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों और केन्या जैसे समान लघु धारक डेयरी प्रणाली वाले देशों को सहकारी रणनीतियों और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से उनके डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए सहायता देने संबंधी पहलों का समन्वय कर रहा है।

एनडीडीबी अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों की योजनाओं और कार्यक्रमों का भी लाभ उठा रहा है। एनडीडीबी राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी संघ लिमिटेड का मुख्य प्रवर्तक है, जो राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियां हैं जो संबंधित मूल्य श्रृंखला में शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करती हैं जिसमें पशुपालन और डेयरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

2.4.2 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद देशभर में सभी पशुचिकित्सा संस्थानों में पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के जरिये पशुचिकित्सा शिक्षा के एक–समान मानक बनाए रखने के लिए और पशुचिकित्सा प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में 27 सदस्य हैं जिनमें 5 (पांच) सदस्य भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से नामित हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, 4 (चार) सदस्य उन राज्यों के पशुचिकित्सा संस्थानों के अध्यक्षों में से हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, 1 (एक) सदस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा नामित है, 1 (एक) सदस्य पशुपालन और डेयरी विभाग, (डीएएचडी) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से भारत सरकार का प्रतिनिधि

है, 1(एक) सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा एसोसिएशन द्वारा नामित है, 1(एक) सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्षों में से नामित है जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है और एक सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा एसोसिएशनों के अध्यक्षों में से नामित है, जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है। 11 (ग्यारह) सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और सचिव, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद इस परिषद के पदेन सदस्य हैं।

देश में प्रशिक्षित पशु चिकित्सा जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 58 हो गई है। वर्ष 2023 के दौरान विभाग ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद की अनुशंसा पर पशुचिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए दो नए प्रस्तावों को बी.वी.एससी. तथा ए.एच. शिक्षा देने के लिए अनुमति पत्र जारी किए हैं।

देश में पशुचिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने तथा पशुचिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक–डिग्री कोर्स (बीवीएससी और ए.एच.) विनियम, 2016 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, परिषद भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 19 और 20 के उपबंधों के अंतर्गत आवधिक रूप से पशुचिकित्सा शिक्षा देने तथा बीवीएससी तथा एएच अर्हता के अवार्ड हेतु परीक्षाओं के संबंध में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करती है। वीसीआई द्वारा वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के कुल 38 निरीक्षण किए गए।

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 24 के अनुसार और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992 द्वारा यथा उपबंधित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में अपने नाम का पंजीकरण कराने की इच्छा रखने वाले 1727 प्रैक्टीशनरों का परिषद ने सीधे पंजीकरण किया है। वर्ष के दौरान, परिषद ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 52 के अंतर्गत यथा उपबंधित, एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के 383 आवेदनों को निपटाया।

परिषद ने वर्ष 2023 के दौरान 15% अखिल भारतीय कोटे की सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की और बीवीएससी और एएच पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 744 सीटें भरी गईं। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और पशुचिकित्सा सहायता केन्द्रों की संख्या **अनुबंध–VII** में दी गई है।

2.4.3 भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड, पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 59) की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित, भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल, प्रसिद्ध मानवतावादी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। देश में जीव–जंतु कल्याण से संबंधी कानूनों का तत्परता से पालन किए जाने से लेकर जीव–जंतु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करने और जीव–जंतुओं के कल्याण संबंधी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने तक, बोर्ड पिछले 62 वर्षों से देश में जीव–जंतु कल्याण अभियान का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

2.5 शिकायत प्रकोष्ठ

2.5.1 जनता की शिकायतों को देखने के लिए विभाग में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। प्रकोष्ठ का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं।

2.6 एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस के लिए संपर्क अधिकारी

2.6.1 विभाग के मुख्यालय के साथ–साथ अधीनस्थ/क्षेत्र कार्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी),

अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य संपर्क अधिकारी के तहत ओबीसी, एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, सेवा में आरक्षण पर सरकारी नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

2.7 सतर्कता एकक

2.7.1 इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों/शिकायतों पर सतर्कता एकक द्वारा जांच और कार्रवाई की जाती है। डीओपीटी, सीवीसी, पीएमओ आदि को नियमित रूप से मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जाती है। सलाह और संबंधित निर्देशों के लिए सीवीसी और यूपीएससी के साथ नियमित समन्वय करके मामलों को अंतिम रूप देने के लिए आरोप पत्र जारी करने हेतु सीवीसी की सलाह लेकर, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों की निगरानी करता है।

2.7.2 विभाग ने अपने क्षेत्रीय एककों के साथ दिनांक 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय 'भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें': "Say No to Corruption; Commit to the Nation" था। सचिव (एएचडी) ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 अक्टूबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीवीसी के विषय को प्रदर्शित करते हुए पूरे सप्ताह कृषि भवन परिसर के प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए। सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं संबंधित कार्यकलापों के पालन के संबंध में दिशानिर्देश दिये गये।

2.8 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

2.8.1. वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का राजभाषा अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

2.8.2 वर्ष 2023 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने विभाग के दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), सूरतगढ़, की जैसलमेर, राजस्थान में और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आणंद, की राजकोट, गुजरात में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान दोनों कार्यालयों ने अच्छा प्रदर्शन किया। निरीक्षण के दौरान समिति को आश्वस्त किया गया कि विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम कार्य हिंदी भाषा में करेंगे। इसके अलावा, विभाग के राजभाषा अनुभाग ने सितंबर, 2023 में मुंबई स्थित दो अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा, मुंबई और केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई का वास्तविक रूप से निरीक्षण किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

2.8.3 इस विभाग में संयुक्त सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए गए। इन सुझावों के

परिणामस्वरूप, हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

2.8.4 सभी अधिकारियों/अनुभागों को समय–समय पर सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा संयुक्त सचिव की ओर से परिपत्र जारी किए गए जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

2.8.5 हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। इसी प्रकार विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्यों को अधिकांशतः हिंदी में ही पत्र भेजे गए थे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया।

2.8.6 विभाग में 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। इस माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कुछ नई प्रतियोगिताएं भी शुरू की गईं। विभाग के मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी विजेताओं को सचिव (पशुपालन और डेयरी विभाग) द्वारा पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष भी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

2.8.7 मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक दिनांक 08 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित की गई। माननीय राज्य मंत्री (डा. एल. मुरूगन) ने बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सचिव (पशुपालन और डेयरी विभाग), सचिव (मत्स्यपालन विभाग) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, माननीय राज्य मंत्री (डा. एल. मुरूगन) ने विभाग की वार्षिक राजभाषा पत्रिका 'सुरभि' के पहले अंक का लोकार्पण किया।

2.8.8 कार्यालय में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के कारण, विभाग ने वर्ष 2023 में तीसरा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता, जिसे गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया और संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने इसे प्राप्त किया। इसके अलावा हमारे विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों ने भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC) की बैठकों में विभिन्न पुरस्कार जीते।

2.8.9 संयुक्त सचिव (रा.भा.) श्री गिरजा नन्द सिंह, निदेशक (प्रशा.) श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त (व्यापार) डॉ. अनिरुद्ध पद्माकर उदयकर और राजभाषा अनुभाग से सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती स्वाति मेल्टी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी डॉ. नसीम अहमद, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी और श्री सुरेश कुमार बिजारणिया ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित हिंदी दिवस, 2023 और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।

2.9 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

2.9.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, विभाग ने आरटीआई अधिनियम के संबंधित उपबंधों के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपील प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इसी प्रकार, विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों के लिए अलग से सीपीआईओ और अपील प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल या अन्यथा प्राप्त आरटीआई आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु उन्हें संबंधित सीपीआईओ को ऑनलाइन ही भेज दिया जाता है।

2.10 अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अन्यों के लिए आरक्षणः

2.10.1 विभाग ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर

जारी आदेशों को सख्ती से क्रियान्वित करने के अपने प्रयास जारी रखा हुआ है। सेवा में आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

2.11 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना

2.11.1 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी समिति कार्य कर रही है। वर्ष 2023–24 के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2.12 मिशन भर्ती के तहत प्रगति

- अक्टूबर, 2022 में मिशन भर्ती की शुरुआत के बाद से, 132 पदों को भरा गया है।
- व्यय विभाग (DoE) से 200 से अधिक पदों को पुनर्जीवित करवाया गया है, और इन पदों को भरने के लिए विभिन्न एजेंसियों, जैसे अधिशेष सेल, पुनर्वास सेल, एसएससी, यूपीएससी, आदि के साथ कार्रवाई शुरू की गई है और उनमें से कुछ को भर भी लिया गया है।
- 1515 पदों में से 821 पद रिक्त हैं (लाइव–460, डीए–0, ए–361)। डाइंग कैडर होने के नाते, इसमें डीएमएस शामिल नहीं है।
- 460 लाइव पदों में से, 359 पदों को भरने की कार्रवाई शुरू की गई है और एसएससी, यूपीएससी, अधिशेष सेल, डीओपीटी, आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ इस पर चर्चा की गई है। शेष 101 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई अभी की जानी है।

तालिका 2.2: पशुपालन और डेयरी विभाग

क्र. सं.	प्रभाग	संस्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विवरण
1.	मुख्यालय (मुख्यालय में पदस्थ पशु चिकित्सकों सहित)	224	158	66	एल–60, डीए–0, ए–6
2.	पशु चिकित्सक (फील्ड कार्यालयों में पदस्थ)	46	36	10	एल–10, डीए–0, ए–0
3.	डेयरी	15	9	6	एल –6, डीए –0, ए –0
4.	गोपशु	672	261	411	एल –139, डीए–0, ए–272
5.	एनएलएम	481	187	294	एल–233, डीए–0, ए–61
6.	एलएच	29	10	19	एल –0, डीए–0, ए–19
7.	एक्यूसीएस	48	33	15	एल –12, डीए–0, ए–3
कुल		**1515**	**694**	**821**	**एल–460, डीए–0,ए–361**

एल–लाइव, डीए–समाप्त मानी गई (2 वर्षों से अधिक समय से रिक्त), ए–समाप्त (5 वर्षों से अधिक समय से रिक्त)

****

अध्याय–3

गोपशु विकास

गोपशु विकास

अध्याय–3

3.1 राष्ट्रीय गोकुल मिशन:

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को विशेष रूप से देशी बोवाईन नस्लों का वैज्ञानिक और समग्र रूप में विकास और सरंक्षण करने के लिए दिसंबर, 2014 में शुरू किया गया था। भारत सरकार की पूर्व योजनाओं में देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रॉसब्रीडिंग पर जोर दिया गया है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक निम्न उत्पादक देशी पशु छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के पास हैं।

योजना, दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन और बोवाईनों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और डेयरी को देश के ग्रामीण किसानों के लिए अधिक लाभकारी बना रही है। योजना देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं में वृद्धि कर रही है और देशी स्टॉक को बढ़ा रही है।

भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन और किये गये अन्य उपायों के कारण, देश में वर्ष 2014–15 से 2022–23 के दौरान दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6% है। सभी वर्गों के पशुओं की उत्पादकता वर्ष 2014–15 और वर्ष 2022–23 के बीच 27 प्रतिशत बढ़ गई है जिसमें डिस्क्रिप्ट, नॉन–डिस्क्रिप्ट गोपशु, भैंसें और संकर नस्ल गोपशु शामिल हैं। इसी प्रकार, भैंसों की उत्पादकता वर्ष 2013–14 में 1792 कि.ग्रा. प्रति पशु से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 2212 कि.ग्रा. प्रति पशु हो गई है। दुधारू पशुओं की संख्या वर्ष 2013–14 के 84.09 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 106.15 मिलियन हो गई है जिसमें 26.23 की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान देशी गोपशु (डिस्क्रिप्ट और नॉन–डिस्क्रिप्ट गोपशु) में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देशी गोपशु से दूध उत्पादन वर्ष 2013–14 में 28.30 मिलियन टन से 62.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022–23 में 47 मिलियन टन हो गया है।

नीचे दिए गए ग्राफ भारत में दूध उत्पादन में गत वर्षों में वृद्धि को दर्शाते हैं। दूध का उत्पादन वर्ष 2001–02 के 80.6 एमएमटी से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 230.58 एमएमटी हो गया है। ग्राफ, वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक बोवाईनों की उत्पादकता (किग्रा/वर्ष) में वृद्धि को भी दर्शाता है। भारत में 27.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सबसे अधिक है, इसके बाद चीन, जर्मनी और डेनमार्क का स्थान है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में प्रतिशत वृद्धि विश्व औसत से अधिक है जो 13.97 प्रतिशत है।

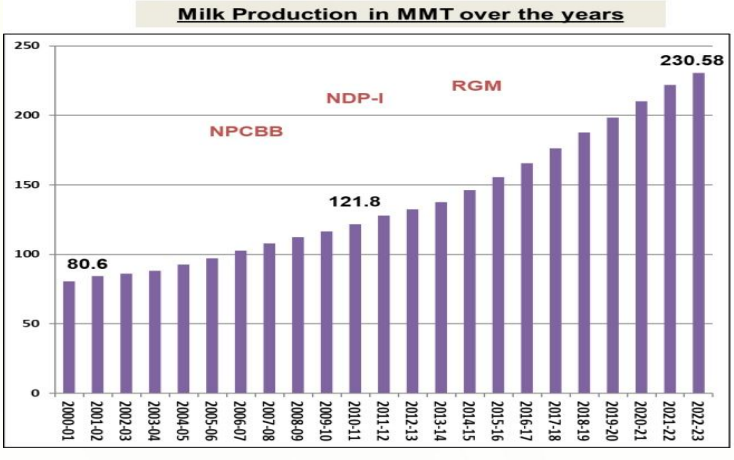

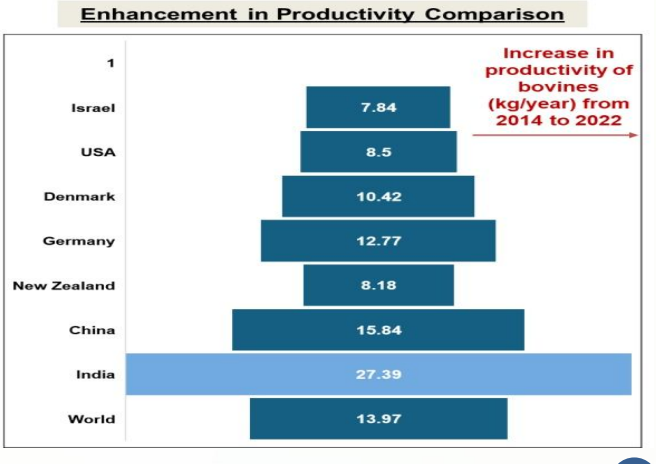

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 2400 करोड़ रू. के आबंटन के साथ पुनर्संरेखित और विस्तारित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन का फोकस राज्यों में गोपशु और भैंस प्रजनन अवसंरचना के निर्माण से कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, आईवीएफ प्रौद्योगिकी और किसानों के द्वारा पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन समेत गुणवत्तापुर्ण प्रजनन सेवाएं लाने पर हो गया है। योजना, पहुंच और सामर्थ्य में सुधार करने के लिए निजी उद्यमिता को आसान बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएंः मुख्य उपलब्धियां

- वर्ष 1998 से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश और वर्तमान में दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का योगदान
- 11.16 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य के साथ वर्ष 2022–23 में 231 एमएमटी दूध का उत्पादन
- 8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान की।
- कुल बोवाईन संख्या में 0.86% की वृद्धि (वर्ष 2012 में 29.96 करोड़ से वर्ष 2019 में 30.22 करोड़) जबकि दुधारू बोवाईन संख्या में 26. 26% की वृद्धि (वर्ष 2014 में 8.3 करोड़ से वर्ष 2023 में 10.48 करोड़)
- एनएआईपी के तहत, 605 जिलों में किसानों के द्वार पर मुफ्त में एआई सेवाएं प्रदान की गईं और अब तक 7.13 करोड़ पशुओं को शामिल किया गया, 8.74 करोड़ एआई किए गए और 4.06 करोड़ किसान लाभान्वित हुए
- आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं
- अब तक सेक्स सॉर्टेड वीर्य की 10 मिलियन खुराकों का उत्पादन किया गया; कृत्रिम गर्भाधान के लिए 70 लाख खुराकें वितरित की गईं
- पिछले 3 वर्षों में 38736 मैत्री को शामिल किया गया
- 5 वर्षों की अवधि में 4000 संतति परीक्षित सांडों के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में पिछले 3 वर्षों के दौरान 3700 सांडों का उत्पादन किया गया
- 5 वर्षों की अवधि में 125 फार्मों के लक्ष्य की तुलना में 142 नस्ल वृद्धि फार्म स्वीकृत किए गए
- पशुपालन और डेयरी विभाग ने संपूर्ण पशुधन डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र भारत पशुधन प्रणाली विकसित की। भारत पशुींन डेटाबेस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 मार्च 2024 को किया गया। सभी कार्यात्मकताओं का उपयोग करके एफएलडब्ल्यू द्वारा 34 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

उद्देश्यः

क) नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सतत रूप में बोवाइनों की उत्पादकता और दूध उत्पादन बढ़ाना

ख) प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उपयोग को बढ़ावा देना

ग) प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की आपूर्ति करना

घ) वैज्ञानिक और समेकित रूप से देसी गोपशु और भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना

3.1.1 निधियन पैटर्न

योजना के सभी घटकों को 100% सहायता अनुदान के आधार पर लागू किया जा रहा है, सिवाय निम्नलिखित घटकों के: i) त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रमः घटक के अंतर्गत प्रति आईवीएफ गर्भावस्था के लिए 5000

रुपये की सब्सिडी भाग लेने वाले किसानों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी; ii) सेक्स सॉर्टेड सीमेन को बढ़ावा देनाः घटक के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेन की लागत के 50% तक सब्सिडी भाग लेने वाले किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी; iii) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापनाः घटक के तहत उद्यमी को परियोजना की पूंजीगत लागत के 50% तक और अधिकतम 2.00 करोड़ रु. तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

3.1.2 आरजीएम के घटक

(i) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म की उपलब्धता

(क) सांड उत्पादन कार्यक्रम

- संतति परीक्षण
- नस्ल चयन
- जीनोमिक चयन
- जर्मप्लाज्म का आयात

(ख) सीमेन स्टेशनों को सहायताः मौजूदा सीमेन स्टेशनों को मजबूत करना

(ग) आईवीएफ प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

- आईवीएफ प्रयोगशालाएं
- इन विट्रो भ्रूण उत्पादन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन
- सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन

(घ) नस्ल वृद्धि फार्म

2. कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार

क. मैत्री की स्थापना

ख. राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम

ग. सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए सेक्स सोर्टेड सीमेन का उपयोग

घ. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (पशुधन) का कार्यान्वयन

3. देशी नस्लों का विकास और संरक्षण

क. गौशालाओं, गोसदनों और पिंजारापोलों को सहायता

ख. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का प्रशासनिक व्यय/संचालन

4. कौशल विकास

5. किसान जागरूकता

6. बोवाइन प्रजनन में अनुसंधान विकास और नवाचार

3.1.3 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नए घटक

i) त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रमः इस घटक के तहत, डेयरी किसानों हेतु बछियां पैदा करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन के साथ आईवीएफ प्रौद्योगिकी और कृत्रिम गर्भाधान का लाभ उठाया जा रहा है। आईवीएफ, बोवाइन आबादी के त्वरित आनुवंशिक उन्नयन हेतु महत्वपूर्ण साधन है, जिस काम को होने में सात पीढ़ियां (गोपशु और भैंस के मामले में 21 वर्ष) लग जाती थीं वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी (गोपशु व भैंस के मामले में 3 वर्ष) में हो जाता है। इस प्रौद्योगिकी में केवल बछियों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की अपार क्षमता है, जिसमें प्रति लैक्टेशन 4000 किग्रा. दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता है जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत योजना के अंत तक 2 लाख आईवीएफ गर्भाधान करवाए जाएंगे। किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भाधान के लिए 5000 रू. की सब्सिडी उपलब्ध करायी जायेगी। पहले से ही देश में इस कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी है।

देश में 90 प्रतिशत सटीकता के साथ केवल बछियों के उत्पादन हेतु सेक्स सार्टेड सीमेन का उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्रयोग न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में बल्कि आवारा गोपशुओं की आबादी के नियंत्रण में भी परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। अगले 5 वर्षों के दौरान 51 लाख गर्भाधान कराए जायेंगे तथा सुनिश्चित गर्भाधान हेतु 750 रू. या सार्टेड सीमेन की लागत के 50 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी।

ii) नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापनाः इच्छुक डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी बाधा अपने स्थानीय क्षेत्र से उच्च गुणवत्ता वाली बछियों या दुधारू पशुओं को खरीदने में होने वाली कठिनाई है। इस मुद्दे का समाधान करने और डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमिता सहित निवेश को आकर्षित करने, और साथ ही डेयरी के हब और स्पोक मॉडल विकसित करने के लिए अवसरों का निर्माण करने के लिए जहां छोटे और सीमांत डेयरी किसान भरोसेमंद डेयरी सेवाओं के स्थानीय हब की मदद से कामयाब हो सकते हैं, न्यूनतम 200 बोवाईन पशुओं के आकार के नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना के लिए इस घटक के तहत निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50% की सब्सिडी (उत्तर पूर्वी, पहाड़ी राज्यों और 31 शुष्क जिलों को छोड़कर प्रति फार्म 2 करोड़ रुपये तक; उत्तर पूर्वी, पहाड़ी राज्यों और 31 शुष्क जिलों में 50 लाख रुपये तक) प्रदान की जाती है। पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और 31 शुष्क जिलों में यह सब्सिडी 50 बोवाईन पशुओं के लिए प्रदान की जाती है। उद्यमी शेष पूंजीगत लागत के लिए बैंक से निधियन प्राप्त करेंगे और क्षेत्र के किसानों को सेक्स सार्टिड वीर्य/आईवीएफ के माध्यम से पैदा की गई उच्च गुणवत्ता वाली बछियों की बिक्री करेंगे। इसके अलावा बैंक ऋण के लिए उद्यमी एएचआईडीएफ योजना के साथ जुड़कर 3% की ब्याज छूट प्राप्त कर सकता है। अब तक विभाग ने 125 के लक्ष्य की तुलना में 142 नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है।

आरजीएम के अंतर्गत विभिन्न नस्ल वृद्धि फार्मों की जियो–टैग की गई तस्वीरें

3.1.4 कार्यान्वयन की स्थिति

योजना के तहत वर्ष 2023–24 के दौरान 869.54 करोड़ रू. का आबंटन उपलब्ध कराया गया है और 868.13 करोड़ रू. का व्यय किया गया है। योजना के प्रारंभ से किया गया वर्ष–वार आबंटन और व्यय इस प्रकार है:

तालिका 3.1: वर्ष 2014–15 से आरजीएम के तहत किया गया आवंटन और व्यय

करोड़ रु. में

वित्तीय	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
आवंटन	159.4	81.77	119.5	190	750.5	270	400	663.55	604.75	869.54	4109.01
व्यय	159.02	81.76	118.75	187.64	750.44	269.73	399.9	663.55	604.75	869.13	4104.67

3.1.5 इन–विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन:

आईवीएफ बोवाइन आबादी के त्वरित आनुवंशिक उन्नयन हेतु महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि जिस काम को होने में सात पीढियां (गोपशु और भैंस के मामले में 21 वर्ष) लग जाती थीं वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी में हो जाता है। आईवीएफ प्रौद्योगिकी में उत्पादन की उच्च आनुवंशिक क्षमता के साथ केवल बछियों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की अपार क्षमता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, देश में आईवीएफ और भ्रुण अंतरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 22 आईवीएफ और ईटी प्रयोगशालाओं को कार्यात्मक बनाया गया है। सरकार ने त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया है और कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 2 लाख गर्भाधान किये जायेंगे। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भाधान 5000 रू. की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जायेगी।

सभी कार्यात्मक प्रयोगशालाओं ने भ्रूण उत्पादन शुरू कर दिया है और मार्च, 2024 तक देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं से 20859 भ्रूण पैदा किये गए हैं और इसमें से 11433 भ्रूण अंतरित किये गये हैं और अब तक योजना के तहत 1784 उत्कृष्ट बछियां पैदा हुई हैं। इन प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

तालिका 3.2: भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	ईटीटी / आईवीएफ केंद्र	रखे गये दानकर्ता	उत्पादित भ्रूण	अंतरित भ्रूण	पैदा हुई बछियां	स्टोर किए गए भ्रूण
1	गुजरात	साबरमती आश्रम गौशाला	30	3385	979	123	2368
2	बिहार	बसु, पटना	52	432	161	11	65
3	हरियाणा	लुवास, हिसार(एचआर)	20	523	153	18	340
4	केरल	मटटूपट्टी	21	1048	404	49	655
5	मध्य प्रदेश	ईटीटी लैब, भदभदा, भोपाल	43	1586	1357	383	20
6	पश्चिम बंगाल	ईटीटी/आईवीएफ लैब, पीबीजीएसबीएस, हरिंगता फार्म	37	576	551	69	3

7	उत्तराखंड	भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कलसी, देहरादून	20	1771	1182	371	535
8	तमिलनाडु	डीएलएफ, होसुर	51	741	720	83	1
9	तमिलनाडु	पशु चिकित्सा कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, नमक्कल, तनुवास	14	241	97	7	41
10	हिमाचल प्रदेश	ईटीटी लैब पालमपुर	9	219	165	26	34
11	बिहार	आरजीएम, पराकोठी, मोतिहारी	25	60	52	9	0
12	आंध्र प्रदेश	पशुधन अनुसंधान केंद्र, लाम, गुंटूर	12	693	543	21	150
13	आंध्र प्रदेश	ईटीटीध्आईवीएफ, एनकेबीसी,चिंतलदेवी	29	448	239	9	209
14	महाराष्ट्र	ईटीटी/आईवीएफ केंद्र, एमएएफएसयू, नागपुर	20	440	339	21	34
15	महाराष्ट्र	बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, उरुली कंचन, पुणे	38	2951	1103	86	2196
16	महाराष्ट्र	जे.के.ट्रस्ट, वडगांव रसाई– जिला पुणे (महाराष्ट्र)	20	3280	1843	277	1423
17	पंजाब	ईटी आईवीएफ लैब, डीएलएफ, गडवासु	30	910	458	101	329
18	उत्तर प्रदेश	निबलेट, बाराबंकी, यूपीएलडीबी	15	531	411	76	120
19	पंजाब	पीएलडीबी ईटीटी सेंटर, पटियाला	9	457	285	25	172
20	छत्तीसगढ	ईटीटी सेंटर, अंजोरा	15	3	3	0	0
21	तेलंगाना	ईटीटी/आईवीएफ, पीवीएनआरटीवीयू	50	407	325	9	0
22	गुजरात	आईवीएफ लैब, अमरेली, एएमआर डेयरी	–	145	63	10	61
कुल			**560**	**20859**	**11433**	**1784**	**8756**

दो गायों से ईटी बछड़े (ईटी–आईवीएफ लैब निबलेट, बाराबंकी)

एकल दानकर्ता से पैदा हुए ईटीटी/आईवीएफ बछड़े–बछड़ियों (काल्व्स)
(ईटीटी/आईवीएफ प्रयोगशाला गड़वासु, लुधियाना)

साबरमती आश्रम गौशाला, बिदाज, गुजरात में आईवीएफ प्रयोगशाला

साबरमती आश्रम गौशाला, बिदाज, गुजरात में आईवीएफ प्रयोगशाला

पशुधन अनुसंधान केंद्र, लाम, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में आरजीएम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

3.1.6.1 सेक्स सोर्टेड सीमेन उत्पादन सुविधा की स्थापनाः

कृषि के मशीनीकरण से नर बोवाईनों की उपयोगिता में कमी आई है। किसान कृषि कार्य अथवा किसी अन्य भारवाही कार्य के लिए बैलों को रखने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए किसानों के घर में जन्मे बछड़े उनकी देयता बन गए हैं। कुछ राज्यों में मौजूदा अधिनियमों/नियमों के कारण, देश के अधिकांश भागों में नर बोवाईनों को मारना बहुत कठिन है। किसान प्रायरू नर पशुओं को खुला छोड़ देते हैं जिसके परिणामस्वरूप आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। एआई कार्यक्रम में लैंगिक आधारित वीर्य जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके केवल मादा बोवाईनों (90 प्रतिशत से अधिक शुद्धता के साथ) को उत्पादित किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी भारत के लिए बड़ा बदलाव कर सकती है। देश में पहली बार, लैंगिक आधारित वीर्य उत्पादन की सुविधा निर्मित की जा रही है। इस प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से न केवल मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि मादा पशुओं अथवा दूध की बिक्री से किसानों की आय में वृद्धि होगी और आवारा पशुओं के मुद्दों का भी समाधान होगा।

3.1.6.1.2 वर्तमान स्थिति

सरकारी क्षेत्र में पांच सीमेन स्टेशन (उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु) कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक सीमेन स्टेशन की उत्पादन क्षमता 6 से 10 लाख खुराक प्रति वर्ष है। अब तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत समर्पित सरकारी सीमेन स्टेशनों पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन की 49.44 लाख खुराकें और दुग्ध संघ, एनजीओ और निजी सीमेन स्टेशनों से 49.71 लाख खुराकें उत्पादित की जा चुकी हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान सेक्स सार्टेड का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत, 51 लाख गर्भाधान कराए जायेंगे और सुनिश्चित गर्भाधान पर किसानों को 750 रू. की सब्सिडी या सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराया जायेगा।

भारत में सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन तकनीक को गोपशुओं की देशी नस्लें, जैसे लाल सिंधी, थारपारकर, साहीवाल, गिर आदि के लिए विकसित किया गया है।

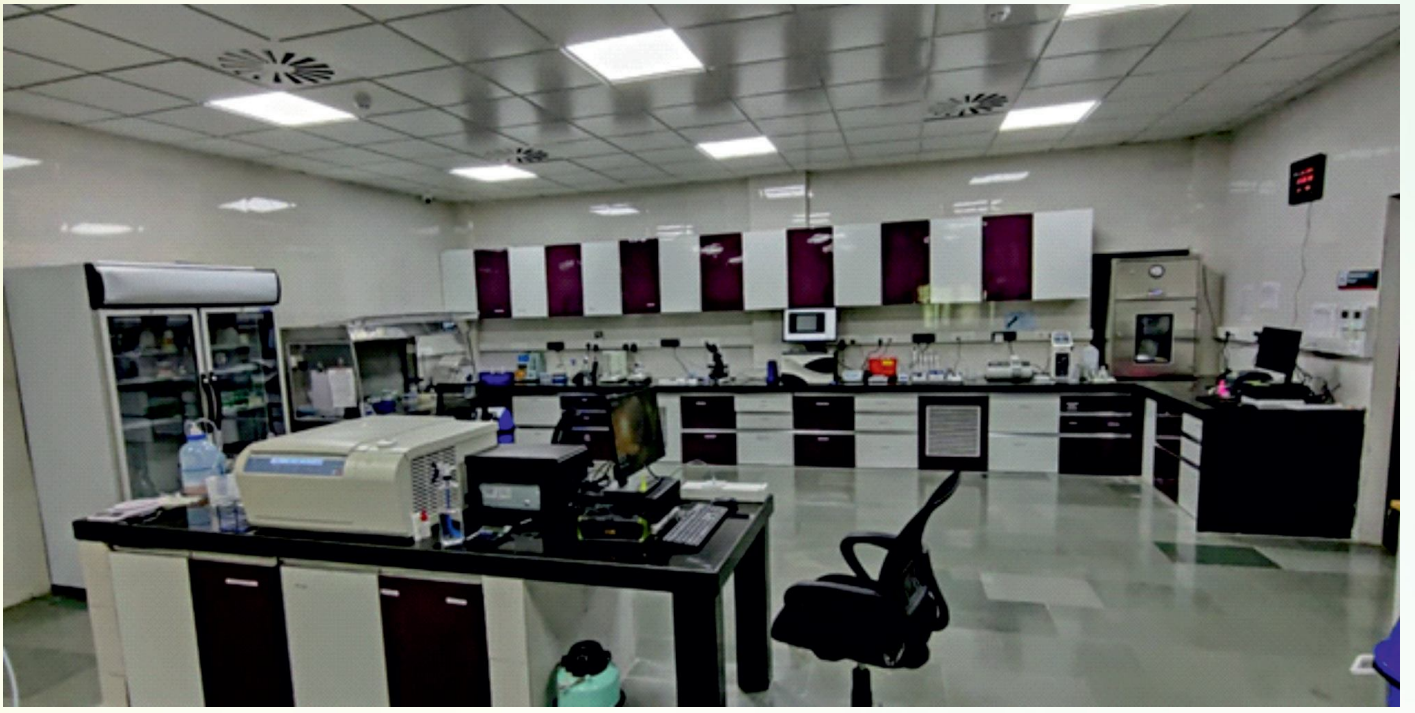

राज्य हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान–पाटन, गुजरात में सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

उत्तर प्रदेश के बाबूगढ़ में सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

डीएफएसपीसी, श्यामपुर, उत्तराखंड में सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला

केंद्रीय वीर्य केंद्र, भोपाल, मध्य प्रदेश में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन सुविधा

सेक्स सॉर्टेड सीमन से पैदा हुए बछड़े–बछड़ियों

3.1.7.1 देशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाईन जीनोमिक केंद्र (एनबीजीसी–आईबी)

3.1.7.1.1 विकसित डेयरी राष्ट्रों में तीव्र आनुवंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए जीनोमिक चयन को दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देशी गोपशु के दुग्ध उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से देश में एक राष्ट्रीय बोवाईन जीनोमिक केंद्र की स्थापना की गई है। जीनोमिक चयन के उपयोग द्वारा देशी नस्लों को कुछ ही पीढ़ियों के अंदर व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। यह केंद्र देशी नस्लों के रोगमुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

3.1.7.1.2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर–एनबीएजीआर) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। परियोजना के तहत, यह निर्णय लिया गया कि एनडीडीबी और आईसीएआर–एनबीएजीआर द्वारा विकसित जीनोमिक चिप को एक साथ मिला दिया जाएगा ताकि अधिक सटीक और विश्वसनीय जीनोमिक चयन चिप विकसित की जा सके। चिप के विकास से आनुवंशिक लाभ की दर में वृद्धि करके दूध उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि बेहतर आनुवंशिकी वाले पशुओं को कम उम्र में चुना जा सकता है, जबकि पारंपरिक तरीकों में पशुओं का आनुवंशिक मूल्य 6 से 7 साल बाद सिद्ध होता है।

3.1.7.1.3 अब तक हुई प्रगति

एनडीडीबी द्वारा जीनोमिक चयन के लिए डीएनए चिप नामतः इंडसचिप और बफचिप और गोपशु तथा भैंसों के लिए निम्न घनत्व की चिप एनबीएजीआर द्वारा विकसित की गई है। अधिक विश्वसनीयता के साथ देशी नस्लों का जीनोमिक चयन करने के लिए इंडसचिप और बफचिप का अब एनबीएजीआर द्वारा विकसित चिप के साथ अभिसरण किया जा रहा है।

3.1.8 संतति परीक्षण :

दुग्ध उत्पादन लिंग – संबद्ध (सेक्स–लिमिटेड) लक्षण है इसलिए सांड की अनुवंशिक क्षमता बछियों के दुग्ध उत्पादन से आंकी जाती है। बछियों के दुग्ध उत्पादन पर सांड की पूर्वामानित संचरण क्षमता (प्रडिक्टिड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी) का आकलन करने की वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति को संतति परीक्षण कहा जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत संगठित संतति परीक्षण कार्यक्रम (पीटीपी) को मुख्यतः देसी नस्लों के लिए लागू किया गया है। वर्ष 2023–24

के दौरान आरजीएम के तहत लागू परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

पैरामीटर / परियोजना	खरीदे गए एचजीएम सांड
एसएजी गिर	67
गंगमुल साहीवाल	90
पीएलडीबी साहीवाल	27
एचएलडीबी मुर्राह	74
पीएलडीबी मुर्राह	39
एबीआरओ मुर्राह	110
एसएजी मुर्राह	61
बनास–मेहसाणा	27
मेहसाणा–मेहसाणा	26
एसएजी एचएफसीबी	66
केएलडीबी एचएफसीबी	33
एपीएलडीए जेवाईसीबी	79
टीसीएमपीएफ जेवाईसीबी	124
एचपीएलडीबी जेवाई	–
कुल	**823**

3.1.8.1 नस्ल चयन कार्यक्रम:

आरजीएम के अंतर्गत नस्ल चयन कार्यक्रम को उन देशी नस्लों के लिए प्रारंभ किया गया है जिनकी आबादी सीमित है और क्षेत्र में एआई अवसंरचना भी उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम के अंतर्गत, बछड़ों का वंश का विवरण और माता, पिता तथा वंशावली में अन्य पूर्वजों के निष्पादन के आधार पर चयन किया जाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान आरजीएम के तहत लागू नस्ल चयन कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है:

पैरामीटर / परियोजना	खरीदे गए एचजीएम सांड
राठी	1
कांकरेज	2
हरियाणा	6
थारपारकर	–
जाफराबादी	3
नीली रवि	2
पंढारपुरी	4
गाओलाओ	–
बन्नी	–
कुल	**18**

उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले गिर बैल का उत्पादन आरजीएम के तहत एसएजी गिर संतति परीक्षण परियोजना के तहत किया गया

3.1.9 एआई कवरेज का विस्तार

3.1.9.1 कृत्रिम गर्भाधान कवरेज

कृत्रिम गर्भाधान बोवाईनों के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक प्रमाणित तकनीक है। वर्तमान में, देश में एआई कवरेज प्रजनन योग्य बोवाईनों के 33% तक सीमित है जबकि 70% प्रजनन योग्य पशु अज्ञात आनुवंशिक वाले निम्न कोटि के (स्क्रब) सांडों द्वारा कवर किए जाते हैं।

3.1.9.2 एआई कवरेजः

वर्ष 2022–23 में सभी राज्यों में कुल 985.86 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए। एआई कवरेज के तहत अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में प्रजनन योग्य बोवाइन मादाओं का सबसे कम 1% एआई कवरेज है जबकि केरल में यह 100% है।

3.1.9.3 ग्रामीण भारत में बहुद्देशीय एआई तकनीशियनों की स्थापना (मैत्री)

किसानों के द्वार पर प्रजनन आदानों की आपूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन (मैत्री) की स्थापना की गई थी। मैत्री को मान्यता प्राप्त एआई संस्थानों में 3 महीने (90 दिन) की अवधि के दौरान प्रायोजित एआई प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है। संबंधित राज्यों को प्रति मैत्री 50,000 रू. की दर से मशीनों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्षों के पश्चात, मैत्री वस्तुओं और सेवाओं की लागत वसूली के माध्यम से स्वावलंबी हो जाते हैं।

तालिका 3.3: वर्ष 2021–22 से 2023–24 के दौरान एआई कवरेज बढ़ाने के लिए मैत्री की स्थापना

राज्य	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
आंध्र प्रदेश	3500	4746
तेलंगाना	250	162
कर्नाटक	2350	3139
केरल	160	139
गुजरात	648	545
मध्य प्रदेश	6770	5136
महाराष्ट्र	250	220
राजस्थान	1100	1315
जम्मू और कश्मीर	639	848
पंजाब	100	0
हरियाणा	119	0
हिमाचल प्रदेश	50	43
उत्तराखंड	225	233
उत्तर प्रदेश	3250	2497
लद्दाख	300	75
असम	1364	1012
अरुणाचल प्रदेश	100	37
मणिपुर	100	100
मेघालय	535	173
सिक्किम	378	378
नागालैंड	20	20
त्रिपुरा	144	94
झारखंड	1539	1044
छत्तीसगढ	425	425
बिहार	5406	2733
पश्चिम बंगाल	1000	1188
ओडिशा	1500	1341
कुल	**32222**	**27643**

3.1.9.4 फील्ड एआई नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

आरजीएम के अंतर्गत, राज्यों को पोर्टेबल क्रायोकंटेनर, यूनीवर्सल गन्स समेत एआई किटों और प्रति 5 एआई केन्द्रों को 1 किट की दर से मदर कंटेनर उपलब्ध कराते हुए स्थायी एआई केन्द्रों को चालित एआई केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। राज्यों को अनुपयोगी क्रायोकंटेनर और एआई

किटों को नए किटों में बदलने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आरजीएम के तहत मैत्री को एआई किट का वितरण

3.1.9.5 एआई प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

विभाग द्वारा एआई प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय निगरानी यूनिट गठित की गयी है। वर्ष 2018–19 के दौरान किये गये मूल्यांकन के अनुसार, 48 एआई केन्द्र पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा तैयार किये गये एमएसपी और एसओपी के अनुसार प्रत्यायित किए गए हैं। एआई प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और साथ ही क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं। एक समान प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया गया है तथा सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं।

3.1.9.6 तरल नाइट्रोजन (एलएन) के भंडारण, ढुलाई और वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

ऐसा अनुमान है कि प्रति एआई निष्पादन के लिए 0.5 लीटर तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इसलिए देश में 40 मिलियन लीटर तरल नाइट्रोजन की हैंडलिंग के लिए अवसंरचना की आवश्यकता है। देश में तरल नाइट्रोजन के बल्क भण्डारण, ढुलाई और वितरण प्रणाली को सुगम बनाने के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं।

3.1.9.7 वीर्य केंद्रों का मूल्यांकनः

सीमेन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से, दो वर्षों में एक बार वीर्य केंद्रों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए विभाग द्वारा दिनाकं 20.5.2004 को केन्द्रीय मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) की स्थापना की गई थी। सीएमयू ने अब तक छह बार पर मूल्यांकन किया है। सीएमयू के गठन के बाद सीमेन केन्द्रों की ग्रेडिंग में सुधार नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 3.4: पिछले कुछ वर्षों में वीर्य केन्द्रों की ग्रेडिंग

ग्रेड	2005	2009	2011	2013	2016	2018–19	2022–23
क	2	12	20	30	37	36	41
ख	12	15	17	15	14	13	9
ग	12	7	3	–	–	–	–
ग्रेड नहीं दिया गया (एनजी)	33	13	7	5	2	2	3
मूल्याकंन नहीं किया गया (एनई)	–	2	2	2	5	5	3
कुल	59	49	49	52	58	56	56

3.1.9.8 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल (एमएसपी)

एक समान गुणवत्ता के हिमित सीमेन का उत्पादन करने के लिए, बीएआईएफ, एनडीडीबी, एनडीआरआई (करनाल) और सीएफएसपी एण्ड टीआई के विशेषज्ञों की सलाह से सीमेन उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकोल विकसित किया गया था और उसे 20 मई, 2004 से लागू किया गया था। हाल ही में सीमेन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति को देखते हुए वर्ष 2022 में वीर्य उत्पादन संबंधी एमएसपी को अद्यतन किया गया है और देश भर के सभी सीमेन केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है।

3.1.9.9 वीर्य केन्द्रों का आईएसओ प्रमाणीकरण

वर्तमान में, 54 वीर्य केन्द्र आईएसओ प्रमाणित हैं।

3.1.9.10 जनशाक्ति विकास

योजना के तहत, 793 व्यवसायिकों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम विकास और डाटाबेस प्रबंधन/आईएनएपीएच में प्रशिक्षित किया गया। 28117 मौजूदा एआई तकनीशियनों/मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 27643 ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री) को एआई में बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है।

3.1.10 जागरूकता कार्यक्रमः

3.1.10.1 राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण–IV को वर्ष 2022–24 के दौरान 1 अगस्त 2022 से अब तक 50% से कम एआई कवरेज वाले 592 जिलों में लागू किया गया है।

3.1.10.2 एनएआईपी–III कार्यक्रम ने 3 करोड़ बोवाइनों के लक्ष्य के मुकाबले 179.98 लाख बोवाइनों को कवर करते हुये एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कार्यक्रम के तहत, किसानों के द्वार पर 2.26 करोड़ निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किए गए और इससे 124.42 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, एनएआईपी कार्यक्रम 592 जिलों को शामिल करते हुए चरण–IV तक बढ़ाया गया। एनएआईपी–IV के तहत मार्च, 2024 तक इस कार्यक्रम से 303.15 लाख पशुओं को शामिल किया गया, 433.37 लाख कृत्रिम गर्भाधान निष्पादित किए गए और 188.52 लाख किसान लाभान्वित हुए।

इस कार्यक्रम के तहत, जिलों के पहचान किए गए प्रत्येक ग्राम में किसानों के द्वार पर निःशुल्क एआई सेवाएं दी जा रही हैं। देशी गोपशु नस्लों के लिए, कार्यक्रम के तहत 3000 क्रि.ग्रा/लैकटेशन से ऊपर डैम के लैकटेशन उत्पादन के साथ एचवाईआईबी सांड के सीमेन का उपयोग किया जाता है। राज्य

प्रजनन नीति के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत नान–डिस्क्रिप्ट गोपशु का विदेशी सीमेन तथा उच्च उत्पादन वाले संकर नस्ल सीमेन के संकर नस्ल के साथ उन्नयन की भी अनुमति है। इस प्रयोजनार्थ, एचएफ के लिए 10,000 क्रि.ग्रा के एमएसपी और जर्सी के लिए 6000 कि.ग्रा एमएसपी का सीमेन निर्धारित किया गया है। नॉन–डिस्क्रिप्ट भैंसों के मामले में, 3000 कि.ग्रा तथा उससे अधिक एमएसपी के साथ मुर्राह/नीली रवि के सीमेन का उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम से बोवाईन आबादी के समग्र आनुवांशिक उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा।

3.1.10.3 इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए सभी पशुओं को पशु यूआईडी (एयूआईडी) का उपयोग करके चिहिन्त किया रहा है और उनका डाटा आईएनएपीएच डाटाबेस पर अपलोड किया जा रहा है। ए.आई हो जाने के पश्चात, पशु का ध्यान रखा जाता है और बछिया के जन्म होने तक सभी घटनाओं को डाटा बेस में रिकार्ड किया जाता है।

3.1.10.4 अनुमानित परिणाम

- इस अभियान मोड के कारण, लगभग 7.5 करोड़ एआई के परिणामस्वरूप 3.00 करोड़ श्रेष्ठ उत्कृष्ट बछड़े तैयार होंगे, 1.35 करोड़ उत्कृष्ट बछियां पैदा की जाएंगी जो 3 वर्षों के पश्चात 16.2 एमएमटी दूध प्रति वर्ष का उत्पादन करेंगी। किसानों के परिवार में 54,000 करोड़ रु. (40,000 रु. प्रति वयस्क गाय) की गाय और भैंसें जुड़ जाएंगी।
- दूध की बिक्री के माध्यम से, डेयरी किसान 55258 करोड़ रु. की अतिरिक्त आय अर्जित करेंगे।

देश के डेयरी पशु झुण्ड में अधिक दूधारू पशुओं के जुड़ने से देसी नस्ल की आबादी में सुधार होगा।

एनएआईपी के तहत कर्नाटक में जुड़वां भैंस के बछड़ों का जन्म हुआ

एआई तकनीशियन चरण– IV के तहत किसानों के दरवाजे पर एआई निष्पादन कर रहे हैं

एनएआईपी के तहत सिक्किम में पैदा हुए बछड़े

सिक्किम में आरजीएम के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम

3.1.11 गोपाल रत्न पुरस्कार

विभाग द्वारा पशुधन और डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक गोपाल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। पुरस्कार का उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी व्यक्तिगत किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, नामतः (i) देशी गोपशु/भैंस की नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान; (ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और (iii) सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति। पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में योग्यता प्रमाण पत्र, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए स्मृति चिन्ह तथा देशी गोपशु/भैंस की नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के लिए योग्यता प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और निम्नलिखित नकद राशिः प्रथम स्थान धारक के लिए 5,00,000/– (पांच लाख रुपये); द्वितीय स्थान धारक के लिए 3,00,000/– (तीन लाख रुपये) तृतीय स्थान धारक के लिए 2,00,000/– (दो लाख रुपये) है। पहली बार, ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से स्व–नामांकन के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 1770 आवेदन प्राप्त हुए थे और विभाग द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया था। देश में 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों, 3 सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियनों और 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समितियों को 26 नवंबर 2023 को माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। विजेताओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	श्रेणी	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम
1.	देशी गाय/भैंस की नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान;	प्रथम श्री राम सिंह, करनाल, हरियाणा
		द्वितीय श्री नीलेश मगनभाई अहीर, सूरत, गुजरात
		तृतीय श्रीमती बृंदा सिद्धार्थ शाह, वलसाड, गुजरात
		तृतीय श्री राहुल मनोहर खैरनार, नासिक, महाराष्ट्र
2.	सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)	प्रथम श्री सुमन कुमार साह, अररिया, बिहार
		द्वितीय श्री अनिल कुमार प्रधान, अनुगुल, ओडिशा
		तृतीय श्री मुद्दपु प्रसादराव श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश
3.	सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दुग्ध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन)।	प्रथम पुलपल्ली क्षीरोलपदका सहकारण संगम डी लिमिटेड, वायनाड, केरल
		द्वितीय टी एम होसूर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मांड्या, कर्नाटक
		तृतीय एम.एस. 158 नाथमकोविलपट्टी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, डिंडीगुल, तमिलनाडु

3.2 नस्ल सुधार संस्थान

3.2.1 भूमिका :

केन्द्रीय गोपशु विकास संगठनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाईयां सम्मिलित हैं जो आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों के उत्पादन, उच्च आनुवंशिक गुणों वाले (एचजीएम) सांडों के अच्छे किस्म के हिमित वीर्य तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाजम की पहचान और अवस्थिति हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की

गई हैं ताकि देश में एचजीएम सांडों तथा हिमित वीर्य खुराकों की आवश्यकता की पूर्ति जा सके। ये संगठन हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और फार्म प्रबंधन में किसानों और उद्यमियों के प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

3.2.2 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)

3.2.2.1 उत्पादन क्षमता को सुगम बनाने और पशुओं में दीर्घावधि आधार पर उत्पादन में प्रगतिशील आनुवांशिक सुधार लाने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण साधन है। केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों को केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 1968 से 1976 के बीच प्रारंभ किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण देशी और विदेशी गोपशु नस्लों (हॉल्सटीन फ्रीजियन और जर्सी) के उच्च आनुवांशिक क्षमता के जर्मप्लाज्म को देश के अंदर उपलब्ध कराना है जिससे कि यह डेयरी उद्योग के आधार के स्तंभ रूप में कार्य कर सके। इन फार्मों ने देशी और विदेशी नस्लों के रोग मुक्त एचजीएम सांडों और हिमित वीर्य खुराकों के रूप में प्रजनन आदानों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3.2.2.2 सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) हैं जो अलामादी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलिमा एवं सुनाबेड़ा (ओडिशा), धामरोड (गुजरात), हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित हैं। ये सीसीबीएफ आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रमों के लिए उच्च संतति सांडों के उत्पादन के उद्देश्य के साथ–साथ गोपशु और भैंसों के वैज्ञानिक प्रजनन में संलग्न हैं। इसके अलावा, ये फार्म किसानों और प्रजनकों को जागरूकता प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01.04.2023 से डेयरी इनोवेशन केंद्रों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तीन फार्मों यानी सीसीबीएफ–अलामादी, सीसीबीएफ–अंदेशनगर और सीसीबीएफ–धामरोड का तकनीकी प्रबंधन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह कार्य अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण करके और फार्मों का आधुनिकीकरण करके तथा सभी कार्यकलाप राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार करके किया जाएगा।

3.2.2.3 ये फार्म राज्यों सरकारों, प्रजनन एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को वितरित करने के लिए गोपशु की स्वदेशी और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड़ बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड़ बछड़े देशी नस्लों नामतः थारपारकर, रेड सिंधी, विदेशी नस्लों नामतः जर्सी, होल्सटीन फ्रीजियन, भैंस की नस्लों नामतः मुर्राह और सुरती तथा जर्सी x रेड सिंधी और होल्सटीन फ्रीजियन x थारपारकर के संकर नस्ल सांडों से सांड बछड़ों का उत्पादन कर रहे हैं।

3.2.2.4 उद्देश्यः

इन फार्मों का कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैः

i) वैज्ञानिक चयन और संगठित प्रजनन योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और ब्याने के अंतराल, दूध देने और दूध सूखने के दिनों जैसे अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के लिए पशुयूथ का क्रमिक आनुवंशिक सुधार

ii) गोपशु और भैंसों की विभिन्न नस्लों के सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म का विकास और संरक्षण

iii) उच्च आनुवंशिक गुणता (एचजीएम) वाले सांडों का उत्पादन और विभिन्न प्रजनन एजेंसियों को वीर्य उत्पादन के लिए उनका वितरण

iv) तकनीकी कार्मिकों, विस्तार कर्मियों और किसानों के लिए वैज्ञानिक प्रजनन और फार्म प्रबंधन पद्धतियों का प्रदर्शन

3.2.2.5 कार्यः

3.2.2.5.1 स्टॉक का प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार :

वैज्ञानिक नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से संतति परीक्षण और आयातित वीर्य का उपयोग करके इन फार्मों पर क्रमिक आनुवंशिक सुधार किया जा रहा है। ब्याने के कम अंतराल और दूध देने तथा सूखने के दिनों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है।

3.2.2.5.2 देशी नस्लों का विकास और संरक्षण

इन फार्मों पर देशी नस्लों जैसे गोपशु की रेड सिंधी और थारपारकर नस्ल तथा भैंस की सूरती नस्ल विकसित और संरक्षित की जा रही है। इन नस्लों के एचजीएम सांडों को राज्य सरकार के तथा अन्य एजेंसियों के वीर्य केन्द्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्यों तथा देश में अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए सीसीबीएफ चिपलिमा रेड सिंधी जर्मप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.2.2.5.3 उत्कृष्ट सांड बछड़ों का उत्पादन और वितरण:

इन फार्मों पर संतति परीक्षित सांडों के वीर्य और गोपशु की विदेशी नस्ल के मामले में आयातित वीर्य का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले नर बछड़े पैदा किये गये। राज्यों तथा अन्य एजेंसियों को वीर्य उत्पादन हेतु रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांड उपलब्ध कराए गए हैं।

3.2.2.6 सीसीबीएफ, अलामादी:

चेन्नई के अलामादी (अवदी) में स्थित केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म की स्थापना दक्षिणी क्षेत्र में मुर्राह नस्ल की भैंस को बढ़ावा देने और क्षेत्र में मुर्राह नस्ल के एचजीएम सांडों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में की गई थी। यह फार्म 214.98 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फार्म में मुर्राह भैंस हैं और वर्तमान में पशुयूथ की क्षमता 300 है। वर्ष 2023–24 के दौरान फार्म ने 18 एचजीएम सांड बछड़े पैदा किये और राज्यों को 56 एचजीएम सांड बछड़े बेचे। फार्म को अत्याधुनिक ईटीटी/आईवीएफ के उत्कृष्ट केन्द्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे व्यवसायिकों और वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। एनडीडीबी द्वारा आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, अलामादी में मुर्राह नस्ल

सीसीबीएफ, अलामादी में मुर्राह झुंड

3.2.2.7 सीसीबीएफ धामरोडः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1968 के दौरान भैंस की सुरती नस्ल के साथ की गई थी जिसका उद्देश्य देशभर में प्रसार और प्रजनन के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ उच्च नस्ल के सुरती सांडों को पैदा करना और साथ ही इस नस्ल का सरंक्षण करना था। फार्म की क्षमता 328 पशु हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान फार्म ने 26 सांड बछड़े पैदा किये और 29 सांड बछड़े राज्यों को बेचे। फार्म का रख–रखाव सुरती नस्ल की भैंस के लिए सरंक्षण फार्म के रूप में किया जा रहा है क्योंकि इस नस्ल की सीमित आबादी ही देश में उपलब्ध है। यह निर्णय लिया गया है कि निम्न उत्पादन वाले सुरती स्टॉक को गोपशु की गिर नस्ल से बदल दिया जाये जिसकी इस स्थान में अत्यधिक मांग है और जो बेहतर निष्पादन करती है। आज की तिथि तक फार्म में 36 गिर पशु हैं। इस फार्म में अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं। प्रयोगशाला में आईवीएफ का कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर किया गया है। प्रयोगशाला से क्षेत्र के किसानों को आईवीएफ सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सीसीबीएफ, धामरोड में गिर नस्ल

सीसीबीएफ, धमरोड में सुरती नस्ल

3.2.2.8 सीसीबीएफ, अंदेशनगरः

उत्तर प्रदेश राज्य के अंदेशनगर में स्थित केंन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म लखीमपुर–खीरी से लगभग 13 कि.मी दूर है। फार्म की स्थापना 1976 के दौरान की गई थी और यह भैंस की मुर्राह नस्ल और संकर नस्ल हाल्सटीन फ्रीजियन x थारपरकर का आवास है। वर्ष 2023–24 के दौरान फार्म ने 21 सांड बछड़े पैदा किए और राज्यों को 47 सांड बछड़े बेचे। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, अंदेशनगर में मुर्राह बछड़े– बछड़ियां

सीसीबीएफ, अंदेशनगर में मुर्राह नस्ल

3.2.2.9 सीसीबीएफ, चिपलिमा :

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले के बंसंतपुर में स्थित है। फार्म की स्थापना 1968 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की रेड सिंधी नस्ल और जर्सी X रेड सिंधी की संकर नस्ल रहती है। वर्ष 2023–2024 के दौरान फार्म ने 17 सांड बछड़े पैदा किये और 31 सांड बछड़े अन्य राज्यों को बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 599 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, चिपलिमा में दूध दुहने का कार्य

सीसीबीएफ, चिपलिमा में लाल सिंधी बछड़े और बैल

सीसीबीएफ चिपलिमा में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.2.2.10 सीसीबीएफ, सुनाबेड़ा :

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सुनाबेड़ा ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के सुनाबेड़ा में स्थित है। फार्म की स्थापना 1972 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की विदेशी जर्सी नस्ल रहती है। वर्ष 2023–24 के दौरान फार्म ने 28 सांड बछड़े पैदा किये और राज्यों को 19 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 205 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, सुनाबेडा में जर्सी नस्ल

सीसीबीएफ, सुनाबेडा में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.2.2.11 सीसीबीएफ, हैस्सरघट्टाः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हैस्सरघट्टा कर्नाटक राज्य के बंगलुरू जिले में स्थित है। फार्म की स्थापना 1976 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की विदेशी हॉल्सटीन फ्रीजियन नस्ल रहती है।

दिनांक 01.04.2023 से यह फार्म अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ क्षमता निर्माण विकसित करने और उद्यमियों को प्रशिक्षण के लिए पशुपालन का उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच) का हिस्सा बन गया है।

3.2.2.12 सीसीबीएफ, सूरतगढ़ः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। फार्म की स्थापना 1967 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की थारपारकर नस्ल का देशी स्टाक है। फार्म की क्षमता 378 पशुओं की है। वर्ष 2023–24 के दौरान फार्म ने 60 सांड बछड़े पैदा किये और राज्यों को 53 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 594 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, सूरतगढ़ में थारपारकर झुंड

सीसीबीएफ, सूरतगढ़ में आईवीएफ के माध्यम से बछिया पैदा की गईं

3.2.3 समग्र वास्तविक प्रगति :

इन फार्मों ने वर्ष 2023–24 के दौरान 138 सांड बछड़े पैदा किये, किसानों और राज्य प्रजनन फार्मों को 188 बछड़े बेचे तथा डेयरी फार्म प्रबंधन में 880 किसानों को प्रशिक्षित किया।

वर्ष 2023–24 के दौरान की गई मानक–वार वास्तविक प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	मानक	अलामादी	अंदेश नगर	चिपलिमा	धामरोड	सुनाबेड़ा	सूरतगढ़	योग
1	सांड बछड़ों का उत्पादन	18	21	17	26	28	60	170
2	बेचे गए सांड बछड़े	56	47	31	15	19	53	221
3	प्रशिक्षित किए गए किसानों की सं.	82	25	599	3	365	594	1668

3.2.4 केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना (सीएचआरएस):

3.2.4.1 भूमिका:

विभाग उत्कृष्ट गायों और भैंसों के पंजीकरण और उत्कृष्ट गायों तथा नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस) कार्यान्वित कर रहा है। योजना का उद्देश्य फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रजनन क्षेत्र में देशी नस्लों के सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान और प्रसार करना तथा उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के साथ चयनित गायों के प्रजनन की व्यवस्था करना है। यह योजना देशी नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

3.2.4.2 योजना की संरचना:

योजना के अंतर्गत 4 सीएचआरएस यूनिटें रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और ओंगोले में स्थित हैं। फील्ड निष्पादन रिकॉडिंग (एफपीआर) प्रारंभ करने के लिए 96 दुग्ध रिकॉडिंग केंद्र हैं। यह योजना 9 राज्यों में गोपशु और भैंस की 14 देशी नस्लों को कवर कर रही है। डाटा को एनडीएलएम डाटा बेस पर अपलोड किया जाता है और पशुओं को 12 अंकों की पशु विशिष्ट पहचान (एयूआइडी) संख्या का उपयोग करते हुए चिन्हित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पशु रिकॉर्डिंग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समिति के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

3.2.4.3 सीएचआर यूनिट, रोहतक:

इस यूनिट की स्थापना 1963 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 33 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी नस्लों में गोपशु की हरियाणा, साहीवाल,रेड सिंधी और गिर तथा भैंस की मुर्राह और नीली रवि नस्लें हैं। यूनिट द्वारा कवर किये गये राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड और दिल्ली हैं।

हरियाणा गोपशु

3.2.4.4 उपलब्धियां:

वर्ष 2023–24 के दौरान नस्ल विशिष्टताओं की पुष्टि करने वाली 8726 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अधीन लाया गया था। वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
4162	1557	44	27

साहीवाल

टैग सं. – 160048946741
स्तनपान का क्रम – 3
दूध उपज– 4204/302
आयु 6 वर्ष

मुर्रा भैंस

टैग सं. – 102287594192
स्तनपान का क्रम – 2

दूध उपज– 4448/305
आयु 5 वर्ष

हरियाणा गाय

टैग सं. – 102287603707

स्तनपान का क्रम – 4

अधिकतम उपज – 13 किलोग्राम

आयु 6 वर्ष

3.2.4.5 सीएचआर यूनिट, अहमदाबाद

3.2.4.5.1 इस यूनिट की स्थापना 1969 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 42 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी गोपशु नस्लों में गिर, कंकरेज तथा भैंस की सुरती, जाफराबादी, मेहसानी, पंढरपुरी नस्लें है। यूनिट द्वारा कवर किये गये राज्य गुजरात और महाराष्ट्र हैं।

3.2.4.5.2 उपलब्धियां:

वर्ष 2023–24 के दौरान नस्ल विशिष्टताओं की पुष्टि करने वाली 5585 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अधीन लाया गया था। वर्ष 2023–24 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
3168	1850	73	89

3.2.4.6 सीएचआर यूनिट, अजमेर:

3.2.4.6.1 इस यूनिट की स्थापना 1979 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 11 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी गोपशु नस्लों में गिर, राठी, थारपारकर तथा भैंस की मुर्राह नस्ल है। यूनिट द्वारा राजस्थान राज्य को कवर किया गया है।

3.2.4.6.2 उपलब्धियां:

वर्ष 2023–24 के दौरान नस्ल विशिष्टताओं की पुष्टि करने वाली 2284 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अधीन लाया गया था। वर्ष 2023–24

की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
1132	774	42	101

गिर गाय

3.2.4.7 सीएचआर यूनिट, ओंगोल:

3.2.4.7.1 इस यूनिट की स्थापना 1979 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 10 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी गोपशु में ओंगोले तथा भैंस की मुर्राह नस्ल है। यह यूनिट आंध्र प्रदेश राज्य को कवर करती है।

3.2.4.7.2 उपलब्धियां:

वर्ष 2023–24 के दौरान विशिष्टताओं की पुष्टि करने वाली 1785 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अधीन लाया गया था। वर्ष 2023–24 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
1166	1083	60	130

मुर्रा भैंस

ओंगोल गोपशु

3.2.4.8 आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रमों में सीएचआरएस द्वारा निभाई गई भूमिका:

3.2.4.8.1 वर्ष 2023–24 के दौरान 9628 गायों और भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया था, जिनमें से 5264 को अंतिम रूप से पंजीकृत किया गया थाय 219 प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर आयोजित किये गये थे और 347 व्यक्तियों को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु सर्वेक्षण और दुग्ध रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। योजना के तहत चिन्हित उत्कृष्ट नर बछड़ों की सूची विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए राज्यों द्वारा खरीदा गया है।

****

अध्याय–4

डेयरी विकास

डेयरी विकास

अध्याय-4

4.1 अवलोकन

भारतीय डेयरी क्षेत्र का पिछले वर्षों में पर्याप्त विकास हुआ है। विवेकशील नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप भारत ने वर्ष 2021–22 में दूध के 222.07 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के मुकाबले वर्ष 2022–23 (अनंतिम)में दूध का उत्पादन बढ़ाकर 230.58 मिलियन टन किया, जो 3.83% की वृद्धि दर्शाता है और इस प्रकार भारत, विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर है।

एफएओ डेयरी बाजार समीक्षा (2023) के अनुसार विश्व दूध उत्पादन वर्ष 2022 में 951.60 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023 में 965.47 मिलियन टन अनुमानित हो जाएगा जो 1.4% की वृद्धि दिखाता है। इसके अलावा एफएओ डेयरी बाजार समीक्षा (2023) के अनुसार, भारत का दूध उत्पादन वर्ष 2023–24 में 236.35 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% की वृद्धि दर्ज करेगा, तथा जो विश्व औसत विकास दर को पीछे छोड़ देगा।

चित्र 1.3 : वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक संगत वार्षिक वृद्धि दर (%) के साथ दुग्ध उत्पादन (अखिल भारत)

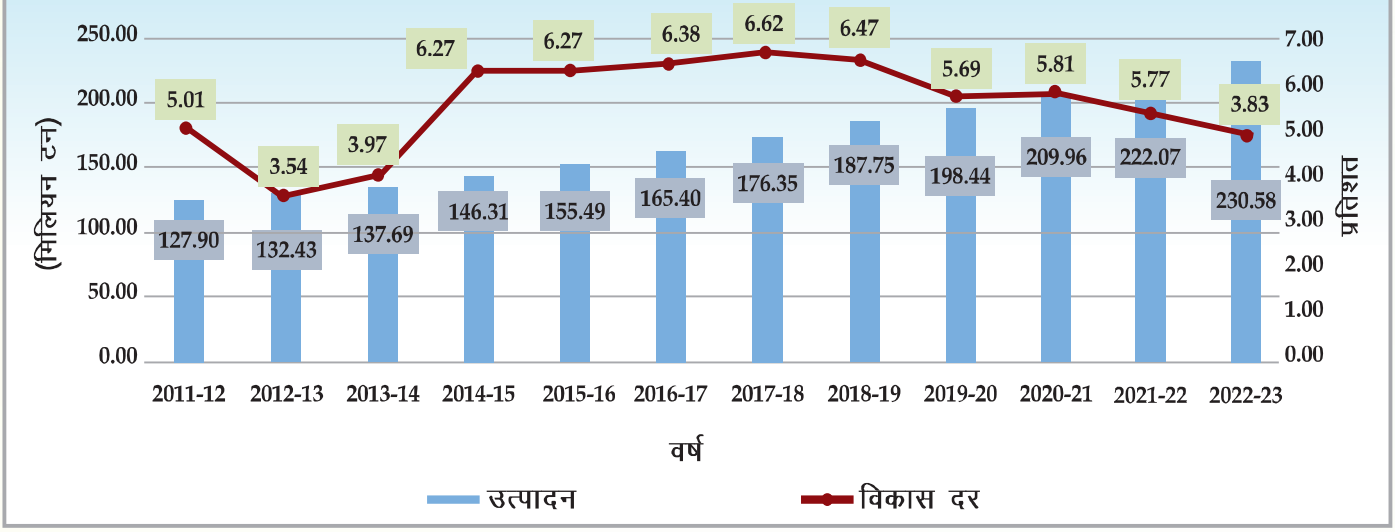

डेयरी लाखों ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण गौण स्रोत बन गया है और विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आय के अवसर सृजित करने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2022–23 (अनंतिम) के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459ग्राम प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच गई है, जो वर्ष 2022 अनुमानित (फूड आउटलुक नवंबर'23) में 321ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत से अधिक है। देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है।

4.1.1 डेयरी उद्योग का आर्थिक महत्व

पशुधन उप–क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में और इसके साथ–साथ लाखों ग्रामीण परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में भारवाही पशु शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है और दूध, मांस, अंडे, ऊन, खाल और चमड़ा, खाद और ईंधन प्रदान करता है। यह भारतीय जीवीए (वर्तमान मूल्य पर) का लगभग 5.50% है और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के जीवीए का 30.23% है। वास्तविक रूप में, राष्ट्रीय जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान वर्ष 1999–2000 में 25.17% के स्तर से गिरकर वर्ष 2022–23 में 18.19% (चालू कीमतों पर)हो गया है। तथापि, इसी अवधि (चालू कीमतों पर) के दौरान पशुधन का कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकोजीवीए में योगदान लगभग 4.7% से बढ़कर 5.5% तक हो गया है।

4.1.2 दुग्ध उत्पादन का हिस्सा और आपूर्ति

भारत में उत्पादित दूध की लगभग 37% या तो उत्पादक स्तर पर खपत होती है या ग्रामीण क्षेत्र में गैर–उत्पादकों को बेचा जाता है, शेष 63% दूध संगठित और असंगठित क्षेत्र में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। संगठित क्षेत्र में सरकार, उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाएं (दूध सहकारिताएं और उत्पादक कंपनियां) और निजी व्यापारी जो ग्रामीण स्तर पर साल भर दूध संग्रह की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करते हैं, शामिल हैं। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानीय दूधवाला, दूधिया, ठेकेदार आदि शामिल होते हैं और वे ज्यादातर अवसरवादी पाए जाते हैं, क्योंकि उत्पादकों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में एकरूपता नहीं होती है और यह स्थिति के आधार पर भिन्न–भिन्न होता है। इन असंगठित समूहों में दूध में मिलावट की संभावना अधिक होती है। उन क्षेत्रों में जहां प्रतिस्पर्धा अधिक है और औपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति मजबूत है, वहां वे आम तौर पर उच्च मूल्य देते हैं और साथ ही जहां संगठित क्षेत्र मौजूद नहीं है वहां वे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं।

4.1.3 मांग

भारत में दूध के लिए मांग के निर्धारक–जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होना है। दूध की खपत लोगों की खरीद शक्ति में वृद्धि होने, खाने की आदतों और जीवन शैली में परिवर्तन होने तथा जनसांख्यिकीय वृद्धि के अनुरूप बढ़ रही है। दूध इसके विभिन्न लाभों के साथ देश में अधिकांश शाकाहारी जनसंख्या के लिए पशुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का एक मात्र स्रोत है। इसके अलावा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेने में उपभोक्ता की संवर्धित रूचि और संगठित खुदरा चेन जैसे माध्यमों के जरिए डेयरी उत्पादों के प्रति बढ़ रही जागरूकता और इनकी उपलब्धता जैसे तथ्य भी इस वृद्धि में योगदान देते हैं।

दूध का उपयोग करने वाली आबादी देश में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। एनएसएसओ के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस 2011–12) के अनुसार क्रमशः लगभग 78% और 85% ग्रामीण और शहरी आबादी ने देश में दूध की खपत की सूचना दी है। उपरोक्त संघटकों में वृद्धि से पता चलता है कि भविष्य में दूध और दूध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होगी।

वर्ष 2021 में डेयरी बाजार का कुल आकार लगभग 13.17 लाख करोड़ रुपये था। डेयरी बाजार पिछले 15 वर्षों के दौरान लगभग 15% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है और आईएमएआरसी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक लगभग 26 लाख करोड़ रुपये के बाजार के आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। तरल दूध बाजार देश के कुल डेयरी बाजार के लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करता है। कुल तरल दूध बाजार में, संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले 3 वर्षों में 32%: से बढ़कर 41% हो गई है। यह अनुमान है कि वर्ष 2026 तक संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 54% तक पहुंच जाएगी।

यह अनुमान है कि तरल दूध का बाजार अगले 5–6

वर्षों के दौरान लगभग 16% बढ़ेगा जबकि पनीर, फ्लेवर्ड दुग्ध, लस्सी, बटर दुग्ध, मट्ठा और जैविक दूध जैसे उत्पादों के लिए 20% से अधिक प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होगी। अन्य पारंपरिक डेयरी उत्पादों जैसे पनीर, घी, आइसक्रीम, खोआ, दही आदि की वार्षिक वृद्धि 11% से 20% की सीमा में होगी। मात्रा की दृष्टि से दूध और दुग्ध उत्पादों की कुल घरेलू खपत 16.1 करोड़ टन थी। इस वर्ष 2030 तक बढ़कर 26.7 करोड़ टन होने की उम्मीद है।

वर्ष 2022–23 में– पिछले 5 वर्षों के दौरान 5.5: प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 23 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है। वर्ष 2022–23 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक दूध उत्पादन लगभग 30 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए, देश में बढ़ते डेयरी बाजार को पूरा करने के लिए डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है।

4.1.4 संगठित क्षेत्र

4.1.4.1. सहकारी क्षेत्र

तीन स्तरीय संरचना

ग्राम सहकारी सोसाइटी: भारत में ग्राम सहकारी कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य पैटर्न दूध उत्पादकों की एक आनंद मॉडल विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी (डीसीएस) है। कोई भी उत्पादक एक शेयर खरीदकर और केवल सोसाइटी को दूध बेचने के लिए प्रतिबद्ध होकर डीसीएस सदस्य बन सकता है। प्रत्येक डीसीएस में एक दूध संग्रह केंद्र होता है जहाँ पर सदस्य प्रतिदिन दूध लाते हैं। प्रत्येक सदस्य के दूध का वसा और एसएनएफ (घनीभूत और वसा अंश नहीं) की प्रतिशतता के आधार पर भुगतान हेतु गुणवत्ता के लिए परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, डीसीएस मुनाफे के एक हिस्से का उपयोग प्रत्येक सदस्य को दूध डालने की मात्रा के आधार पर एक संरक्षण बोनस का भुगतान करने के लिए किया जाता है।

जिला संघ: डेयरी सहकारी समितियों के स्वामित्व के अंतर्गत एक जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ होता है। संघ सभी सोसाइटियों के दूध को खरीदता है, फिर तरल दूध और उत्पादों को प्रसंस्कृत करता है और उनका विपणन करता है। अधिकांश संघ दूध उत्पादन में सतत वृद्धि और सहकारी समितियों के व्यवसाय को बनाए रखने के लिए डीसीएस और उनके सदस्यों के प्रकार के आदान (इनपुट्स) और चारा, पशु चिकित्सा देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान आदि कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते है। संघ के कर्मचारी डीसीएस नेतृत्व और कर्मचारियों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करते हैं।

राज्य परिसंघ: सहकारी दूध उत्पादक संघ राज्य स्तर पर राज्य परिसंघ के रूप में संघ–बद्ध होते हैं जो सदस्य संघों के तरल दूध और उत्पादों के विपणन के लिए जिम्मेदार हैं। कुछेक संघ चारे का निर्माण भी करते हैं और संघ की अन्य क्रियाकलाप में सहायता भी करते हैं।

4.1.4.2 वर्तमान स्थिति: सहकारी क्षेत्र में, 22 दुग्ध संघध्शीर्ष निकाय, 240 जिला सहकारी दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरी, 24 दुग्ध उत्पादक संगठन हैं जो लगभग 2.3 लाख गांवों को कवर करते हैं तथा 1.8 करोड़ डेयरी किसान इसके सदस्य हैं।

4.1.4.3 दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ

एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) ने दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी) के निगमन और संचालन की सुविधा प्रदान की थी। एनडीएस ने सफलतापूर्वक 22 एमपीसी स्थापित किए हैं, जिनमें से छह को राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण I) के तहत समर्थित किया गया था। इनमें से पंद्रह एमपीसी पूरी तरह से महिला सदस्यतावाली है और उनके संबंधित बोर्ड में सभी निर्माता निर्देशक महिलाएं हैं। कुल मिलाकर,

इन एमपीसी में लगभग 24166 गांवों में फैले लगभग 10.06 लाख दूध उत्पादक हैं। इनमें से 74 प्रतिशत उत्पादक महिलाएं हैं और 65 प्रतिशत लघुधारिता वाले दुग्ध उत्पादक हैं। इन 22 कंपनियों के सदस्यों ने शेयर पूंजी के रूप में लगभग 233 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनियों ने वर्ष 2023–24 के दौरान प्रतिदिन लगभग 46.75 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की और वर्ष के दौरान कुल मिलाकर लगभग 9417 करोड़ रुपये का सकल कारोबार प्राप्त किया। एनडीएस द्वारा तकनीकी रूप से समर्थित एमपीसी में, किसान कार्यशालाओं, डेयरी फार्म प्रबंधन प्रशिक्षण जैसी क्षमता निर्माण कार्यकलापों के अलावा कृत्रिम गर्भाधान और राशन संतुलन कार्यक्रम जैसी उत्पादकता वृद्धि कार्यकलाप शुरू किए गए। प्रतिजैविक–मुक्त दूध को बढ़ावा देने के लिए, एनडीएस ने इन एमपीसी में एथनों–पशु चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग शुरू किया है। वर्ष के दौरान, इन एमपीसी के परिचालन क्षेत्रों में 13.09 लाख से अधिक एआई सम्पन्न किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एमपीसी के सदस्यों के बीच लगभग 1.23 लाख मीट्रिक टन पशु चारा और 894 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण भी बेचा गया।

4.1.4.4 निजी डेयरी क्षेत्र

वर्ष 1991 के बाद जब औद्योगिक लाईसेंस देने में सुधार का युग आरंभ हुआ निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने दूध के प्रसंस्करण और दूध के व्युत्पन्नों (डेरिवेटिवस) के लिए क्षमता निर्माण में प्रभावशाली वृद्धि की है। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए बड़े निवेश किए हैं जो पिछले 20 वर्षों में डेयरी सहकारिताओं और सरकारी डेयरियों की संयुक्त क्षमता से बढ़ गई है। इनमें से कुछेक निजी व्यवसायी कुछेक सहकारी डेयरियों से काफी बड़े हैं और वे विकास के लिए काफी बड़ी क्षमता रखते हैं। क्योंकि निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ कमाने के लिए पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर कार्य करता है अतरू किसान के विकास के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी व्यापक रूप से प्रभावित होती है। निजी व्यवसायी दूध विक्रेताओं के माध्यम से खरीदने को तरजीह देते हैं जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता है। तथापि, निजी क्षेत्र में वृद्धि होने से अधिक संख्या में किसानों को बाजार सुलभता प्राप्त होती है। एफएसएसएआई लाइसेंसों (मई, 2019 तक) के अनुसार निजी डेयरियों (दूध प्रसंस्करण ईकाईयों) की कुल संख्या 1944 है जिनकी क्षमता 901.6 एलएलपीडी है।

4.2 डेयरी प्रभाग की भूमिका

- दूध और दूध के उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के जरिए पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना और संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना।
- दूध और दूध उत्पादों के संबंध में व्यापार नीति
- दूध की स्थिति पर निगरानी रखना और उपभोक्ताओं के लिए दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए और दूध उत्पादकों को दूध का यथोचित मूल्य मुहैया कराने हेतु नीति संबंधी निर्णय लेना।
- योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन देना, प्रगति की समीक्षा करना, वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का पुनर्विनियोजन, लेखापरीक्षा और निरीक्षण करना, योजना/परियोजना गवर्नेन्स, बाह्य/घरेलू एजेन्सियों के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करना, देयता का बचाव करना, बाहर से लिए गए ऋणों को वापस करना आदि।
- एफएसएसएआई अधिनियम के अनुपालन में दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।
- कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति तैयार करना।
- उपयुक्त नीति हस्तक्षेपों के लिए अपेक्षित आंकड़ों को एकत्रित और अद्यतन करना।

4.3 दूध परिदृश्य

4.3.1 घरेलू:

मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 के महीने के दौरान औसत दूध की खरीद में वृद्धि 14% थी जबकि तरल दूध की बिक्री में वृद्धि 3.21% थी। मार्च 2024 के दौरान, सहकारी क्षेत्र में स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) का स्टॉक लगभग 102% बढ़ गयाऔर सफेद मक्खन का स्टॉक में 196% टन की वृद्धिहो गयी।

4.3.2 गत दो वर्षों के दौरान डेयरी विकास क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्धियां

भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 24.11% प्रतिशत योगदान करता है। गत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23के दौरान डेयरी क्षेत्र की प्रगति निम्नानुसार है:

मापदंड	वर्ष (2021–22)	वर्ष (2022–23)	वृद्धि का प्रतिशत
भारत का दुग्ध उत्पादन (एमएमटी) [संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीएआर)]	222.07	230.58	3.83
विश्व दुग्ध उत्पादन (एमएमटी)+[संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीएआर)]	951.60 (2022)	965.47 (2023)	1.46
भारत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन) [संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीएआर)]	446	459	2.91

*स्रोत – फूड आउटलुक नवंबर 2023

- वर्ष 2021–22 में 222.07 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2022–23 में दुग्ध उत्पादन 230.58मिलियन टन अनंतिम था।
- वर्ष 2022 में, विश्व में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग 323 ग्राम प्रति दिन थी, जबकि भारत में 2022–23 में यह 459 ग्राम प्रति दिन (अनंतिम) थी, जो 42.22% अधिक है।

4.3.3 वर्ष 2023–24 के दौरान दूध की स्थिति

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में दूध की स्थिति इस प्रकार है:

1. दूध की खरीद औसतन 615 लाख किलोग्राम प्रति दिन (एलकेजीपीडी) की दर से की गई और औसतन 431 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) की दर से बेची गई।
2. देश की प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा 6% वसा और 9% एसएनएफ वाले दूध के लिए औसतन 47.23 रुपये प्रति किलोग्राम दूध खरीद मूल्य का भुगतान किया गया। औसत बिक्री मूल्य 62.66 रुपये प्रति लीटर था।
3. निर्यात और आयात का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

कमोडिटी (एचएस कोड)	निर्यात की गई मात्रा (एमटी में)				
	2019.20	2020.21	2021.22	2022.23	2023.24
दूध और क्रीम (0401)	13,818.60	11,309.58	12,143.09	15295.49	16515.01
दूध पाउडर (0402)	3,758.47	16,855.97	49,653.89	18,737.78	6952.94
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	994.78	1,107.50	1,503.22	1,574.18	2501.17
मट्ठा और मट्ठा उत्पाद (0404)	311.6	224.06	165.67	350.64	336.16
मक्खन/घी/मक्खन तेल (0405)	25,263.18	16,971.61	37,682.94	22,903.22	27844.78
पनीर और दही (0406)	7,323.82	8,458.60	7,623.67	9,320.94	9163.57
कैसिइन, कैसिनेट्स और अन्य कैसिइन डेरिवेटिवय कैसिइन गोंद (3501)	164.4	3,401.65	8,768.48	8,843.52	2044.33
संपूर्ण	51,634.85	58,328.97	117,540.96	77025.77	65357.96

वस्तुएं (एचएस कोड)	मात्रा (मीट्रिक टन में)				
	2019.20	2020.21	2021.22	2022.23	2023.24
दूध और क्रीम (0401)	450.37	233.79	312.57	408.12	758.58
दूध पाउडर (0402)	1321.76	438.84	277.6	604.12	973.76
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	1127.91	20.03	12.82	57.51	1,000.47
मट्ठा (ह्वे) और मट्ठा (ह्वे) उत्पाद (0404)	12733.43	14088.29	9612.69	10808.35	1,000.47
मक्खन/घी/मक्खन तेल (0405)	401.98	598.2	130.84	275.85	252.5
पनीर और दही (0406)	1792.38	804.12	1527.01	1821.87	2250.74
कैसिइन, कैसिनेट्स और अन्य कैसिइन डेरिवेटिवय कैसिइन गोंद (3501)	2209.73	1856.76	2039.12	1007.54	2517.47
संपूर्ण	20,037.56	18,040.03	13,912.65	14,983.36	30794.74

(स्रोतः डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

4.4 डेयरी विकास योजना

विभाग केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) और सहायक डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों को लागू कर रहा है।।

4.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

विभाग गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन, दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से फरवरी–2014 से देश भर में राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) यानी राज्य सहकारी डेयरी संघ के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना–''राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)'' लागू कर रहा है।

योजना को जुलाई 2021 में पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है। पुनर्गठित एनपीडीडी योजना को वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक 1790 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। पुनर्गठित योजना के दो घटक होंगे:

घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ/एसएचजी द्वारा संचालित निजी डेयरी/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ–साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढीकरण करने पर केंद्रित है। यह योजना वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक पांच साल की अवधि के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी।

निधियन पैटर्न

क) भारत सरकार और राज्य/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए)/अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (ईआईए) के बीच 60:40 लागत साझाकरण के आधार पर।

ख) पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों के लिए भारत सरकार और राज्य/एसआईए/ईआईए के बीच 90:10 लागत साझाकरण के आधार पर।

ग) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता 100% होगी।

घ) जहां तक अनुसंधान एवं विकास, आईसीटी नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, जागरूकता और योजना एवं निगरानी के लिए वित्तीय सहायता का संबंध है, सहायता 100% होगी।

योजना के तहत वित्त पोषित प्रमुख घटक

प्राथमिक स्तर पर दूध प्रशीतन सुविधाएं (बीएमसी सहित), दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रमाणन और मान्यता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और किसान जागरूकता कार्यक्रम, योजना और निगरानी और अनुसंधान और विकास।

एनपीडीडी के तहत उपलब्धियां

वर्ष 2014–15 से वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) तक 28 राज्यों और 2 संघ राज्यों क्षेत्रों में कुल 3430.57 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2556.67 करोड़ रुपये) की 206 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। योजनान्तर्गत स्वीकृत नवीन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.03.2024 तक कुल 2015.56 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। दिनांक 31.03.2024 तक की राज्य–वार वित्तीय प्रगति **अनुबंध–VIII** में है।

एनपीडीडी के तहत वास्तविक प्रगति

- 19,601 डेयरी सहकारी समितियों का गठन/पुनरुद्धार किया गया, जिसमें 17.65 लाख नए किसान सदस्यों का नामांकन हुआ तथा प्रतिदिन अतिरिक्त 101.07 लाख लीटर दूध की खरीद की गई।
- प्रतिदिन 24.92 लाख लीटर नई दूध प्रसंस्करण क्षमता सृजित की गई तथा लगभग 82 दूध

प्रसंस्करण इकाइयों को सुदृढ़/आधुनिकीकृत किया गया।

- 94.59 लाख लीटर प्रशीतन क्षमता वाले 4227 बल्क मिल्क कूलर्स का निर्माण, 34209 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट और डाटा प्रसंस्करण तथा मिल्क कलेक्शन यूनिट और ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों में 6082 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण स्थापित किए गए।
- 16 राज्यों में 17 राज्य केंद्रीय प्रयोगशालाओं कीस्थापना की गई है।
- राज्य–वार वास्तविक प्रगति (लक्ष्य और उपलब्धियां) **अनुबंध–IX** में दी गई हैं।

स्थानः एनपीडीडी योजना के तहत डेयरी प्लांट बिल्डिंग पूर्वी खासी हिल्स जिला

एनपीडीडी योजना में 50 हजार लीटर प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण संयंत्र– चश्माशाही, श्रीनगर

एनपीडीडी के तहत एनडीडीबी जालंधर में जम्मू और कश्मीर किसान प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

रोथ, ब्लॉक – अगलपुर, बोलांगीर, ओडिशा में दो हजार लीटर का बल्क मिल्क कूलर

पंडोरी, गढ़शंकर, होशियारपुर में बल्क मिल्क कूलर और दूध मिलावट परीक्षण मशीन

छीना बेट, गुरदासपुर, पंजाब में प्रशिक्षण शिविर

एनपीडीडी योजना के तहत बमुटिया, त्रिपुरा में नए डेयरी संयंत्र का निर्माण

Co-Operative Dairy Training Institute
Jun 12, 2023, 11:14
Training of all milk union officers under
NPDD in Uttarakhand

milma
Malabar Regional Co-operative Milk Producers' Union Ltd
P&I Unit Kasaragod
AMCU TRAINING TO DCS STAFF

घटक ख – सहकारित के माध्यम से डेयरी

उद्देश्य – ''संगठित बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करना और उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना, जिससे परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों को रिटर्न में वृद्धि में योगदान करना''

निधियन के स्रोत –

स्रोत	निधि की राशि (करोड़ रु.में)
कुल परियोजना लागतः	1568.28 करोड़ रु.
ईएफसी द्वारा अनुमोदित केंद्रीय हिस्साः	475.54 करोड़ रु.(30.3%)
जेआईसीए ऋणः	924.56 करोड़ रु. (59.0%)
अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी का योगदानः	168.18 करोड़ रु (10.7%)

कार्यान्वयन एजेंसी – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

पात्र राज्य – यह योजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में लागू की जा रही है और इसे अतिरिक्त सात राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पंजाब) तक विस्तारित किया गया है। जेआईसीए की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अनुदान सहायता के साथ चारा प्रायोगिक परियोजनाहेतु उत्तराखंड राज्य को शामिल किया गया है।

पात्र सहभागी संस्थाएं – दुग्ध संघ/दुग्ध उत्पादक कंपनियां/राज्य दुग्ध संघ/बहु राज्य दुग्ध सहकारी समितियां

घटक – दूध अधिप्राप्ति के अवसंरचना को मजबूत करना, प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करना, विपणन अवसंरचना के लिए समर्थन, आईसीटी के लिए समर्थन, पोषण संबंधी हस्तक्षेप, परियोजना प्रबंधन और सीखने और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से – उत्पादकता में वृद्धि

परियोजना आउटपुटः

परियोजना निम्नलिखित आउटपुट उत्पन्न करेगी:

i. 4470 गांवों में नए/ग्राम स्तरीय संस्थानों की स्थापना।

ii. लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त दूध उत्पादकों (50% महिला दुग्ध उत्पादकों के साथ) ने दूध डालने का लक्ष्य रखा, जिसके परिणामस्वरूप प्रति दिन लगभग 14.20 लाख किलोग्राम दूध की खरीद में वृद्धि हुई।

iii. कार्यक्रम के अंत में 4694 एएमसीयू की स्थापना और दूध के 8 एलएलपीडी को स्थानांतरित करने के लिए दूध के संग्रह और हस्तांतरण के लिए 104 दूध टैंकरों को शामिल करना।

iv. ग्राम स्तर पर 8.96 एलएलपीडी की अतिरिक्त शीतलन क्षमता का निर्माण, लगभग 7 एलएलपीडी की प्रसंस्करण क्षमता (लाख लीटर प्रति दिन) मूल्य वर्धित उत्पाद (वीएपी) 190 एमटीपीडी की निर्माण क्षमता।

v. कोल्ड चेन अवसंरचना के तहत डीप फ्रीजर और विसी कूलर के साथ 3000 दुग्ध पार्लर, 198 वॉक–इन–कोल्ड स्टोरेज और 5केएल क्षमता के 96 इंसुलेटेड वैन की स्थापना करके पीओआई के मार्केटिंग कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करना।

vi. 3000 गांवों में चारा विकास और पशु पोषण सलाहकार सेवाएं।

vii. 724 एमटीपीडी की फीड और फीड सप्लीमेंट निर्माण क्षमता का सृजन।

उपलब्धियाः

वित्तीयः दिनांक 31.03.2024 तक, 8 राज्यों की 22 परियोजनाएं,1130.63 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई हैं। डीएएचडी से एनडीडीबी को संवितरित निधि निम्नलिखित हैः

विवरण	स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	संवितरित (करोड़ रुपये में)
ऋण	705.54	146.97
अनुदान	329.71	157.31
पीआई का योगदान	95.38	0.00
कुल	**1130.63**	**304.28**

वास्तविकः दिनांक 31.03.2024 तक, एनपीडीडी के डीटीसी घटक के तहत कोई वास्तविक प्रगति रिपोर्ट नहीं की गई है।

4.4.2 डेयरी क्रियाकलाप में शामिल डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना (एसडीसी और एफपीओ) :

एक योजना नामतः "डेयरी क्रियाकलाप में शामिल डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता को राज्य सहकारिताओं और परिसंघों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

उद्देश्य

- गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिए राज्य डेयरी

सहकारी परिसंघों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके सहायता करना।

- डेयरी किसानों को स्थायी बाजार तक पहुंच प्रदान करना।
- राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों को किसानों के बकाये का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाना।
- सहाकारिताओं को किसानों से, यहां तक कि दूध की कमी के मौसम के दौरान भी, लाभकारी मूल्यों पर दूध की खरीद के लिए सक्षम बनाना।

कोविड –19 लॉकडाउन के कारण डेयरी सहकारी समितियों और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के कारण, वर्ष 2020–21 के दौरान योजना के तहत 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ''कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन'' के घटक को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस बीच, योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण के घटक को 2020–21 के दौरान निलंबित रखा गया है। मांग के आधार पर, सचिव (एएचडी) की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने ''कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन' के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 203 करोड़ रुपये कर दिया है। कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए ''कार्यशील पूंजी ऋण घटक'' को 2020–21 के लिए भी निलंबित रखा गया था।

विभाग द्वारा एनडीडीबी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन घटक लागू किया जा रहा है। यह योजना 2% प्रति वर्ष के ब्याज सबवेंशन का प्रावधान करती है। पात्र भागीदार एजेंसियों (पीए) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए, ऋण चुकौती अवधि के अंत में अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन देय होगा। कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए योजना के तहत शामिल उत्पाद स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी), संपूर्णदुग्ध पाउडर (डब्ल्यूएमपी), सफेद मक्खन और घी हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021–22 से 2025–26 तक अम्ब्रेला योजना ''अवसंरचना विकास निधि'' के एक हिस्से के रूप में डेयरी क्रियाकलाप में लगे सहायक डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इसके अलावा, कैबिनेट के दिनांक 01.02.2024 के निर्णय के अनुसार, एसडीसीएफपीओ का कार्यान्वयन अनुमोदित परिव्यय (यानी वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 500 करोड़ रुपये) के साथ आईडीएफ के एक घटक के रूप में जारी रखा गया है। शुरुआत के बाद से, योजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 550.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। योजना की वर्षवार प्रगति इस प्रकार है:

- एनडीडीबी ने देश भर के 55 दुग्ध संघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 10588.64 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के बदले 151.02 करोड़ रुपये की ब्याज छूट राशि की मंजूरी दे दी है और वर्ष 2020–21 के लिए 156.69 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज छूट के रूप में 78.96 करोड़ रुपये और 77.73 करोड़ रुपये अतिरिक्त ब्याज छूट राशि) जारी किए हैं।
- वर्ष 2021–22 के लिए, एनडीडीबी ने 60 दुग्ध संघों के लिए 2: प्रति वर्ष की दर से 14117.85 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि केबदले 210.08 करोड़ रुपये की ब्याज छूट राशि की मंजूरी दे दी है और 201.12 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज छूट के रूप में 101.26 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त ब्याज छूट राशि के रूप में 99.86 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।

- वर्ष 2022–23 के लिए, एनडीडीबी ने 64 दुग्ध संघों/परिसंघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 15144.40 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के बदले 169.05 करोड़ रुपये की ब्याज छूट राशि की मंजूरी दे दी है और 129. 38 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज छूट के रूप में 67.83 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त ब्याज छूट राशि के रूप में 61.55 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।
- वर्ष 2023–24 के लिए, एनडीडीबी ने 35 दुग्ध संघोंध् परिसंघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 12084.25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के विरुद्ध 123.63 करोड़ रुपये की ब्याज छूट राशि की मंजूरी दे दी है और 21.66 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज छूट के रूप में 21.65 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त ब्याज छूट राशि के रूप में 0.0062 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

4.4.3 डेयरी प्रसंस्करण और अवसरंचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) को 11,184 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दूध प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और प्रशीतन सुविधाओं के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है; जिसमे राज्य सहकारिता और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत डेयरी सहकारीसमितियों, बहु राज्य डेयरी सहकारीसमितियों, दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी की अनुषंगी कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए 8,004 करोड़ रुपये का ऋण घटक है। योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बाजार से निधि जुटाता है, जिसे वह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को उधार देता है और एनडीडीबी/एनसीडीसी इसे पात्र अंतिम उधारकर्ता (ईईबी) को उधार देता है। एनडीडीबी को अपने स्रोतों से ऋण प्रदान करने की भी अनुमति दी गई है। भारत सरकार नाबार्ड को 2.5% ब्याज छूट प्रदान करती है। निधियन अवधि मार्च, 2022–23 तक है, जबकि पुनर्भुगतान की अवधि वर्ष 2030–31 तक है, जो वित्त वर्ष 2031–32 की पहली तिमाही के स्पिलओवर तक है।

योजना के तहत दूध प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और शीतलन सुविधाओं के निर्माण/मजबूतीकरण के अलावा, निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया था

- पशु आहार/आहार अनुपूरक संयंत्र
- दूध परिवहन प्रणाली (रेफ्रिजरेटेड वैन/इंसुलेटेड टैंकर आदि)
- विपदान अवसंरचना (ई–मार्केट सिस्टम, बल्क वेंडिंग सिस्टम, पार्लर, डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज आदि सहित)।
- वस्तु एवं गोपशु आहार गोदाम
- आईसीटी (जैसे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, सर्वर, आईटी समाधान, नियर रियल टाइम डिवाइस आदि)
- अनुसंधान एवं विकास (प्रयोगशाला एवं उपकरण, नई तकनीक, नवाचार, उत्पाद विकास आदि)
- नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना/संयंत्र, ट्राइजेन/ऊर्जा दक्षता अवसंरचना। तीनों मामलों में, उत्पन्न या बचाई गई ऊर्जा मौजूदा संयंत्र/बीएमसी इकाई/दूध संग्रह इकाई आदि की संचालन लागत के लाभ के लिए होनी चाहिए।
- डेयरी प्रयोजनों आदि के लिए पेट बोतल/पैकेजिंग सामग्री निर्माण इकाइयाँ।
- प्रशिक्षण केंद्र (सिविल और अन्य आवश्यक अवसंरचना से पूर्ण)

उपलब्धि:

(क) वित्तीय (दिनांक 31.03.2024 तक):

(i) कुल अनुमोदित परियोजना परिव्ययः 6776.87 करोड़ रुपये

(ii) स्वीकृतऋणः 4575.22 करोड़ रुपये

(iii) वितरित ऋणः 3126.53 करोड़ रुपये

(iv) भारत सरकार द्वारा जारी ब्याज छूटः 128.11 करोड़ रु.

(ख) वास्तविक (दिनांक 31.03.2024 तक):

(i) स्थापित दूध प्रसंस्करण क्षमताः 69.95 एलएलपीडी

(ii) स्थापित दूध प्रशीतन क्षमताः 3.40 एलएलपीडी

(iii) स्थापित दूधसुखाने की क्षमताः 265 एमटीपीडी

(iv) स्थापित वीएपी क्षमताः 11.74 एलएलपीडी (दूध समतुल्य)

दिनांक 01.02.2024 की बैठक में सीसीईए की मंजूरी के साथ अब डीआईडीएफ को पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) में शामिल कर दिया गया है।

4.4.4 राष्ट्रीय डेयरी योजना–II प्लान

आर्थिक मामले विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग कमेटी ने दिनांक 17.09.2021 को आयोजित अपनी 120वीं बैठक में विश्व बैंक को 77.8052 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के लिए प्रस्तुत करने के लिए "राष्ट्रीय डेयरी योजना, चरण–II" नामक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नीति आयोग, डीओई और अन्य विभागों की टिप्पणियों को शामिल करने पर वित्तपोषण के समय अंतिम रूप देना)

ड्राफ्ट ईएफसी नोट को संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के बीच उनकी टिप्पणियों और टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था और, उनके अनुपालन पर, अंतिम ईएफसी नोट व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, ईएफसी ने वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 30.11.2023 को अपनी बैठक में फंडिंग पैटर्न में कुछ सुझावों के साथ प्रस्ताव की सिफारिश की है और डीएएचडी परिवर्तनों पर फिर से विचार करने की प्रक्रिया में है।

4.5 दुग्ध गुणवत्ता पहल

4.5.1 गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम

डीएएचडी ने घरेलू उपभाग के लिए वैश्विक (कोडेक्स) मानकों को प्राप्त करने और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने तथा विश्व निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 24.07.2019 को गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम शुरू किया है। सभी सहकारी डेयरी संयंत्र और डेयरी सहकारी समितियां रासायनिक और माइक्रोबायोलोजी परीक्षणों के लिए तैयार है। 2019–20 के दौरान कार्यक्रम के पहले चरण में, 233 डेयरी संयंत्रों को "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" योजना के तहत उन्हें दूध में मिलावट (यूरिया, माल्टोडेक्सट्रिन अमोनियम सल्फेट, डिटर्जेंट, शर्करा, न्यूट्रेलाईजर्स आदि) की जांच करने के लिए सुदृढ़ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। 30,000 लीटर की क्षमता के 143 डेयरी संयंत्रों के लिए एफटीआईआर प्रौद्योगिकी आधारित दुग्ध विश्लेषक (सटीक जांच और दुग्ध संरचना और मिलावट के अनुमान के लिए) और 30,000 लीटर से कम की क्षमता के 90 डेयरी संयंत्रों के लिए मिलावट परीक्षण मशीनों के साथ इलेक्ट्रोनिक दुग्ध विश्लेषक। इसके अलावा, 18 राज्यों के लिए एक राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला अनुमोदित की गई है जिसके लिए 15 राज्य इसकी स्थापना हेतु सहमत हैं। उपभोक्ताओं तक दूध के पहुंचने से पहले तत्काल दूध का रासायनिक और माइक्रोबायोलोजीकल गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 271.64 करोड़ रु. थी। दिनांक 31.12.2021 तक राज्यों को 236.42 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। कार्यक्रम के तहत 143 एफटीआईआर प्रौद्योगिकी आधारित दूध

विश्लेषक और मिलावट परीक्षण उपकरणों के साथ 61 इलेक्ट्रॉनिक दूध विश्लेषक पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

एनपीडीडी योजना के तहत झारखंड में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला

एनपीडीडी योजना के तहत केरल में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला

एनपीडीडी योजना के तहत केरल में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला

एनपीडीडी योजना के तहत कर्नाटक में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला

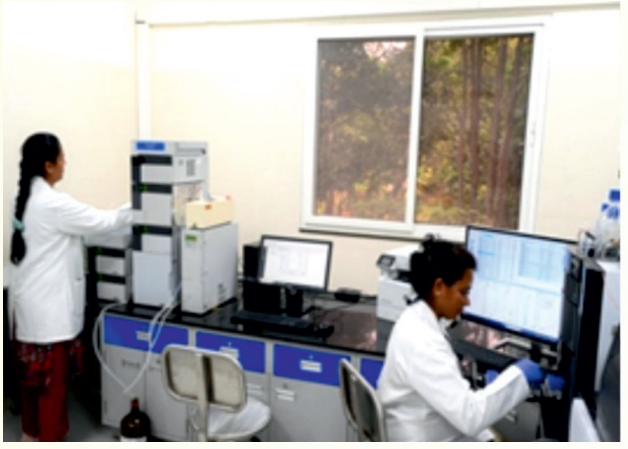

एनपीडीडी योजना के तहत कर्नाटक में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला

एनपीडीडी योजना के तहत पंजाब में डेयरी संयंत्र प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ करना

4.5.2 एनपीडीडी योजना का पुनर्गठन

एनपीडीडी को जुलाई 2021 में पुनर्गठितध्पुनर्संरेखित किया गया है तथा यह वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक क्रियान्वित रहेगी। योजना का घटक ए मुख्य रूप से गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ–साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। योजना के तहत, दूध विश्लेषक के साथ 49,013 स्वचालित दूध संग्रह इकाइयां, 12154 बल्क मिल्क कूलर इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण मशीनें और 160.51 लाख लीटर की क्षमता वाले 6483, थोक दूध कूलर की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

4.6 स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 (एसआईएच 2023)

विभाग के डेयरी डिवीजन ने नवाचार सेल, एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एसआईएच 2023 में भाग लिया था। विभाग के डेयरी प्रभाग से दो समस्याव्यक्त करने वालेकथन प्रस्तुत किए गए नामतः

(i) डेयरी संयंत्र में ऊर्जा खपतकी निगरानी, स्वच्छता और उपभोक्ताओं से पैकेजिंग अपशिष्ट संग्रह हेतु वन–स्टॉप समाधान और (ii) दूध पैकेजिंग के लिए हरित विकल्प (कम लागत, पर्यावरण के अनुकूल और दूध को अधिक समय तक टिकाऊ बनाने वाली पैकेजिंग)। एसआईएच 2023 का ग्रैंड फिनाले दिनांक 19.12.2023 से 23.12.2023 के दौरान कोयंबटूर, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। समस्या व्यक्त करने वाले कथन के लिए ''डेयरी संयंत्रमें ऊर्जा खपतकी निगरानी, स्वच्छता और उपभोक्ताओं से पैकेजिंग अपशिष्ट संग्रह हेतु वन–स्टॉप समाधान'' के विचार को विजेता समाधान घोषित किया गया था और इसे आगे के विकासध्कार्यान्वयन के लिए अमल में लाया जाएगा।

*****

अध्याय–5

पशुपालन

अध्याय-5

पशुपालन

5.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन

डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर में प्रजातियों और क्षेत्रों, सभी में प्राप्त सफलता का अनुकरण करके पशुधन क्षेत्र के सतत और निरंतर विकास के लिए, वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) शुरू किया गया था। यह मिशन पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था, जिसमें गुणवत्ता वाले आहार और चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के बेहतर प्रवाह और पशुधन किसानों/पालकों के संगठन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

हाल ही में, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को संशोधित किया गया है और 2300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पांच वर्षों के लिए अर्थात वर्ष 2021–22 से पुनःसंरेखित किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा 14.07.2021 को पुनः संरेखित योजना को मंजूरी दे दी गई है। योजना का ध्यान रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास; प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार एकछत्र योजना विकास कार्यक्रमों के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि को लक्षित करना है। अतिरिक्त उत्पादन से घरेलू मांगों को पूरा करने के बाद निर्यात आय में मदद मिलेगी। एनएलएम योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सृजित करने के लिए और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमिता विकसित करना है।

यह योजना निम्नलिखित तीन उप–मिशनों के साथ कार्यान्वित की गई है:

I. पशुधन और कुक्कुट नस्ल विकास संबंधी उप–मिशन

II. आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशन

III. विस्तार और नवाचार संबंधी उप–मिशन

5.1.1 पशुधन और कुक्कुट नस्ल विकास संबंधी उप–मिशनः

यह उप–मिशन उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान सहकारिता संगठनों (एफसीओ), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), स्व–सहायता समूहों (एसएचजी), धारा 8 कंपनियों जैसी पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान करके कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार तथा नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों पर भी विशिष्ट ध्यान देने का प्रस्ताव करता है।

5.1.1.1 ग्रामीण कुक्कुटों की नस्ल के विकास हेतु उद्यमियों को स्थापित करना इस घटक के तहत, केंद्र सरकार न्यूनतम हैचरी और ब्रूडिंग इकाई के साथ 1000 मादा पक्षियों और 100 नर पक्षियों वाले ग्रामीण पोल्ट्री पक्षियों के पैरेंट लेयर फार्म की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना में आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से www.nlm.udyamimitra.

in नामक यूआरएल वाला एक समर्पित डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है। पोर्टल आवेदकों को संगत दस्तावेजों को अपलोड करने और उधार देने वाले संस्थानों को चुनने सहित आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ग्रामीण पोल्ट्री क्षेत्र में उद्यमिता के 91 प्रस्तावों को डीएएचडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 5026.47 लाख रुपये है, जिसमें 2199.84 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी है।

ग्रामीण कुक्कुट नस्ल फार्म के अन्तर्गत उद्यमिता विकास के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में 1100 पक्षियों वाला ग्रामीण पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है।

5.1.1.2 जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ एवं बकरी पालन) में नस्ल विकास हेतु उद्यमी की स्थापना

इस घटक के तहत, केंद्र सरकार न्यूनतम 100 मादा पशुओं और 5 नर पशुओं वाले भेड़ या बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। आवेदक 500 मादा पशुओं और 25 नर पशुओं की अधिकतम सीमा के साथ 100+5 इकाई के गुणकों में आवेदन कर सकते हैं। पात्र सब्सिडी सीमा, योजना के आकार के अनुपात में 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक कुछ भी हो सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 1047 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 82152.34 लाख रुपये है, जिसमें 38448.64 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी है।

जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र में नस्ल विकास के तहत उद्यमिता विकास के हिस्से के रूप में, आंध्र प्रदेश में 525 स्टॉक के आकार वाला एक भेड़ फार्म स्थापित किया गया है।

5.1.1.3 भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

उद्देश्यः कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरियों की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप आते हैंः–

5.1.1.4 भेड़ एवं बकरियों के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला एवं वीर्य बैंक की स्थापनाः

इस घटक के तहत केंद्र सरकार बकरी के लिए हिमित वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और उक्त क्षेत्र में आसपास के राज्यों में विशिष्ट पशुओं के सीमन की आपूर्ति के लिए रणनीतिक स्थान पर क्षेत्रीय स्तर पर भेड़ के लिए तरल वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को क्रमशः दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय बकरी वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 101.10 लाख रुपये और 75 लाख रुपये जारी किए गए थे। एफएसबीएस बनवासी, कुरनूल और एफएसबीएस, विशाखापत्तनम में 2 भेड़ वीर्य उत्पादन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश को 25.50 लाख रुपये जारी किए गए।

5.1.1.5 राज्य वीर्य बैंक की स्थापना

इस घटक के तहत, राज्य को मौजूदा गोपशु और भैंस वीर्य बैंक को सुदृढ़ करने के लिए बकरी के हिमित वीर्य को स्टोर करने और वितरित करने हेतु 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एक राज्य वीर्य बैंक की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को 10.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी।

5.1.1.6 मौजूदा गोपशु और भैंस एआई केंद्रों के माध्यम से भेड़ और बकरी में एआई का प्रचार

इस घटक के तहत, गोपशु और भैंस एआई केंद्रों को आवश्यक उपकरणों (बकरी एआई ट्रैविस, एआई गन, योनि स्पेकुलम, हेड लाइट) की आपूर्ति करके बकरी और भेड़ एआई करने के लिए सुदृढ़ किया जाता है और गोपशु एआई कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, 600 एआई केंद्रों के उन्नयन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 25.20 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई और 50 एआई केंद्रों

के उन्नयन हेतु अरुणाचल प्रदेश राज्य को 3.50 लाख रुपये जारी किए गए।

5.1.1.7 विदेशी भेड़ और बकरियों के जर्मप्लाज्म का आयात

इस घटक के तहत, राज्य को जीवित पशुओं के रूप में भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आयात के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को 120 मेरिनो भेड़ के आयात के लिए 253.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

5.1.1.8 सुअर पालने वाले उद्यमी को बढ़ावा देना

इस घटक के तहत केंद्र सरकार 5 नर पशुओं के साथ 50 मादा पशुओं या 10 नर पशुओं के साथ 100 मादा पशुओं के सुअर प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50: पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। पात्र सब्सिडी सीमा योजना के आकार के अनुपात में 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक की हो सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने सुअर प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 131 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदित किया। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 8176.64 लाख रुपये थी, जिसमें 3218.5 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी थी।

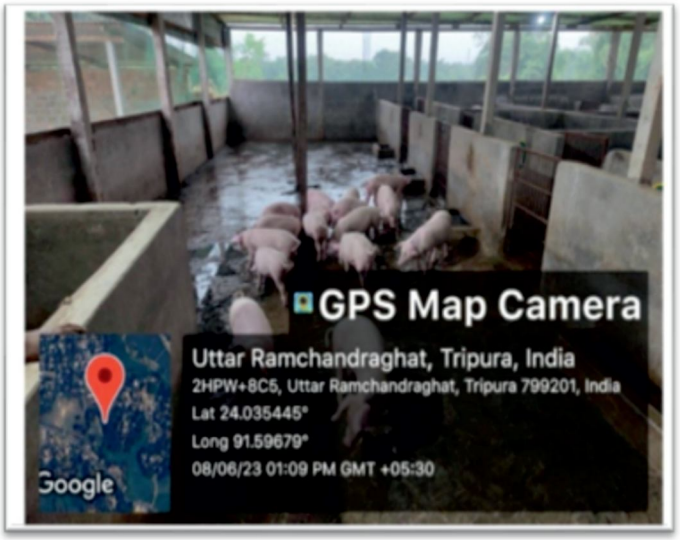

सुअर फार्म विकास के तहत उद्यमिता विकास के हिस्से के रूप में, त्रिपुरा में 110 स्टॉक आकार का एक सूअर पालन फार्म स्थापित किया गया है।

5.1.1.9 सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

सुअर वीर्य संग्रह एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना: इस घटक के तहत, केंद्र सरकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए सूअर के उच्च गुणवत्ता वाले तरल वीर्य का उत्पादन करने के लिए सरकारी सुअर फार्म में सुअर वीर्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुअर वीर्य संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सिक्किम राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 62.95 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

5.1.2 आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशन

इस उप–मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार

के लिए चारा बीज श्रृंखला को सुदृढ़ करना और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक/हे बेलिंग/सिलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। आहार और चारा विकास उप–मिशन में निम्नलिखित क्रियाकलाप चल रहे हैं:

क्रियाकलाप (i): गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

हरे चारे के उत्पादन का पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने से सीधा सह–संबंध है। हरे चारे के उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा बीज बुनियादी निवेश है। अतः पुर्नसंरेखित एनएलएम के तहत गुणवत्तापूर्ण चारा बीज के उत्पादन और चारा बीज श्रृंखला यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं।

दिनांक 31.12.2022 तक, गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन हेतु सहायता घटक के तहत, विभाग ने वर्ष 2022–23 के दौरान 36400 मीट्रिक टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन करने के लिए 60.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

क्रियाकलाप (ii): आहार और चारे में उद्यमिता कार्यकलाप

इसके तहत लाभार्थी को परियोजना लागत के रूप में 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर चारे के मूल्यवर्धन जैसे हे/सिलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक और चारे के भंडारण के प्रयास किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने आहार और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए 43 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। 1780.08 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 4184.82 लाख रुपये है।

आहार और चारा विकास के तहत उद्यमिता विकास के हिस्से के रूप में, हरदा, मध्य प्रदेश में एक सिलेज बनाने की इकाई स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन– उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास

एनएलएम ईडीपी के अंतर्गत कुल 530,650 पशुओं को शामिल किया गया है तथा 46,065 मीट्रिक टन चारा एवं आहार क्षमता स्थापित की गई है।

चित्र 5.1 : क्षमता में क्षेत्र–वार वृद्धि

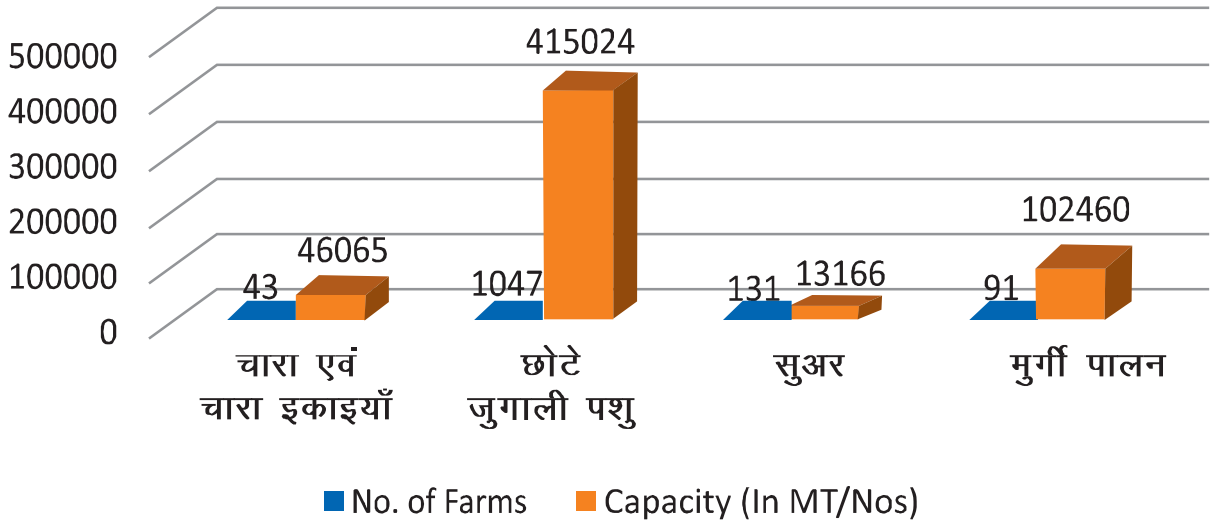

5.1.1.11 राष्ट्रीय पशुधन मिशन – उद्यमिता विकास के तहत महिला उद्यमिता विकास

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने 293 महिला उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदित किया। इन प्रस्तावों में से ग्रामीण कुक्कुट प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 17 उद्यमिता प्रस्ताव, भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 243 उद्यमिता प्रस्ताव, सुअर प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 27 उद्यमिता प्रस्ताव, 06 प्रस्ताव आहार और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए हैं। 11034.16 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 23975.40 लाख रुपये है।

क. एनएलएम–ईडीपी योजना के अंतर्गत ग्रामीण कुक्कुट फार्म की स्थापना– समराला शानुषा, आंध्र प्रदेश

कुक्कुट फार्मिंग की दुनिया में समराला शानुषा की यात्रा चार साल पहले शुरू हुई जब उन्होंने अपना खुद का घरेलु कुक्कुट फार्म स्थापित किया। कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों की तरह, उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का सपना देखा लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालाँकि, उनकी राह ने एक परिवर्तनकारी मोड़ लिया जब उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना के बारे में पता चला, जिसे उनके जैसे व्यक्तियों को अपने उद्यमों को विकसित करने का प्रयास करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था।

एनएलएम योजना के समर्थन से, शानुषा की आकांक्षाएं साकार हो गईं। उन्हें मिलने वाली सब्सिडी एक वृहत कुक्कुट इकाई स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार की नस्लें जैसे ग्रामप्रिया और असिल शामिल थीं। शानुषा की सफलता की कहानी 100 चूजों की बिक्री के साथ शुरू हुई। एनएलएम योजना द्वारा प्रदान की गई 12,500,000 रुपये की पर्याप्त सब्सिडी ने शानुषा की उद्यमशीलता की सफलता की नींव रखी। योजना से पूंजी में हुई बढ़ोतरी और अमूल्य सहायता के साथ, उन्होंने अपने स्थानीय समुदाय के सदस्यों को रोजगार देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था के

विकास में योगदान देने का कार्य किया है।

एनएलएम योजना से पहले, बैंकों से ऋण हासिल करना शानुषा के लिए एक कठिन चुनौती थी। हालांकि, योजना की सहायता से उन्होंने बैंक से संपर्क करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आवश्यक निधि जुटाने का विश्वास प्राप्त किया। यह इस बात का प्रमाण था कि एनएलएम जैसी सरकारी पहल किस प्रकार व्यक्तियों को अपनी वित्तीय बाधाओं को दूर करने और अपनी उद्यमशीलता क्षमता का एहसास करने में सक्षम बना सकती है।

शानुषा का पोल्ट्री फार्म न केवल फलता–फूलता रहा है, बल्कि उनके गांव में प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है, जो युवाओं को उद्यमिता को अपनाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। शानुषा के अगले महत्वाकांक्षी कदम में अपने चूजों को बेचने के लिए दुकानें खोलकर अपने व्यवसाय का विस्तार करना शामिल है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना ने शानुषा के जीवन को व्यापक रूप से बदल दिया है और उन्हें अपने उद्यमशीलता के सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान किए हैं। उनकी यात्रा स्थायी आजीविका के सृजन और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने में इस योजना की क्षमता का एक उदाहरण है, जो एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।

ग्रामीण कुक्कुट फार्म के तहत उद्यमिता विकास के हिस्से के रूप में, महिला उद्यमियों द्वारा आंध्र प्रदेश में 1100 पक्षियों का एक ग्रामीण कुक्कुट फार्म स्थापित किया गया है।

ख. एनएलएम–ईडीपी योजना के तहत सिलेज बनाने की इकाई की स्थापना–कंचन वर्मा

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की एक विनम्र और दृढ़ निश्चयी महिला कंचन वर्मा ने कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर और कृषि क्षेत्र में एक सफल उद्यमी बनकर पारंपरिक मानदंडों को नकार दिया। कंचन की शादी एक किसान परिवार में हुई थी जहाँ उन्होंने कृषि पद्धतियों के सार को आत्मसात किया। हालांकि, रूढ़ियों को तोड़ने और आत्मनिर्भर बनने की उनकी भावना ने उन्हें सीखने और कौशलवान बनने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने महसूस किया कि एक महिला किसान के रूप में, उन्हें किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें ट्रैक्टर चलाने में महारत हासिल करने और सभी कृषि कार्यकलापों में सीधे जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

डेयरी कृषि क्षेत्र में मांग को देखते हुए, कंचन की यात्रा पशु आहार के लिए मकई की खेती के साथ शुरू हुई। दिसंबर 2021 में कंचन ने राज्य डेयरी विभाग योजना के तहत सहायता हेतु आवेदन किया। उनका आवेदन स्वीकृत हो गया और उन्हें 49.45 लाख रुपये की पर्याप्त सब्सिडी मिली। इस वित्तीय

सहायता ने उन्हें अपनी कृषि तकनीकों को उन्नत करने, सिलेज उत्पादन के लिए मशीनरी लगाने और अपने कार्यों का विस्तार करने में सक्षम बनाया। पशुपालन और डेयरी विभाग की सहायता ने स्थायी कृषि प्रथाओं और आर्थिक विकास की दिशा में उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाया।

किसानों को समझा–बुझाकर कंचन ने चारे की कृषि के लिए 200 एकड़ भूमि का प्रबंध किया तथा आने वाले वर्षों में इसके और विस्तार की योजना है। उनकी उद्यमशीलता की भावना कृषि से परे भी फैली हुई है; उन्होंने अपनी उपज को बेचने, उसकी उपस्थिति बढ़ाने और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने के लिए एक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया। कंचन की सफलता ने न केवल उन्हें सशक्त बनाया है, बल्कि एक व्यापक प्रभाव भी छोड़ा है, जिससे उनके समुदाय के 100 से अधिक किसानों में सकारात्मक असर हुआ है। उनके प्रयास ने आर्थिक वृद्धि प्रदान की, रोजगार के अवसर पैदा किए और स्थानीय विकास को बढ़ावा दिया है।

आहार और चारा इकाई की स्थापना के हिस्से के रूप में महिला उद्यमी सुश्री कंचन वर्मा द्वारा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में एक सिलेज बनाने की इकाई स्थापित की गई है।

5.1.3 नवाचार और विस्तार पर उप–मिशनः

उप–मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और आहार और चारा क्षेत्र, विस्तार क्रियाकलाप, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है।

इस उप–मिशन में निम्नलिखित क्रियाकलाप हैं:

(i) **क्रियाकलाप I: अनुसंधान और विकास और नवाचार:** भेड़, बकरी, कुक्कुट पालन, सुअर और आहार और चारा क्षेत्र में अनुसंधान में शामिल आईसीएआर, केंद्रीय संस्थानों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के खेतों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नवीन क्रियाकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। भेड़, बकरी, कुक्कुट पालन, सुअर, आहार और चारे में समस्या समाधान के लिए स्टार्ट–अप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2022–23 (जनवरी, 2023 तक) के दौरान अनुसंधान और नवाचार के लिए संस्थानों को 216.2 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) **क्रियाकलाप II: विस्तार क्रियाकलाप:** किसान फील्ड स्कूलों का संचालन, पशुधन विस्तार सुविधादाताओं (एलईएफ) के लिए एक्सपोजर

विजिट, किसान का एक्सपोजर विजिट, पशुधन विस्तार का स्टाफ घटक, प्रदर्शन गतिविधियां, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल समर्थन के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, विस्तार शिक्षा और पशुधन विस्तार पर साहित्य का निर्माण आदि पर इस क्रियाकलाप के अंतर्गत, सेमिनार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुपालन किसान समूह/प्रजनक संघ, पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रचार क्रियाकलापों का आयोजन, राज्य, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर योजना प्रचार आदि जैसे आईईसी क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2022–23 के दौरान (जनवरी 2023 तक) विस्तार क्रियाकलाप करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 994.39 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(iii) क्रियाकलाप III: पशुधन बीमा: जोखिम प्रबंधन और बीमा देश के सभी जिलों में लागू किया जाना है। देशी/क्रॉसब्रेड दुधारू पशु, पैक पशु (घोड़े, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू और गोपशु/भैंस नर), और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन आदि) इस घटक के दायरे में होंगे।

भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश को छोड़कर सभी पशुओं के लिए सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 जानवरों तक सीमित है, जहां लाभ 5 गोपशु इकाइयों (1 गोपशु इकाई = 10 भेड़/बकरी/सुअर/खरगोश) तक सीमित होगा। इसलिए भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश को सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 गोपशु इकाई तक सीमित किया जाना है। हालांकि, 5 से कम पशु/1 गोपशु इकाई वाले लाभार्थी भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान, पशु चिकित्सकों को मानदेय और प्रचार के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान जनवरी 2023 तक पशुधन बीमा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 500.30 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

5.2 लघु पशुधन संस्थान

5.2.1 केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन: चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और बंगलूरू क्षेत्रों में स्थित चार केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, कुक्कुट के संबंध में सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों का उत्तरदायित्व घरेलू कुक्कुट पालन के लिए पक्षियों की उन्नत किस्मों, जो किसानों के घर पर जिंदा रह सकें, पर ध्यान केंद्रित करना, घरेलू कुक्कुट किसानों को मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करना तथा आहार विश्लेषण आयोजित करना है।

कलिंगा ब्राऊन, कावेरी, छाबरो तथा छान, इन सीपीडीओ द्वारा विकसित लो इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षियों (चूजों) की किस्में/स्ट्रेन हैं। मांग के आधार पर वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा व्यक्तिगत किसानों को इन किस्मों के हैचिंग वाले अंडों,मूल स्टॉक के/वाणिजयिकों के एक दिन के चूजों की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा वे नस्ल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कड़कनाथ, असील इत्यादि जैसी देसी नस्लों का भी रखरखाव करते हैं।

सीपीडीओ, कुक्कुटों के अलावा अन्य प्रजातियों जैसे बतखों, जापानी क्वेल, टर्की तथा गिनी फाऊल के साथ विविधिकरण को भी बढ़ावा देते हैं। सीपीडीओ, बंगलुरू व्हाइट पेकिन (मीट वाली) तथा खाकी कैम्पवैल (अंडे वाली) जैसी बतख प्रजातियों की देख–भाल करता है ताकि मांग के आधार पर वो विभिन्न राज्यों को इनकी आपूर्ति कर सके। सीपीडीओ सभी पशु आहार के लिए आहार विश्लेषण भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर, मुम्बई तथा हैसरघट्टा स्थित तीन सीपीडीओ के पास आहार नमूनों के विश्लेषण के लिए नियर इंफ्रारेड (एनआईआर) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। हैसरघट्टा, चंडीगढ़ तथा भुवनेश्वर में पक्षियों को खिलाने और पिलाने के लिए एक स्वचालित तंत्र स्थापित किया जा चुका है।

इन सीपीडीओ में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कुक्कुट किसानों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है जिसका इन सीपीडीओ में अनुपालन किया जा रहा है। कुक्कुट उत्पादन कोर्स के पाठ्यक्रम में ब्रूडिंग व्यवस्थाओं, फीडिंग, वाटरिंग, टीकाकरण, तापमान प्रबंधन, दवाई देना इत्यादि सहित कुक्कुट पालन के प्रैक्टीकल सत्र और प्रदर्शन तथा आहार मिल प्रबंधन तथा हैचरी प्रबंधन संबंधी टिप्स के अलावा प्रबंधन पहलू शामिल है। कुक्कुट पालन संबंधी मूल अर्थव्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता (बैंक ऋण) प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविध मॉडल सहित वाणिज्यिक कुक्कुट पालन के व्यवहार्य परियोजनाओं के बारे में भी किसानों को बताया जाता है।

सीपीडीओ और प्रशिक्षण संस्थान (सीपीडीओ और टीआई), हैसरघट्टा देश के तथा साथ ही साथ विदेश के सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षकों संबंधी प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस संस्थान में नियमित कुक्कुट प्रबंधन कोर्स तथा आवश्यकतानुसार तैयार किए गए विशेष, उन्नत तथा प्रयोगशाला कोर्स भी उपलब्ध हैं। सीपीडीओ और टीआई ने विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए एक कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है।

यह संगठन (सीपीडीओ और टीआई) वर्ष 2005 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001:2008 से प्रत्यायित है। 4 सीपीडीओ राष्ट्रीय कौशल विकास रूपरेखा के तहत प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में संबद्ध हैं।

गुड़गांव में स्थित केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र (सीपीपीटीसी) को लेअर तथा ब्रायलर किस्मों के परीक्षण का उत्तरदायित्व दिया गया है। यह केंद्र देश भर में उपलब्ध विभिन्न आनुवंशिक स्टॉक संबंधी मूल्यवान सूचना देता है। वर्ष में सामान्यतः एक लेअर तथा दो ब्रॉयलर परीक्षण किए जाते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, नवंबर, 2023 तक लगभग क्रमशः 0.73 लाख और 9.49 लाख मूल स्टॉक वाले चूजे तथा वाणिज्यिक चूजे सीपीडीओ द्वारा विभिन्न राज्यों/एजेंसियों/व्यक्तियों को आपूर्ति किए गए हैं। इसी प्रकार, इस वर्ष 2023–24 में 0.56 लाख और 5.00 लाख मूल स्टॉक चूजे तथा वाणिज्यिक चूजे क्रमशः सीपीडीओ द्वारा आपूर्ति किए गए हैं। लगभग 392 किसान और प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं तथा लगभग 541 आहार नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

5.2.2 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)

केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म सन् 1969–70 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोलम्बो योजना के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य भेड़ फार्मों को वितरण हेतु अनुकूलित विदेशी रैम उत्पादित करना और भेड़ प्रबंधन तथा यंत्रीकृत भेड़ कर्तन में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में, फार्म में नली x रामबोयिल्ट तथा सोनादी x कोरिडाले वर्णसंकरण तथा शुद्ध नस्ल की बीतल बकरियां रखी जा रही हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, फार्म ने विभिन्न राज्य एजेंसियों तथा किसानों को 208 रैम, 23 बक की आपूर्ति की। फार्म ने 5406 अंडों और 28 खरगोशों की भी बिक्री की। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2022 तक कुल 70 किसान मशीन शिअरिंग तकनीक में प्रशिक्षित किए गए, 1113 किसानों को एक दिवसीय भेड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया और 111 किसानों को छह दिवसीय भेड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। फार्म ने आईआईवीईआर, रोहतक के 49 पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक और पशुपालन स्नातक छात्रों और शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया है।

5.2.3 क्षेत्रीय चारा स्टेशन

इसके अतिरिक्त, विभाग केंद्रीय सेक्टर योजना अर्थात

केंद्रीय चारा विकास संगठन भी लागू कर रहा है जिसके तहत देश के विभिन्न कृषि–जलवायु मंडलों में आठ क्षेत्रीय चारा स्टेशन स्थित हैं जो गुणवत्ता पूर्ण चारा बीजों के उत्पादन, प्रशिक्षण और देश में चारा विकास से संबंधित अन्य विस्तार क्रियाकलाप में संलग्न हैं।

ये आठ क्षेत्रीय चारा स्टेशन हैसरघट्टा, बंगलुरू (कर्नाटक), रविराला, हैदराबाद (तेलंगाना), धामरोड, सूरत (गुजराज), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), सुहामा (जम्मू और कश्मीर), अलामादी (तमिलनाडु) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

दिनांक 31.12.2022 तक, इन स्टेशनों ने 216 मीट्रिक टन चारे के बीज का उत्पादन किया है, उनकी 6079 प्रदर्शनी आयोजित की है, और 118 प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा 75 किसान मेलों/फील्ड दिवसों का आयोजन किया है।

5.3 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का क्रियान्वयन व्यक्तिगत उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, निजी कंपनियों, एमएसएमई और धारा 8 कंपनियों द्वारा पशुपालन क्षेत्र में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए स्थापित पात्र परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। इस योजना के तहत निम्नलिखित की स्थापना के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

(क) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना,

(ख) मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना,

(ग) पशु आहार विनिर्माण संयंत्र और

(घ) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म

(ङ) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)

(च) पशु चिकित्सा टीका और दवा उत्पादन सुविधाएं

योजना के उद्देश्य:

दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करने के लिए संगठित दूध और मांस बाजार में असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों के लिए अधिक पहुंच प्रदान करना।

(क) उत्पादक के लिए बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना

(ख) घरेलू उपभोक्ता के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना

(ग) देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन समृद्ध गुणवत्तापूर्ण खाद्य आवश्यकता के उद्देश्य को पूरा करना और दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक में कुपोषण को रोकना

(घ) उद्यमशीलता का विकास करना और रोजगार पैदा करना

(ङ) दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात योगदान बढ़ाने के लिए।

(च) उचित मूल्य पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गोपशुओं, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और पोल्ट्री को सांद्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान कर रही है। लाभार्थियों को ब्याज सबवेंशन 8 वर्षों, अधिकतम 10 वर्षों तक की पुनर्भुगतान अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, बशर्ते लाभार्थी गैर–डिफाल्ट और एनपीए न हों। केंद्र सरकार ने एमएसएमई परिभाषा के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को उधारी के 25% की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। इसके अलावा, एमएसएमई इकाइयां माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठा सकती हैं। इकाइयां किसी भी अनुसूचित बैंक से

परियोजना लागत का 90% तक सावधि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। योजना के तहत पात्र सावधि ऋण के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने के लिए सिडबी द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल "ahidf.udyamimitra.in" विकसित किया गया है।

एएचआईडीएफ की अब तक की प्रगतिः

अब तक, विभाग द्वारा 11071.52 करोड़ रुपये की कुल 642 परियोजनाओं को पात्र चिह्नित किया गया है और ऋणदाता बैंकों द्वारा 8835.76 करोड़ रुपये की कुल 347 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। योजना शुरू होने के पहले वर्ष में 713 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 2481 और वर्ष 2022–23 में 2016 हो गए, जो दर्शाता है कि समय के साथ योजना की लोकप्रियता बढ़ी है। विभाग ने इस योजना के तहत सभी संभावित कार्यकलापों को शामिल किया है चाहे वह डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, चारा निर्माण, पशु चिकित्सा टीका और दवा निर्माण या पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन हो। समय बीतने के साथ, योजना के तहत हर कार्यकलाप में तेजी आई है और विभाग को अब दूरदराज के जिलों से परियोजनाएं मिल रही हैं, जहां कि पहले कम संख्या में परियोजनाएं देखी जाती थीं।

आज की स्थिति तक 256 परियोजनाओं के लिए 166 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन जारी की जा चुकी है।

एएचआईडीएफ के तहत बैंकों द्वारा अब तक अनुमोदित 347 परियोजनाओं के अंतर्गत, डेयरी प्रसंस्करण के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना की क्षमता 129 परियोजनाओं के लिए 137.53 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) की है। मांस प्रसंस्करण में, अब तक 26 परियोजनाओं के लिए 9.06 लाख एमटीपीए क्षमता निर्मित की गई है। पशु आहार विनिर्माण के अंतर्गत, 123 परियोजनाओं के लिए लगभग 79.24 लाख एमटीपीए क्षमता निर्मित की गई है।

नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी एवं वृद्धि फार्म श्रेणी के अंतर्गत 66 इकाइयों को सहायता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, कुल 7860 गायों/भैंसों/सूअरों के लिए नस्ल सुधार फार्म, प्रति वर्ष 24.42 करोड़ पोल्ट्री बर्डस/चूजों की क्षमता वाले आधुनिक पोल्ट्री फार्म तथा प्रति वर्ष 68.46 करोड़ अंडों की क्षमता वाले फार्मों को अवसरंचना हेतु सहायता दी गई है। अब तक कुल 4274 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

पशु अपशिष्ट से संपदा प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) श्रेणी के अंतर्गत संपीड़ित (कम्प्रैस्ड) गैस की 146 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक परियोजना को सहायता दी गई है। इनके माध्यम से अब तक 3 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

पशु चिकित्सा टीका एवं औषधि उत्पादन सुविधा श्रेणी के अंतर्गत दो परियोजनाओं को सहायता दी गई है, जिनमें प्रति वर्ष 90 लाख बोलस, 400 लाख टैबलेट, 60,000 किलोग्राम पाउडर, 70 लाख शीशियाँ तथा 2.74 लीटर तरल पशु चिकित्सा दवाईयों एवं औषधियों के उत्पादन की सुविधा है। इनके माध्यम से अब तक 104 किसानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

347 परियोजनाओं के तहत कुल 36,524 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। हालांकि, इस योजना से अब तक 1,00,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत रांची, झारखंड में स्टैंडर्ड मिल्क, टोंड मिल्क, पनीर, लस्सी, मिष्टी दही, फिटनेस दही, होल मिल्क पाउडर, स्किम्ड मिल्क प्रसंस्करण संयंत्र।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के अंतर्गत कर्नाटक के तुमकुरु में एबिस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का पशु आहार संयंत्र।

एएचआईडीएफ योजना के तहत श्रेणीवार परियोजनाएं

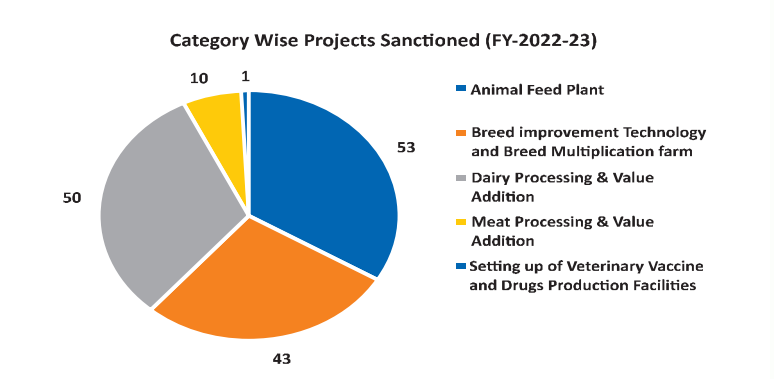

वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत कुल 157 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई। यह स्पष्ट है कि संस्वीकृत परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा पशु आहार संयंत्र और डेयरी प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन श्रेणियों का है, जिसके बाद शेष चार श्रेणियां हैं (चित्र 1)। इन परियोजनाओं के माध्यम से 9.12 लाख एमटीपीए मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, 50 एलएलपीडी डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, 20 लाख एमटीपीए पशु आहार विनिर्माण, 12 करोड़ पक्षियों, 400 गोपशुओं, 329 मिलियन अंडों के उत्पादन की सुविधा के लिए नस्ल वृद्धि फार्म की वार्षिक क्षमता का सृजन/संवर्द्धधन किया जाएगा।

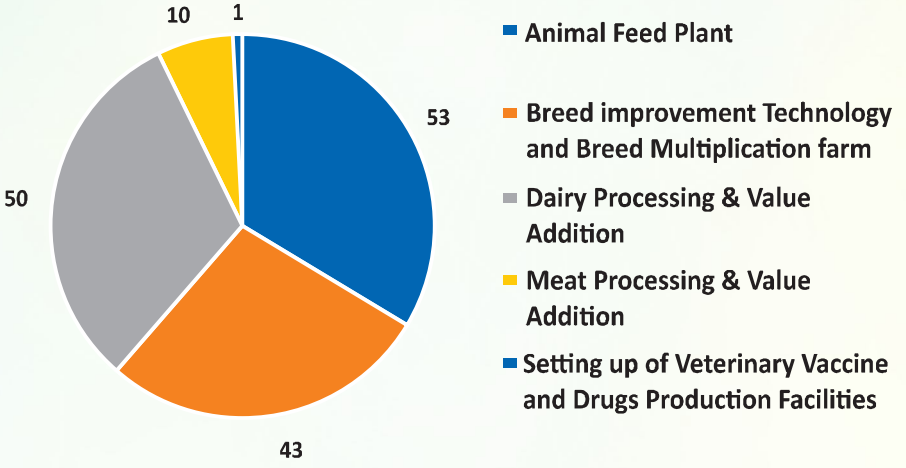

Annual Capacity Enhancement in AH sub sectors
9.12 Lakh MTPA
Meat Processing
50 Lakh LPD
Dairy Processing
20 Lakh MTPA
Animal Feed
12.07 Cr. Birds, 400 Cuttles and 329 Mn eggs
Breed improvement and multiplication farms
*** 90 Lakh Bolus (special tablets) PA**
*** 400 Lakh No. tablets PA**
*** 60000 Kg Powder (formulation) PA**
*** 2.75 Lakh Litres liquid drug PA**
Veterinary Vaccine and drug manufacturing unit

चित्र 1 श्रेणीवार संस्वीकृत परियोजनाएँ (वित्त वर्ष 22–23) और वार्षिक क्षमता निर्माण/वृद्धि

इसके अलावा, यह योजना स्थापित पशुपालन उद्यमों और महत्वाकांक्षी कृषि–संबद्ध उद्यमियों के लिए विस्तार के अवसरों को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्र के भीतर समावेशी विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। परियोजनाओं की रेंज 5 करोड़ रुपये से कम, से लेकर 100 करोड़ रुपये से अधिक तक है (चित्र 2)।

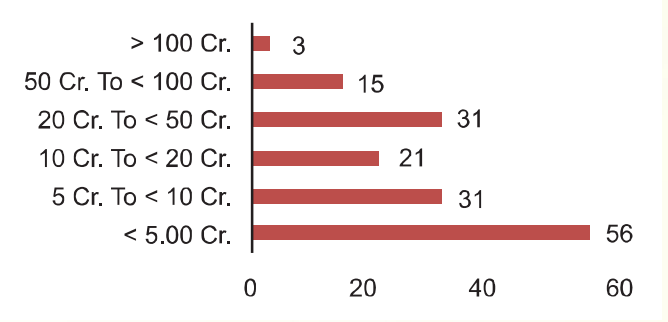

चित्र : 2 संस्वीकृत परियोजनाओं की स्लैब–वार परियोजना लागत

*****

अध्याय–6

पशुधन स्वास्थ्य

पशुधन स्वास्थ्य

अध्याय-6

6.1 सिंहावलोकन

6.1.1 गहन उत्पादन, उच्च पशुधन घनत्व, बढ़ती पशुधन आबादी, पशुधन, लोगों और वन्यजीवों के बीच प्रगाढ़ संपर्क तथा वैश्विक पशु व्यापार/मानव आवाजाही आदि में वृद्धि के कारण पशुधन और कुककुट पालन की स्वस्थता सुनिश्चित करना एक व्यापक चुनौती है।

पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से डीएएचडी विशेष रूप से पशु रोग नियंत्रण के माध्यम से, न केवल जूनोटिक, उभर रहे और पुनः उभरने वाले रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बल्कि पशु से निर्मित होने वाले खाद्य पदार्थों के धारणीय उत्पादन तथा सुरक्षित और पौष्टिक उत्पादन के लिए इष्टतम आजीविका उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन भी करता है।

इसके अलावा, मनुष्यों को प्रभावित करने वाले दो तिहाई संक्रामक रोग पशुओं से उत्पन्न होते हैं और तीन चौथाई उभरते मानव रोगजनकों की उत्पत्ति पशुओं से होती है। खाद्य जनित बीमारियों के मामले भी बड़ी चुनौती हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है।

विभाग फोकस वाले क्षेत्रों में सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत क्षमताओं के निर्माण, जनशक्ति और महामारी विज्ञान की क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्य स्तरीय क्षमता के सुदृढ़ करने राज्य स्तर पर नैदानिक क्षमता में सुधार करके राज्य के विभागों की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करने, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच, फार्म जैव–सुरक्षा में सुधार करने तथा पशुधन और पोल्ट्री रोगों जैसे एवियन इन्फ्लूएंजा, लम्पी त्वचा रोग, ग्लैंडर्स, अफ्रीकी स्वाइन ज्वर आदि के नियंत्रण और रोकथाम के लिए परामर्शी साझा करके पशु स्वास्थ्य प्रबंधन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। गर्मियों और मौसम की चरम परिस्थितियों के साथ–साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशु प्रबंधन प्रथाओं संबंधी परामर्शियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जाती है।

6.1.2. विभाग के पास रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए "पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009" के माध्यम से तथा पशुओं और पशुधन उत्पादों के आयात के द्वारा प्रवेश बंदरगाहों से देश में आने वाले विदेशी और उभरते हुए रोगों को आने से रोकने के लिए "पशुधन आयात अधिनियम, 1898" के माध्यम से विनियामक प्रावधान हैं।

6.2. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

विभाग का उद्देश्य 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (एलएचडीसीपी) के माध्यम से पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण करके पशु स्वास्थ्य जोखिम को कम करना, पशुचिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण करना, रोग निगरानी और पशुचिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। सहायता प्राप्त प्रमुख कार्यकलाप, खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) हैं। केंद्र सरकार मोबाईल पशुचिकित्सा यूनिटों के माध्यम से अंतिम सिरे तक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, ईएसवीएचडी–एमवीयू के तहत, दूर–दराज के क्षेत्रों में किसानों के द्वार पर

पशुचिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु एमवीयू की खरीद और अनुकूलन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य द्वारा प्राथमिकता प्राप्त आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)।

एलएचडीसीपी घटकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

6.2.1 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी):

वर्ष 2019 में शुरू किए गए खुरपका–मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस (एनएडीसीपी) के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत से एफएमडी का नियंत्रण और उन्मूलन तथा पशुयूथ प्रतिरक्षा के विकास के माध्यम से ब्रुसेलोसिस पर नियंत्रण करना था। वर्ष 2021 में, इस कार्यक्रम को पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।

राज्यों को टीकाकरण सहायक उपकरण खरीदने, टीका लगाने वालों के पारिश्रमिक, राज्यों के कोल्ड चेन अवसरंचना (वॉक–इन–कोल्ड रूम, कोल्ड कैबिनेट, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर, एक्टिव कूल बॉक्स आदि) के विकास, निरीक्षण और निगरानी तथा आईईसी/जागरूकता अभियानों के लिए 100: केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.2.1.1 एनएडीसीपी–एफएमडी:

खुरपका और मुंहपका रोग को आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रोग माना जाता है, जिससे हर साल लगभग 24,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है और यह भारत के बाहर भारतीय पशु उत्पादों की स्वीकार्यता को प्रभावित करता है। इस रोग के विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) द्वारा नियंत्रण और उन्मूलन के लिए प्राथमिकता वाले रोग के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 36.05 करोड़ टीके के खुराक की आपूर्ति के साथ–साथ सहायक उपकरण, पारिश्रमिक और कोल्ड चेन उपकरणों के लिए लगभग 289 करोड़ रुपये की आपूर्ति के साथ अब तक का सबसे ज़्यादा टीकाकरण दर्ज किया गया है। लगभग 30.64 पशुओं का टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 में लगभग 5.19 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।

पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2023 में एफएमडी प्रकोप में काफी कमी आने की उम्मीद है। एफएमडी का प्रकोप वर्ष 2018 में 227 मामलों से लगातार घटकर वर्ष 2022 में 103 हो गया है और वर्ष 2023 में पूरे देश में यह घटकर 44 हो जाएगा।

ये प्रकोप छिटपुट प्रकृति के हैं तथा ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एफएमडी बहुत सीमित संख्या में पशुओं को प्रभावित करता है तथा यह आसपास की सामूहिक प्रतिरक्षा के कारण नहीं फैलता है।

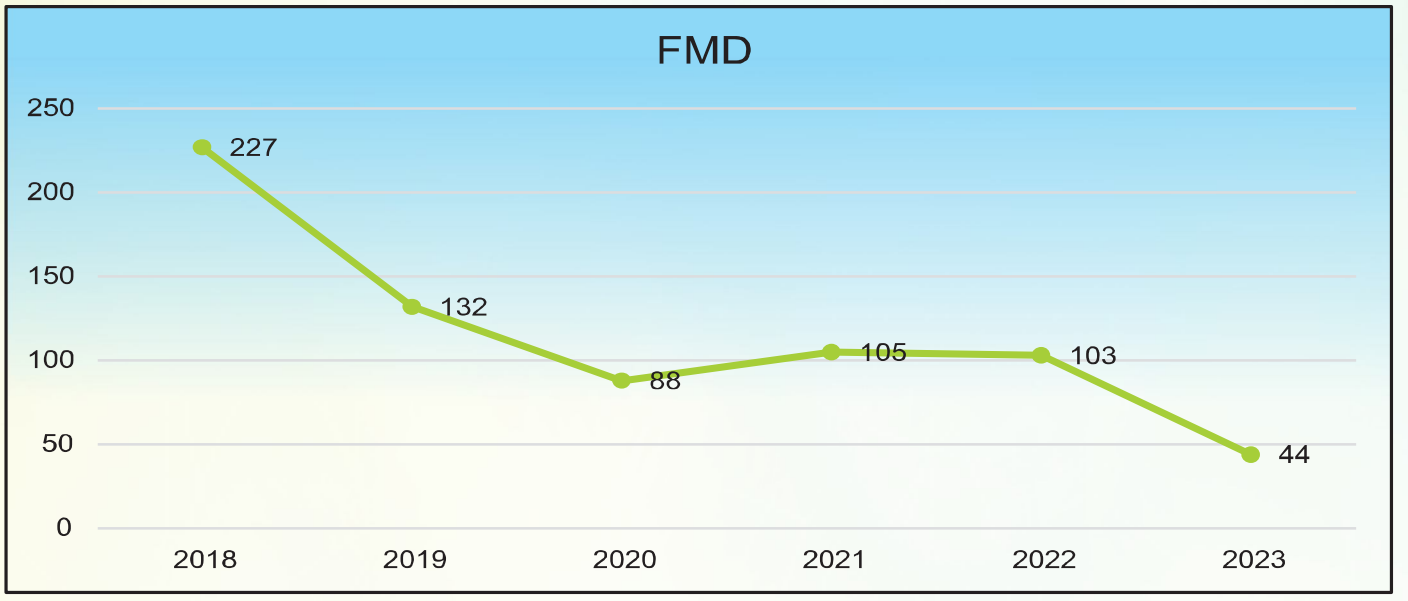

सीरो–मॉनीटरिंग अध्ययन से पता चलता है कि पिछले चरण की तुलना में वर्तमान में पूर्ण हुए चरण के बाद पाए गए सुरक्षात्मक टाइटर में काफी वृद्धि हुई है। पिछले चरण के एफएमडी टीकाकरण के बाद, टीकाकरण के बाद के नमूनों में, क्रमशः सीरोटाइप ओ, ए और एशिया 1 के लिए 65.0, 62.5 और 61.8 प्रतिशत पशुओं में सुरक्षात्मक टाइटर पाया गया। वर्तमान में पूर्ण हुए चरण के बाद टीकाकरण के बाद के नमूनों में यह क्रमशः सीरोटाइप ओ, ए और एशिया 1 के लिए 71.2, 69.0 और 69.5 प्रतिशत पशुओं में बढ़ गया है।

एफएमडी कार्यक्रम के समर्थन को जारी रखने के लिए डोजियर डब्ल्यूओएएच को प्रस्तुत किया गया था।

6.2.1.2 एनएडीसीपी–ब्रुसेलोसिसः

ब्रुसेलोसिस गोपशुओं और भैंसों की एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजनन संबंधी रोग है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण गर्भपात हो सकता है और यह मनुष्यों में भी फैल सकता है क्योंकि यह जूनोटिक है। यह एक गंभीर व्यावसायिक खतरा भी है और भारत में स्थानिक है।

इस घटक में, ब्रुसेलोसिस के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु पूरे देश में बोवाइन बछडियों (4–8 महीने की आयु) को टीका लगाया जाता है।

वर्ष 2023–24 में, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक इस घटक के तहत ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण लगभग 0.59 करोड़ रजिस्टर किया गया।

6.2.2 अन्य गंभीर पशु रोग

6.2.2.1 पीपीआर–ईपी:

पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स – उन्मूलन कार्यक्रम (पीपीआर–ईपी) – पीपीआर जिसे भेड़ और बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक अत्यधिक संक्रामक ट्रांसबाउंड्री पशु रोग है जो पालतू और जंगली छोटे रूमीनेंट्स को प्रभावित करता है। इसमें गंभीर रुग्णता और मृत्यु दर बहुत अधिक होता है और हमारे देश में इसका उच्च आर्थिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहां छोटे रूमीनेंट्स आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इस घटक में, छोटे रूमिनेंट्स की आबादी के 100% प्रभावी कवरेज के लिए देश की संपूर्ण भेड़ और बकरियों की आबादी का पीपीआर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत प्रवासियों के पशुयूथों/पशुओं को भी शामिल किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पीपीआर हेतु लगभग 2.60 करोड़ टीकाकरण रजिस्टर किए गए।

6.2.2.2 सीएसएफ–नियंत्रण कार्यक्रम:

क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ), जिसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है, घरेलू और जंगली सूअरों का एक संक्रामक वायरल रोग है और यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्लासिकल स्वाइन ज्वर वायरस से संक्रमित सूअरों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण, प्रजनन विफलता और गर्भपात हो सकता है। क्लासिकल स्वाइन ज्वर के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सूअरों की पूरी आबादी को कवर करने के लिए सूअरों की आबादी वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसएफ हेतु लगभग 15.36 लाख टीकाकरण किए गए।

6.2.3 पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी)

किसानों के दरवाजे तक सेवाओं की अंतिम छोर तक प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाता है।

6.2.3.1. ईएसवीएचडी–एमवीयू:

पशु चिकित्सालयों और औषधालयों – मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी–एमवीयू) घटक किसानों/पशु मालिकों को उनके दरवाजे पर निदान, उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य चिकित्सा उपाय, श्रव्य–दृश्य सहायक उपकरण और विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा ईकाइयों की स्थापना हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश में प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू को सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

इस घटक के तहत विस्तार कार्यकलापों हेतु, निदान, उपचार, नमूना संग्रह, छोटी सर्जरी और दृश्य–श्रव्य यंत्रों आदि के लिए उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित सुविधानुसार परिवर्तित मोबाइल वैन/वाहन के लिए गैर–आवर्ती व्यय हेतु 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मोबाइल वैन/वाहन, कॉल सेंटर और आउटसोर्स की गई जनशक्ति सेवाओं को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र–राज्य निधि साझाकरण पैटर्न 60–40/90–10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% का होगा।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मार्च 2024 तक एमवीयू चलाने के लिए आवर्ती व्यय हेतु 23 राज्यों को 184.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक कुल 3013 एमवीयू चालू हैं और 2023–24 में 24.86 लाख किसान लाभान्वित हुए और 46.20 लाख पशुओं का उपचार किया गया।

एमवीयू कॉल सेंटर, वाहन स्थान, पशु उपचार और शिविर

6.2.3.2. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी):

यह घटक प्रचलित रोग (रोगों) और किसानों को होने वाली हानि के अनुसार राज्यों द्वारा विधिवत प्राथमिकता प्रदत्त पशुओं के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है। जूनोटिक पशु रोगों नामतः एंथ्रेक्स, रेबीज आदि के लिए टीकाकरण हेतु भी जोर दिया जाता है। एएससीएडी के तहत रोग नैदानिक किटों/टीकों के उत्पादन को बहाने के लिए और रोग निदान के लिए राज्य जैविकीय उत्पादन ईकाइयों और रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं का भी सुदृढ़ीकरण किया जाता है/सहायता दी जाती है। एक अन्य कार्यकलाप जिसे इस घटक के तहत प्राथमिकता दी गई है, वह है 'आकस्मिक और विदेशी रोगों का नियंत्रण'। इसमें विदेशी रोगों के प्रवेश और आकस्मिक/पुनः उभरने वाले पशु रोगों के रोकथाम हेतु निगरानी और संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। पक्षियों को मारने, संक्रमित पशुओं के उन्मूलन और प्रचालनात्मक लागतों सहित आहार/अंडों को नष्ट करने के लिए किसानों को मुआवजे के भुगतान हेतु वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

एएससीएडी में अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता प्रशिक्षण और संबद्ध कार्यकलापों, वीसीआई के वित्त पोषण और मुख्यालय व्यय (सलाहकारों को काम पर रखना, कानूनी, चुनाव आदि) के तहत आने वाले कार्यकलापों, जिसके लिए 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है, को छोड़कर एनईआर और पर्वतीय राज्यों के लिए 60–40, 90–10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय–राज्य निधि साझाकरण की पद्धति है।

वर्ष 2023–24 के दौरान मार्च 2024 तक 28 राज्यों को 204.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

एमवीयू, टीकाकरण और रोग की घटनाओं की स्थितिः वर्ष 2023 (जनवरी–दिसंबर, 2023) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित जानकारी के अनुसार अनुमोदित एमवीयू की स्थिति, टीकाकरण और रोग की घटनाओं संबंधी विवरण क्रमशः अनुबंध–क–ग है।

6.3. जूनोटिक, उभरते एवं पुनः उभरते रोगों पर नियंत्रण

6.3.1 लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) संबधी दिशानिर्देश और परामर्शी:

लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) गोपशुओं और भैंसों का एक संक्रामक वायरल रोग है जो कैप्रिपॉक्स वायरस के कारण होता है। यह आथ्रीपॉड वैक्टर जैसे मच्छरों, मक्खियों और टिक्स के काटने से फैलता है। रोग में 2–3 दिनों के लिए हल्के बुखार के लक्षण होते हैं, इसके बाद कठोर, गोल त्वचीय नोड्यूल (2–5 सेमी व्यास वाले) बन जाते हैं। पशु अक्सर 2–3 सप्ताह की अवधि के भीतर पुनः सेहतमंद हो जाता है। रुग्णता दर लगभग 10–20% है और मृत्यु दर लगभग 1–5% है।

भारत में लंपी त्वचा रोग की पुष्टि निहसाद, भोपाल द्वारा शुरू में सितंबर, 2019 के दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में की गई थी। बाद में अन्य राज्यों में इस रोग की पुष्टि हुई। गोटपॉक्स टीके (उत्तरकाशी स्ट्रेन) का उपयोग करके वार्षिक टीकाकरण के लिए समय–सीमा सहित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी प्रभावित और गैर–प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैव सुरक्षा उपायों, उपचार, निगरानी, निदान और टीकाकरण (कार्पेट और नियंत्रित) के संबंध में विभाग द्वारा तैयार की गई परामर्शी और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। प्रभावित राज्यों को जमीनी स्तर पर बेहतर योजना बनाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देने के लिए केंद्रीय दलों को भी तैनात किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, यह रोग गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, बिहार, ओडिशा, केरल

और सिक्किम में देखा गया। कुल 754421 (95% से अधिक रिकवरी दर के साथ) गोपशु प्रभावित, 27216 गोपशुओं की मृत्यु हो गई, वर्ष 2023 के दौरान कुल 10.14 करोड़ से अधिक गोपशुओं का टीकाकरण किया गया है, लगभग 2500 सक्रिय मामले हैं और टीकाकरण सहित जैव सुरक्षा उपाय चल रहे हैं।

6.3.2. एवियन इन्फ्लुएंजा

वर्ष 2006 से देश में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की सूचना मिल रही है। सरकार ने तत्काल नियंत्रण और रोकथाम अभियान चलाए और इस रोग को नियंत्रित किया। प्राणी उद्यानों के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए गए और आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें जारी किया गया।

विभाग के पास वर्तमान में, बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाने वाले एवियन इन्फ्लूएंजा (एआई) की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए एक कार्य योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यकलापों के लिए एएससीएडी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जनवरी 2023 से 31 दिसंबर,2023 तक एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप का विवरण इस प्रकार है–

तालिका: वर्ष के दौरान एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रकोप (दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक)

क्र.सं.	अवधि	प्रभावित राज्य	अधिकेंद्र की संख्या	मारे गए पक्षियों की संख्या (लाख में)
1	जनवरी से फरवरी 2023	केरल	11	0.083
2	फरवरी और मार्च 2023	झारखंड	2	0.036
3	अप्रैल 2023	बिहार	2	0.121

भारत सरकार द्वारा एवियन इंफ्लूएंजा के हालिया प्रकोप के नियंत्रण और रोकथाम के साथ–साथ देश में इसके प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं –

(i) देश में एवियन इन्फ्लूएंजा पर निगरानी योजना तैयार कर ली गई है और यह कार्य योजना का हिस्सा है।

(ii) "एवियन इंफ्लूएंजा संबंधी तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम" संबंधी वर्तमान कार्य योजना कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को परिचालित की गई थी। प्राणी उद्यानों के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे।

(iii) कलिंग (पक्षियों का मारा जाना) की प्रक्रिया 0–1 किमी के प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण कुक्कुट आबादी वाले प्रभावित क्षेत्र में की जाती है।

(iv) प्रयोगशालाओं के उन्नयन, जनशक्ति के प्रशिक्षण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामग्री के भंडारण आदि के रूप में भविष्य में किसी संभाव्य घटना से निपटने के लिए तैयारी का निरंतर सुदृढ़ीकरण।

(v) एवियन इन्फ्लूएंजा के निदान को सुदृढ़ करने के लिए, चार जैव–सुरक्षा स्तर 3 (बीएसएल–III) प्रयोगशालाएं जालंधर, कोलकाता, बेंगलुरू और बरेली में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा,

एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को एक मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला भी प्रदान की गई है। ये प्रयोगशालाएं पहले से ही कार्य कर रही हैं।

(vi) सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियानों के माध्यम से एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में आम जनता को संवेदनशील बनाना।

(vii) न केवल प्रकोप, के लिए बल्कि कुक्कुट में असामान्य बीमारी / मृत्यु दर और प्रयोगशाला निदान के परिणामों की जानकारी संबंधी रिपोर्टिंग में भी पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया जाना।

(viii) सभी राज्य सरकारों को रोग के प्रकोप के बारे में सावधान रहने के लिए समय–समय पर सतर्क किया जाता है।

(ix) एचपीएआई पॉजिटिव देशों से कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध है।

(x) रोग नियंत्रण, निगरानी और जैव सुरक्षा के महत्व के विभिन्न पहलुओं के संबंध में समय–समय पर कुक्कुट पालकों के मार्गदर्शन के लिए राज्यों को सलाह जारी की जाती है।

विभिन्न केंद्रों पर एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई) के प्रकोप के लिए एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम पर मौजूदा कार्य योजना वर्ष 2021, के दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रण और रोकथाम अभियान चलाए गए और अभियान के पूरा होने के बाद (कलिंग और सफाई सहित) एचपीएआई वायरस की उपस्थिति की कोई और रिपोर्ट नहीं मिली है। तदनुसार, देश को दिनांक 21 दिसंबर 2023 से एवियन इन्फ्लुएंजा (एच5एन1) से मुक्त घोषित किया गया है जिसे पहले ही डब्ल्यूओएएच को अधिसूचित किया जा चुका है।

6.3.2.1 एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए कंपार्टमेंटलाइजेशन

एक प्रभावी नियंत्रण उपाय के रूप में तथा कुक्कुट और कुक्कुट संबंधी उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभाग ने अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा मुक्त कुक्कुट कंपार्टमेंट घोषित करने के लिए इस को अपनाया है। कंपार्टमेंटलाइजेशन पशु स्वास्थ्य में सुधार और कमपार्टमेंट के भीतर और बाहर रोग प्रकोप के जोखिम को कम करने का एक साधन है। डब्ल्यूओएएच स्थलीय संहिता (अध्याय 4.4 और 4.5) तथा स्थानीय जोखिम कारकों में मानकों के आधार पर जैव सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन और पशुपालन प्रथाओं के माध्यम से स्थिति को बनाए रखा जाता है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत में 26 पोल्ट्री कमपार्टमेंटों में उच्च रोगजनकता एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की स्व–घोषणा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) को प्रस्तुत की है और इसे दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को डब्ल्यूओएएच द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा डब्ल्यूओएएच वेबसाइट https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/ में प्रकाशित किया गया है। ये कुक्कुट प्रतिष्ठान देश के 4 राज्यों नामतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।

6.3.3 सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाः

अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) सूअरों और वन्य सूअर/जंगली सूअरों तथा सभी नस्लों और उम्र के अन्य सूअर प्रजातियों का एक अत्यधिक संक्रामक और संसर्गजत्य रक्तस्रावी वायरल रोग है। इसकी मृत्यु दर 100% है। एएसएफ मानव या अन्य पशुधन प्रजातियों को संक्रमित नहीं करता है। यह ऐस्फैरीविरीडाई परिवार, जीनस एस्फीवाइरस के डीएनए वायरस के कारण होता है। इनक्यूबेशन अवधि 4 से लेकर 19 दिनों तक हो सकती है।

भारत में, अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) की पुष्टि एनआईएचएसएडी, भोपाल द्वारा शुरू में जून, 2020

के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में और फिर उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों तथा देश के अन्य राज्यों में की गई है। विभाग ने भारत में अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और सभी हितधारकों को परिचालित की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्य योजना में निहित उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था ताकि अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) का एक निश्चित समय सीमा में देश में नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन किया जा सके। क्षेत्र में बेहतर योजना के लिए प्रभावित राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देने के लिए केंद्रीय दलों को भी तैनात किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, यह रोग असम, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में देखा गया। वर्ष 2023 के दौरान कुल 5805 सूअरों की मौत हुई और 2498 सूअरों को स्थायी रूप से अलग (कल्ड) कर दिया गया। वर्तमान में, रोग नियंत्रण में है और जैव सुरक्षा उपाय चल रहे हैं।

6.3.4. घोड़ों में ग्लैंडर्स के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाः

ग्लैंडर्स, घोड़े, गधे और खच्चरों जो आदि अश्वीय समूह का एक संक्रामक और घातक रोग है, *Burkholderia mallei* (बी. मल्लेई) बैक्टीरियों के संक्रमण के कारण होता है। ग्लैंडर्स के नियंत्रण हेतु संदिग्ध नैदानिक मामलों की जांच, सामान्य दिख रहे इक्विड्स की जांच और रिएक्टरों के उन्मूलन की आवश्यकता होती है। बी.मल्लेई में जूनोटिक हो सकता है और इसे जैविक युद्ध या जैव–आतंकवाद का एक संभावित कारण माना जाता है क्योंकि यह मनुष्यों में अत्यधिक घातक रोगों का कारण बन सकता है।

- पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत के अश्वीय समूह में ग्लैंडर्स की निगरानी, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से भारत में ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।
- उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में ग्लैंडर्स के मामले देखे गए हैं और तदनुसार, विभाग द्वारा इसे नियंत्रित करने और जागरूकता कार्यक्रमों को गहन बनाने सहित जैव–सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए परामर्शी जारी की गई।

- अवसंरचना और जैव–सुरक्षा व्यवस्थाओं के अपेक्षित मूल्यांकन के बाद, विभाग ने रक्षा सेवाओं/निजी प्रतिष्ठानों की 16 इक्वाइन होल्डिंग सुविधाओं को अलग से ग्लैंडर्स–मुक्त कंपार्टमेंट के रूप में मान्यता दी।

वर्ष 2023 के दौरान कुल मामलों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या
1	उत्तराखंड	1
2	उत्तर प्रदेश	6
3	महाराष्ट्र	3
4	मध्य प्रदेश	2
5	पंजाब	5
6	राजस्थान	12
कुल		29

6.4.5 कैनाइन रेबीज का उन्मूलनः

- वर्ष 2030 तक कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज को खत्म करने के वैश्विक प्रयास के हिस्से के रूप में, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में अन्य हितधारकों के परामर्श से वर्ष 2030 तक भारत से कुत्ते के माध्यम से होने रेबीज उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीआरई) तैयार की है।

- दिनांक 28 सितंबर 2021 को, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से "वर्ष 2030 तक भारत से कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" शुरू की गई थी।

- एनएपीआरई एक मार्गदर्शी दस्तावेज है जो राज्यों को रोग की व्याप्तता, जनसंख्या जनसांख्यिकी और संसाधन उपलब्धता के आधार पर अपने राज्यों के लिए उपयुक्त राज्य कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार करने में सक्षम बनाता है। इस दस्तावेज में चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से देश में कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज को नियंत्रित करने और समाप्त करने की रणनीतियों की पहचान की गई है। यह दस्तावेज स्पष्ट रूप से रेबीज मुक्त क्षेत्रों तैयार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और कार्यकलापों को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य निरंतर, कुत्ते के सामूहिक टीकाकरण, पूर्व और बाद के एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से रेबीज के जोखिम को व्यवस्थित रूप से कम करना है।

- वर्ष 2023–24 में, दिसंबर, 2023 तक, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई थी तथा पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय द्वारा पुडुचेरी, तमिलनाडु और मेघालय में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

- वर्ष 2023–24 में, 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रेबीज टीकों की खरीद के लिए "पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता" (एएससीएडी) योजना के तहत 716.85 लाख रुपये अनुमोदित किए गए थे।

6.4 पशुचिकित्सा पद्धति को विनियमित करना:

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को देश भर के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के माध्यम से पशु चिकित्सा प्रथाओं को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने का अधिदेश प्राप्त है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में 27 सदस्य होते हैं, जिनमें से ग्यारह (11) भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी पंजिका (आईवीपीआर) में नामांकित व्यक्तियों में से चुने जाते हैं और चौदह (5 (पांच) सदस्य पशुपालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निदेशकों में से, 4 (चार) सदस्य राज्यों में पशु चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों में से, 1 (एक) आईसीएआर द्वारा नामित सदस्य, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 (एक) सदस्य, भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य और राज्य पशु चिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य) नामित होते हैं। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को परिषद के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

देश में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 1984 के 26 से बढ़कर 58 हो गई है। वीसीआई की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 के दौरान चार (4) नए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को बी.वी.एससी. और ए.एच. शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुमति पत्र जारी किया है। परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों में बी.वी.एससी. और ए.एच. में प्रवेश के लिए 744 सीटों को भरकर अखिल भारतीय कोटे के तहत 15% सीटें भरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की। वर्ष 2023–24 के दौरान, परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 52 के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु चिकित्सकों के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए 383 आवेदनों का निपटारा किया।

देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। वीसीआई द्वारा वर्ष 2023 (01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के कुल 38 निरीक्षण किए गए। वीसीआई ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 24 के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर में 3,247 चिकित्सकों को अधिसूचित किया है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नियम, 1985 के नियम 3 (परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना) के अंतर्गत दिनांक 25.10.2023 को वीसीआई के 11 सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, जिससे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नियम, 1985 के नियम 4 (नामावली की तैयारी) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ करने में सक्षम बनाया

गया। पंजीकृत भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायियों को (आईवीपीआर) वीसीआई द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 13.12.2023 में प्रकाशित किया गया।

एनआईसी को ऑनलाइन चुनाव कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर (evotevci.dahd.gov.in) विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

विभाग (सचिव, डीएएचडी) द्वारा एक परामर्शी जारी की गई, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया कि वे संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची की जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दें। वीसीआई चुनाव के लिए आईवीसी नियम 1985 के प्रावधान के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 04.03.2024 को किया गया था।

6.5 डब्ल्यूओएएचस संबंधित कार्यकलापः

6.5.1 पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम के समर्थन हेतु डोजियर प्रस्तुत करना – राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना पीपीआर–एफएओ

एलएच और डीसी कार्यक्रम के तहत विभाग पेस्ट डेस पेटिट्स रोमिनेंट्स (पीपीआर) नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम (वर्ष 2021–26) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक पीपीआर को नियंत्रित और समाप्त करने के लिए वैश्विक नियंत्रण और उन्मूलन रणनीति (जीसीईएस) के अनुसार कार्पेट टीकाकरण तथा वर्ष 2030 तक पीपीआर उन्मूलन के तहत सभी भेड़ और बकरियों को कवर करना है। तदनुसार, विभाग ने राष्ट्रीय पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम के समर्थन के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को डोजियर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, पीपीआर हेतु वैश्विक नियंत्रण और उन्मूलन रणनीति (जीसीईएस) के साथ संरेखित करते हुए, वर्ष 2030 तक भारत में पीपीआर को रोकने, नियंत्रित करने और उसका उन्मूलन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना (एनएसपी) का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय इस्पात नीति में पर्याप्त हर्ड इम्युनिटी स्थापित करने और पीपीआर से देश के मुक्त रहने को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक प्रणाली के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस योजना में वर्ष 2025/26 तक भेड़ और बकरियों की आबादी का पूर्ण ब्लैंकेट कवरेज के साथ रणनीतिक टीकाकरण शामिल है ताकि लक्षित पशुयूथ प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सके और वर्ष 2027/28 तक नैदानिक निगरानी के माध्यम से वायरस के प्रसार को रोका जा सके। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक पीपीआरवी संक्रमण से मुक्ति प्राप्त करना है। रणनीतिक टीकाकरण में'पल्स टीकाकरण मोड' शामिल है, जिसमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में 3 से 4 साल के लिए वार्षिक सामूहिक टीकाकरण किया जाएगा ताकि शेष के उन्मूलन हेतु 80–90% के प्रतिरक्षा स्तर तक पहुंचा जा सके है। पड़ोसी राज्यों से होने वाले खतरे को दूर करने के लिए चेक पोस्ट, सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर–राज्यीय सीमाओं या प्रवेश स्थानों/व्यापार बाजारों पर प्रवासी आबादी को लक्षित करते हुए अतिरिक्त सामूहिक टीकाकरण आवश्यक है।

प्रकोप की जांच, सिन्ड्रोमिक निगरानी और अप्राकृतिक "होस्ट" में निगरानी तथा पशुधन–वन्यजीव इंटरफेस सहित सीरो–निरीक्षण, सीरो–निगरानी और पशु आबादी की प्रतिरक्षा का आकलन, पीपीआर की निगरानी और निरीक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रमुख घटक हैं। आईसीएआर–आईवीआरआई और आईसीएआर–निवेदी जैसी मौजूदा नैदानिक प्रयोगशालाएं, पीपीआर के निदान और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना एफएओ पीपीआर सचिवालय को प्रस्तुत की जाती है।

6.5.2 पीपीआर और लेप्टोस्पायरोसिस प्रयोगशालाओं को डब्ल्यूओएएच संदर्भ प्रयोगशालाओं के रूप में शामिल करना

भारत ने आईसीएआर–नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स, बेंगलुरु की पीपीआर और लेप्टोस्पायरोसिस

प्रयोगशालाओं को पीपीआर और लेप्टोस्पायरोसिस के लिए डब्ल्यूओएएच संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में शामिल करने के विचारार्थ आवेदन प्रस्तुत किया है जो डब्ल्यूओएएच द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है।

6.5.3 देश की रोग से मुक्ति की स्थितिः

वर्ष 2023 के दौरान, देश की निम्नलिखित रोगों से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए डब्लयूओएएच को दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिन्हें डब्लयूओएएच द्वारा मान्य किया गया था।

क. बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई) की न के बराबर जोखिम स्थिति

ख. संक्रामक बोवाइन फुफ्फुसीय निमोनिया (सीबीपीपी) से मुक्ति

ग. अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस (एएचएस) से मुक्ति की स्थिति

6.6 एनडीएमए के सहयोग से आपदा/संकट प्रबंधन में भूमिकाः

विभाग आपदा/संकट से निपटने और पशुधन क्षेत्र के संबंध में दिशानिर्देश और परामर्शी तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कड़ी गर्मी, शीत लहर, आंधी और बाढ़/मानसून के संबंध में आपदा प्रबंधन योजना और दिशानिर्देश/परामर्शी तैयार कर लिए गए हैं तथा अग्रिम प्रारंभिक कार्रवाई करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं।

6.7 पशु स्वास्थ्य संस्थान

ये शीर्ष स्तर के संस्थान हैं जो टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण, बाहर से बीमारी के प्रवेश को रोकने तथा रोग निदान एवं निगरानी आदि में शामिल हैं।

6.7.1 चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (सीसीएसएनआईएएच), बागपत

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (सीसीएसएनआईएएच) एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान है जो भारत में गुणवत्ता नियंत्रण करने और मानक, कुशल और सुरक्षित पशु चिकित्सा जैविकी का भरोसा देने के साथ–साथ मानक, कुशल और सुरक्षित पशु चिकित्सा जैविकी का उपयोग करके भारतीय उपमहाद्वीप में स्वस्थ और उत्पादक पशुधन को बढ़ावा देने की दृष्टि से देश में पशु चिकित्सा टीकों के लाइसेंस की सिफारिश करने के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में बागपत, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। राजपत्रित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213, (अ) दिनांक 11 मार्च, 2019 के माध्यम से संस्थान को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) के रूप में मान्यता दी गई है, जो शुरू में दो टीकों अर्थात् रक्तस्रावी सेप्टीसीमिया और रानीखेत रोग के लिए पशु चिकित्सा जैविकी के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए कार्यरत है।

संस्थान ने विभिन्न स्तनधारी सेल लाइनों, बैक्टीरिया और वायरस के संदर्भ कल्चर्स को बनाए रखा है और कल्चर रखरखाव की प्रणाली स्थापित की है। इसके अलावा, सीसीएसएनआईएएच, बागपत को एलएचडीसीपी के तहत एफएमडी, ब्रुसेला, पीपीआर और सीएसएफ टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान ने एलएचडीसीपी के तहत एफएमडी, ब्रूसेला, सीएसएफ और पीपीआर के लिए टीका परीक्षण एसओपी के विकास और संकलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष के दौरान संस्थान ने एफएमडी एंटीबॉडी के खिलाफ सीरो–नेगेटिविटी के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के फार्मों से 249 पशुओं की जांच की है और सभी मापदंडों के लिए एफएमडी टीकों के 10 बैचों का परीक्षण पूरा कर लिया है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान एलएचडीसीपी के तहत ब्रुसेला टीकों के 57 बैचों और पीपीआर टीका के 09 बैचों का क्यूसी परीक्षण किया गया है। आरडी टीकों और एचएस टीका के 03 बैचों का नियामक परीक्षण भी वर्ष 2023 के दौरान पूरा किया गया।

संस्थान के दृष्टिकोण और जनादेश के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास करने के लिए, वर्ष के दौरान भाकृअनुप–निवेदी, बेंगलुरु के सहयोग से डीबीटी (01) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (02) द्वारा वित्त पोषित 03 सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गईं। एफएमडी टीका परीक्षण क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण पर विश्व संदर्भ प्रयोगशाला–भारत सहयोग परियोजना, के कार्यकलापों को आईसीएआर के सहयोग से निष्पादित किया गया था। संस्थान ने एफएमडी पर विश्व संदर्भ प्रयोगशाला पिरब्राइट यूके, में कुशलता परीक्षण योजना अभ्यास चरण XXXIV में भाग लिया, और 4 में से 3 का स्कोर हासिल किया। चरण XXXV के लिए दक्षता परीक्षण भी चल रहा है।

संस्थान को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी), बागपत द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्थान के कर्मचारियों ने हिंदी में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की। संस्थान के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों/ई–सम्मेलनों/वेबिनार/टीकाकरण प्रशिक्षणों और बैठकों/सौहार्दीकरण हार्मोनाइजेशम अभ्यासों में भाग लिया।

सीसीएसएनआईएएच, बागपत से संबंधित जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.ccsniah@gov.in

6.7.2 पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा (एक्यूसीएस)

संगरोध केन्द्रों को स्थापित करने का उद्देश्य आयातित पशुधन तथा पशुधन उत्पादों के माध्यम से देश में खतरनाक विदेशी रोगों को आने से रोकना है। बढ़े हुए और तेज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा यात्रा ने आज प्रत्येक देश को तेजी से फैलने की क्षमता रखने वाले ज्ञात और अज्ञात संक्रामक रोगों, के प्रवेश के खतरे के प्रति संवदेनशील बना दिया है तथा इसके सामाजिक–आर्थिक और मानव/पशु स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल परिणाम भी हैं। देश को विदेशी रोगों से मुक्त रखने के लिए संगरोध सेवाएं आवश्यक हैं।

पशुधन संबंधी कई संक्रामक रोग हैं जो अन्य देशों में भी फैले हुए हैं परंतु भारत इन रोगों से मुक्त है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे विदेशी रोग सीमापार से पशुधन तथा पशुधन उत्पादों की आवाजाही के माध्यम से देश में प्रवेश न कर पाएं। पशुधन रोगों पर नजर रखने की पूरी प्रक्रिया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, (डब्ल्यूओएएच) के कार्यालय का उत्तरदायित्व है, जो अपने स्थलीय और जलीय पशु स्वास्थ्य कोड के माध्यम से ऐसा करता है। डब्ल्यूओएएच ने प्रचलित जलीय और स्थलीय रोगों को सूचीबद्ध किया है। जूनोसिस एक्यूसीएस का भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें एक्यूसीएस विनियमन

के कड़े अनुपालन से मानव स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडों/बंदरगाहों और भूमि मार्गों पर जांच के लिए एक कुशल संगरोध तंत्र आवश्यक है क्योंकि पशुधन, नैदानिक रोग के लक्षण दिखाए बिना अंदर ही अंदर रोगजनकों को ले जा सकते हैं, इसलिए देश में उनके प्रवेश से पहले उनकी रोगजनक मुक्त स्थिति को देखने और उसके परीक्षण हेतु उन्हें संगरोध में रखा जाना चाहिए। कुल 6 पशु संगरोध केन्द्र दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद में स्थित हैं।

एक्यूसीएस से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट www.aqcsindia.gov.in पर उपलब्ध है।

6.7.3 केंद्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

राज्यों में 250 मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं के अलावा रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करके एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र (सीएडीआरएडी) केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला (सीडीडीएल) के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विश्लेषण प्रयोगशाला (पुणे), पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान (कोलकाता), पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान (बेंगलुरू), पशु स्वास्थ्य संस्थान (जालंधर) और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानापाड़ा, (गुवाहाटी) क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। एनआरडीडीएल (जालंधर), एसआरडीडीएल (बेंगलुरू), ईआरडीडीएल (कोलकाता) और सीडीडीएल (इज्जतनगर) स्थित प्रयोगशालाओं को पूर्व–निर्मित बीएसएल–3 प्रयोगशालाओं से सुदृढ़ किया गया है जबकि मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को दी गई है। ये क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (आरडीडीएल) एवियन इन्फ्लुएंजा और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई) सहित विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों की निगरानी और निदान में सहायता करती हैं।

- एनईआरडीडीएल भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों के रेफरल प्रयोगशाला है, जो अफ्रीकी स्वाइन ज्वर और एवियन इन्फ्लूएंजा हेतु लिए गए संदिग्ध नमूनों की जांच के लिए मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला से लैस पशुधन और कुक्कुट के महत्वपूर्ण रोगों के लिए जांच, निदान, निरीक्षण और निगरानी की सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है।
- एनआरडीडीएल, जालंधर ने आईसीएमआर के अनुमोदन के अनुसार कोविड–19 वायरल परीक्षण (आरटी–पीसीआर परीक्षण) प्रयोगशाला की स्थापना की है। एनआरडीडीएल, जालंधर को पशुधन और कुक्कुट पालन के लिए रोग निदान सेवाओं हेतु आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है।
- एसआरडीडीएल, बेंगलुरु नियमित रूप से डब्ल्यूओएएच दिशानिर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के निदान पर प्रयोगशाला अधिकारियों के लिए ''हैंड्स ऑन'' (प्रयोग करके सीखने वाले) प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- डब्ल्यूआरडीडीएल पुणे ने अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (एच5 और एच7) के निदान के लिए अर्ध–मात्रात्मक पोलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) और वास्तविक समय पीसीआर (आरटी–पीसीआर) को मानकीकृत किया।
- ईआरडीडीएल ने एनआईएचएसएडी, भोपाल के एसओपी के अनुसार रियल टाइम पीसीआर द्वारा एलएसडी और एएसएफ परीक्षण शुरू किया। इसके अलावा, ब्रुसेला एसपीपी फील्ड स्ट्रेन बनाम ब्रुसेला एस 19 टीका स्ट्रेन में अंतर हेतु पीसीआर और सिंगल ट्यूब डुप्लेक्स पीसीआर द्वारा गोपशु आहार में बोवाइन एमबीएम मिलावट का पता लगाने को मानकीकृत किया गया है।

- सीडीडीएल (आईवीआरआई) जूनोटिक महत्व के विभिन्न रोगजनकों की हैंडलिंग तथा आणविक और सीरोलॉजिकल परख द्वारा निदान पर विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा में पशु स्वास्थ्य कार्यकलापों में सहायता कर रहा है। नमूनों का परीक्षण लंपी त्वचा रोग, थिलेरिया, एनाप्लाज्मा, खुरपका और मुंहपका रोग, रेबीज, ब्लूटंग वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर, ट्राइकोपीथेलियोमा, एंसाइलोस्टोमा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मायोकार्डिटिस, इंटरस्टीशियल निमोनिया, अफ्रीकी स्वाइन ज्वर, एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों के लिए किया जाता है।

पशु चिकित्सा संस्थानों की राज्यवार सूची https://dahd.nic.in/sites/default/filess/BasicAnimalHusbandryStatistics2023.pdf पर उपलब्ध है। राज्यों में मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं के अलावा, रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और पूरी तरह कार्यात्मक हैं। इसके अलावा, रोगनिरोधी टीकाकरण के माध्यम से प्रमुख पशुधन और पोल्ट्री रोगों के नियंत्रण के लिए, देश में आवश्यक मात्रा में टीकों का उत्पादन किया जाता है।

6.8 'वन हेल्थ' और जूनोसिस नियंत्रण पहल

इस वन हेल्थ अवधारणा की परिकल्पना मानव और पशु स्वास्थ्य (पालतू पशुओं और वन्यजीवों दोनों सहित) और समग्र रूप से पर्यावरण के लिए जोखिमों को समझने और कम करने के लिए की गई है। पशु मूल के रोग जो मनुष्यों में फैल सकते हैं (जूनोटिक रोग) जैसे एवियन इन्फ्लूएंजा, रेबीज, ब्रुसेलोसिस, ग्लैंडर्स, निपाह, आदि लोक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक जोखिम पैदा करते हैं जो वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और मानव व्यवहार में परिवर्तन के साथ बढ़ते हैं, जिससे रोगजनकों को नए क्षेत्रों में प्रवेश करने और नए रूपों में विकसित होने के कई अवसर मिलते हैं। प्रमुख पहलें और कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

6.8.1 रोगाणुरोधी एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर):

प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) पर प्रशिक्षण/कार्यशाला और विभिन्न हितधारकों तथा समुदायों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु रोगाणुराधी जागरूकता सप्ताह जैसे अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- विभाग ने एफएओ द्वारा फार्म स्तर पर रोगाणुरोधी उपयोग (एएमयू) के आकलन के लिए मान्य प्रोटोकॉल के उपयोग पर आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशाला में भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित किया।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 'बहुक्षेत्रीय समन्वय में नेतृत्व को सुदृढ़ करना' पर दक्षिण–पूर्व एशिया हेतु डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूएचओ/एसईएआरओ) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने के लिए विभाग ने अधिकारियों को नामित किया।

6.8.2 पशु महामारी तैयारी पहल (एपीपीआई) का शुभारंभ और विश्व बैंक समर्थित 'वन हेल्थ' हेतु पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (एएचएसएसओएच)

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रुपाला ने दिनांक 14 अप्रैल 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में ''पशु महामारी तैयारी पहल'' और 'वन हेल्थ' हेतु 'पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता' का शुभारंभ किया, ताकि वन हेल्थ दृष्टिकोण के अनुरूप संभावित पशु महामारियों हेतु भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य पशु महामारी के लिए भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाना है, जिसमें जूनोटिक रोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पशु और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह पहल पशु चिकित्सा सेवाओं और अवसंरचना में सुधार, रोग निगरानी क्षमताओं, शीघ्र पहचान और प्रतिक्रिया, पशु स्वास्थ्य व्यवसायियों की क्षमता का निर्माण करने और सामुदायिक पहुँच के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी।

एपीपीआई और एएएचएसएसओएच का शुभारंभ

कार्यक्रम में वन हेल्थ सहायता इकाई का बुलेटिन/प्रकाशन जारी किया गया और एपीपीआई और एएचएसओएच वीडियो लॉन्च किए गए। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूबी, एफएओ, डब्ल्यूओएएच, यूएनईपी), संबंधित मंत्रालयों, आईसीएआर और आईसीएमआर के अनुसंधान संस्थानों के पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य सरकारी हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 प्रमुख हितधारकों की भागीदारी देखी गई।

6.8.3 महामारी निधि अनुदान

7. जी20 महामारी निधि ने पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (डीएएचडी), भारत सरकार द्वारा ''महामारी संबंधी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण'' पर प्रस्तुत 25 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इंडोनेशिया की जी20 अध्यक्षता के तहत स्थापित महामारी निधि निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ करने के लिए महत्वपूर्ण निवेशों का वित्तपोषण करती है।

8. महामारी निधि को पहले प्रयास में लगभग 350 ''रूचि की अभिव्यक्तियां'' (ईओआई) और 180 पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें केवल 338 मिलियन डॉलर के लक्ष्य (एनवलप) के मुकाबले 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक के अनुदान अनुरोध थे। महामारी निधि के गवर्निंग बोर्ड ने दिनांक 20 जुलाई 2023 को छह क्षेत्रों में 37 देशों में भविष्य की महामारियों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से अपने पहले दौर के वित्त पोषण आवंटन के तहत 19 अनुदानों को अनुमोदित किया है।

9. प्रस्ताव के तहत प्रमुख कार्य रोग निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ और एकीकृत करना, प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार करना, अंतर–प्रचालनीय डेटा प्रणालियों में सुधार करना और जोखिम विश्लेषण तथा जोखिम संचार के लिए डेटा एनालिटिक्स हेतु क्षमता निर्माण, सीमा पार पशु रोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना और सीमा पार सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका है। यह परियोजना प्रमुख कार्यान्वयन इकाई के रूप में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से विश्व बैंक और खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के साथ कार्यान्वित की जाएगी।

6.9 आयोजित किए गए प्रमुख कार्यक्रम

6.9.1 एशिया और प्रशांत के लिए डब्ल्यूओएएच (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन

भारत ने दिनांक 13 से 16 नवंबर, 2023 तक होटल ताजमहल, नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत के लिए डब्ल्यूओएएच (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी की। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

दिनांक 13 नवंबर, 2023 को उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री माननीय डॉ एल मुरुगन, सचिव, एएचडी और भारत में डब्ल्यूओएएच प्रतिनिधि, श्रीमती अलका उपाध्याय, महानिदेशक, डब्ल्यूओएएच, पेरिस, डॉ मोनिक एलियट, एशिया और प्रशांत के लिए डब्ल्यूओएएच क्षेत्रीय आयोग के अध्यक्ष डॉ बाओक्सू हुआंग; पशुपालन आयुक्त डॉ. अभिजीत मित्रा, और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए, डब्ल्यूओएएच की क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जापान, डॉ. हिरोफुमी कुगीता, की उपस्थिति में की।

दिनांक 13 नवंबर 2023 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए डब्ल्यूओएएच (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय और डब्ल्यूओएएच में भारतीय प्रतिनिधि को क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

24 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा क्षेत्र में निजी क्षेत्र और निजी पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्वयं उपस्थित होकर भाग लिया तथा साथ ही अन्य लोग वर्चुअल रूप से भी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों और हितधारकों को बर्ड फ्लू/एवियन इन्फ्लूएंजा, रेबीज, एफएमडी (खुरपका और मुँहपका रोग), एएसएफ (अफ्रीकी स्वाइन फीवर), और एलएसडी (लंपी त्वचा रोग) के साथ–साथ जलीय स्वास्थ्य जैसे पशु स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है। व्यापक लक्ष्य इन रोगों की सीमाहीन प्रकृति के कारण एक सहयोगी क्षेत्रीय दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देना था। सम्मेलन ने वैश्विक वन हेल्थ मूवमेंट के साथ संरेखित मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को प्रकाश में लाने की भी मांग की। इसने सूचना साझा करने, बहु–क्षेत्रीय समन्वय, सुदृढ़ नीतिगत ढांचे तथा टीकाकरण और कुशल पशु चिकित्सा कार्यबल सहित निवारक उपायों के लिए समान संसाधन आवंटन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला दिनांक 16 नवंबर 2023 को इस कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की अवधारणा को प्रतिध्वनित किया, जिसका अर्थ है कि दुनिया एक

परिवार है, जो मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व और परस्पर संबंध के महत्व को रेखांकित करती है। उन्होंने आगे कहा कि पशुओं का कल्याण भारतीय संस्कृति और संस्कृति के लोकाचार का अभिन्न अंग है, जो वैश्विक वन हेल्थ मूवमेंट की आधुनिक अवधारणा के साथ मूल रूप से संरेखित होता है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अन्योन्याश्रयता तथा सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर देता है।

माननीय मंत्री, एफएएचडी के साथ एशिया और प्रशांत के लिए डब्ल्यूओएएच (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन के प्रतिभागी

माननीय मंत्री, एफएएचडी की डब्ल्यूओएएच के महानिदेशक साथ द्विपक्षीय बैठक

इंडोनेशिया ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 34वें डब्ल्यूओएएच क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की।

6.9.2 नंदी पोर्टल का शुभारंभ

नई दवा और टीकाकरण प्रणाली पोर्टल के लिए नंदी – एनओसी अनुमोदन माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला द्वारा 26 जून 2023 को कृषि भवन, नई दिल्ली में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, डॉ संजीव कुमार बालियान की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के साथ, डीएएचडी पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों का आकलन और जांच करने के लिए पारदर्शिता के साथ नियामक अनुमोदन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा, जिसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के 'सुगम' पोर्टल के साथ सहज एकीकरण के माध्यम से अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा। यह पहल डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने और पशुधन तथा पशुधन उद्योग की भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से शोधकर्ताओं और उद्योगों को मूल्यवान सहायता भी प्रदान करेगा। पशुपालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और लॉजिस्टिक सुविधाओं में सुधार करने से दवाओं की खपत में वृद्धि होगी। पोर्टल को सी–डैक, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था।

नंदी के शुभारंभ के साथ, डीएएचडी अपने पशु महामारी तैयारी पहल (एपीपीआई) के हिस्से के रूप में निर्धारित पड़ाव प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

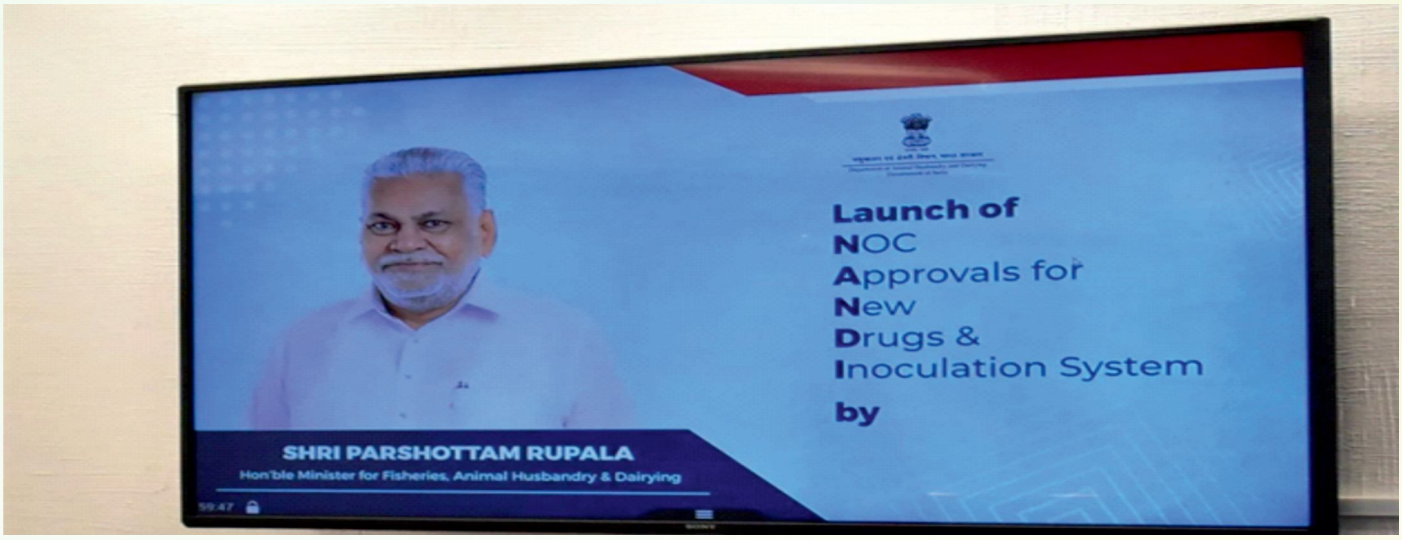

नन्दी पोर्टल का शुभारंभ

6.9.3 पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच)

- विभाग ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और सचिव (एएचडी) के मार्गदर्शन में देश में पशुपालन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर नीतिगत इनपुट के लिए 'पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच)' का गठन किया है। समिति सभी साक्ष्यों और आंकड़ों का आकलन करने और विश्लेषण–आधारित सिफारिशें प्रदान करने के लिए विभाग के लिए 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करती है।
- ईसीएएच के तहत, विनियामक उपसमिति पशु चिकित्सा दवाओं, पशु चिकित्सा टीकों/जैविकों आदि से संबंधित प्रस्ताव की जांच करने और प्रस्तावों पर तकनीकी टिप्पणियां/सलाह देने के लिए समर्पित है। 11वें वर्ष के दौरान, ईसीएएच उपसमिति का गठन 'नीति इनपुट के लिए पशु चिकित्सा टीकों/जैविकों/दवाओं पर आकलन और सिफारिशें प्रदान करने' के लिए किया गया था, और वर्ष के दौरान कुल 154 मुद्दों पर चर्चा की गई।
- ईसीएएच के तहत पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए नैदानिक परीक्षण/क्षेत्रीय परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने के लिए एक उपसमिति गठित की गई थी। समिति ने हितधारकों के परामर्श के बाद दवाओं और टीकों के लिए नैदानिक/क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है, जिन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

6.9.4 पशु स्वास्थ्य सम्मेलन

1. पशुपालन और डेयरी विभाग और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड (आईआईएल) ने संयुक्त रूप से दिनांक 18 दिसंबर 2023 को होटल ताजमहल, नई दिल्ली में नवाचारी टीकों और सटीक परीक्षण के साथ पशु स्वास्थ्य क्षेत्र को आकार देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने ''पशु स्वास्थ्य सम्मेलन'' का उद्घाटन किया, जो पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक टीकों और सटीक निदान की अग्रणी खोज को चिह्नित करता है।

2. सम्मेलन में पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित वक्ताओं और विशेषज्ञों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तकनीकी सत्र इस आयोजन के मुख्य भाग थे, जिसमें

नई टीका तकनीक, टीका निर्माण के डीकार्बोनाइजेशन, वन हेल्थ नजरिये के साथ एएमआर प्रबंधन, रोग निगरानी में एआई अनुप्रयोगों और क्षेत्र तैनाती के लिए निदान के आधुनिक दृष्टिकोणों पर गहन चर्चा शामिल थी।

3. सफलतापूर्वक सम्पन्न यह आयोजन डीएएचडी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राज्य पशुपालन विभाग, टीका निर्माताओं, सीडीएससीओ और एफएओ, यूएनडीपी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाया, जो पशु स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक प्रगतिशील मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। ज्ञान और विचारों का आदान–प्रदान टीका प्रौद्योगिकी, निदान में प्रगति का और पशुओं की समग्र भलाई का वाहक बनता है।

पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

दिनांक 16 नवंबर 2023 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए डब्ल्यूओएएच (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का समापन सत्र

6.9.5 वन्यजीव स्पिलओवर इवेंट्स पर कार्यशाला

पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के साथ साझेदारी में, दिनांक 11 से 12 सितंबर 2023 तक रेडिसन हैदराबाद हाईटेक सिटी, हैदराबाद में 'भारत में वन्यजीवों में स्पिल ओवर इवेंट्स के जोखिम–आधारित प्रबंधन' पर एक बहु–क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

इस आयोजन में छह भारतीय राज्यों, अर्थात् केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले पशुपालन, मानव स्वास्थ्य और वन्यजीव क्षेत्रों के 25 प्रतिभागियों को एक साथ शामिल किया गया। इनके अलावा, आईसीएआर राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान (एनआईवीईडीआई), और सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ आईवीआरआई के 13 विशेषज्ञों ने डब्ल्यूएचओ, एफएओ, यूएसएआईडी राइज और वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट (ओएचएसयू) के पर्यवेक्षकों के साथ भाग लिया।

हैदराबाद में 'भारत में वन्यजीवों में स्पिल ओवर की घटनाओं के जोखिम–आधारित प्रबंधन' पर बहु–क्षेत्रीय कार्यशाला के प्रतिभागी

कार्यशाला में मूलतः वन्यजीवों से होने वाले रोग के जोखिम–विश्लेषण के बारे में हितधारकों के ज्ञान को बढ़ाने, भारत के जोखिम के आकलन और प्रबंधन का गहन विश्लेषण करने, रोग प्रसार के परिदृश्यों का छद्म अभ्यास और संबंधित हितधारकों के बीच संचार और जागरूकता को बढ़ावा देने वाले चार प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला का समापन आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा के साथ हुआ, जिसमें वन हेल्थ दृष्टिकोण, अंतर–क्षेत्रीय सहयोग और महामारी से संबंधित तैयारियों के महत्व पर जोर दिया गया। इस कार्यशाला में डब्ल्यूओएएच और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास, एक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हैं।

6.9.6 भारत ने एपीएचसीए के 44वें व्यावसायिक सत्र और एपीएचसीए के अध्यक्ष के रूप में नामित होकर 82वीं एपीएचसीए कार्यकारी समिति की मेजबानी की

पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 14 और 17 नवंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में एपीएचसीए (एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग) के 44 वें व्यावसायिक सत्र और 82 वीं एपीएचसीए कार्यकारी समिति की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की और उसके साथ–साथ

ही इस दौरान एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय आयोग का 33वां डब्ल्यूओएएच सम्मेलन भी किया।

एपीएचसीए (पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य आयोग) का 44वां व्यावसायिक सत्र नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ

एपीएचसीए की स्थापना वर्ष 1974 में पशु उत्पादन संबंधी 5वें एफएओ क्षेत्रीय सम्मेलन में एफएओ की रूपरेखा के भीतर की गई थी। आयोग ने दिसंबर 1975 में कार्य करना प्रारम्भ किया और आज इसके 18 सदस्य देश हैं। यह सूचना साझा करने, रोग निवारण और नियंत्रण, कृषि उत्पादन के विविधीकरण, मूल्य–श्रृंखला विकास और अन्य संबंधित पहलों के माध्यम से ग्रामीण पशुधन कृषि उत्पादन में सतत सुधार का समर्थन करता है। एपीएचसीए विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर काम करता है। वर्ष 2023–24 के लिए, भारत (पशुपालन आयुक्त) को एपीएचसीए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया उपाध्यक्ष और ईरान, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान सदस्य तथा मलेशिया पदेन सदस्य के रूप में हैं। पशुपालन आयुक्त एपीएचसीए हेतु भारत के प्रतिनिधि हैं।

82वीं एपीएचसीए कार्यकारी समिति की बैठक

6.10 प्रमुख आयोजनों में प्रतिभागिता

6.10.1 विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) का 90वां आम सत्र – दिनांक 21 से 25 मई 2023

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के प्रतिनिधियों की विश्व सभा का 90वां आम सत्र दिनांक 21 से 25 मई 2023 तक पेरिस (फ्रांस) में मैसन डे ला चीमी (Maison de la Chimie) में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष डॉ ह्यूगो फेडेरिको इदोयागा बेनिटेज (पैराग्वे) ने की थी। 141 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से आम सत्र में भाग लिया और 600 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया। तीन गैर–सदस्य देशों या क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों और डब्ल्यूओएएच के साथ समझौते वाले 42 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी व्यक्तिगत रूप से आम सत्र में भाग लिया।

सचिव, पशुपालन और भारत में डब्ल्यूओएएच के प्रतिनिधि तथा पशुपालन आयुक्त ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के प्रतिनिधियों की विश्व सभा के 90 वें आम सत्र में भाग लिया।

पेरिस में डब्ल्यूओएएच के 90वें आम अधिवेशन में नेपाल और भूटान के डब्ल्यूओएएच प्रतिनिधियों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल

राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने नए प्रस्तावों को अपनाया और विगत वर्षों में दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले पशु रोग, एवियन इन्फ्लूएंजा, के वैश्विक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धताएं दिखाईं। एवियन इन्फ्लूएंजा वर्तमान उभरती स्थिति के अनुकूल रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हुए एवियन इन्फ्लुएंजा हेतु जोखिम प्रबंधन विकल्पों का पता लगाने के लिए पहली बार एक समर्पित पशु स्वास्थ्य फोरम का आयोजन किया गया।

आम सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डब्ल्यूओएएच के उप महानिदेशक, डब्ल्यूओएएच और क्षमता निर्माण विभाग के प्रमुख और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकें कीं और क्षमता निर्माण सहित डब्ल्यूओएएच की नई पहलों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, यूएसडीए और न्यूजीलैंड के पशुपालन विभाग के अध्यक्ष और सार्क देशों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ भी अलग से बैठकें आयोजित की गईं।

6.10.2 ढाका, बांग्लादेश में 8वीं सार्क मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों की बैठक

8वीं सार्क मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी फोरम की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी, और इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के सीवीओ के साथ–साथ एफएओ और डब्ल्यूओएएच ने भाग लिया था। भारत के पशुपालन आयुक्त और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) ने 8वीं सार्क मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी फोरम की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान क्षेत्र में सीमापारीय पशु रोगों (टीएडी) की स्थिति पर अपडेट दिए गए और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए जीएफ–टीएडी क्षेत्रीय संचालन समिति (आरएससी) द्वारा विकसित जीएफ–टीएडी क्षेत्रीय रणनीति वर्ष 2023–2027 पर प्रस्तुति दी गई, जो वैश्विक जीएफ–टीएडी रणनीति वर्ष 2021– 2025 के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है। आरएससी की बैठक में क्षेत्र में पांच प्राथमिकता वाले रोगों की पहचान की गई, नामतः, खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी), पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर), अफ्रीकी स्वाइन ज्वर और सूअर के अन्य रोग (सीएसएफ, पीआरआरएस, पीईडी), एवियन इन्फ्लूएंजा (एआई)। भारत में सीमापारीय रोगों की स्थिति और इस तरह के बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा की गई पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई। टीएडी के नियंत्रण और उन्मूलन कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए सुदृढ़ सीमा पार सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने और सार्क उप–क्षेत्र में सदस्यों की सीमा नियंत्रण एजेंसियों को शामिल करते हुए एक नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।

6.10.3 पशु चिकित्सालयों/औषधालायों, कार्यरत एमवीयू, राज्य–वार पशुधन रोग के प्रकोप की स्थितिः पशु चिकित्सालयों/औषधालायों/पशु चिकित्सा सहायता केंद्रों (अनुबंध VII), वर्ष 2023 (जनवरी–दिसंबर, 2023) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित सूचना के अनुसार कार्यरत एमवीयू और राज्य–वार पशुधन रोग के प्रकोप की स्थिति क्रमशः **अनुबंध–X, XI** में है।

*****

अध्याय–7

पशुपालन सांख्यिकी

पशुपालन सांख्यिकी

अध्याय-7

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), पशु और पशुधन से संबंधित नवीनतम और सटीक आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनकी उपलब्धता को बहुत महत्व देता है, क्योंकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं। इस क्षेत्र में और सुधार लाने वाली किसी भी कार्यक्रम की उचित योजना बनाने और उसे तैयार करने के लिए और इसके प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए; पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाएं, संसाधन आवंटन, पशुधन आधारित उद्योग, आहार एवं चारा उत्पादन आदि से लेकर निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर प्रमाणित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। पशुधन संगणना (एलसी) और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) दो प्रमुख स्रोत हैं जिनके माध्यम से पशुपालन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं।

7.1 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस)

डीएएचडी, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) के माध्यम से दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे चार प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) के वार्षिक उत्पादन का अनुमान लगाता है। वार्षिक आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) का अनुमान लगाने के लिए पूरे देश में यह योजना लागू की जाती है, जिसका उपयोग नीति और नियोजन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पात्र पदों के वेतन पर खर्च के लिए राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 50%, 90% और 100% की केंद्रीय सहायता के साथ इस योजना को लागू कर रहे हैं। निम्नलिखित के लिए भी 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है (i) प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित दर पर टीए/डीएय और (ii) आईएसएस पद्धति पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण (iii) और आईटी समाधान। नमूना सर्वेक्षण, सर्वेक्षण वर्ष को 3 मौसमोंय गर्मी, बरसात और सर्दी में बांटकर मार्च से फरवरी तक मौसमी आध ाार किया जाता है। विभाग द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के मौसमी अनुमान संकलित किए गए तथा वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक अनुमान जारी किए गए। तदनुसार, इन अनुमानों को मूल पशुपालन सांख्यिकी (BAHS) के वार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित किया गया। बीएएचएस, 2023 दिनांक 26 नवंबर, 2023 को प्रकाशित हुई थी और इसके प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

7.1.1 दूध उत्पादन

भारत में दूध उत्पादन वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान 5.27% की सीएजीआर से बढ़ा है, जिसने वर्ष 2022–2023 में 230.58 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है।

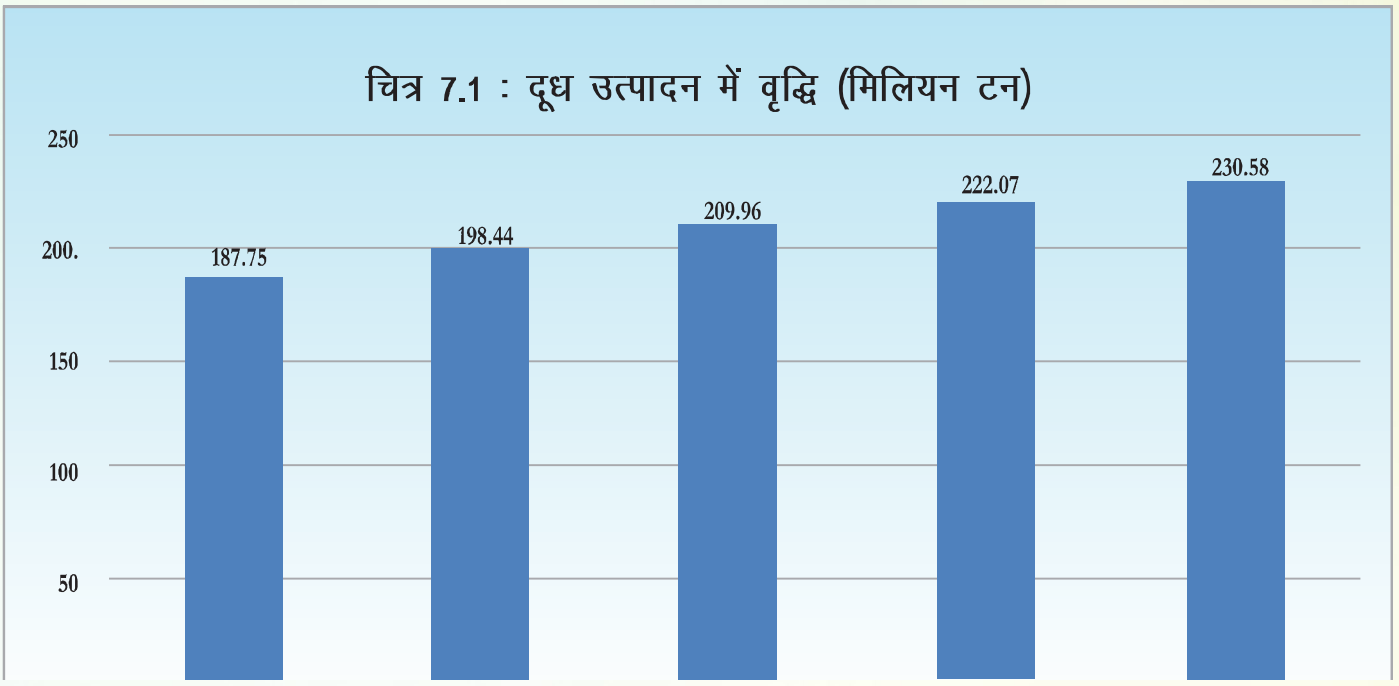

उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य हैं।

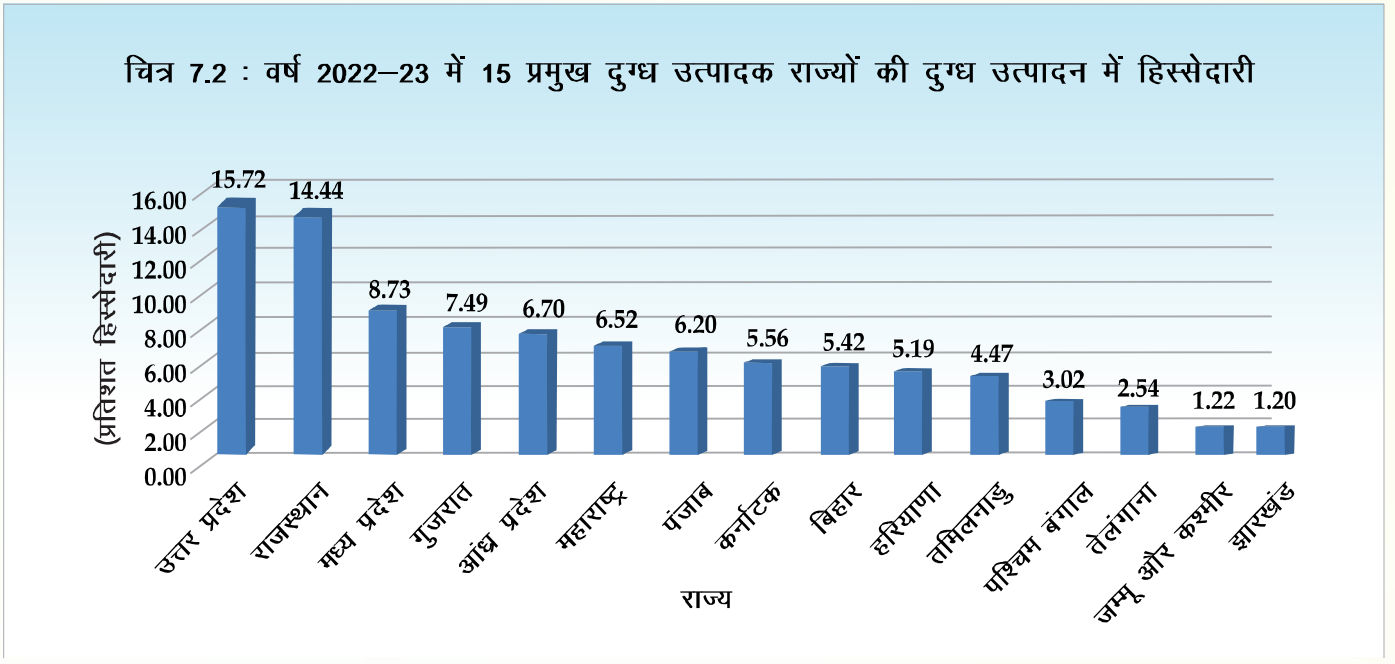

चित्र 1: वर्ष 2022–23 के लिए 15 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों की प्रतिशत हिस्सेदारी

7.1.2 अंडा उत्पादन

भारत में अंडे का उत्पादन वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान 7.45% की सीएजीआर से बढ़ा है, जिसने वर्ष 2022–2023 में 138.38 बिलियन संख्या दर्ज की है।

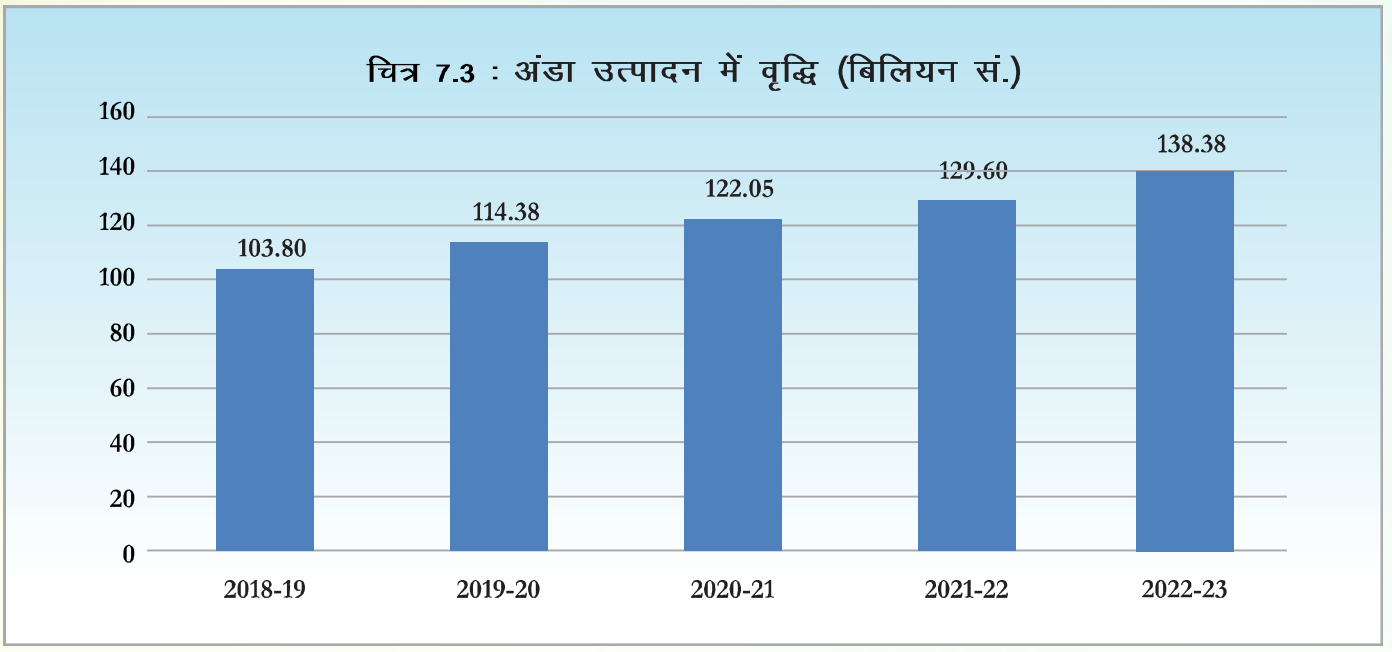

दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में हरियाणा और पश्चिम में महाराष्ट्र शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य हैं।

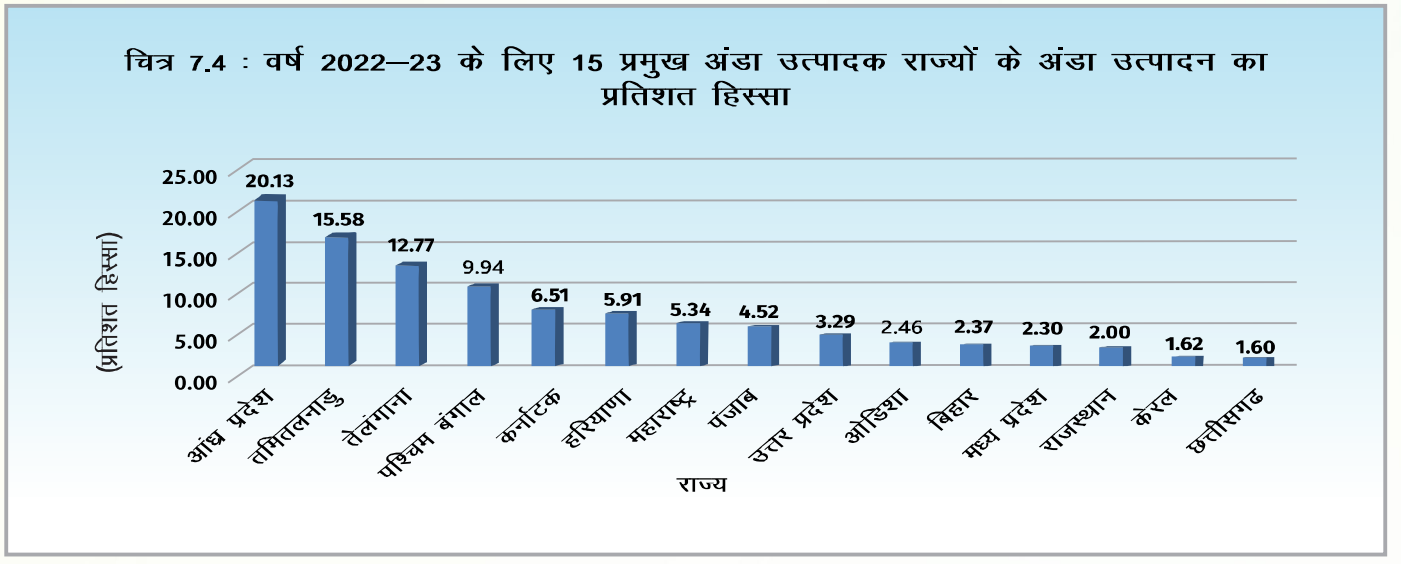

चित्र 2: वर्ष 2022–23 के लिए 15 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्यों की प्रतिशत हिस्सेदारी

7.1.3 मांस उत्पादन

भारत में मांस उत्पादन वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान 4.75% की सीएजीआर से बढ़ा है, जिसने वर्ष 2022–2023 में 9.77 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया है।

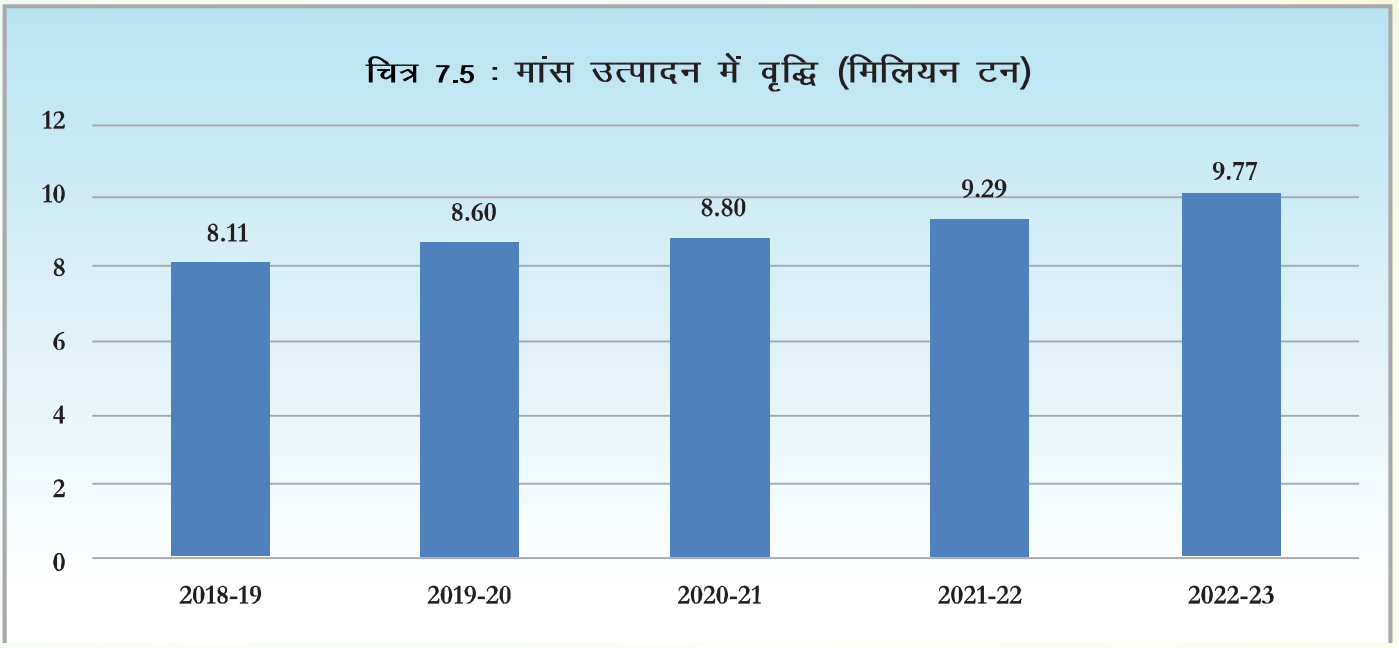

दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम भारत में महाराष्ट्र शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, कर्नाटक और बिहार राज्य हैं।

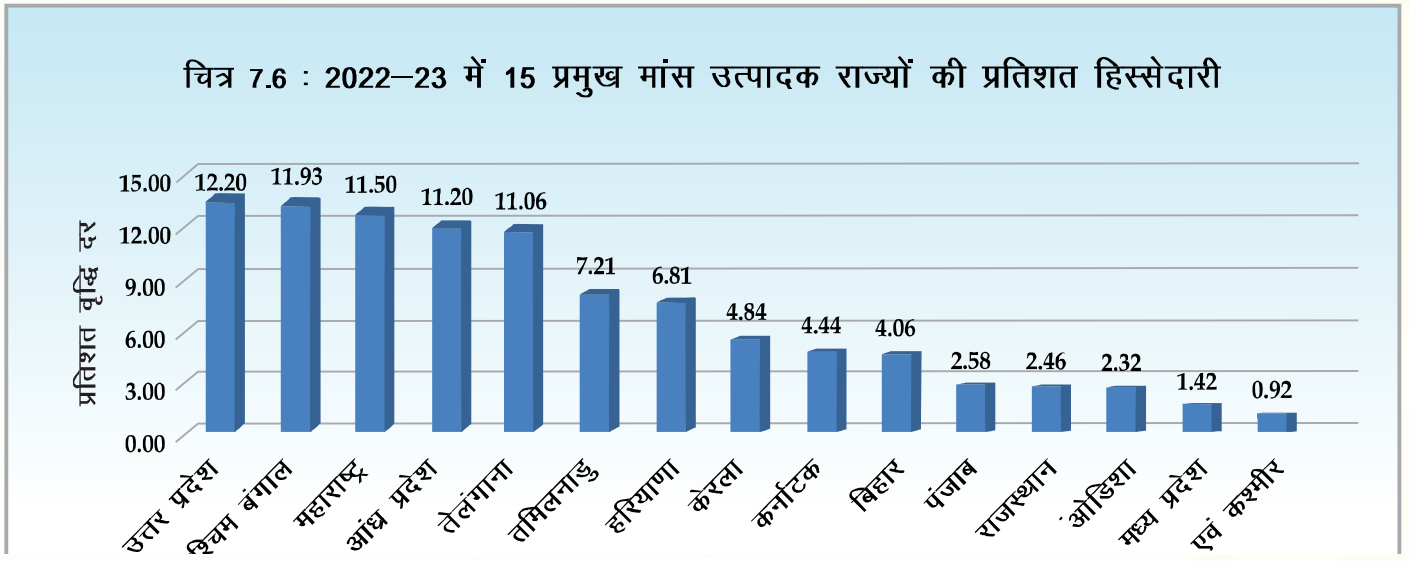

चित्र 3: वर्ष 2022–23 के लिए 15 प्रमुख मांस उत्पादक राज्यों की प्रतिशत हिस्सेदारी

7.1.4 ऊन उत्पादन

भारत में ऊन उत्पादन में वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान 4.50% की सीएजीआर की गिरावट आई है। वर्ष 2022–2023 में 33.61 मिलियन किलोग्राम उत्पादन हुआ है।

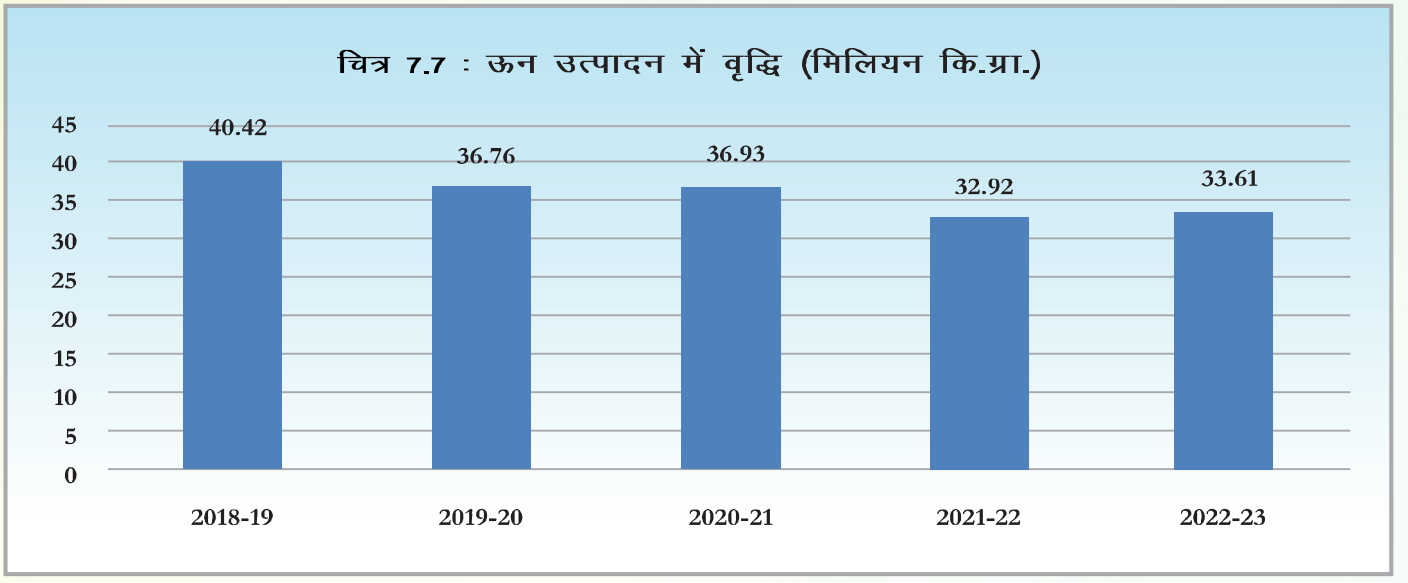

राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब राज्य हैं।

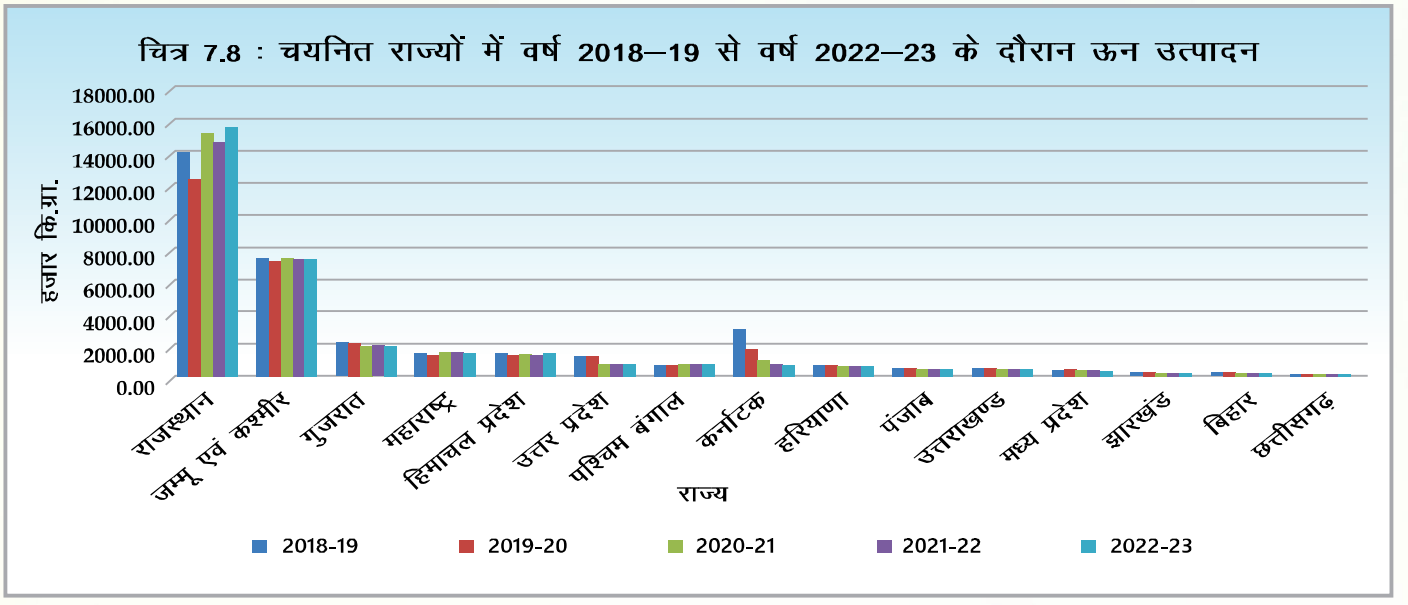

चित्र 4: चयनित राज्यों में वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 के दौरान ऊन उत्पादन

ऊन के उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण सिंथेटिक ऊन के साथ प्रतिस्पर्धा और मांस की बढ़ती मांग है।

बीएएचएस, 2024 को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे अक्टूबर, 2024 तक जारी कर दिया जाएगा।

7.2 पशुधन संगणना

पशुधन संगणना देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में पंचवर्षीय रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी पारिवारिक/गैर–पारिवारिक, उद्यमों और संस्थानों को शामिल किया जाता है। यह एकमात्र स्रोत है, जो पशुओं और पोल्ट्री पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में अलग–अलग जानकारी देता है। 20वीं पशधन संगणना वर्ष 2019 में पूरी हो चुकी है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों ने भागीदारी की थी। पशुधन संगणना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरेलू स्तर तक पशु आबादी, प्रजाति–वार और नस्ल–वार के साथ–साथ आयु, लिंग–संरचना आदि की जानकारी प्रदान करना है। अखिल भारतीय रिपोर्ट अर्थात् '20वीं पशुधन गणना–2019' प्रकाशित की गई है जिसमें पशुधन की प्रजातिवार और राज्यवार संख्या शामिल है और साथ ही पशुधन और पोल्ट्री की नस्लवार रिपोर्ट (20वीं पशुधन संगणना पर आधारित) भी प्रकाशित की गई है।

पशुधन

चित्र 7.9 : पशुधन

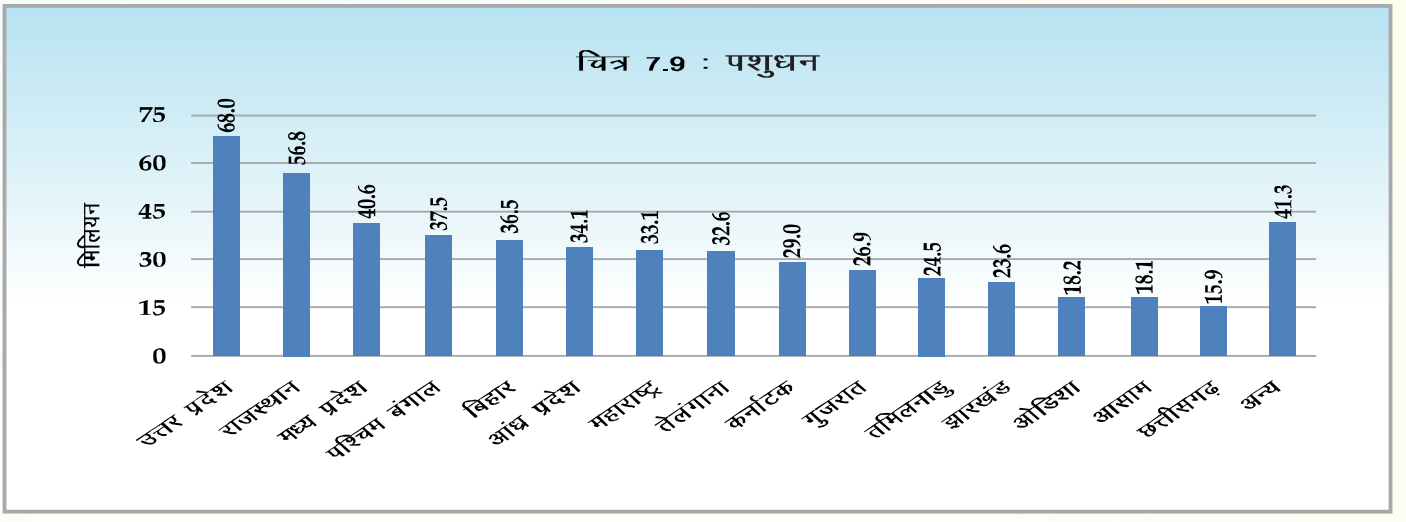

- देश में पशुधन की कुल आबादी 535.78 मिलियन है, जिसमें पशुधन संगणना 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है।
- पिछली संगणना के सापेक्ष भेड़ और बकरी की आबादी की प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि गोपशु, भैंस और सूअर की प्रतिशत हिस्सेदारी में मामूली सी कमी हुई है।

कुक्कुट (पोल्ट्री)

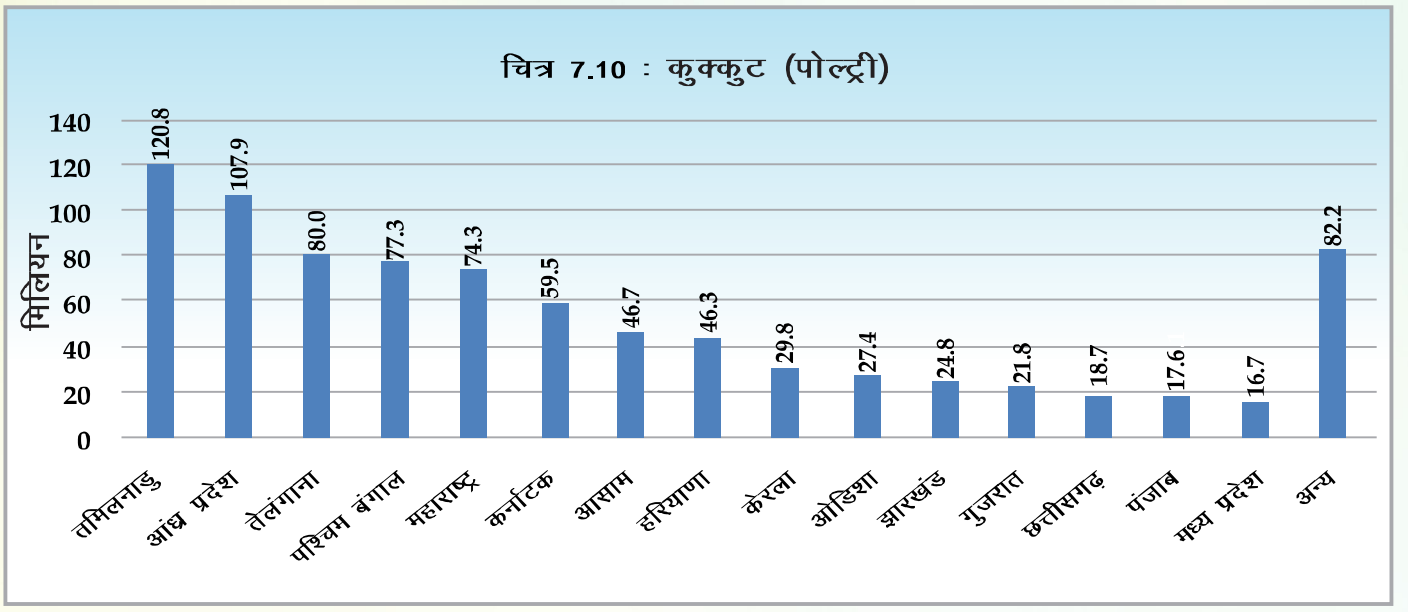

- वर्ष 2019 में कुल पोल्ट्री में 16.81% की वृद्धि हुई है और कुल पोल्ट्री की संख्या 851.81 मिलियन है।
- वर्ष 2019 में घरेलू पोल्ट्री में 45.78% से अधिक की वृद्धि हुई है और कुल घरेलू पोल्ट्री की संख्या 317.07 मिलियन है।
- वाणिज्यिक पोल्ट्री में 4.5% की वृद्धि हुई है और कुल वाणिज्यिक पोल्ट्री की संख्या 534.74 मिलियन है।

गोपशु

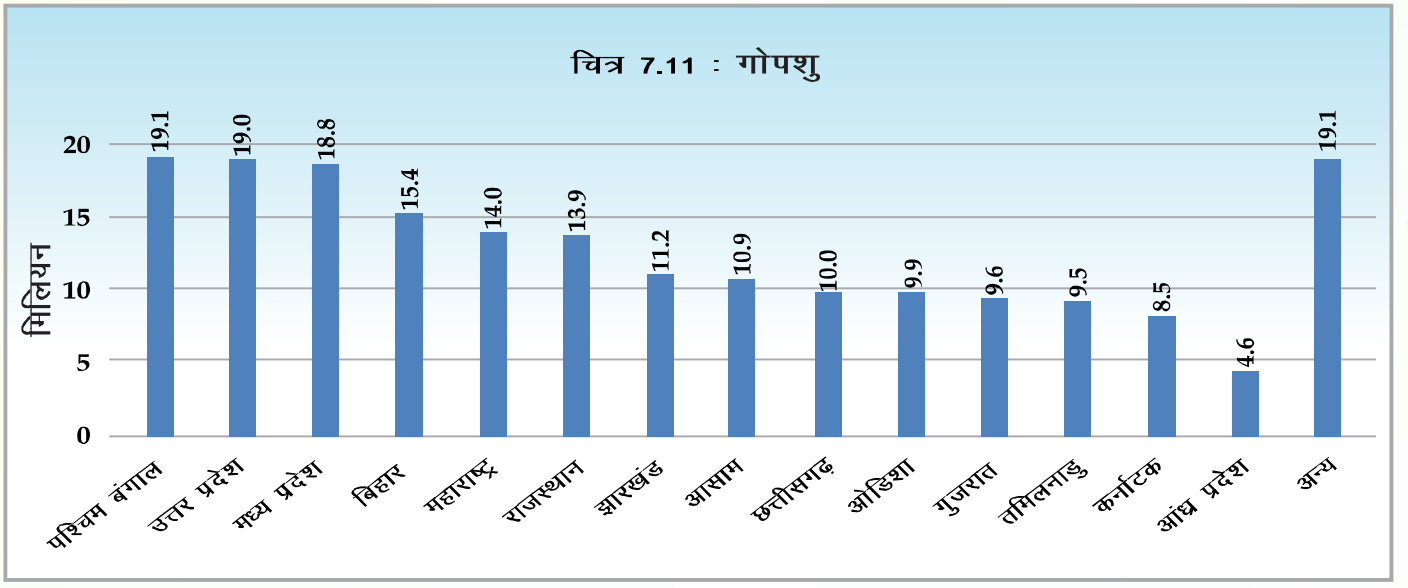

- वर्ष 2019 के दौरान देश में गोपशु की कुल आबादी 192.49 मिलियन है।
- पिछली पशुधन संगणना (2012) की तुलना में गोपशुओं की कुल संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई है।
- पिछली संगणना की तुलना में मादा गोपशुओं की आबादी में 18.0% की वृद्धि हुई है जबकि नर गोपशुओं की आबादी में 30.2% की कमी हुई है।
- कुल पशुओं में लगभग 36% गोपशु हैं।

भैंस

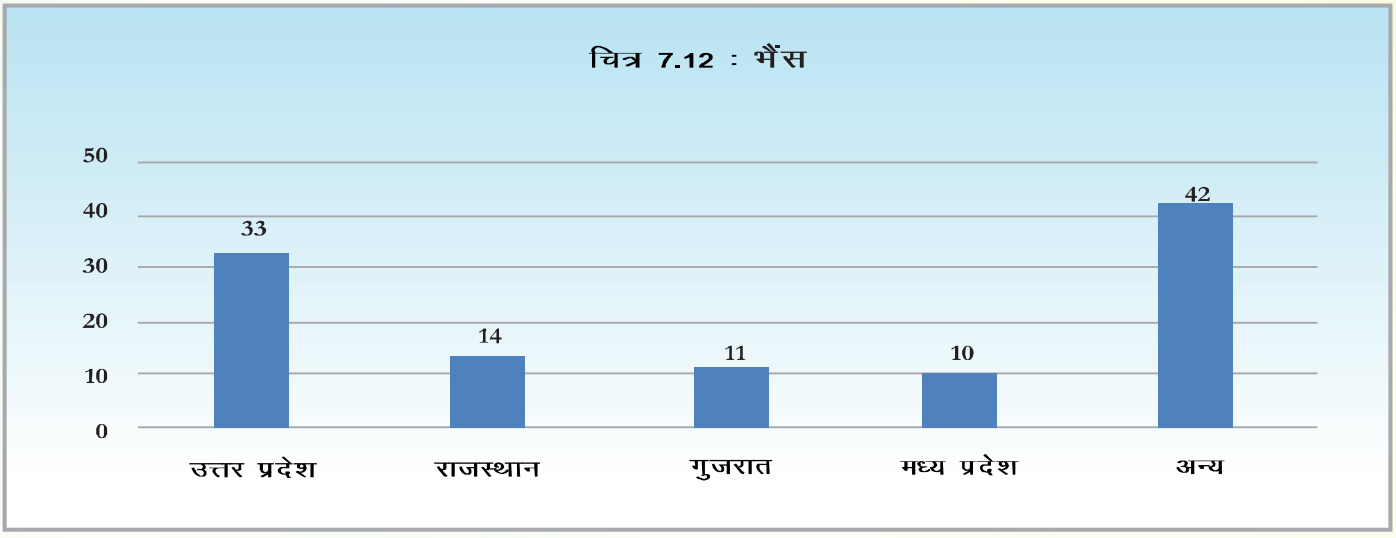

- 2019 के दौरान देश में भैंसों की कुल आबादी 109.85 मिलियन है।
- पिछली पशुधन संगणना (2012) की तुलना में कुल भैंसों की संख्या में 1.1% की वृद्धि हुई है।
- पिछली संगणना की तुलना में मादा भैंसों की आबादी में 8.61% की वृद्धि हुई है जबकि नर भैंसों की संख्या में 42.35% की कमी आई है।
- कुल पशुओं में लगभग 20.5% भैंसें हैं।

बोवाइन पशु

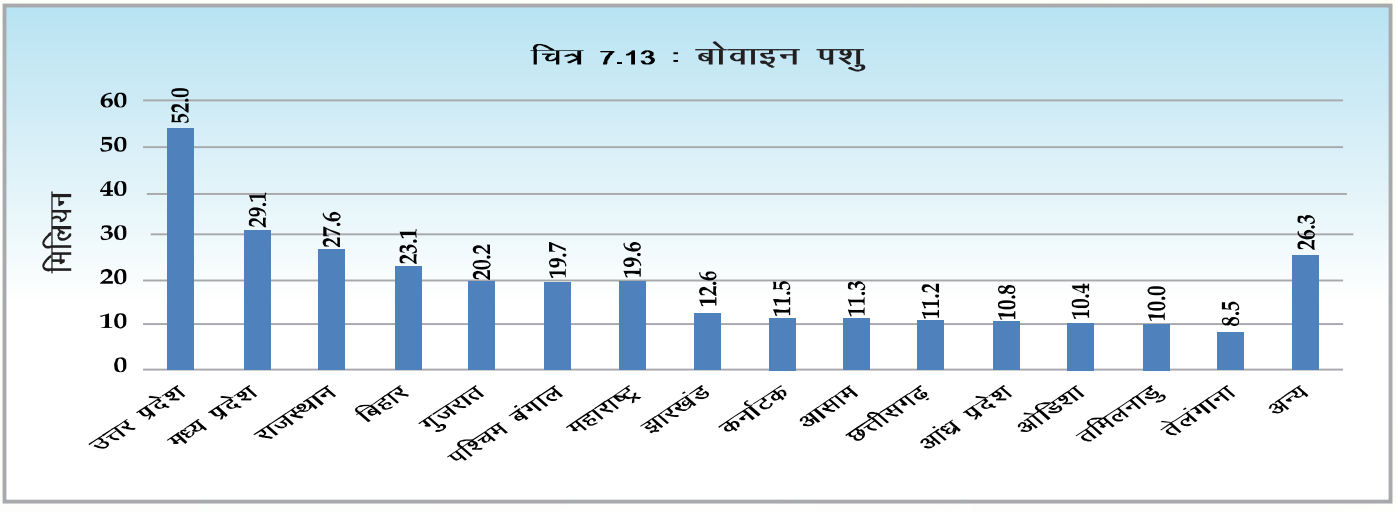

- वर्ष 2019 में कुल बोवाईन आबादी (गोपशु, भैंस, मिथुन और याक) 302.79 मिलियन है, जिसमें पिछली संगणना की तुलना में 1.0% की वृद्धि हुई है।

भेड़

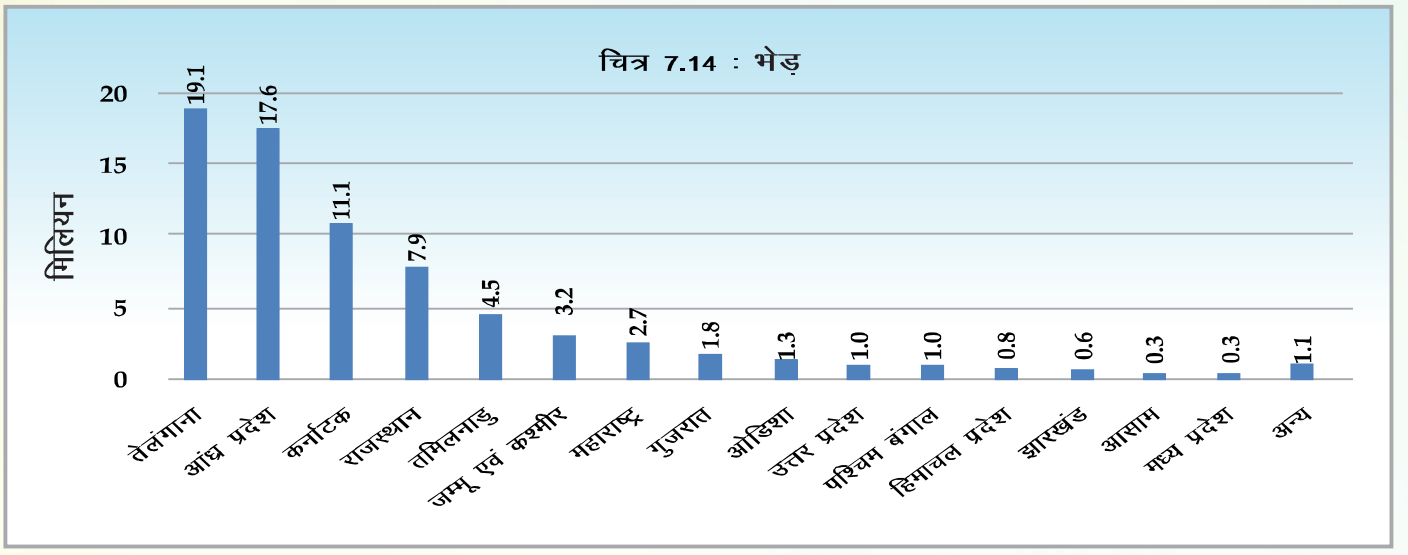

- वर्ष 2019 के दौरान देश में भेड़ों की कुल आबादी 74.26 मिलियन है।
- पिछली पशुधन संगणना (2012) की तुलना में कुल भेड़ों की संख्या में 14.13% की वृद्धि हुई है।
- कुल पशुओं में भेड़ों की संख्या लगभग 13.8% है।

बकरी

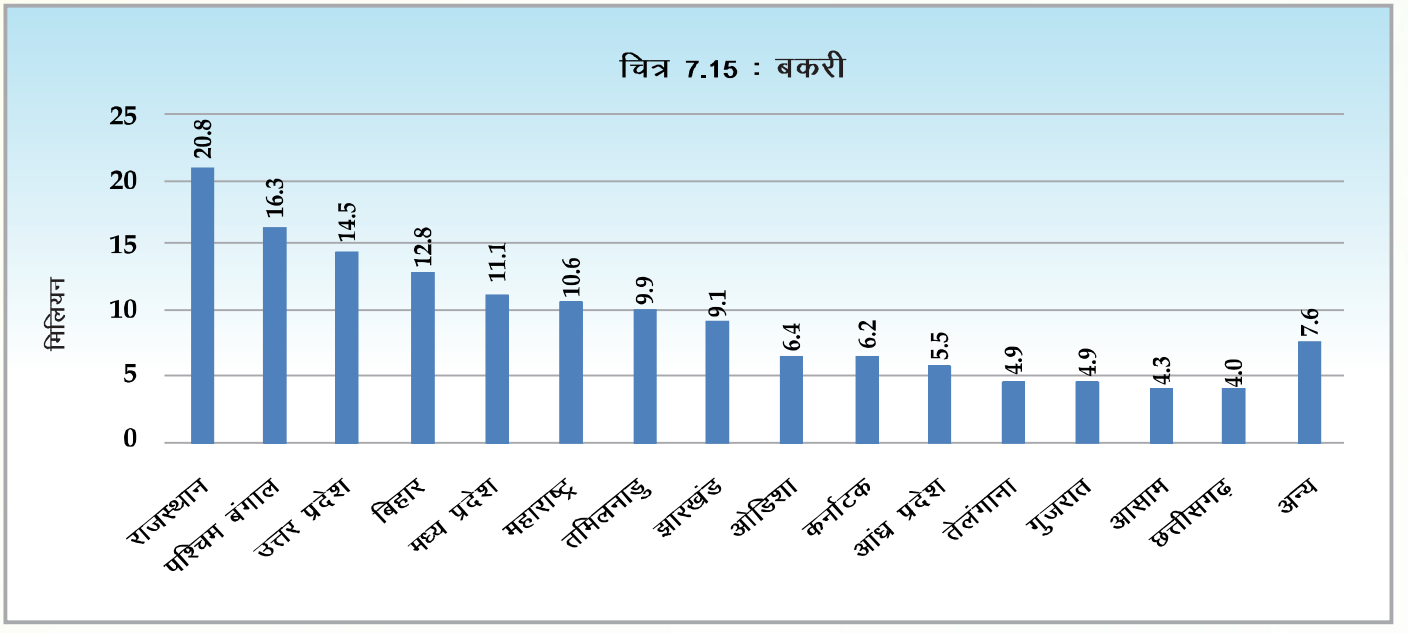

- वर्ष 2019 के दौरान देश में बकरियों की कुल आबादी 148.88 मिलियन है।
- पिछली पशुधन संगणना (2012) की तुलना में कुल बकरियों की संख्या में 10.14% की वृद्धि हुई है।
- कुल पशुओं में लगभग 27.8% बकरियां हैं।

घोड़े और टट्टू

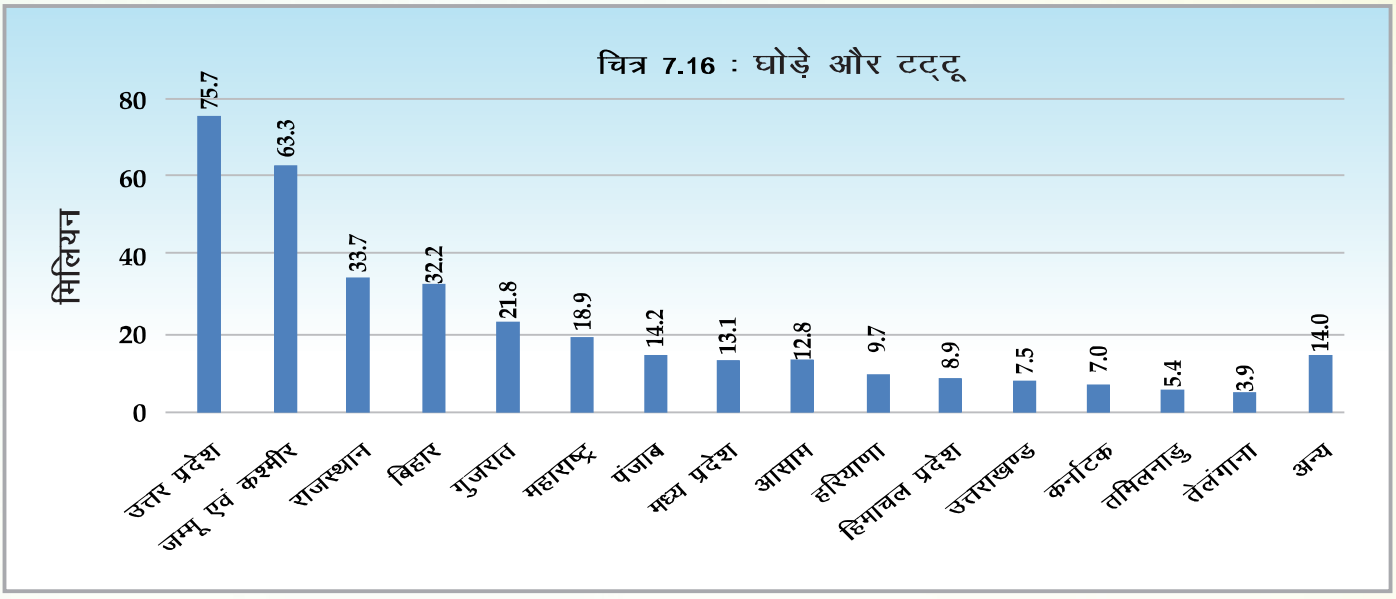

- वर्ष 2019 के दौरान देश में घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों और गधों की कुल आबादी 0.55 मिलियन है।
- घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों और गधों की कुल आबादी में पिछली पशुधन संगणना (2012) की तुलना में 51.9% की कमी आई है।

7.2.1 नस्ल–वार रिपोर्ट

20वीं पशुधन संगणना के आधार पर, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) द्वारा मान्यता प्राप्त नस्लों के अनुसार 19 चयनित प्रजातियों की 184 देशी/विदेशी नस्लों को शामिल करते हुए एक विस्तृत नस्ल रिपोर्ट भी जारी की गई। यह रिपोर्ट देशी गोपशुओं, देशी भैंसों, भेड़ों, बकरियों, सूअर आदि जैसे नस्ल–वार पशुओं की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। पशुधन संगणना देश में पशु नस्ल विविधता की निगरानी में मदद करती है। वर्ष 2012 से, डीएएचडी देश भर में आईसीएआर–एनबीएजीआर द्वारा पंजीकृत सभी देशी नस्लों से संबंधित नस्ल–वार पशुधन संगणना कर रहा है।

नस्ल निगरानी सूची 2022

विभाग द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित 20वीं संगणना की नस्ल–वार रिपोर्ट के आधार पर, एनबीएजीआर ने देशी नस्लों की जोखिम स्थिति का आकलन करने के लिए 'नस्ल निगरानी सूची 2022' तैयार की। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न जोखिम स्थितियों के रूप में कुल 38 नस्लों की पहचान की गई, जिसमें 14 नस्लें 'अतिसंवेदनशील', 19 नस्लें 'लुप्तप्राय' और 5 नस्लें 'गंभीर' श्रेणी के तहत पहचानी गईं और निगरानी सूची में सूचीबद्ध की गईं।

20वीं पशुधन संगणना के परिणाम के रूप में, नस्ल निगरानी सूची, नीतिगत इनपुट के रूप में नस्लों के संरक्षण और विकास को प्राथमिकता देने के लिए

महत्वपूर्ण है। पालतू पशुओं के राष्ट्रीय भंडार के रूप में आईसीएआर–एनबीएजीआर ने मध्यम और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए अपने राष्ट्रीय जीन बैंक में 26 संकटग्रस्त नस्लों के जर्मप्लाज्म (वीर्य/दैहिक कोशिकाओं) को क्रायोप्रिजर्व किया है। संकटग्रस्त देशी नस्लों की पहचान करने से देश के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के राष्ट्रीय संकेतक का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा।

7.2.3 21वीं पशुधन संगणना:

21वीं पशुधन संगणना सितंबर–दिसंबर, 2024 के दौरान आयोजित की जाएगी। संगणना देश भर के सभी गांवों और शहरी वार्डों में की जाएगी। परिवारों, पारिवारिक उद्यमों और गैर–पारिवारिक उद्यमों तथा संस्थानों के पास मौजूद पोल्ट्री पक्षियों (फाउल, बत्तख और अन्य पोल्ट्री पक्षी) सहित 16 प्रजातियों (गोपशु, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, ऊंट, कुत्ता, खरगोश और हाथी) की साईट पर गणना की जाएगी।

*****

अध्याय–8

व्यापारिक मामले

व्यापारिक मामले

अध्याय-8

8.1 प्रस्तावना

8.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों से मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) हटाए जाने के बाद इस विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया है ताकि पशुधन उत्पादों की आयात प्रक्रिया को विनियंत्रित करने के लिए सभी पशुधन उत्पादों को उसके कार्य क्षेत्र में लाया जा सके। तद्नुसार, पशुधन उत्पाद के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655(अ), मात्स्यिकी उत्पादों के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 1043(अ) और कुक्कुट के मूल जनक स्टॉक के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2001 की संख्या 1175(अ) जारी की गई थी जिसमें पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट को अनिवार्य बना दिया गया था। दिनांक 28.03.2008 को अधिसूचना संख्या 794(अ) के जरिए, विभाग ने दिनांक 07.07.2001 की अधिसूचना संख्या 655(अ) में और आगे संशोधन किया जिसमें इसने पशुधन उत्पादों को स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) की आवश्यकता वाले, पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर छोड़े जा सकने वाले और ऐसे उत्पाद जिनके लिए स्वच्छता आयात परमिट या अनापत्ति दोनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, के रूप में वर्गीकृत किया है।

8.1.2 वर्ष 2014 में दिनांक 07.07.2001 की प्रधान अधिसूचना का.आ. 655(अ) के अधिक्रमण में धारा 2(घ) के तहत पशुधन उत्पादों को सूचीबद्ध करते हुए और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3(क) के तहत पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया के लिए एक समेकित अधिसूचना का.आ. 2666(अ) दिनांक 17.10.2014 जारी की गयी थी। निर्यातक देश में रोग की स्थिति के साथ–साथ इस देश में रोग की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद ही स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी किया जाता है।

8.1.3 इसके अलावा, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत का.आ. 1495(अ) और 1496(अ) दिनांक 11 जून, 2014 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें विभाग ने धारा 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात और संगरोध के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2(घ) के अनुसार पशुओं की संख्या के लिए "पशुधन" की व्याख्या को आगे विस्तृत किया गया है।

8.1.4 आयात प्रक्रिया: विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट (एसआईपी) जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में एक जोखिम विश्लेषण समिति गठित की गई है जिसमें सभी संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में शामिल हैं। दिनांक 17.10.2014 के का.आ. 2666(अ) की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन के बाद, एसआईपी आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और पशुधन उत्पादों के आयात के विभिन्न क्रियाकलापों में लगी हुई विभिन्न फर्मों/संगठनों को स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी करने के लिए विभाग ने साईट

https://sip.nic.in प्रारंभ की है। स्वच्छता आवश्यकताओं के संबंध में संगत सूचना सहित ऑनलाइन एसआईपी आवेदन करने की प्रकिया विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर भी उपलब्ध है। प्राप्त एसआईपी आवेदनों की जांच–पड़ताल की जाती है और विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य और ओ.आई.ई. विनियमों के आधार पर जोखिम विश्लेषण किया जाता है। जोखिम विश्लेषण समिति आवेदन को नामंजूर करने अथवा जारी करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार करती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की कुल 41 बैठकें आयोजित की गई हैं। विभाग के व्यापार यूनिट ने विभिन्न फर्मों/संगठनों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 3744 स्वच्छता आयात परमिट जारी किए हैं ताकि वे मात्स्यिकी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों का आयात करने में सक्षम हो सकें। वर्ष 2023–24 के लिए सभी एक्यूसीएस केन्द्रों से पशधन एवं पशुधन उत्पादों के आयातधनिर्यात की रिपोर्ट **अनुबंध–XII** में दी गई है।

8.1.5 विभाग पशुधन तथा पशुधन उत्पादों से संबद्ध पण्यों तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से प्राप्त प्रतिबंधित श्रेणी के पशुधन एवं पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर विभाग के विचार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को सूचित किए जाते हैं जिससे व्यापार एवं निवेश मामलों से संबधित समिति द्वारा इस पर विचार किए जाने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों के पक्ष में आवश्यक आयात लाइसेंस जारी किए जा सकें। व्यापार एवं निवेश मामलों से संबंधित समिति की संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में बैठक होती है जिसमें सभी संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में मौजूद रहते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, उक्त समिति की 41 बैठकें आयोजित हुई थीं तथा विभिन्न राज्य सरकारों के अलावा विभिन्न फर्मों/संगठनों के पक्ष में 797 सिफ़ारिशें जारी की गईं।

8.1.6 वित्तीय वर्ष के दौरान, ''व्यापार करने में आसानी''के लिए तेजी से आगे बढ़ने हेतु निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत पहलें की गई हैंय

1) पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं– आयात अनापत्ति प्रणाली (AQCS&ICS) शुरू की गई है और आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के लिए एक्यूसीएस से एनओसी जारी करने के लिए पूरे देश में आयातकों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

2) पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा, बंगलुरु में पशु संगरोध सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जीवित पशुओं (घोड़ों) का सफलतापूर्वक क्वारंटाइन किया गया है।

3) पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं की आयातित खेपों (consignments) की निकासी के लिए जोखिम–आधारित चयनात्मकता को सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप लागू किया गया है।

*****

अध्याय–9

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

अध्याय-9

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

9.1 विभाग विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए राज्य सरकारों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। अधिकांश योजनाएं प्रत्यक्ष तौर पर लाभार्थी उन्मुख नहीं हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों तथा महिलाओं सहित देश की बड़ी आबादी पशुधन क्षेत्रों के कार्यकलापों से जुड़ी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, इस विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं समाज के इन वर्गों को लाभान्वित करती हैं। तथापि, विभाग अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति से संबन्धित लाभार्थियों तथा महिलाओं का रिकार्ड नहीं रख रहा है। योजनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें/कार्यान्वयन एजेंसियां भी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं रख रही हैं।

9.2 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के तहत 16.6% निधियों के निर्धारण के संबंध में योजना आयोग के दिनांक 15.12.2010 के अ.शा. पत्र सं. एन 11016/12(1)/2009-पीसी के द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, इस विभाग ने एससीएसपी घटक के तहत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान (बीई) स्तर पर 616.62 करोड़ रु. निर्धारित किए थे जिसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर घटाकर 453.51 करोड़ रूपए कर दिया गया था। इसकी तुलना में, वर्ष 2022-23 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 312.05 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, इस विभाग ने बजट अनुमान (बीई) स्तर पर 699.07 करोड़ रु. निर्धारित किए थे जिसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर घटाकर 528.42 करोड़ रूपए कर दिया गया है। जिसमें से, वर्ष 2023-24 में एससीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 408.96 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

9.3 टीएसपी घटक के तहत, विभाग ने वर्ष 2022-23 में विभिन्न योजनाओ/कार्यक्रमों के तहत बजट अनुमान (बीई) स्तर पर 327.20 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे जिसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर घटाकर 244.40 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसकी तुलना में, वर्ष 2022-23 में 166.48 करोड़ रुपए व्यय हुये थे। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने बजट अनुमान (बीई) स्तर पर 376.92 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे जिसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर घटाकर 268.69 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जिसमें से, वर्ष 2023-24 में टीएसपी घटक के तहत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 209.16 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

*****

अध्याय–10

महिलाओं का सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण

अध्याय-10

10.1 पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में महिलाएं

10.1.1 डेयरी क्षेत्र में महिलाएं

भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और डेयरी में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। वे अधिकांश डेयरी कार्यकलापों जैसे चारा संग्रह, पशुओं को चारा खिलाना, सफाई करना, दूध दुहना, पानी पिलाना, प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, घरेलू स्तर पर दूध का प्रसंस्करण और उसके विपणन की देखभाल करती हैं। डेयरी उद्योग को हमेशा एक ऐसा कार्यकलाप माना जाता है जो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में योगदान कर सकता है, विशेष रूप से सूखा–प्रवण और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में। अन्य क्षेत्रों की तुलना में, पशुधन और पशुपालन क्षेत्र में लैंगिक समानता अधिक स्पष्ट है, जहां महिलाएं कार्यबल का लगभग 69 प्रतिशत हैं।

पशुपालन में लगभग 70 प्रतिशत श्रम शक्ति महिलाओं की हैं। मार्च 2021 तक, देश भर में डेयरी सहकारी समितियों में महिला सदस्यों की कुल संख्या 5.41 मिलियन थी, जो कुल सदस्यता का लगभग 30 प्रतिशत थी। डेयरी सहकारी व्यवसाय और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश में डेयरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को डेयरी सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति तथा दुग्ध संघों के बोर्डों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दो दुग्ध संघ, पश्चिम बंगाल में इच्छामती सहकारी दुग्ध संघ और आंध्र प्रदेश में पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त मुलुकनूर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ महिलाओं द्वारा प्रबंधित और शासित सम्पूर्ण महिला सहकारी डेयरियों के रूप में विकसित हुये हैं। एनडीडीबी (एनडीएस के माध्यम से) द्वारा सहायता प्राप्त 22 दुग्ध उत्पादक संगठनों (एमपीओ) में से, 15 की सदस्य पूर्ण रूप से महिलाएं हैं और उनके संबंधित बोर्डों में सभी उत्पादक निदेशक महिला डेयरी किसान हैं। कुल मिलाकर, इन एमपीओ के पास 22,277 गांवों में 8.7 लाख डेयरी किसान उत्पादक सदस्य हैं। इन उत्पादकों में 71 प्रतिशत महिलाएं हैं और 65 प्रतिशत लघु धारक दूध उत्पादक हैं।

विभाग ने निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से डेयरी उत्पादक सदस्यों को सहायता प्रदान की:

i. राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण–I (NDP&I): एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) थी जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से मार्च 2012 से नवंबर 2019 के दौरान 18 प्रमुख डेयरी उत्पादक राज्यों में 2242 करोड़ रुपये के परिव्यय से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि करना और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को संगठित दूध प्रसंस्करण क्षेत्र तक अधिक पहुंच प्रदान करने में मदद करना था। इस योजना के तहत, 16.8 लाख से अधिक अतिरिक्त नामांकित दुग्ध उत्पादकों को बाजार पहुंच प्रदान की गई है, जिनमें से 7.65 लाख महिला सदस्य हैं।

ii. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस): डीईडीएस को सितंबर, 2010 से मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से लागू किया गया था। कार्यक्रम के तहत, योजना के मानदंडों (सामान्य के लिए 25% और एससी/एसटी के लिए 33.33%) के अनुसार, बैंकग्राह्य परियोजनाओं के तहत पात्र अंतिम उधारकर्ताओं को बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई थी। इस

योजना के तहत, 112733 महिला लाभार्थियों को लगभग 445.27 करोड़ रुपये की बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई।

iii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ): इस योजना में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को पात्र घटकों पर ऋण के लिए 2.5% प्रति वर्ष तक ब्याज सबवेंशन के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। नाबार्ड के अलावा, एनडीडीबी को अपने संसाधनों से सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों को सीधे ऋण प्रदान करने की भी अनुमति दी गई थी। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 01.02.2024 की अपनी बैठक में इस योजना का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) में विलय कर दिया है। डीआईडीएफ के तहत, उत्पादक सदस्यों को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान नहीं किया गया था। हालांकि, 1275110 महिला उत्पादकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ था।

विभाग निम्नलिखित के द्वारा महिलाओं के बेहतर समावेशन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा:

- नई महिला डेयरी सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना
- मौजूदा और नई डेयरी सहकारी समितियों में महिला सदस्यों के नामांकन में सुधार करना
- समितियों द्वारा प्रबंधन समितियों और दुग्ध संघों के बोर्डों में सदस्यों के रूप में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना।
- क्षेत्र कार्यकर्ताओं के रूप में अधिक महिलाओं को शामिल करना।
- सभी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में लैंगिक एकीकरण
- महिला लाभार्थियों को सीधे सलाहकार सेवाएं प्रदान करना

हाल ही में, आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में, दिनांक 20 जुलाई, 2023 को आणंद, गुजरात में W20 के तहत डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से जन भागीदारी–महिलाओं के नेतृत्व में धारणीय विकास पर एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम में डेयरी क्षेत्र के सम्मानित मेहमानों, विशेषज्ञों और महिला नेताओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। इस कार्यक्रम में डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, महत्व और योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में नई ए–हेल्प (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) पहल, जिसमें स्थानीय पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु मालिकों के बीच के अंतराल को कम करते हुये समुदाय–आधारित महिला कार्यकर्ताएं शामिल हैं और वन हेल्थ अवधारणा के महत्व और रोगों की रोकथाम के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

10.2 ए–हेल्प परियोजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) मंच का लाभ उठाने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) और ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी), भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने दिनांक 01 सितंबर, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ''ए–हेल्प'' (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) नामक एक नए मान्यता प्राप्त मॉडल के माध्यम से पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों की सेवाओं का लाभ उठाएगा।

इस मॉडल को ए–हेल्प कार्यकर्ता के रूप में आगे प्रशिक्षण और मान्यता प्रदान करके पशुधन (पशुसखियों) के लिए डीएवाई–एनआरएलएम के तहत विकसित मौजूदा कैडर का उपयोग करके पूरे देश में लागू किया जाएगा। चयनित पशुसखियों या एसएचजी सदस्य को पशु कल्याण, वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य के लिए कुशल और प्रशिक्षित किया जाएगा।

गांव या पंचायत स्तर पर, ए–हेल्प स्थानीय पशुधन संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करेगा और पशुधन किसानों तथा पशु चिकित्सा सेवाओं के बीच एक संपर्क बिंदु होगा। ए–हेल्प कार्यकर्ता, उस गांव की पशुधन आबादी की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता के लिए प्रथम सहायता केंद्र होंगे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

ए–हेल्प कार्यक्रम का अर्थ है महिला सशक्तिकरण। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण जैसे कौशल वृद्धि, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, प्रत्यायन स्थिति के माध्यम से अधिक सामाजिक मान्यता, ए–हेल्प संबंधी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निष्पादित करके अतिरिक्त आय प्राप्त करने के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और किसानों के द्वार पर स्थानीय संसाधन व्यक्तियों (एलआरपी) के रूप में सामाजिक सशक्तिकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने फील्ड प्रचालनों के दौरान अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध कराकर भी सहायता प्रदान की जा रही है।

''पशुधन क्षेत्र के लिए आशा कार्यकर्ता'' की नई अवधारणा है, जो अपने स्थानीय समुदाय के लिए एक परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य करेगी। यह कार्यक्रम वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, और तब से कार्यक्रम को 14 राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है और अन्य राज्यों में भी शुरू किया गया है।

10.3 महिला उद्यमिता विकास

10.3.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने 293 महिला उद्यमिता प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों में से ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 17 उद्यमिता प्रस्ताव, भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 243 उद्यमिता प्रस्ताव, सुअर प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 27 उद्यमिता प्रस्ताव, 06 प्रस्ताव आहार एवं चारा इकाइयों की स्थापना के लिए हैं। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 11034.16 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी सहित 23975.40 लाख रुपये है।

क. एनएलएम–ईडीपी योजना के अंतर्गत ग्रामीण पोल्ट्री फार्म की स्थापना– समराला शनुषा, आंध्र प्रदेश

पोल्ट्री पालन की दुनिया में समराला शानुषा की यात्रा चार साल पहले शुरू हुई जब उन्होंने अपना खुद का घरेलू पोल्ट्री फार्म स्थापित किया। कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों की तरह, उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का सपना देखा लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालाँकि, उनके जीवन में तब एक परिवर्तनकारी मोड़ आया जब उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना के बारे में पता चला, जिसे उनके जैसे व्यक्तियों को अपने उद्यमों को विकसित करने का प्रयास करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था।

एनएलएम योजना के सहयोग से, शनुषा की आकांक्षाएं साकार हुईं। उन्हें मिलने वाली सब्सिडी एक व्यापक पोल्ट्री इकाई स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार की ग्रामप्रिया और असील नस्लें शामिल थीं। शनुषा की सफलता की कहानी 100 चूजों की बिक्री के साथ शुरू हुई। एनएलएम योजना द्वारा प्रदान की गई 12,500,000 रुपये की पर्याप्त सब्सिडी ने शानुषा की उद्यमशीलता की सफलता

की नींव के रूप में कार्य किया। योजना के कारण बढ़ी हुई पूंजी और अमूल्य समर्थन से, वे अपने स्थानीय समुदाय के सदस्यों को रोजगार देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने लगीं।

एनएलएम योजना से पहले, बैंकों से ऋण हासिल करना शनुषा के लिए एक कठिन चुनौती थी। हालांकि, योजना के समर्थन से, उनके अंदर बैंक से संपर्क करके अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। यह इस बात का प्रमाण था कि एनएलएम जैसी सरकारी पहल किस प्रकार व्यक्तियों को उनकी वित्तीय बाधाओं को दूर करने और उनकी उद्यमशीलता क्षमता का एहसास करने के लिए सशक्त बना सकती है।

शनुषा का पोल्ट्री फार्म न केवल फल–फूल रहा है, बल्कि उनके गांव में प्रेरणा का एक स्रोत भी बन गया है, जो युवाओं को उद्यमिता को अपनाने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। शनुषा का अगला महत्वाकांक्षी कदम अपने चूजों को बेचने के लिए दुकानें खोलकर अपने व्यवसाय का विस्तार करना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना ने शनुषा के जीवन को एक प्रकार से बदल कर रख दिया है और उन्हें अपने उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान किए हैं। उनकी यह यात्रा स्थायी आजीविका सृजित करने और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने की योजना की क्षमता का एक उदाहरण है, जो एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।

ग्रामीण पोल्ट्री नस्ल फार्म के तहत उद्यमिता विकास के हिस्से के रूप में, आंध्र प्रदेश में महिला उद्यमी द्वारा 1100 पक्षियों वाले एक ग्रामीण पोल्ट्री फार्म की स्थापना की गई है।

ख. एनएलएम–ईडीपी योजना के तहत साइलेज बनाने की इकाई की स्थापना– कंचन वर्मा

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की एक दृढ़ निश्चयी महिला कंचन वर्मा ने पारंपरिक मानदंडों को तोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में कदम रखा और कृषि क्षेत्र में एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई। कंचन की शादी एक किसान परिवार में हुई थी जहां उन्होंने कृषि पद्धतियों के बारे में जाना। हालांकि, बाधाओं को तोड़ने और आत्मनिर्भर बनने की उनकी भावना ने उन्हें सीखने और कौशल ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि एक महिला किसान के रूप में, उन्हें किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें ट्रैक्टर चलाने में महारत हासिल करने और सभी कृषि कार्यकलापों में सीधे भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

डेयरी क्षेत्र में पशु आहार के लिए मकई की मांग को देखते हुये, कंचन ने इसकी खेती के साथ अपना कार्य शुरू किया। दिसंबर 2021 में, कंचन ने राज्य

डेयरी विभाग योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन स्वीकृत हो गया और उन्हें 49.45 लाख रुपये की पर्याप्त सब्सिडी मिली। इस वित्तीय सहायता ने उन्हें अपनी कृषि तकनीकों को उन्नत करने, साइलेज उत्पादन के लिए मशीनों को शामिल करने और अपने कार्यों का विस्तार करने में सक्षम बनाया। पशुपालन और डेयरी विभाग से मिली सहायता ने स्थायी कृषि पद्धतियों और आर्थिक विकास की दिशा में उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाया।

किसानों को समझाकर कंचन ने चारे की खेती के लिए समर्पित 200 एकड़ भूमि का प्रबंधन किया है, जिसकी आने वाले वर्षों में और विस्तार की योजना है। उनकी उद्यमशीलता की भावना खेती तक ही सीमित नहीं है; उन्होंने अपनी उपज का विपणन करने, पहुंच बढ़ाने और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने के लिए एक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना की। कंचन की सफलता ने न केवल उन्हें सशक्त बनाया है, बल्कि उससे एक प्रभाव भी पैदा हुआ है, जिससे उनके समुदाय के 100 से अधिक किसान सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। उनके प्रयास ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और स्थानीय विकास को बढ़ावा दिया है।

आहार एवं चारा इकाई की स्थापना के भाग के रूप में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक महिला उद्यमी सुश्री कंचन वर्मा द्वारा साइलेज बनाने की इकाई स्थापित की गई है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एसपी लैब के नाम से जाना जाता था)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

विवरण	ब्यौरा
सेक्टर	पशु आहार निर्माण इकाई
रोजगार की संभावना	30
संयंत्र की क्षमता	400 मीट्रिक टनधदिन (विस्तार के बाद)
नई परियोजना/ परियोजना विस्तार	विस्तार
उत्प्रेरित निवेश (परियोजना लागत)	6.50 करोड़ रु.
सावधि ऋण और कैश क्रेडिट	5.75 करोड़ रु.

परियोजना का विवरण:

ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले एसपी लैब के नाम से जाना जाता था, को फरवरी

2018 में एक साझेदारी फर्म के रूप में स्थापित किया गया था। फर्म को अक्टूबर, 2021 में ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था। कंपनी द्वारा पशु आहार एवं खनिज मिश्रण का निर्माण किया जा रहा है और प्रति दिन 200 मीट्रिक टन की अतिरिक्त स्थापित क्षमता के साथ लखनऊ में यूनिट की स्थापना की जा रही है। बी.टेक (आईटी) स्नातक श्रीमती रितु अग्रवाल और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर श्रीमती ज्योत्सना सिंह अग्रवाल ने किसानों के उत्थान के मिशन के साथ उन्हें सस्ती कीमतों पर सर्वश्रेष्ठ (Best-in-class) आहार प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया है।

यह परियोजना 30 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, जिनमें से 6 महिलाएं हैं। परियोजना की स्थापना के लिए प्रमोटरों ने 6.50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और नेपाल में काम कर रहे हैं। वे बिहार और संडीला, हरदोई के आस–पास के क्षेत्रों से कच्चा माल खरीद रहे हैं, जिससे क्षेत्र के 1 लाख 60 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

फर्म के निदेशकों ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करके उन्हें समर्थन देने के लिए ज्ञानधारा मित्र पहल शुरू की और सीएसआर कार्यकलाप के एक भाग के रूप में मंथन और पशु चिकित्सक शिविर आयोजित किए हैं जहां किसानों को सर्वोत्तम गोपशु पालन प्रथाओं के बारे में शिक्षा दी जाती है। अब तक 40112 किसान इसके तहत शिक्षित हुए हैं और 12585 पशुओं का इलाज हुआ है।

चित्र 10.1: पिछले 5 वित्तीय वर्षों में फर्म का राजस्व

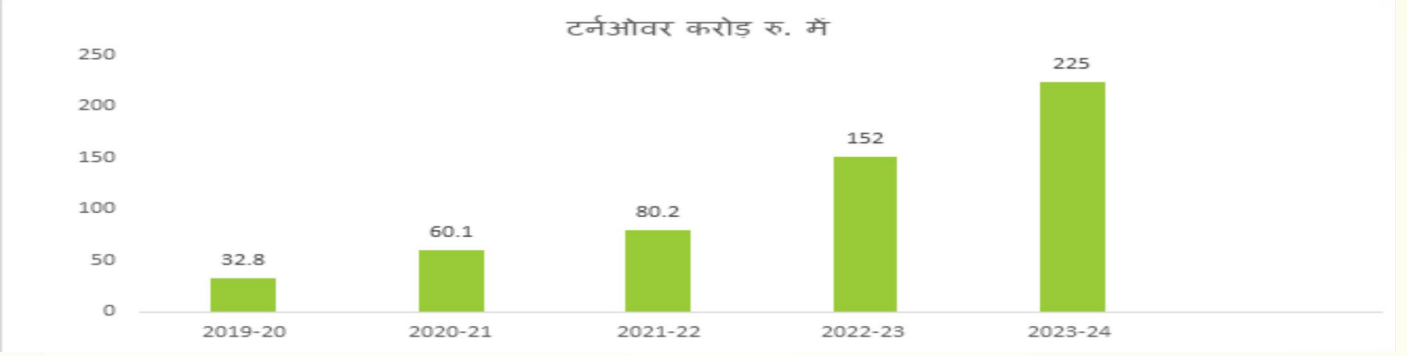

कंपनी के कुछ उत्पादः

यूनिट की कुछ तस्वीरें:

1. दिशाला लाइवलीहुड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीहोर, मध्य प्रदेश

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

विवरण	ब्यौरा
सेक्टर	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
रोजगार की संभावना	510
संयंत्र की क्षमता	10000 लीटरधदिन
नई परियोजनाध परियोजन विस्तार	नई
उत्प्रेरित निवेश (परियोजना लागत)	72 लाख
सावधि ऋण	50 लाख

मधु सक्सेना, दिशा सक्सेना, रजत सक्सेना, कमलेश भुमरकर, राजेश वर्मा और अभिनव प्रताप सिंह द्वारा सीहोर जिले के अमलाहा गांव में स्थापित दिशाला दुग्ध प्रशीतन इकाई एक साझेदारी फर्म है।

कंपनी द्वारा प्रशीतन दुग्ध उत्पाद तैयार किया जाता है जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 10000 लीटर/दिन है।

यह परियोजना 510 लोगों (पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार) के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। प्रमोटरों ने परियोजना की स्थापना के लिए 70 लाख रुपये का निवेश किया है। इस इकाई से लगभग 800 किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं और लगभग 1200 किसान अप्रत्यक्ष रूप से इस इकाई से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परियोजना को लागू कर दिया गया है और इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है।

चित्र 10.2 : पिछले 4 वित्तीय वर्षों में फर्म की आय

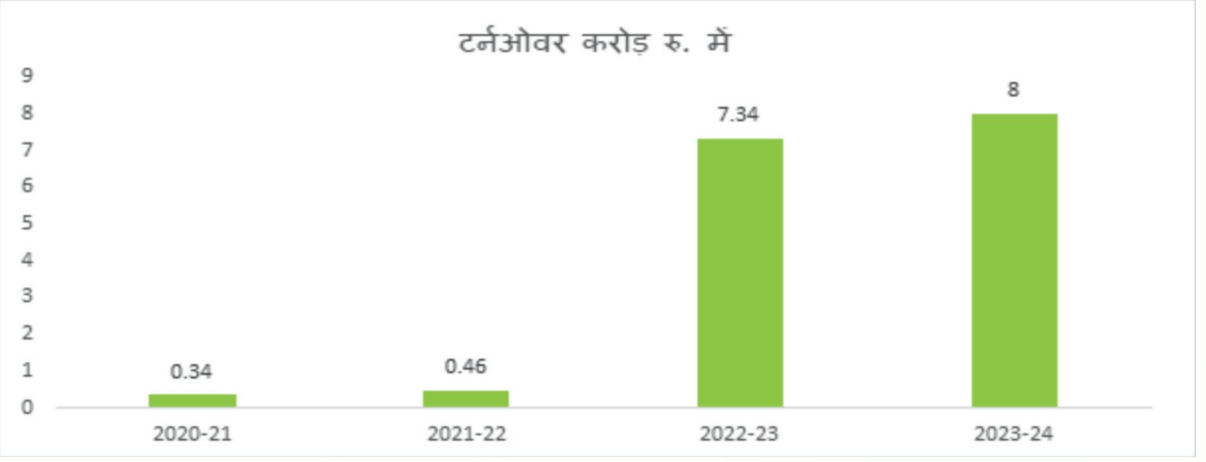

10.4 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण पर संक्षिप्त विवरण

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में स्वदेशी बोवाईन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रजनन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पशुधन क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

1. **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी):** घटक के तहत किसानों के द्वार मुफ्त एआई सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आरजीएम के तहत इस पहल के माध्यम से कई महिला किसान लाभान्वित हुईं।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत लाभान्वित महिला किसान।

2. **मैत्री की स्थापना:** यह योजना किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं प्रदान करने के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। आरजीएम के अंतर्गत, प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है और प्रशिक्षण के बाद मैत्री को क्षेत्र में शामिल करने से पहले निशुल्क एआई किट उपलब्ध कराई जाती है। मैत्री, वस्तु और सेवा की लागत के संग्रहण के माध्यम से स्व–संपोषणीय आधार पर किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा, इन महिला मैत्री को राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकार्य प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

महिला मैत्री कार्मिक फील्ड में एआई करते हुए

मैत्री का प्रशिक्षण और मैत्री को एआई किटों का वितरण

3. नस्ल वृद्धि फार्मः यह घटक नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका डेयरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस घटक के तहत इच्छुक उद्यमियों को गोपशु शेडों के निर्माण, मशीनों और सर्वश्रेष्ठ पशुओं आदि की खरीद के लिए 2 करोड़ रु. तक 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत संस्वीकृत 142 नस्ल वृद्धि फार्मों (बीएमएफ) में से, 24 बीएमएफ की स्थापना महिला उद्यमियों द्वारा की जा रही है।

4. गोपाल रत्न पुरस्कारः आरजीएम, डेयरी क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, नेतृत्वकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देता है और विभिन्न समितियों तथा सहकारी समितियों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। दिनांक 26 नवंबर, 2023 को देसी गोपशु/भैंस नस्ल श्रेणी पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में एक महिला किसान (श्रीमती बृंदा सिद्धार्थ शाह, गुजरात) को गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया।

गोपाल रत्न पुरस्कार विजेता (श्रीमती बृंदा सिद्धार्थ शाह, गुजरात)

*****

अध्याय–11

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अध्याय-11

11.1 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता

पशुपालन और डेयरी विभाग, पशु स्वास्थ्य और डेयरी से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक नियमित सदस्य (वार्षिक सदस्यता के अंशदान का भुगतान करता है) है।

(क) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच), (पूर्व में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिस (ओ. आई.ई)), पेरिस, फ्रांस

(ख) अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ (आईडीएफ), बेल्जियम

(ग) एनिमल प्रोडक्शन एंड हैल्थ कमीशन फार द एशिया एंड द पैसिफिक (एपीएचसीए) बैंकाक, थाइलैंड, एफएओ के तहत एक संगठन।

11.2 विदशों के साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज

(i) दिनांक 21–07–2023 को श्रीलंका में डेयरी उद्योग के विकास सहित पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच एक संयुक्त आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के क्षेत्र में सहयोग के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग तथा पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग (DEFRA), यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को दिनांक 17–04–2023 से दिनांक 16–04–2028 तक 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

(iii) पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग तथा डेनिश पशु चिकित्सा और खाद्य प्रशासन, पर्यावरण और खाद्य मंत्रालय, डेनमार्क के बीच वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को दिनांक 16.04.2023 से दिनांक 15.04.2028 तक पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

11.3 अधिकारियों द्वारा विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण में भाग लेना

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, डीएएचडीध्अधीनस्थ कार्यालयों के तीस (30) अधिकारियों को कुल 22 बैठकों/सम्मेलनों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया था। माननीय एफएएच एंड डी मंत्री और डीएएचडी के वरिष्ठ अधिकारियों की न्यूजीलैंड, नेपाल, यूके, नीदरलैंड, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्राजील, रूस, कनाडा आदि देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान कुल 41 बैठकें (आभासी/वास्तविक दोनों) हुई थीं।

11.4 डीएएचडी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यक्रम

i. भारत की G–20 अध्यक्षता के दौरान, पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 18–19 जुलाई, 2023 तक गुजरात के आणंद में एफएओ के सहयोग से एनडीडीबी के माध्यम से सतत पशुधन परिवर्तन पर दो–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

ii. भारत की G–20 अध्यक्षता के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 20–07–2023 को आणंद, गुजरात में डब्ल्यू–20 कार्य समूह

के तत्वावधान में एनडीडीबी के माध्यम से ''डब्ल्यू20– जनभागीदारी – डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व में सतत विकास'' नामक एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया।

iii. पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 13–16 नवंबर, 2023 के दौरान नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें WOAH (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) सम्मेलन की मेजबानी की।

iv. पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 14–11–2023 को एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग (APHCA) के 44वें व्यावसायिक सत्र और दिनांक 17–11–2023 को 82वीं एपीएचसीए कार्यकारी समिति की बैठक की मेजबानी की।

****

अध्याय–12

जीव–जंतु कल्याण

जीव–जंतु कल्याण

अध्याय-12

जीव–जन्तु कल्याण विषय को कार्य आबंटन नियमों में संशोधन के पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ.1531 (अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है। तदनुसार, भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड और पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इन संगठनों के क्रियाकलाप इस प्रकार हैं–

12.1 भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (एडब्लूबीआई) की स्थापना 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा–4 के अनुसरण में की गयी थी। सुप्रसिद्ध मानवतावादी श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल बोर्ड की संस्थापक सदस्य थीं।

बोर्ड में 28 सदस्य हैं, जिसमें 6 संसद सदस्य (लोकसभा से 4 और राज्य सभा से 2 –वर्तमान बोर्ड में अभी नामांकित किया जाना है) और अन्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, इन सभी को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तीन साल में एक बार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान बोर्ड को दिनांक 15.05.2023 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था जिसमें 20 सदस्य थे और 1 सदस्य को दिनांक 01.09.2023 को नामित किया गया था।

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड का उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 9 के तहत परिभाषित किया गया है। संक्षेप में, एडब्लूबीआई का अधिदेश भारत में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के कानूनों का निरंतर अध्ययन करना और अधिनियम के तहत नियम बनाने, पशुओं के अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा को रोकने के लिए आवश्यक संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को सलाह देना है।

12.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किये गये कार्यकलाप

(i) मान्यता:

बोर्ड उन जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान करता है जो बोर्ड के पास मान्यता के लिए आवेदन करते हैं। बोर्ड ने वर्ष 2022–23 तक 3735 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान की है। बोर्ड ने दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक 51 गौशालाओं/जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) को मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक कुल 3786 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की गई है।

(ii) अनुदान:

(क) **नियमित अनुदान गोपशु बचाव अनुदान:** भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड मान्यता प्राप्त जीव–जंतु कल्याण संगठनों को पशु शेल्टरों के रख–रखाव, पशुओं की दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा पशु चिकित्सा कैंप आयोजित करने इत्यादि के लिए नियमित और गोपशु बचाव अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा अवैध ढुलाई/बूचड़खानों से छुडाए गये पशुओं के रख–रखाव के लिए

गोपशु बचाव रख–रखाव अनुदान प्रदान करता है। जीव–जंतु कल्याण संगठनों को नियमित अनुदान, आश्रय में रखे गए/उपचार किए गए/बचाए गए पशुओं की संख्या के आधार पर दिया जा रहा है, जो इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुसार पशुपालन विभाग द्वारा यथोचित रूप से सत्यापित होती है। बोर्ड केवल एडब्ल्यूबीआई मान्यता प्राप्त जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड ने दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक जीव–जन्तु कल्याण संगठनों में आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 273 एडब्ल्यूओ को 4,08,20,675/– रुपये की नियमित और गोपशु बचाव अनुदान राशि जारी की है।

(ख) **पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय आवास योजनाः** इस योजना का उद्देश्य देश में सकंटग्रस्त पशुओं के लिए आश्रय आवासों की स्थापना और उनका रख–रखाव करना है। मुख्यतः गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए) को चार दीवारी, आश्रय, पानी के टैंक, नाले, इनहाऊस डिस्पेंसरी बनाने, चिकित्सा उपकरण, आकस्मिक व्यय इत्यादि के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) के 10 प्रतिशत योगदान को छोड़कर अधिकतम 22.50 लाख रू. तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। बोर्ड ने दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक आश्रय आवास योजना के तहत 4 एडब्ल्यूओ को 42,22,048/– रु. जारी किये हैं।

(ग) **पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) और आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने संबंधी योजनाः** यह योजना बंध्याकरण द्वारा आवारा कुत्तों (आश्रयहीन/बेसहारा) की आबादी को नियंत्रित करने और टीकाकरण द्वारा रेबीज की घटनाओं में कमी लाने के लिए है। इस अनुदान के लिए गैर–सरकारी संगठन, पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी तथा स्थानीय निकाय अनुदान के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, दवाईयों तथा एंटी–रेबीज टीके (एआरवी) सहित ऑपरेशन से पहले और पश्चात् की देखभाल के लिए 370/– रूपए प्रति कुत्ते की दर से तथा कुत्ते को पकड़ने और किसी और जगह छोड़ने के लिए 75/– रूपए प्रति कुत्ते की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) **संकटग्रस्त पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी योजनाः** इस योजना के अंतर्गत, जीव–जन्तु कल्याण संगठनों को ढुलाई, बचाव तथा संकटग्रस्त पशुओं को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त वाहन खरीदने के लिए भी अनुदान दिया जाता है। गैर–सरकारी संगठनों को उपयुक्त वाहन और उपकरण और उसकी फिटिंग की लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाती हैं। सहायता अनुदान की अधिकतम राशि वाहन खरीदने के लिए 3.50 लाख रू. तक और उपकरण तथा उसकी फिटिंग के लिए 1.00 लाख रू. तक सीमित है।

(ड.) **प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को सहायता देने संबंधी योजनाः** प्रत्येक वर्ष बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि के रूप में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित पशुओं के लिए चारे, पर्याप्त आवास, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता होती है। ऐसे पशुओं को राहत देने के लिए जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं।

(iii) करतब दिखाने वाले पशुओं का पंजीकरण

करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के नियम 3 के अंतर्गत, बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी है। वर्ष 2023–24 के दौरान, 1095 फिल्मों/विज्ञापनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विचार किया गया और 688 फिल्मों/विज्ञापनों को अपनी फिल्मों/विज्ञापनों में पशुओं का इस्तेमाल करने के लिए प्री–शूट अनुमति देने के लिए विचार किया गया।

(iv) सर्कसों का पंजीकरण

बोर्ड ने करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत आज की तिथि तक 6 सर्कसों का पंजीकरण किया है जो प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए करतब दिखाने वाले पशुओं का उपयोग कर रहे हैं।

(v) टर्फ क्लबों में उपयोग होने वाले घोड़ों का पंजीकरण

बोर्ड, रेस हॉर्स क्लबों में उपयोग होने वाले घोड़ों का भी पंजीकरण करता है। बोर्ड ने करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत दिनांक 31.03.2024 तक विभिन्न रेस हॉर्स क्लबों की दौड़ के लिए 6326 घोडों का पंजीकरण किया है।

(vi) कॉलोनी पशु देखभालकर्ता (सीएसीटी) को प्राधिकार पत्र जारी करना

देश के अधिकांश दयालु नागरिक अपने संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं को खिलाकर जीव–जन्तुओं के कल्याण में सहायता करते हैं। बोर्ड इन नागरिकों को आवारा पशुओं को खिलाने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करता है। बोर्ड ने लगभग 8000 आवेदकों को सीएसीटी प्राधिकार पत्र जारी किये थे। वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने 868 सीएसीटी प्राधिकार पत्र जारी किये हैं।

(vii) मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि का नामांकन (पूर्ववर्ती अधिकारी)

बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण से संबंधित मामलों पर अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन/कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय करके सभी जीव–जंतु कल्याण मामलों को देखने के लिए मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधियों (नामांकित प्रतिनिधियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने के बाद) को भी नामित करता है। बोर्ड ने 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे जिसमें 59 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था और 50 व्यक्तियों को मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि (एचएडब्ल्यूआर) के रूप में नामित किया गया था।

(viii) क्रूरता संबंधी मामले और शिकायतों पर की गई कार्रवाई

बोर्ड को देश के विभिन्न भागों से पशुओं के साथ क्रूरता के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं और उक्त की जांच करने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों/जिलाधीशों/न्यायाधीशों/जिला पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित कर दिया गया। बोर्ड ने दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान आवश्यक कार्रवाई के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त 1220 क्रूरता शिकायतों पर कार्रवाई की है/संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित की है।

(ix) मुफ्त मोबाइल पशु क्लीनिक:

बोर्ड, चेन्नई के अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संचालित अपने मोबाइल पशु क्लीनिक (एमएसी) कार्यक्रम के माध्यम से गरीब लोगों के बीमार और घायल पशुओं को उसी स्थान पर मुफ्त पशुचिकित्सा उपचार प्रदान करता है। बोर्ड का पशुचिकित्सक सर्जन शहर में पूर्व–निर्धारित स्थानों का दौरा करता है जहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर के दौरान पशुओं का मुफ्त में उपचार करने के लिए पशुओं की आबादी इकट्ठी होती है। वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने उक्त कार्यक्रम के तहत 657 पशुओं का उपचार किया है।

(x) अदालती मामले:

दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, बोर्ड के पास देश की विभिन्न अदालतों में पशुओं के कल्याण से संबंधित 189 मामले सक्रिय हैं।

(xi) राज्य सरकार के साथ बैठक:

बोर्ड ने पीसीए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12.03.2024 को राज्य जीव–जंतु कल्याण बोर्डों के अधिकारियों और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकांश अधिकारियों ने भाग लिया था।

(xii) मानवीय शिक्षा

- केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एडब्ल्यूबीआई के सहयोग से दिनांक 22.01.2024 को केवीएएसयू – पशुधन अनुसंधान स्टेशन, तिरुवाझमकुन्नू पलक्कड़, केरल में जीव–जन्तु कल्याण तथा वन हेल्थ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य विज्ञान के उचित अनुप्रयोग के माध्यम से सह–अस्तित्व को बढ़ावा देकर कुत्ते–मानव संघर्ष को कम करने के लिए रणनीतियों को विकसित करना और इस संबंध में राष्ट्रीय कानूनी ढांचे में हाल में हुए बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। माननीय पशुपालन मंत्री, केरल सरकार और एडब्ल्यूबीआई के अध्यक्ष डॉ. ओ.पी. चौधरी, आईएफएस, अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई ने कार्यशाला में भाग लिया था। सुश्री कैथी ड्वायर, प्रख्यात शिक्षाविद और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में जीव–जन्तु कल्याण की प्रोफेसर, ने एक सत्र में मुख्य भाषण दिया। छात्रों, शोधकर्ताओं और जीव–जन्तु कल्याण के प्रति उत्साही व्यक्तियों ने भी एबीसी कार्यक्रम सहित इन विषयों पर विचार–विमर्श किया था। अध्यक्ष, एडब्ल्यूबीआई ने एबीसी (ABC) कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मानव–पशु संघर्ष को कम करने से संबंधित मुद्दों पर एक संक्षिप्त भाषण दिया।
- सचिव, एडब्ल्यूबीआई ने जीव–जन्तु कल्याण कानूनों से संबंधित मुद्दों पर त्रिपुरा पशु संसाधन विकास, त्रिपुरा सरकार द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम और पशुधन को होने वाले रोगों की रोकथाम से संबंधित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। कार्यक्रम में मंत्री जी, पशु संसाधन विकास विभाग, त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों और विभिन्न जीव–जन्तु कल्याण प्रेमियों ने भाग लिया।

(xiii) जीव–जन्तु कल्याण संबंधी जागरूकता

बोर्ड ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम मंत्रालय के सहयोग से दिनांक 14 जनवरी, 2024 से 30 जनवरी, 2024 तक आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव और एडब्ल्यूबीआई पखवाड़े के उत्सव के समापन कार्यक्रम के दौरान MY Bharat पोर्टल पर थीम लॉन्च की। डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवी कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रस्ताव करता है ताकि वे विकासात्मक कार्यों में भाग लेने और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए समुदाय के साथ जुड़ सकें। युवाओं और नागरिकों से निम्नानुसार 3 प्रकार के कार्यकलापों अर्थात छोटे कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकारी/फोटोग्राफी / लेख लेखन आदि के लिए सामग्री आमंत्रित की गई थी:

- फोटोग्राफी – विषयः जीव–जन्तु कल्याण के पांच सिद्धांत – भूख और प्यास से मुक्ति, असुविधा से मुक्ति, दर्द, चोट या रोग से मुक्ति, सामान्य व्यवहार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भय और संकट से स्वतंत्रता
- पोस्टर बनाना – विषयः जीव–जन्तु कल्याण और वन हेल्थ
- कहानी लेखन – विषयः निदर्शी बिंदुओं और समाधानों के साथ बेघर पशुओं का प्रबंधन।

(xiv) विश्व पशु दिवस और प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह

प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन की उल्लेखनीय विविधता और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। एडब्ल्यूबीआई ने इस महत्वपूर्ण दिन का आयोजन सामूहिक रूप से एक ऐसी दुनिया की ओर काम करते हुए किया जहां पशुओं को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि बहुत प्यार से ध्यान भी रखा जाता है। विश्व पशु दिवस का आयोजन डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था। इस अवसर पर माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान सम्मानित अतिथि के रूप में, उपस्थित थे और डॉ अभिजीत मित्रा, पशुपालन आयुक्त और डॉ ओ.पी. चौधरी, अध्यक्ष एडब्ल्यूबीआई भी उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में पुरस्कार समारोह के माध्यम से जीव–जंतुओं के कल्याण के क्षेत्र में व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों के अथक प्रयासों को भी स्वीकार किया गया। बोर्ड ने जीव–जंतु कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने और पशुओं की सुरक्षा और जीव–जंतु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने हेतु 8 व्यक्तियों/जीव–जंतु कल्याण संगठनों को पुरस्कार प्रदान किया। प्रमुख वक्ताओं, पुरस्कार विजेताओं वाले इस कार्यक्रम ने हमारे समाज में जीव–जंतु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए सभी उपस्थित लोगों को प्रबुद्ध और प्रेरित किया।

(xv) एडब्ल्यूबीआई का ऑनलाइन पोर्टलः

बोर्ड ने एडब्ल्यूओ/गौशाला की मान्यता के लिए, विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए, मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधि को नामित करने के लिए, कॉलोनी जीव–जंतु देखभालकर्ता (सीएसीटी) को नामित करने, करतब दिखने वाले पशुओं के पंजीकरण के लिए, प्री–शूट अनुमति जारी करने, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, रेस हॉर्स क्लब में प्रदर्शन करने वाले घोड़ों के पंजीकरण के लिए और क्रूरता/शिकायतों आदि के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आवेदन के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल (www.awbi.gov.in) तैयार किया है। इससे अनुमति प्रदान करने में लगने वाले समय में कमी आई है और इससे बोर्ड के कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत से भी बचा गया है।

(xvi) बोर्ड की विभिन्न समितियों का पुनर्गठनः

बोर्ड के और अधिक प्रभावी कार्यकरण के लिए बोर्ड समय–समय पर अपनी विभिन्न समितियों का पुनर्गठन कर रहा है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं:

- दिनांक 22.11.2023 को बोर्ड की एक वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 04.07.2023 को बोर्ड की एक आम बैठक आयोजित की गई।
- कार्यकारी समिति की तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 19.07.2023, 22.11.2023 और 26.03.2024 को आयोजित की गईं।
- मान्यता और अनुदान समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 19.07.2023, 22.11.2023, 24.

01.2024 और 11.03.2024 को आयोजित की गईं।

- दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक करतब दिखने वाले पशुओं की समिति की 93 बैठकें आयोजित की गईं।
- भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड की पशु अधिनियम और नियमों की समीक्षा और कानूनी समिति की एक बैठक दिनांक 29.08.2023 को आयोजित की गई।
- एबीसी परियोजना मान्यता समिति की पांच बैठकें क्रमशरू दिनांक 20.07.2023,12.09.2023, 23.11.2023, 09.02.2024 और 28.03.2024 को आयोजित की गईं।
- मानद जीव–जंतु कल्याण अधिकारी समिति की दो बैठकें क्रमशः 19.07.2023 और 22.11.2023 को आयोजित की गईं।

(xvii) एडब्ल्यूबीआई की आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

एडब्ल्यूबीआई को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, बोर्ड ने विभिन्न सेवाओं के लिए अपने प्रसंस्करण शुल्क में संशोधन किया है। बोर्ड द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक एकत्रित की गई प्रसंस्करण शुल्क की राशि 304.98 लाख रुपये है।

12.3 उपलब्धियां (वास्तविक/वित्तीय):

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड ने जीव–जंतु कल्याण के संवर्द्धन और उनके प्रति क्रूरता की रोकथाम में 62 वर्ष की समर्पित सेवा पूरी कर ली है। बोर्ड के कार्यकलाप जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और यहां तक कि देश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में जारी रहे। वर्ष के दौरान बोर्ड की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. बोर्ड ने दिनांक 31.03.2024 तक, 3786 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने 51 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की है।

ii. बोर्ड ने एडब्लूबीआई की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2023–24 के दौरान 277 एडब्ल्यूओ को 450.43 लाख रु. की अनुदान सहायता दी है।

iii. वर्ष 2023–24 के दौरान, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 1095 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया और अपनी फिल्मा/विज्ञापनों में पशुओं का उपयोग करने के लिए प्री–शूट अनुमति प्राप्त करने के लिए 688 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया।

iv. वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने सीएसीटी के रूप में 868 आवेदकों को प्राधिकार पत्र जारी किए।

v. वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने 50 मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधियों को नामित किया जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और अर्हक अंक प्राप्त किए।

vi. वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों से प्राप्त 122 क्रूरता संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई की/आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया।

vii. वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड ने अपने मोबाइल पशु क्लीनिक (एमएसी) कार्यक्रम के माध्यम से 657 पशुओं का उपचार किया।

viii. बोर्ड द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक एकत्रित किए गए प्रसंस्करण शुल्क की राशि 304.98 लाख रु. है।

ix. बोर्ड ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग से अनुरोध किया है कि वे बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने और पशुओं के अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा को कम करने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण

अधिनियम, 1960 के विभिन्न प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभाग को सक्रिय बनाएं।

x. बोर्ड ने सभी जीव–जंतु कल्याण संगठनों, एसपीसीए, जीव–जंतु कल्याण प्रशिक्षकों, मानद जीव–जंतु कल्याण अधिकारियों, सरकारी पशुपालन विभागों, प्राणी उद्यानों और स्वैच्छिक संगठनों से पूरे देश में बड़ी रुचि, जोश और उत्साह के साथ विश्व पशु दिवस (4 अक्टूबर, 2023), जीव–जंतु कल्याण पखवाड़ा (14 जनवरी, 2024 से 30 जनवरी, 2024 तक) और जीव जंतु कल्याण दिवस (14 फरवरी, 2024) को मनाने का अनुरोध किया है।

12.4 बोर्ड ने पशुओं को होने वाले अनावश्यक दर्द और पीड़ा को रोकने के लिए रिपोर्ट अवधि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित परामर्शी जारी की हैं:

i) भारवाही और बोझा ढोने वाले पशुओं को सीधे गर्मी के संपर्क से बचाने और पैदल आवागमन के दौरान अत्यधिक गर्म मौसम के दौरान पशुओं की देखभाल करने का अनुरोध किया, दिनांक 01.06.2023 को।

ii) गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित पशुओं का बचाव और पुनर्वास दिनांक 14.06.2023

iii) बकरीद के अवसर पर गायों/बछड़ों एवं अन्य पशुओं की अवैध हत्या/बलि को रोकना तथा पशु ढुलाई नियमों के उल्लंघन के लिए अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना दिनांक 21.06.2023

iv) विश्व रेबीज दिवस, 2023 पर संदेश दिनांक 12.09.2023

v) दिवाली पर पंचगव्य से बने उत्पादों के उपयोग करने का परामर्श

vi) अंतर्राष्ट्रीय मांसमुक्त दिवस पर परामर्शी दिनांक 24.11.2023

vii) चक्रवात में प्रभावित पशुओं के बचाव और पुनर्वास पर परामर्शी दिनांक 04.12.2023

viii) सर्दियों के दौरान आवारा पशुओं को बिस्तर और चारपाई उपलब्ध कराने की सलाह दिनांक 26.12.2023

ix) वसंत पंचमी के अवसर पर जीव–जंतु कल्याण पखवाड़ा, 2024 और जीव–जंतु कल्याण दिवस का आयोजन दिनांक 02.01.2024

x) संकटपूर्ण स्थितियों में पशु बचाव के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अग्निशमन सेवा विभाग की सहायता पर परामर्शी– सहयोग के लिए अनुरोध दिनांक 05.02.2024

12.5 पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए)

पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए), पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक समिति है। सीसीएसईए में 19 सदस्य हैं और संयुक्त सचिव (जीव–जंतु कल्याण) सीसीएसईए के अध्यक्ष और संयुक्त आयुक्त (जीव–जंतु कल्याण) सीसीएसईए के सदस्य सचिव हैं। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का है जो 01.11.2024 तक मान्य है।

सीसीएसईए ऐसे सभी उपाय करने के लिए बाध्य है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं कि पशुओं पर प्रयोगों के प्रदर्शन से पहले, दौरान अथवा बाद में उन्हें अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा के अधीन नहीं किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, समिति ने पशुओं पर प्रयोगों को विनियमित करने के लिए "पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998" (2001 और 2006 में संशोधित) तैयार किए हैं। उपरोक्त नियमों

के उपबंधों के अंतर्गत, जैव चिकित्सा अनुसंधान में लगे स्थापनाओं को स्वयं सीपीसीएसईए के पास पंजीकृत होना आवश्यक है, संस्थागत पशु आचार (एथिक्स) समिति (आईएईसी) का गठन करना है, अपने पशु सदन सुविधाओं का निरीक्षण करना है और साथ ही पशुओं पर अनुसंधान करने से पहले सीसीएसईए द्वारा मंजूरी दिये गये अनुसंधान के लिए विशिष्ट परियोजनाएं प्राप्त करना है। इसके अलावा, इस प्रकार के प्रयोगों के लिए पशुओं के प्रजनन और व्यापार को भी इन नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। दिनांक 31.03.2024 तक, सीपीसीएसईए के पास 1633 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं।

12.6.1 उद्देश्यः

क. पशुओं पर प्रयोगों को विनियमित करने के लिए अप्रयुक्त शैक्षणिक और जैव–चिकित्सा अनुसंधान संगठनों का पंजीकरण करते हुए उनको बनाये गये नियमों के दायरे में लाना।

ख. पशुओं पर प्रयोग करते समय प्रायोजित करके और सम्मेलनों का आयोजन करते हुए नैतिकता के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ग. सीपीसीएसईए के नामितों के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

12.6.2 कार्यः

क. पशुओं के प्रजनन में शामिल और पशुओं पर प्रयोग करने वाली स्थापनाओं का पंजीकरण और पंजीकृत स्थापनाओं का नवीनीकरण।

ख. संस्थागत पशु आचार समिति का गठन, पुनर्गठन और संशोधन।

ग. छोटे और बड़े पशुओं के लिए पशु गृह सुविधाओं का अनुमोदन।

घ. पशुओं पर प्रयोग के लिए अनुसंधान प्रोटोकॉल की जांच या बड़े पशुओं पर अनुसंधान प्रोटोकॉल की पूर्व–जांच और उनका अनुमोदन।

ङ. उन स्थापनाओं, संस्थानों और केन्द्रों की पशु गृह सुविधाओं की जांच करना जहां प्रयोगात्मक पशुओं को अनुसंधान, बायोफर्मास्यूटिकल्स के उत्पादन और प्रजनन उद्देश्य के लिए रखा जाता है।

च. प्रयोगशाला पशु कल्याण और नैतिकता के बारे में जागरूकता के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, नामांकित प्रशिक्षण आदि आयोजित करना तथा प्रयोगों और शिक्षण या प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए पशुओं के उपयोग के संबंध में प्रतिस्थापन, कमी और परिशोधन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समिति के अधिदेश के अनुसार उपलब्ध गैर–पशु विधियों और गैर–पशु व्युत्पन्न जैविक उत्पादों को मान्यता देना।

छ. अनुसंधान संस्थानों, दवा कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोग के लिए रखे गए पशुओं के कल्याण के बारे में सरकार को सलाह देना।

ज. पशुओं के कल्याण के लिए पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत समिति द्वारा बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

झ. समिति के नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण करना और प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत संस्थागत पशु आचार समिति की बैठक के कार्यवृत्त की जांच करना।

ञ. प्रयोगशाला पशुओं को रखने वाले अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों को जोड़ने और उन्हें समिति के दायरे में लाने का प्रयास करना।

ट. पीसीए अधिनियम, 1960 के अनुसार सौंपे गए समिति के अधिदेशानुसार प्रयोगशाला पशु कल्याण से संबंधित कोई अन्य कार्य।

ठ. समिति के दिशा–निर्देशों का संशोधन, उनका प्रचार–प्रसार, कार्यान्वयन और निगरानी।

ड. पशु गृह सुविधाओं का उद्देश्यानुसार श्रेणीकरण, जैसे कि:–

(i) मेडिकल कॉलेज की स्थापना,

(ii) फार्मेसी कॉलेज की स्थापना,

(iii) पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना,

(iv) अनुसंधान संस्थान की स्थापना,

(v) फार्मा उद्योग की स्थापना,

(vi) वैक्सीन उद्योग की स्थापना,

(vii) जीव–विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, और इसी प्रकार।

ढ. प्रयोगों, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध गैर–पशु विधियों संबंधी डेटाबेस का रखरखाव।

12.6.3 उपलब्धियां (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक):

आईएईसी का पंजीकरण और गठन	72
आईएईसी का नवीनीकरण और पुनर्गठन	275
आईएईसी का संशोधन	362
पंजीकरण में संशोधन	59
सीसीएसईए की बैठकें	12
बड़े पशुओं के लिए अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉल	634
सीसीएसईए के नामितों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	2
प्रशिक्षित किए गए सीसीएसईए के नामांकित व्यक्ति	146
"पशुओं पर प्रयोगों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रयोगशाला पशु देखभाल/ नैतिकता" पर कार्यशालाएं/सम्मेलन/ सेमिनार आयोजित करने के लिए सीसीएसईए के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता	2
बड़े पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने और समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉल की स्थिति की जांच के लिए प्रतिष्ठानों का मध्यावधि निरीक्षण	7

****

अध्याय–13

क्रेडिट, विस्तार और प्रचार

क्रेडिट, विस्तार और प्रचार

अध्याय-13

क्रेडिट, विस्तार और प्रचार

- "क्रेडिट, विस्तार और प्रचार" प्रभाग, विभाग के विस्तार और प्रचार संबंधी सभी मामलों को समन्वित कर रहा है। "किसान क्रेडिट कार्ड" योजना के तहत सभी ऋण सुविधाएं भी इस प्रभाग के तहत आती हैं।
- विस्तार इकाई किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में तथा पशुधन उत्पादन और पशुपालन पद्धतियों से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह अपने विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और कार्यकलापों के माध्यम से प्रोफेशनल विस्तार सेवाओं के आयोजन, रखरखाव और संचालन में राज्य सरकारों की सहायता करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है।
- प्रचार इकाई विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करके विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के महत्व को और बढ़ाती है। यह मीडिया के माध्यम से प्रोडक्शन और कैम्पेन के लिए पीआईबी, प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो और केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ समन्वय करती है। यह पशुपालन और डेयरी विभाग के हैंडल के माध्यम से सोशल मीडिया का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करती है।

13.1 विस्तार कार्यकलाप

13.1.1 ए–हेल्पः स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट

- अभिसरण (कंवर्जेंस) के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) मंच का लाभ उठाने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने 1 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) "ए–हेल्प" (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) नामक एक नए प्रत्यायित मॉडल के माध्यम से पशुधन रिसोर्स व्यक्ति और प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों की सेवाओं का लाभ उठाएगा।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2022 में आरंभ किया गया था और तब से 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा 703 मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं। एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्रशिक्षकों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम की समेकित स्थिति (मार्च 2023 तक)			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या
			कुल
1	मध्य प्रदेश	5	60
2	जम्मू और कश्मीर	2	40
3	उत्तराखंड	4	59
4	झारखंड	4	59
5	महाराष्ट्र	3	59
6	बिहार	3	60
7	गुजरात	4	99
8	कर्नाटक	4	96
9	केरल	1	65
10	असम	1	19
11	राजस्थान	1	47
12	छत्तीसगढ़	1	25
13	मिजोरम	1	6
14	सिक्किम	1	5
15	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	4
कुल		36	703

- मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, असम, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में क्षेत्र स्तर के कुल एक सौ उनचास ए–हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3773 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

ए–हेल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

ए–हेल्प के 16 दिनों के प्रशिक्षण की समेकित सूची (मार्च 2023 तक)			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	मध्य प्रदेश	37	937
2	जम्मू और कश्मीर	24	599
3	बिहार	40	1000
4	गुजरात	16	376

5	कर्नाटक	9	270
6	झारखंड	6	145
7	उत्तराखंड	7	177
8	असम	3	75
9	केरल	1	30
10	महाराष्ट्र	5	139
11	मिजोरम	1	25
कुल		149	3773

13.1.2 आकांक्षी जिलों के लिए विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम

13.1.2.1 ''पशुधन जाग्रति अभियान''

पशुधन जागृति अभियान में 112 आकांक्षी जिलों में पशुधन रोग, वैज्ञानिक प्रबंधन और योजना जागरूकता पर एक गहन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह अभियान उत्पादन को बढ़ावा देता है और को किसान के द्वार पर पशु रोगों की रोकथाम के माध्यम से पशुधन किसानों अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद करता है।

प्रजनन शिविरः इस अभियान/मुहिम ने पशुधन किसानों को जानकारी प्रदान करने में मदद की और पशुधन रोग के लक्षणों और इसके इलाज के बारे में जागरूकता पैदा की। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों को अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी। बांझपन से संबंधित मुद्दों को हल करने, डिवार्मिंग संबंधी उपायों को लागू करने और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशु स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया गया था। ये पहलें सामूहिक रूप से पशु आबादी के समग्र कल्याण और उनकी उत्पादकता में योगदान करती हैं। 31 मार्च तक, 172 शिविर आयोजित किए गए, 17,200 से अधिक पशुओं की जांच की गई और 43,000 से अधिक किसानों ने इन शिविरों में भाग लिया।

13.1.2.2 नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में भागीदारी

इस विभाग ने नीति आयोग द्वारा डॉ. अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली में दिनांक 28 अप्रैल 2023 को आकांक्षी जिलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक में भाग लिया और इसमें एक प्रदर्शनी स्टाल लगाया। आयोजन के दौरान, आकांक्षी जिलों के 300 से अधिक जिला कलेक्टर और 500 बीडीओ सहित सभी प्रतिभागियों को विभाग की आईईसी की सारी सामग्री वितरित की गई।

13.1.3 राज्य स्तरीय किसान जागरूकता संगोष्ठी एवं स्वास्थ्य शिविर

इस प्रभाग ने 18 राज्यों में जागरूकता संगोष्ठियां आयोजित की हैं। ये कार्यक्रम पशुधन विकास बोर्डों के माध्यम से लागू किए गए। हजारों किसानों को योजना की सारी जानकारी और आईईसी सामग्री वितरित की गई।

13.1.4 साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से आभासी (वर्चुअल) जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, देश भर में 7000 आभासी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया और 3,50,000 पशुपालकों ने आभासी शिविरों में भाग लिया। किसानों को शिक्षित करने के लिए पशुधन उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई है। सफलता की कहानियां और योजना की जानकारी

13.1.5 जन जागरूकता कार्यक्रम

13.1.5.1 प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम – इस वर्ष के दौरान 15 मिनट की अवधि के 56 एपिसोड वाला प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम बनाया गया है। प्रत्येक एपिसोड पशुधन खेती की पद्धतियों, नवीन तकनीकों और विधियों, एक स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों से संबंधित है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना ग्रामीण किसानों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए की गई है।

13.1.5.2 स्कूली बच्चों के लिए ई–लर्निंग मॉड्यूल

विभिन्न पशुपालन कार्यकलापों, पर्यावरण संबंधी कार्यकलापों, रोगों की रोकथाम, पूर्व चेतावनी और स्वास्थ्य के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रभाग ने 30 ई–लर्निंग मॉड्यूल तैयार किए जिनमें 5 मिनट की अवधि के 30 वीडियो हैं। प्रत्येक वीडियो के बाद प्रश्नावली सत्र होगा और अंत में प्रमाण पत्र सृजित होगा। इसके लक्षित उपयोगकर्ता कक्षा 5वीं–12वीं कक्षा के बच्चे हैं। विभाग की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए यह इस प्रभाग की एक नई पहल होगी।

13.1.5.3 आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्रीः

- ''3एफ पुस्तिकाः फीड, फॉडर और फीडिंग''को डिजाइन किया गया है और इसका प्रचार–प्रसार किया गया है, जो पशुधन पोषण पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है।
- ''द मिल्की वे ओवर द ईयर्स पर कॉफी टेबल बुकलेट'' तैयार की गई, जिसमें डेयरी क्षेत्र का विकास और उपलब्धियां समाहित हैं।
- ''उपलब्धि के 9 साल पर पुस्तिका'' संगठन के इतिहास की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है।
- ''लम्पी त्वचा रोग संबंधी ब्रोशर पूरा हो गया है, जो रोग की रोकथाम और प्रबंधन हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- इसके अलावा, सभी योजनाओं/कार्यक्रम दिशानिर्देशों की पुस्तिकाओं, ब्रोशर, फ्लायर्स और वन–पेजर्स का 15 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करते हुए एक व्यापक प्रयास किया गया है, जिससे यह सभी को सुलभ हो सके

और सभी इसे समझ सकें।

- राशन संतुलन कार्यक्रम, पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर), पशु पोषण, अफ्रीकी स्वाइन ज्वर और भारत में पेस्टोरेलिज्म से संबंधित वीडियो।
- योजना के लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले 13 वीडियो।
- गोपाल रत्न पुरस्कार विजेताओं को दर्शाने वाले दस वीडियो तैयार किए गए हैं, जो मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रभावशाली कथाओं और उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं।

13.1.5.4 एनएडीसीपी पर आउटडोर अभियान

खुरपका और मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण का दूसरा दौर पूरा होने पर, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के लिए पूरे देश में टियर 2 और 3 शहरों को लक्षित करते हुए एक महीने का अभियान चलाया गया है।

13.2 प्रचार–प्रसार

13.2.1 स्टार्टअप कॉन्क्लेव

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और स्टार्टअप इंडिया के निकट सहयोग से मैरियट कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद में पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में मौजूदा और उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य स्टार्ट–अप कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

कॉन्क्लेव में चयनित स्टार्टअप के प्रदर्शन, एक पिच फेस्ट, एक खरीदार–विक्रेता बैठक और पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सक्रिय शुरुआती चरण के स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार एक समर्पित कार्यशाला जैसे कार्यकलाप शामिल थे।

13.2.2 पशु प्रदर्शिनी और कृषि मेला

इस विभाग ने दिनांक 6 और 7 अप्रैल 2023 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया। यह कार्यक्रम जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयोजित किया गया। इसमें पशधन उत्पादों, सेवाओं और अत्याधुनिक तकनीकों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी रखी गई। इस कार्यक्रम में पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण, मिलावट परीक्षण, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कई चर्चाएं और सेमिनार हुए।

किसानों, उद्यमियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों, विस्तार कार्यकर्ताओं, कृषि–उद्योग पेशेवरों और वैज्ञानिकों सहित 30,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

13.2.3 विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023

पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के सहयोग से दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व पशु चिकित्सा दिवस–2023 मनाया। यह कार्यक्रम ''पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समता और समावेशिता को बढ़ावा देना'' थीम पर आयोजित किया गया और देश भर के 1500 से अधिक पशु चिकित्सकों ने भाग लिया।

13.2.4 विश्व दुग्ध दिवस 2023

दिनांक 1 जून 2023 को एसकेआईसीसी, श्रीनगर में ''ग्रीष्मकालीन बैठक'' के साथ–साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, जिसमें माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन और डेयरी मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी देखी गई तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 15 पशुपालन और डेयरी मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस आयोजन में जम्मू–कश्मीर के विभिन्न जिलों के 400 से अधिक पशुपालकों ने भाग लिया।

13.2.5 विश्व ऊंट दिवस, 2023

इस विभाग ने भाकृअनुप–राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, बीकानेर के सहयोग से दिनांक 22 जून, 2023 को ''विश्व ऊंट दिवस'' मनाया। इस उत्सव में ऊंट खेल परिसर में ऊंट सजावट प्रतियोगिता और ऊंट दौड़ शामिल थी, इसके साथ–साथ ऊंट उत्पाद तकनीकी प्रदर्शनी भी लगाई गई। ऊंट पालन और आजीविका सुरक्षा के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर चर्चा के लिए एक ''हितधारक बैठक'' आयोजित की गई, जिसमें ऊंट चरवाहों, किसानों, उद्यमियों, छात्रों और आम जनताध्पर्यटकों की भागीदारी रही। इस कार्यक्रम ने ऊंट से संबंधित कार्यकलापों के आर्थिक और आजीविका/संबंधी आयामों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों हेतु एक मंच के रूप में कार्य किया।

13.2.6 विश्व जूनोसिस दिवस 2023

दिनांक 6 जुलाई 2023 को वर्ल्ड जूनोसिस पर देश भर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को जूनोटिक रोगों और उससे संबंधित जोखिमों के बारे में शिक्षित करना, पशुधन क्षेत्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव पर जोर देना था। सीएससी नेटवर्क के माध्यम से जुड़े देश भर के 1.5 लाख से अधिक किसानों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

13.2.7 जी20 के कृषि कार्य समूह के तहत सतत पशुधन परिवर्तन (ट्रांसफॉर्मेशन) पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

इस विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 18–19 जुलाई, 2023 तक 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए अधिक कुशल और सतत कृषि–खाद्य प्रणालियों में परिवर्तित होने से संबंधित व्यावहारिक चर्चाओं और विचार–विमर्श को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में भाग लेने वाले जी20 के विशिष्ट विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों ने पशुधन

क्षेत्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान को आदान–प्रदान किया, अनुभव साझा किए और नवीन दृष्टिकोणों की संभावनाएं तलाश कीं।

पशुधन क्षेत्र में रूपांतरकारी परिवर्तन लाने और एक सतत भविष्य के लिए सहयोग को बढ़ावा देने में मील के पत्थर के रूप में इस संगोष्ठी के आयोजन की महत्ता को उजागर किया गया।

13.2.8 रन फॉर यूनिटी

माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ''रन फॉर यूनिटी'' को हरी झंडी दिखाई। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग के सचिव और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के 150 से अधिक अधिकारियों ने एकता दौड़ में भाग लिया। ''रन फॉर यूनिटी'' का आरंभ सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा के साथ किया और अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

13.2.9 वर्ल्ड फूड इंडिया 2023

विभाग ने वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में भागीदार विभाग के रूप में भाग लिया। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में किया गया।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने 15 स्टार्ट–अप और कंपनियों के साथ एक विशेष मंडप लगाकर पशुधन और डेयरी क्षेत्र संबंधी प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों, नई पहलों और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन किया।

विभाग ने **''महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना: पशुपालन और डेयरी में प्रभावी बदलाव के लिए समानता और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना''** नामक ज्ञान सत्र का आयोजन किया। सत्र का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, विशेष रूप से दूध, मांस और अंडे के प्राथमिक उत्पादन में महिलाओं के महत्व और मूल्यवान योगदान पर बल देना था।

13.2.10 एशिया और प्रशांत के लिए डब्ल्यूओएएच के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन

भारत ने नई दिल्ली में दिनांक 13 से 16 नवंबर, 2023 तक एशिया और प्रशांत के लिए डब्ल्यूओएएच (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) के क्षेत्रीय आयोग के

33वें सम्मेलन की मेजबानी की। 24 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों और इस क्षेत्र के निजी सेक्टर और निजी पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों ने वास्तविक रूप से भाग लिया, जिसमें अन्य लोग वर्चुअल रूप से शामिल हुए। गणमान्य व्यक्तियों में डॉ. मोनिक एलोइट, डब्ल्यूओएएच महानिदेशकय डॉ. बाओक्सू हुआंग, प्रतिनिधि चीन और अध्यक्ष, एशिया और प्रशांत डब्ल्यूओएएच क्षेत्रीय आयोगय डॉ. अभिजीत मित्रा, पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार, और डॉ. हिरोफुमी कुगीता, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, एशिया और प्रशांत, जापान सम्मिलित थे। सूचना साझा करने और पशु चिकित्सा सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वन्यजीव संरक्षण सहित पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़े बहु–क्षेत्रीय समन्वय तंत्र स्थापित करने के महत्व पर जोर देते हुए, चर्चाओं ने मजबूत नीति और कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस– 2023

विभाग ने ''भारत में श्वेत क्रांति के जनक, डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में ''राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023'' मनाया, जिसमें हमारे देश में डेयरी क्षेत्र की उपलब्धि और महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए और विजेताओं को सम्मानित किया गया। एक प्रदर्शनी और ष्सतत दूध उत्पादन के लिए आहार और चारा'' विषय के साथ तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के 4000 से अधिक किसानों ने इस आयोजन में भाग लिया।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया रिपोर्ट (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)

- **ट्विटरः**

  उल्लिखित अवधि के दौरान एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कुल 1,696 पोस्ट किए गए। इस प्लेटफॉर्म के 1,16,000 फॉलोअर्स हैं। उल्लिखित अवधि के दौरान, इस प्लेटफॉर्म पर 35,500 लाइक्स और 2.7 मिलियन से अधिक इंप्रेशन प्राप्त हुए।

- **फेसबुकः**

  इस अवधि के दौरान फेसबुक पर कुल 1600 पोस्ट किए गए। उक्त पोस्टों को 1,42,520

लाइक और 2,59,600 इंप्रेशन प्राप्त हुए। इस प्लेटफॉर्म के 1,34,060 से अधिक फॉलोअर्स हैं।

- **इंस्टाग्राम:**

  उपर्युक्त अवधि के दौरान इंस्टाग्राम पर कुल 1500 पोस्ट किए गए। इन पोस्टों को 9,500 लाइक और 33,400 इंप्रेशन प्राप्त हुए। इस प्लेटफॉर्म के 2,300 फॉलोअर्स हैं।

- **लिंक्डइन:**

  दिनांक 01 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान लिंक्डइन पर कुल 1500 पोस्ट किए गए। इन पोस्टों को 8,000 से अधिक लाइक्स और 4,86,240 से अधिक इंप्रेशन मिले। इस प्लेटफॉर्म के 5,800 फॉलोअर्स हैं।

- **पब्लिक ऐप:**

  पब्लिक एप पर कुल 920 पोस्ट किए गए। इस प्लेटफॉर्म के 1,92,000 फॉलोअर्स हैं।

- **सामाजिक अभियान:**

i. रेबीज जागरूकता:

विश्व रेबीज दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग, रेबीज जैसी घातक बीमारी से संबंधित पोस्ट्स लिखकर इसके बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और सहभागिता उत्पन्न करना था। पोस्ट के माध्यम से मूलभूत जानकारी दी गई–रेबीज कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? यह इंसानों के साथ–साथ पशुओं के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए यह बताया गया कि सावधानी कैसे बरती जाए।

ii. किसान क्रेडिट कार्ड:

यह अभियान मई 2023 के महीने में पशुपालकों के बीच केसीसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अभियान को 7 अलग–अलग भाषाओं में निष्पादित किया गया। संबंधित पोस्ट, रील और वीडियो के माध्यम से केसीसी के लाभ के बारे में बताया गया।

iii. पशुपोषण:

यह अभियान पशुधन को उचित पोषण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। पोस्ट क्रिएटिव्स और रील के माध्यम से संतुलित आहार, रोगों से बचाव, समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी दी गई।

iv. विश्व अंडा दिवस:

दुनिया के दूसरे अंडा उत्पादक देश के रूप में भारत के विकास के बारे में आम जनता को जानकारी देने के साथ–साथ अंडे के पोषण संबंधी लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। क्रिएटिव और रील बनाए गए और पोस्ट किए गए ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि अंडे हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त हैं और अपने पोषणिक गुणों के साथ आहार को संपूरित करते हैं।

v. विश्व दुग्ध दिवस:

दिनांक 26 नवंबर को विश्व दुग्ध दिवस मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। दूध के पोषणिक गुणों को उजागर करने और इसे बच्चों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं को दिन में कम से कम एक बार क्यों दिया जाना चाहिए, इसके लिए पोस्ट और रील बनाए गए। इस अभियान का उपयोग वैश्विक डेयरी उत्पादन में भारत की अग्रणी स्थिति के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए भी किया गया।

13.3 क्रेडिट यूनिट:

13.3.1 पशुपालन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

भारत सरकार ने पहली बार वर्ष 2019 के दौरान पशुपालन और डेयरी किसानों को केसीसी का लाभ दिया है। आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में, विभाग ने दूध सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक एक विशेष अभियान का आयोजन किया। इस कदम से भूमिहीन पशुपालन किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिला।

इसके अलावा, सभी पात्र पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से दिनांक 15 नवंबर 2021 से दिनांक 15 फरवरी 2022 तक राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान शुरू किया। इस अभियान को आगे दिनांक 31.07.2022 तक और फिर दिनांक 15.03.2023 तक बढ़ाया गया। इस अभियान के दौरान, प्राप्त आवेदनों की मौके पर जांच के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) द्वारा समन्वित केसीसी समन्वय समिति द्वारा हर सप्ताह जिला स्तरीय केसीसी शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2023–24 के लिए, केसीसी अभियान दिनांक 1 मई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक आयोजित किए गए। दिनांक 04.09.2023 को मुंबई में एफएएचडी मंत्री की अध्यक्षता में ''राष्ट्रीय केसीसी सम्मेलन'' आयोजित किया गया। इन अभियानों के तहत दिनांक 31.03.2024 तक देश में कुल 45,08,612 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 44,28,834 आवेदन स्वीकार किए गए और 30,56,223 स्वीकृत किए गए।

अब तक, एएचडी किसानों के लिए 33.84 लाख से अधिक नए केसीसी स्वीकृत किए गए। पशुपालन और डेयरी किसानों को दिनांक 31.03.2024 तक स्वीकृत नए केसीसी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रकार	स्वीकृत नए केसीसी
1	डेयरी के साथ फसल ऋण	5,85,559
2.	अन्य संबद्ध कार्यकलापों के साथ फसल ऋण	1,11,525
3.	डेयरी	24,28,103
4.	पोल्ट्री	70,644
5.	अन्य	2,59,455
कुल		33,84,642

स्रोत: वित्तीय सेवा विभाग

13.3.2 ग्राउण्ड लेवल क्रेडिट (जीएलसी):

विभाग के सतत प्रयासों के कारण, पहली बार वर्ष 2022–23 से सावधि ऋण लक्ष्यों के साथ–साथ पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा केसीसी की स्वीकृति दर में वृद्धि हुई। पिछले वर्षों में ग्राउंड लेवल क्रेडिट लक्ष्य में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। कृषि के लिए जीएलसी लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बढ़ाकर 20.00 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, जो वर्ष 2022–23 में 18.50 लाख करोड़ रुपये था।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के लिए बढ़े हुए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 20,00,000 करोड़ रुपए के समग्र सावधि ऋण लक्ष्य के भीतर पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के लिए 2,93,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2,93,000 करोड़ रुपये के कार्यकलाप–वार विवरण निम्नानुसार है;

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	कार्यकलाप	कार्यशील पूंजीगत का लक्ष्य	सावधि ऋण लक्ष्य	कुल लक्ष्य
i.	डेयरी	39,000	66,000	1,05,000
ii.	पोल्ट्री	20,000	8,000	28,000
iii.	भेड़, बकरी, सूअर पालन और पशुपालन– अन्य	63,000	72,000	1,35,000
iv.	मत्स्यपालन	18,000	7,000	25,000
कुल		**1,40,000**	**1,53,000**	**2,93,000**

****

अध्याय–14

विभागीय लेखा संगठन

विभागीय लेखा संगठन

14.1 सिंहावलोकन

पशुपालन और डेयरी विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी सचिव हैं। सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

14.1.1 सिविल लेखा मैनुअल, 2024 के पैरा 1.2.3 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: –

(क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, केवल उन्हें छोड़कर जहां आहरण और संवितरण अधिकारी कुछ प्रकार के भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करनाय अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखों को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखापरीक्षा कराना और उन्हें मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करा कर सीजीए को प्रस्तुत करना।

(ग) विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा तैयार किये गए भुगतान एवं लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेन–देन से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

14.1.2 मुख्य लेखा नियंत्रक, पशुपालन और डेयरी विभाग दो लेखा नियंत्रकों, एक सहायक लेखा नियंत्रक और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के 11 वेतन एवं लेखा कार्यालयों की सहायता से मुख्यालय में 8 प्रधान लेखा अधिकारियों (प्रशा./स्था. लेखा, राजकोषीय भुगतानय और आईएडब्ल्यू) के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वरिष्ठ लेखा अधिकारियों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा दल भी कोच्चि में तैनात हैं जो आईएडब्ल्यू (मुख्यालय) के नियंत्रण में काम करती है। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य के वितरण के संबंध में मत्स्यपालन और पशुपालन मंत्रालय में स्थापित लेखा संगठन का ऑर्गनोग्राम **अनुबंध–XIII** में दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग में पीएओ के साथ 26 एनसीडीडीओ और 10 सीडीडीओ संबद्ध हैं। लेखांकन सूचना प्रवाह चार्ट भी **अनुबंध–XIII** में दिया गया है।

14.1.3 मंत्रालय/विभाग में लेखा संगठन के प्रमुख के रूप में सीसीए की भूमिका और जिम्मेदारियां

सीजीए कार्यालय के का. ज्ञा. संख्या टीए–2–01001/2/2020–टीए–II (कॉम्प 2001)/596 दिनांक 23 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी)/संबंधित मंत्रालयों/विभागों में लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। उनके व्यापक कार्य निम्नानुसार निर्धारित हैं–

क. प्राप्ति, भुगतान और खाते:

i. यह देखना कि केंद्र सरकार के संबंधित

मंत्रालय/विभागों की सभी प्राप्तियों और भुगतान के लेखांकन के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण के साथ प्रभावी और कुशल प्रणालियां मौजूद हैं।

ii. निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप विभिन्न केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथ चेक आहरण और संवितरण कार्यालयों (सीडीडीओ) के माध्यम से भुगतान और प्राप्तियों का पर्यवेक्षण करना।

iii. संहिता प्रावधानों के अनुसार दावेदारों (सरकारी कर्मचारी, विक्रेता, अनुदान प्रदान और ऋण प्राप्तकर्ता संस्थान आदि, जिसमें जेम (GeM) के माध्यम से खरीद के संदर्भ में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी शामिल है) को समय पर भुगतान का पर्यवेक्षण करना।

iv. सीजीए कार्यालय में मासिक और वार्षिक खातों का दक्षतापूर्वक, सटीकता से और समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना।

v. समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

vi. सीजीए कार्यालय के लिए मासिक रिपोर्ट की सटीकता से और समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

vii. प्रामाणिक/प्राधिकृत बैंकों द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदायगी की निगरानी करना और सरकारी खातों में प्राप्तियों की समय पर वसूली के लिए उनकी प्रणाली की निगरानी करना।

viii. निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों के पालन की निगरानी करना।

ix. मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित वार्षिक विनियोग खातों का सीजीए कार्यालय में समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

x. अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में वार्षिक 'खाते एक दृष्टि में' तैयार करना सुनिश्चित करना।

xi. व्यक्तिगत जमा खाता खोलने या इसे चालू करने के लिए भारत के लोक लेखा में नव निर्मित निधि के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया तैयार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव की जांच करना।

xii. समय–समय पर सीजीए कार्यालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुसार प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए द्वारा भुगतान मंजूरी (जीएसटी रिफंड संस्वीकृति सहित) की समीक्षा करना।

xiii. ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण (डीडीएसआर) शीर्षों के तहत शेष राशि की निकासी की निगरानी करना और शीर्षों (Heads) के तहत प्रतिकूल शेष राशि का उपयोग करने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।

xiv. बजट परिपत्र और एलएमएमएचए (LMMHA) के अनुसार नई योजनाओं के लिए उचित लेखा शीर्ष खोलने की निगरानी करना।

xv. सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सटीक और समय पर प्राधिकार देने की निगरानी करना।

xvi. खरीद और संबंधित भुगतान से संबंधित मामलों पर जेम (GeM) स्थायी समिति के साथ समन्वय करना।

xvii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों के लेखांकन से संबंधित मामलों पर विशिष्ट रूप से सीबीडीटी और सीबीआईसी के लिए वित्तीय और तकनीकी सलाह।

उपरोक्त जिम्मेदारियों के संबंध में, प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी), लेखा महानियंत्रक के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करेंगे।

ख. परिणामी बजट सहित बजट तैयार करना:

i. प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) बजटीय प्रस्तावों की तैयारी में निगरानी और सहायता करेंगे और व्यय तथा प्रत्येक कार्यक्रम (उप–कार्यक्रम) के विश्लेषण के आधार पर, बजटीय सीमा के अंदर बेहतर परस्पर कार्यक्रम प्राथमिकता/आवंटन में प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों की सहायता करेंगे।

ii. वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय–सारिणी/दिशानिर्देशों के अनुसार परिणामी बजट/आउटपुट–आउटकम निगरानी ढांचे (ओओएमएफ) की तैयारी में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

iii. बजट प्रभाग को सार्वजनिक खाता लेनदेन और बजट प्रभाग द्वारा नियंत्रित समग्र मांगों के संबंध में बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके।

iv. कर्मचारियों के भविष्य निधि शेष राशि और आरक्षित निधि सहित सार्वजनिक खाते में विभिन्न जमाओं पर ब्याज के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

v. बजट दस्तावेजों से संबंधित सभी रिपोर्टों और विवरणों (Statements) की निगरानी करेंगे।

ग. गैर–कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान:

i. प्रशासनिक प्रभागों के साथ मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न गैर–कर राजस्व प्राप्तियों की समय–समय पर समीक्षा में एफए की सहायता करना और बजट प्रभाग, डीईए को गैर–कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान प्रस्तुत करना।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षा/जोखिम आधारित लेखापरीक्षा:

i. पीएसी, सी एंड एजी और आंतरिक लेखापरीक्षा के ऑडिट पैरा की समीक्षा करने और सहवर्ती अनुपालन/तरीके में सुधार के लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ii. वे मुख्य लेखा प्राधिकारी या सीजीए के निर्देशानुसार मंत्रालयों/विभागों में विशेष ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाला आंतरिक लेखा परीक्षा विंग अनुपालन/नियामक लेखा परीक्षा की मौजूदा प्रणाली से आगे बढ़ेगा और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा।

क. सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन, और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता और वित्तीय तथा लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता;

ख. जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी (परिणामी बजट/ओओएमएफ ढांचे में शामिल कारकों सहित);

ग. मुद्रा का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण तंत्र की इकॉनॉमी, दक्षता और प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण मूल्यांकन; और

घ. मिड–कोर्स सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली प्रदान करना।

iii. योजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन करता है और नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी करता है।

iv. उन संगठनों में सरकारी लेनदेन के संबंध में ई–एफपीबीएस सहित मान्यता प्राप्त बैंकों, अधिकृत/अन्य बैंकों/सीपीपीसी और फोकल प्वाइंट बैंक शाखाओं का ऑडिट करता है जहां इसकी आवश्यकता होती है।

v. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना और वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा तैयार करना सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त कार्य सीजीए द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

ड. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और आईटी परियोजनाएं:

i. अंतिम स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी तक निधियों के प्रवाह और भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के तहत इसके उपयोग पर नजर रखने के उद्देश्य से समयबद्ध, सटीक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मंत्रालय और सीजीए कार्यालय के पीएफएमएस प्रभाग के साथ समन्वय सहित पीएफएमएस और इसके विभिन्न मॉड्यूल के उपयोग की निगरानी करना।

ii. सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) की स्थापना के लिए डेटाबेस और प्रक्रियाओं के एकीकरण का समन्वय करना।

iii. प्रणाली के दृष्टिकोण से, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्य में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करना तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाना।

iv. पीएफएमएस के नियंत्रण और अन्य संबंधित सुरक्षा पहलुओं तक पहुंच के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और प्रणाली की नियमित निगरानी करके डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

v. सटीक व्यय रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की लेखांकन बास्केट (Accounting Basket) की सही मैपिंग सुनिश्चित करना।

vi. पीएफएमएस में रिपोर्टों और सूचनाओं की नियमित समीक्षा करना और निर्णय लेने के लिए इसे कार्यकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

vii. अपने संबंधित मंत्रालयों में योजनाओं के प्रदर्शन से संबंधित रिपोर्टों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर सभी रिपोर्टों और डैशबोर्ड की निगरानी करना।

viii. एजेंसियों आदि के निष्क्रिय पंजीकरण को समय पर बंद करना सुनिश्चित करना।

च. व्यय और नकदी प्रबंधन:

बजट प्रभाग, एमओएफ (मासिक व्यय योजना [एमईपी]/त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) सीमा, स्वायत्त निकायों को 'जस्ट–इन–टाइम' में निधियां जारी करने के लिए टीएसए प्रणाली का कार्यान्वयन) द्वारा जारी नकदी प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करना।

छ. एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटन और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं।

अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण विवरण तैयार करने में सहायता करना, ताकि उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से सरकार के लिए संकलित समेकित विवरण में शामिल किया जा सके।

ज. परिसंपत्तियों और देनदारियों की निगरानी:

परिसंपत्तियों और देनदारियों के व्यापक रिकॉर्ड को बनाए रखने और सरकारी गारंटी की निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना।

झ. वित्त मंत्रालय और एफएएस के बीच बातचीतः

प्रधान सीसीए/सीसीएएस/सीएएस (आईसी), सचिव (व्यय) के साथ एफएएस की त्रैमासिक बैठक के लिए आवश्यक सामग्री और सहायता तथा समय–समय पर एफएएस द्वारा अपेक्षित अन्य वित्तीय इनपुट प्रदान करेंगे।

ञ. सामान्य प्रशासन और समन्वयः

i. लेखा संगठन के लिए विभाग के प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और प्रशासन तथा स्थापना से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

ii. नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने के नाते प्रयोग की जाने वाली वैधानिक शक्तियों के संदर्भ में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

टिप्पणः

क. जिन मंत्रालयों/विभागों में अध्यक्ष प्रधान सीसीए होता है, संहिता प्रावधानों के अधीन, कार्य की इन मदों को उनकी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार सीसीए/सीए को सौंपा जा सकता है।

ख. उपरोक्त के अलावा, मुख्य लेखा प्राधिकारी/महालेखा नियंत्रक द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के लिए भी प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए जिम्मेदार होंगे।

ग. इसके अलावा, मंत्रालय के बजट अनुभाग को आमतौर पर सीसीए के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए और एफएस एवं सचिव (व्यय) द्वारा दिनांक 13/06/2023 के डीओ पत्र 23(3)/ई. समन्वय/2018 द्वारा जारी वित्तीय सलाहकार संबंधी चार्टर के पैरा 43 और पैरा 44 के संदर्भ में, इसके सुचारू कार्य और कुशल संचालन से संबंधित मुद्दों को हल करने में अन्य बातों के साथ–साथ सीसीए से पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

14.2 बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई–भुगतान का निपटान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किया जाता है। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर–कर–प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा भी मान्यता प्राप्त बैंकों को रसीदें भेजी जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में 11 (ग्यारह) वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं। पांच पीएओ दिल्ली/एनसीआर में, एक–एक चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, नागपुर में और दो मुंबई में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित पीएओ से संबद्ध पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी अपने दावे/बिल नामित पीएओ/सीडीडीओ को प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल लेखा मैनुअल, रसीद और भुगतान नियमों तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद ई–भुगतान जारी करते हैं।

14.3 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

आंतरिक लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श कार्यकलाप है जिसे मूल्यवर्धन और संगठन के संचालन में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल रूप से जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की

प्रभावशीलता का मूल्यांकन और उसमें सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण को शामिल करके संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है। यह वस्तुनिष्ठ आश्वासन और सलाह प्रदान करने के लिए भी एक प्रभावी उपकरण है जो महत्व को बढ़ाता है, ऐसे परिवर्तन को प्रभावित करता है जो शासन में सुधार करता है, जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार करता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव, पशुपालन एवं डेयरी की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। स्वायत्त निकायों और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों को छोड़कर पशुपालन और डेयरी विभाग में 36 ऑडिटी इकाइयाँ / डीडीओ हैं।

14.4 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू में वर्ष 2008–09 में पूर्ववर्ती योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक एक योजना स्कीम के रूप में शुरू हुई थी।

I. पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूलः

यह मॉड्यूल पशुपालन और डेयरी विभाग के आहरण और संवितरण कार्यालय में क्रियान्वित किया गया है।

II. पीएफएमएस का ईएटी मॉड्यूल : पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी स्वायत्त निकायों को पीएफएमएस के व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल पर शामिल किया गया है।

III. गैर–कर राजस्व संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष):

पशुपालन एवं डेयरी विभाग में एनटीआरपी पोर्टल अप्रैल, 2017 से कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग का गैर–कर राजस्व संग्रह 122.16 करोड़ रु. है जिसे एनटीआर ई–पोर्टल पर भारत कोष के माध्यम से एकत्र किया गया है।

IV. एनटीआरपी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट लिंक http://cga.nic.in//Page/FAQs.aspx पर उपलब्ध हैं।

14.5 वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा की गई नई पहलें

क. 'ई–बिल प्रणाली'

क. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई–बिल प्रणाली शुरू की थी। नई ई–बिल प्रणाली कागज रहित बिल जमा करने और बिलों की संपूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम बनाएगी।

ख. नई प्रणाली चरणबद्ध तरीके से, बिलों को प्रस्तुत करने और बैकएंड प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित और पारदर्शी बना देगी। इस प्रकार, यह ''डिजिटल इंडिया'' के दृष्टिकोण को साकार करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम है।

ग. प्रणाली के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं से भी अपने बिल/दावे प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना।

ii. आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच फिजिकल इंटरफेस को समाप्त करना।

iii. बिलों/दावों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना।

iv. ''फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट'' (एफआईएफओ) पद्धति के माध्यम से बिलों पर कार्रवाई करने में विवेकाधिकार को कम करना।

घ. वर्तमान में, सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अपने बिलों की वास्तविक, स्याही हस्ताक्षरित प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों को भी अपने दावों की हार्ड कॉपी जमा करनी होती है। बैकएंड पर भी, बिलों का प्रसंस्करण वास्तविक और डिजिटल मोड की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को बिल देने के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही, वे अपने बिलों के प्रसंस्करण की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं।

ङ. नई शुरू की गई ई–बिल प्रणाली के तहत, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किसी भी समय अपने घर/कार्यालय से सहायक दस्तावेजों के साथ अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं, उनके लिए आधार का उपयोग करके ई–साइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं को अब इस उद्देश्य के लिए संबंधित कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

च. बैकएंड पर भी, प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक बिल को प्रत्येक चरण में अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और अंत में, भुगतान विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अपने बिलों की प्रोसेसिंग की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, नया सिस्टम, प्रणाली में बहुत दक्षता और पारदर्शिता लाएगा और यह भारत सरकार का एक बड़ा नागरिक–केंद्रित निर्णय है।

छ. ई–बिल प्रणाली को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। बिलों को फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट (FIFO) पद्धति द्वारा संसाधित किया जाएगा।

ज. व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और लाखों विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सुविधा के अलावा, ई–बिल प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे सालाना करोड़ों पेपर बिल जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार हर साल कई टन कागज की बचत होगी। ई–बिल प्रणाली में दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक विस्तृत डिजिटल स्टोरेज सुविधा और एक मजबूत ऑडिट ट्रेल मौजूद है।

(ख) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रिया:

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए और फ्लोट को कम करने के लिए, व्यय विभाग ने सीएसएस के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी।

एसएनए मॉडल के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सार:

क. प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

ख. योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और आईए के शून्य शेष सहायक खाता खोलने या उन्हें एसएनए के खाते से अधिकार प्राप्त

करने के लिए सौंपने से पहले, आईए अपने खातों में पड़ी सभी अव्ययित राशि को सभी स्तरों पर एसएनए के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगे।

ग. एसएनए यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के संदर्भ में यथानुपात आधार पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से विप्रेषित किया जाना चाहिए।

घ. एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध निधियां वर्ष 2022–23 के लिए एक राज्य को सीएसएस के तहत जारी की जाने वाली राशि (राज्य के हिस्से सहित) के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ. एसएनए और आईए अनिवार्य रूप से पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करेंगे या पीएफएमएस के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक आईए द्वारा पीएफएमएस पर जानकारी हर दिन कम से कम एक बार अपडेट की जाती है।

च. सीएसएस के मामले में जहां राज्य का कोई हिस्सा नहीं है और जहां योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे जिलों / ब्लॉकों / ग्राम पंचायतों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं, राज्य स्तर पर एकल नोडल एजेंसी को अधिसूचित करने और एकल नोडल खाते को खोलने की आवश्यकता को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से माफ किया जा सकता है।

(ग) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रियाः

पिछले सभी जारी आदेशों के अधिक्रमण में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने के संबंध में केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) नामित करके केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों के प्रवाह के लिए दिशानिर्देशों/प्रक्रिया का उल्लेख करते हुये दिनांक 09 मार्च 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 जारी किया है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी प्रक्रिया को दो मॉडलों में विभाजित किया गया है:–

i) **ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल I के माध्यम से कार्यान्वयन**– यह मॉडल 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में लागू होगा और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसी योजनाओं को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से लागू करना अनिवार्य होगा।

ii) **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मॉडल II के माध्यम से कार्यान्वयन–** यह मॉडल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के निम्न मामलों में लागू होगा (क) 500 करोड़ रुपये से कम वार्षिक परिव्यय या (ख) योजनाएं विशेष रूप से राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा या केंद्रीय एजेंसियों के अतिरिक्त लागू की जा रही हों अथवा (ग) मॉडल–1 में कवर नहीं की गईं अन्य योजनाएं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सारः

क. मॉडल–I या मॉडल–II के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पहचान।

ख. केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में एबी/सीपीएसई/कार्यान्वयन एजेंसियों की अधिसूचना।

ग. मॉडल–I के तहत प्रत्येक योजना के लिए आरबीआई (ई–कुबेर) के साथ असाइनमेंट खाता खोलना।

घ. मॉडल–II के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में प्रत्येक योजना के लिए खाता खोलना।

ङ. सीएनए और एसए के मौजूदा बैंक खातों को सूचीबद्ध करना और बंद करना।

च. खाते में शेष राशि को मॉडल–I के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और सभी उप एजेंसियों (एसए) द्वारा योजना की अव्ययित राशि मॉडल–II के तहत सीएनए खाते में लौटा दी जाती है।

छ. निधियों से अर्जित ब्याज को मॉडल–II के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में विप्रेषित किया जाता है।

ज. पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग या पीएफएमएस के साथ उनके सिस्टम का एकीकरण।

घ. पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देशः

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय ने दिनांक 30.09.2022 के का.ज्ञा. संख्या 1–17016/1/2022–आईटीडी–सीजीए/10985/229 के द्वारा पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देश जारी किए हैं:

क) एक्सेस प्रबंधनः

i) पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल पर काम करने वाले अधिकारियों के नए उपयोगकर्ता पंजीकरण (New User Registration) के लिए, केवल एनआईसी/जीओवी डोमेन वाली ईमेल आईडी की अनुमति होगी। विभिन्न फील्ड कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कई कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक ही ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही पीएओ कोड के भीतर अधिकतम चार उपयोगकर्ता आईडी और अन्य (Across) पीएओ कोड के लिए अतिरिक्त तीन उपयोगकर्ता आईडी के लिए किया जा सकता है।

ii) सिस्टम में उपयोगकर्ता (Users) के निर्माण के लिए दो स्तरों के अनुमोदन की प्रणाली और अनुमोदनकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ताओं के निर्माण पर ई–मेल/एसएमएस अलर्ट बनाया गया है।

iii) पीएफएमएस में 45 दिनों से अधिक तक निष्क्रिय उपयोगकर्ता आईडी को अक्षम (disabled) के रूप में चिन्हित करना लागू किया जा रहा है।

iv) किसी भी समूह क और समूह ख के अधिकारी को कार्यभार मुक्त करते समय, जो पीएफएमएस में एक उपयोगकर्ता है अर्थात सीसीए स्तर का उपयोगकर्ता, पीएओ प्रकार का उपयोगकर्ता, उनके डिजिटल हस्ताक्षर और उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए।

v) उपयोगकर्ता द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जा रहे सिस्टम के अलावा सिस्टम में उपयोगकर्ता लॉगिन के मामले में परिवर्तन के लिए उपयोगकर्ता को सचेत करने की सूचना दी जाती है।

ख) पीएफएमएस में पासवर्ड नीतिः

i) पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए।

ii) पासवर्ड में अनिवार्य रूप से विशेष अक्षरों के साथ ही अल्फा न्यूमेरिक वर्ण दोनों शामिल होने चाहिए।

iii) पासवर्ड की उपयोगकर्ता नाम या उपयोगकर्ता नाम के भाग के साथ समानता नहीं होनी चाहिए।

ग) भुगतान की प्रक्रिया:

i) प्रधान लेखा अधिकारी की I कुंजी/डीएससी को अनिवार्य रूप से सीसीए स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा जबकि पीएओ की I कुंजी/डीएससी को प्रधान लेखा अधिकारी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा और पीएओ स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा सीडीडीओ के उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। पीएफएमएस में हर सत्र के लिए I कुंजी/डीएससी डालने की टाइमआउट प्रक्रिया तय की गई है।

ii) पीएओ को सख्ती से सलाह दी जाए कि वे अपने कार्यालय के बाहर स्थापित कंप्यूटरों पर पीएओ/डीडीओ मॉड्यूल का उपयोग न करें और भुगतान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग न करें।

iii) भुगतान करने के लिए निर्धारित सभी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोगकर्ता के लिए स्पष्ट निर्देशों द्वारा निर्धारित किए जाने तक सभी स्तरों पर भौतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

iv) भुगतान करने के लिए प्राधिकृत सभी भुगतान एवं लेखा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करने से पहले बैच की प्रत्येक भुगतान फाइल को संबंधित वास्तविक बिल/ई–बिल के साथ अनिवार्य रूप से सत्यापित करेंगे।

घ) नेटवर्क सुरक्षा:

i) हमेशा वास्तविक सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए नवीनतम अपडेट/पैच इंस्टॉल करें।

ii) फायरवॉल सक्षम करें, कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता विशेषाधिकार सीमित करें, फाइल संलग्नक खोलने से पहले ईमेल प्रेषक आईडी और वेब लिंक जांचें और सत्यापित करें।

iii) मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, सोशल इंजीनियरिंग के हमलों से बचाव करें।

iv) केवल आधिकारिक आपूर्ति किए गए यूएसबी स्टोरेज मीडिया का ही उपयोग करें।

v) उपयोगकर्ताओं को समय–समय पर साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

vi) पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें।

vii) इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग संवेदनशील आधिकारिक दस्तावेजों/पत्राचारों के प्रारूपण/भंडारण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

ड. कुछ अन्य नई पहलें

- टीएसए/एसएनए/सीएनए पर व्यय विभाग (DoE) के दिशानिर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन।
- योजनावार व्यय, अव्ययित शेष राशि, बकाया यूसीएस, राजकोष से एसएनए को अधिकता/घाटे के हस्तांतरण की योजनावार और राज्यवार एमआईएस, एसएनए खाते में उपलब्ध निधि, सीएफआई को प्रेषित ब्याज, 'लेगेसी' डेटा की स्थिति का विवरण साप्ताहिक आधार पर कार्यक्रम प्रभाग के साथ साझा किया जा रहा है ताकि निधि प्रवाह की निगरानी की जा सके और उन्हें समय पर (जेआईटी) जारी करने में मदद मिल सके।
- प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रभागीय प्रमुखों सहित सभी हितधारकों के लिए पीएफएमएस के ई–बिल और टीएसए मॉड्यूल पर प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।
- बकाया एमईए डेबिट दावों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया था।

- सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) में विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को भुगतान में देरी और पीएफएमएस के अनुसार ब्लॉक बजट के संदर्भ में लंबित बिलों की स्थिति संबंधित विभाग प्रमुख को सूचित की जा रही है, जिसकी एक प्रति सचिव के पीपीएस और एएस एंड एफए को दी जा रही है जिससे कि डीओई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान जारी किया जा सके।
- सीजीए के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में मुख्य लेखा प्राधिकारी यानी सचिव (पशुपालन और डेयरी) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति की स्थापना की गई है। वर्ष 2022–23 में बकाया आंतरिक ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और साप्ताहिक आधार पर सचिव की अध्यक्षता में एसओएम में बकाया पैरा की आवधिक समीक्षा की गई है। एनपीएस निरीक्षण तंत्र के लिए समिति का गठन और वित्तीय सलाहकार की टिप्पणियों के साथ एनपीएस डैशबोर्ड में त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करना।
- प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय के सभी अधिकारियों के लिए पदनाम आधारित ई–मेल खोला गया है।
- आरटीआई, पीजी एवं वीआईपी सन्दर्भों सहित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 2.0
- वर्ष 2022–23 में पीएफएमएस की इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रणाली (ई–बिल) के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षण सह रोल–आउट योजना।
- डीएफपीआर के नियम (8) के तहत खातों के संशोधित/नए वस्तु शीर्षों के संचालन के लिए व्यय विभाग (DoE) द्वारा दिनांक 12.12.2022 को अधिसूचना और सीजीए कार्यालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था और इस संबंध में प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।
- आंतरिक नियंत्रण में सुधार और कौशल के उन्नयन के लिए, प्रधान सह वेतन और लेखा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सीवीसी, डीओपीटी दिशानिर्देशों और सीजीए कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थानांतरित किया गया है।
- पीएफएमएस खोलने के लिए फिडो (FIDO) डिवाइस के माध्यम से द्वितीय कारक (Second Factor) बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता और टीएसए/एसएनए/सीएनए मार्ग के अलावा एबीएस को जीआईए (वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन) जारी करने के लिए योजना–वार बैंक खाता खोलना।
- दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 07.03.2023 तक सिविल लेखा सप्ताह का आयोजन।
- साप्ताहिक और मासिक आधार पर पीएफएमएस की टीएम–02 रिपोर्ट (भुगतान टैब में सीएएम रिपोर्ट के तहत) की निगरानी के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (DoE), पीएफएमएस प्रभाग के का. ज्ञा. एफ.सं. 8/(01)/पीएफएमएस/2023 दिनांक 17.04.2023 के अनुसरण में पीएफएमएस से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए पीडी और आईएफडी के लिए कॉल के पहले पोर्ट के रूप में डीसीए की अध्यक्षता में प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय में पीएफएमएस प्रकोष्ठ का गठन।
- सीजीए कार्यालय के दिशानिर्देशों के संदर्भ में वित्त मंत्रालय (DoF) की योजनाओं का जोखिम आधारित लेखा परीक्षण।

- पीएफएमएस के संस्वीकृति मॉड्यूल में मौजूदा जावा आधारित उपयोगिता के स्थान पर नई विंडो आधारित डिजिटल हस्ताक्षर उपयोगिता का कार्यान्वयन।
- केंद्रीय नागरिक पेंशन नियम, 2021 के नियम 32 के संदर्भ में समय पर पीएओ के परामर्श से सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा अर्हक सेवा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान। मासिक आधार पर पीएओ और डीडीओ के बीच व्यय का समाधान।
- पेंशन मामलों को संवेदनशीलता से और समय पर निपटाना।
- सीजीए और कैग (सीएजी) ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए विशेष अभियान।
- पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट एडवाइस (e-IGAA) की प्रोसेसिंग शुरू (Roll - out)।
- सीजीए कार्यालय के दिनांक 19.07.2023 के का. ज्ञा. के संदर्भ में किसी भी वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर निवारक उपाय

9. बजट अनुमान (BE) 2023–24 के संदर्भ में दिनांक 31.03.2024 तक का व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	योजना का नाम/ विवरण	बीई वर्ष 2023–24	आरई वर्ष 2023–24	प्रगतिशील व्यय 31.03. 2024 तक	बीई की तुलना में, व्यय का %	आर.ई.की तुलना में, व्यय का %
	1	2	3	4		5
1	केंद्र का स्थापना व्यय					
1.1	सचिवालय आर्थिक सेवा	56.40	62.90	57.76	102.41%	91.83%
1.2	पशु स्वास्थ्य संस्थान	27.00	26.75	21.64	80.15%	80.90%
1.3	लघु पशुधन संस्थान	45.00	44.00	33.34	74.09%	75.77%
1.4	नस्ल सुधार संस्थान	60.00	39.54	37.19	61.98%	94.06%
1.5	पशुपालन का उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच)	--	25.73	19.06	--	74.08%
	कुल – केंद्र का स्थापना व्यय	**188.40**	**198.92**	**168.99**	**89.70%**	**84.95%**
2	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/ परियोजनाएं**					

2.1	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2349.71	1500.00	1034.47	44.03%	68.96%
2.2	अवसंरचना विकास निधि	340.00	340.00	271.09	79.73%	79.73%
	कुल – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं / परियोजनाएं	**2689.71**	**1840.00**	**1305.56**	**48.54%**	**70.95%**
3	**अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय**					
3.1	वैधानिक और स्वायत्त निकाय					
(i)	जीव–जंतु कल्याण बोर्ड	12.00	12.00	10.23	85.25%	85.25%
(ii)	पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए)	1.51	1.51	1.51	100.00%	100.00%
(iii)	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	30.30	10.00	4.00	13.20%	40.00%
3.2	**कुल वैधानिक और स्वायत्त निकाय**	**43.81**	**23.51**	**15.74**	**35.93%**	**66.95%**
	अन्य					
(i)	दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस)	360.00	270.00	195.72	54.37%	72.49%
	कुल अन्य	**360.00**	**270.00**	**168.77**	**54.37%**	**72.49%**
	कुल – अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय	**403.81**	**293.51**	**211.46**	**52.37%**	**72.05%**
4	**केंद्र प्रायोजित योजनाएं**					
4.1	विकास कार्यक्रम					

(i)	डेयरी विकास	326.93	371.00	370.83	113.43	99.95%
(ii)	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	600.00	869.54	869.13	144.86%	99.95%
(iii)	पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	50.00	34.65	22.90	45.80%	66.09%
(iv)	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	410.00	410.00	370.31	90.32%	90.32%
(v)	सहकारिता के माध्यम से डेयरी (ईएपी)	19.00	166.31	166.31	875.32%	100.00%
	कुल – विकास कार्यक्रम	**1405.93**	**1851.50**	**1799.48**	**127.99%**	**97.19%**
	कुल केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**1405.93**	**1851.50**	**1799.48**	**127.99%**	**97.19%**
	कुल (अनुदान संख्या 44)	**4687.85**	**4183.93**	**3485.49**	**74.35%**	**83.31%**

****

अध्याय–15

संसद अनुभाग के कार्यकलाप

संसद अनुभाग के कार्यकलाप

अध्याय-15

15.1 परिचय

संसद अनुभाग, विभाग के सभी संसदीय मामलों से संबंधित कार्य करता है और लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सभी मामलों को संभालने के लिए नोडल अनुभाग है। संसद अनुभाग, विभाग के अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम प्रभागों के समन्वय से सभी संसदीय मामलों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करता है। यह अनुभाग ऐसे सभी मामलों से निपटने के लिए विभाग और लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एकल नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

15.2 भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

संसद अनुभाग की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के अलावा, सरकारी विधेयकों/संशोधनों, निजी सदस्य विधेयकों, कटौती प्रस्ताव आदि को पेश करने से संबंधित संसदीय प्रश्न संबंधी मामलों को देखनाय डीएएचडी के दायरे में आने वाले विभिन्न निकायों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को संसद में रखने से संबंधित समन्वय; डीएएचडी की विभाग संबंधी स्थायी समिति (अर्थात कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति), अन्य संसदीय समिति और डीएएचडी की परामर्शी समिति से संबंधित मामलेय संसदीय आश्वासनों की हैंडलिंग; लोकसभा में नियम 377 के तहत और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए विभिन्न मामलेय स्थायी समिति की रिपोर्ट और अन्य विविध मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट/टिप्पण के लिए विवरण प्रस्तुत करना शामिल है।

15.3 दिनांक 01–01–2023 से 31–03–2024 तक संसद इकाई में किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण

i. कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक

क्र. सं.	दिनांक	बैठक का विषय/स्थान
1.	22–02–2023	अनुदान मांगों (2023–24) की जांच कक्ष सं. ग, भूतल, संसदीय सौध में आयोजित
2.	19–12–2013	देसी गोपशु नस्लों की सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

ii. डीएएचडी की परामर्शी समिति की बैठकें: –

क्र. सं.	दिनांक	बैठक का विषय/स्थान
1	02.06.2023	श्रीनगर में आयोजित "मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन" (अंतर–सत्रीय)
2.	03–08–2023	संसदीय सौध में आयोजित पशुधन बीमा (अंतः–सत्रीय)
3.	07–02–2024	संसदीय सौध में आयोजित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (अंतः–सत्रीय)

iii. वर्ष 2022–23 के विगत 3 सत्रों, अर्थात बजट, मॉनसून और शीत सत्र में संसदीय प्रश्नों की संख्या;–

क्र. सं.	सत्र	लोक सभा	राज्य सभा	कुल
1.	बजट सत्र	121	47	168
2.	मॉनसून सत्र	82	45	127
3.	शीत सत्र	84	47	131

iv. संसद में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों और लेखापरीक्षित खातों का विवरण

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय/ संगठन का नाम	निम्न वित्तीय वर्ष के लिए एआर/एए	संसद भवन में रखी गई एआर/एए का विवरण	
			लोक सभा	राज्य सभा
1.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई)	2016–17 2017–18 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22	19–12–2023	09–02–2024
2.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)	2022–23	05–12–2023	08–12–2023
3.	भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई)	2022–23	19–12–2023	09–02–2024

****

अध्याय–16

विभाग की साइबर सुरक्षा की स्थिति

विभाग की साइबर सुरक्षा की स्थिति

अध्याय-16

साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्ट

16.1 विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए उपाय

16.1.1 साइबर सुरक्षा के लिए आईटी बजट

विभाग ने बजट से आईसीटी/आईटी कार्यकलापों के लिए बजट अनुमान में से 70 लाख रुपये और संशोधित अनुमान में से 125 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है तथा साइबर सुरक्षा के लिए आईटी बजट का कम से कम 10% हिस्सा आवंटित किया है।

16.1.2 सीआईएसओ और डीसीआईएसओ का नामांकन

आईटी सुरक्षा के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीसीआईएसओ) का नामांकन किया गया है। साइबर सुरक्षा निर्देशों के अनुसार सीआईएसओ (संपर्क बिंदु) से सीईआरटी–इन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पदनाम	संगठन	अधिकारी
1	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)	डीएएचडी	सुश्री वर्षा जोशी, आईएएस अपर सचिव
2	उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीसीआईएसओ)	एनआईसी–डीएडीएफ	नागराज कुलकर्णी विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ निदेशक (आईटी), एनआई

16.1.3 मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)

मुख्य सूचना अधिकारियों के नामांकन संबंधी दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं ओ–1101311/9/2022 (ई–23076) के अनुसार, विभाग ने निम्नलिखित सीआईओ नामित किया है:

पदनाम	संगठन	अधिकारी
मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)	डीएएचडी	सुश्री वर्षा जोशी, आईएएस अपर सचिव

16.1.4 साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) संबंधी दस्तावेज

भारत सरकार यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अपना स्वयं का सीसीएमपी तैयार करे जो कि क्षेत्रीय (सेक्टोरल) साइबर संकट प्रबंधन योजना हो। यद्यपि आईसीटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक (फिजिकल) उपायों सहित सभी संभव सुरक्षा उपाय किए जाते

हैं, फिर भी बढ़ते खतरों के साथ, संभावित दुश्मनों द्वारा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है और सेवाओं का दुरुपयोग किया जा सकता है और/या उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध सेवाओं से वंचित किया जा सकता है। इसलिए, उन संभावित खतरों के खिलाफ हमारी आईसीटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए सभी निवारक उपाय करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। व्यक्तिगत और संगठन स्तर पर आने वाले खतरों और उनसे निपटने के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में समझना तथा हमलों के दौरान भी निर्बाध कामकाज सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियां प्रक्रियाएं, स्थापित करना भी अनिवार्य है।

संकट प्रबंधन योजना, साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए है। इसमें साइबर घटना, प्रतिक्रिया तथा पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के बीच समन्वय हेतु रूपरेखा का वर्णन किया गया है विभाग के लिए एक सीसीएमपी उपलब्ध है।

16.1.5 वेबसाइट (https://dahd.nic.in)

विभागीय वेबसाइट अद्यतित है और नवीनतम एसएसएल और सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र वाले एचटीटीपीएस पोर्ट पर सुरक्षित रूप से चल रही है।

वेबसाइट के लिए दिनांक 12–04–2026 तक वैध एसक्यूटीसी/जीआईजीडब्ल्यू 2.0 प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

वेबसाइट के प्रबंधन के लिए वेबसाइट गुणवत्ता मैनुअल (डब्ल्यूक्यूएम) दस्तावेज मौजूद है। वेब सूचना प्रबंधक (डब्ल्यूआईएम) को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नामित किया गया है। वह जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन की पाक्षिक समीक्षा करके उसे https://guidelines.india.gov.in/guidelines/पर अद्यतित करता है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
वेब सूचना प्रबंधक (डब्ल्यूआईएम)	विभाग	सुश्री वर्षा जोशी, आईएएस अपर सचिव

16.1.6 अंतिम बिंदु (एंड प्वाइंट) सुरक्षा

विभाग में एक सर्वेक्षण कराया गया है और सुरक्षा अनुपालन की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि पुराने सामानों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, असमर्थित ओएस, स्विच रिप्लेसमेंट, असमर्थित वाईफाई डिवाइस), को हटाना, एंटीवायरस (एवी) इंस्टाल करना/एंडप्वाइंट की पहचान और प्रतिक्रिया (ईडीआर), मैक बाइंडिंग, विभाग का अलग आईपी विभाजन और विभाग के भीतर कार्यात्मक स्तर पर विभाजन आदि।

16.1.7 साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

विभाग–व्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना और सीईआरटी–इन दिशानिर्देशों के अनुसार साइबर खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रथाओं के बारे में अंतिम उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से शिक्षित करना।

16.1.8 विभाग की नेटवर्क कनेक्टिविटी

विभाग निकनेट कनेक्टिविटी वाले दो अलग–अलग स्थानों में स्थित है। एनआईसी के मार्गदर्शन में नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों का प्रबंधन विभाग में तैनात जनशक्ति द्वारा किया जा रहा है।

16.1.9 प्रत्यायोजित प्रबंधक (डेलिगेटिड एडमिन) (डीए)

प्रत्यायोजित प्रबंधक (डीए) मंच संगठनों/विभागों को संबंधित डोमेन/विभागों के ईमेल उपयोगकर्ताओं के लिए सभी कार्य करने की अनुमति देता है। डीए जब आवश्यक हो, ई–मेल समर्थन टीम के माध्यम से अनुरोध को रूट किए बिना ईमेल खातों को बना सकता है, हटा सकता है, सक्रिय कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, आईएमएपी और पीओपी

को सक्षम/अक्षम कर सकता है, पासवर्ड बदल सकता है, मोबाइल आदि को अपडेट कर सकता है। विभाग ने निम्नानुसार एक प्रत्यायोजित प्रबंधक (डीए) नामित किया है। विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए gov.in/nic.in ईमेल आईडी होना सुनिश्चित किया और कवच को 2 कारकीय (फैक्टर) प्रमाणीकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
प्रत्यायोजित प्रबंधक (डीए)	डीएएचडी	डॉ. बादल विश्वकर्मा निदेशक

16.1.10 ई–ऑफिस

विभाग में ई–ऑफिस चलाने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विभाग के सभी संबंधित ई–ऑफिस उपयोगकर्ता परिचय आधारित 2 कारकीय सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। विभाग पेपरलेस कार्यालय बन गया है। डीएआरपीजी द्वारा दिनांक 19 दिसंबर, 2023 को ई–ऑफिस एडवांस्ड एनलिटिक्स डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया है। डैशबोर्ड एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो वास्तविक समय में डेटा और रुझानों के आकलन के माध्यम से डिलेअरिंग, ई–रसीद, अंतर–मंत्रालयी फाइल स्थानांतरण, ई–फाइल/पी–फाइल, डीएससी / ईसाइन के उपयोग और वीपीएन उपयोग के चयनित मैट्रिक्स प्रस्तुत करता है। इन मानकों का केंद्रीय सचिवालय में संसाधन की गति और प्रभावकारिता पर सीधा असर पड़ता है। एनआईसी, डीएएचडी ने सचिव, एएचडी को ई–ऑफिस एडवांस्ड एनलिटिक्स डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान की है ताकि उन्हें पशुपालन और डेयरी विभाग में समग्र ई–ऑफिस वातावरण की निगरानी करने में मदद मिल सके।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	डीएएचडी	श्री एस. सी. श्रीवास्तव निदेशक, (प्रशासन–I)

16.1.11 बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस)

विभाग में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) के प्रबंधक हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	डीएएचडी	श्री मधुसुदनन वी–के–अवर सचिव

16.1.12 स्पैरो

10–विभाग में स्पैरो हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	डीएएचडी	श्री राम प्रताप सिंह अवर सचिव

16.1.13 क्लाउड खाता/संसाधन प्रबंधन

क्लाउड में नियमित रूप से क्लाउड अकाउंट और डिजिटल एसेट प्रबंधन किया जा रहा है।

16.1.14 संबंधित डोमेन में Gov.in का प्रबंधन

विभाग में gov.in (डोमेन नाम) संबंधित कार्यकलाप (registry.gov.in का उपयोग करके) के तहत डोमेन

नाम के प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

पदनाम	संगठन	अधिकारी
नोडल अधिकारी	डीएएचडी	सुश्री वर्षा जोशी, आईएएस, अपर सचिव

16.1.15 (इंवेंट्री) सूची

विभाग अधिकृत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सूची का रख–रखाव कर रहा है।

16.1.16 मैनेज सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) की नियुक्ति

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रबंधन के रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता प्रबंधकों (एमएसपी) को नियुक्त किया जा रहा है।

16.2 नियोजित कार्रवाई:

16.2.1 समर्पित साइबर सुरक्षा टीम

सीआईएसओ की सहायता के लिए आईटी संचालन और अवसंरचना से अलग एक समर्पित साइबर सुरक्षा टीम बनाई जाएगी। टीम निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

i. नेटवर्क की सुरक्षा की निगरानी करना और सुरक्षा चेतावनियों का जवाब देना

ii. घटना की प्रतिक्रिया का संचालन करना

iv. आईटी सुरक्षा नीतियों को तैयार करना, क्रियान्वित करना और समीक्षा करना

iv. संगठन के भीतर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभ्यास और अभियान आयोजित करना

v. सीईआरटी–इन और अन्य सरकारी तथा उद्योग साइबर सुरक्षा संगठनों के साथ संपर्क करना

16.2.2 संपूर्ण अवसंरचना का आंतरिक और बाह्य ऑडिट

विभाग संपूर्ण अवसंरचना का आंतरिक और बाह्य ऑडिट प्रारंभ करेगा तथा ऑडिट परिणाम के आधार पर उचित सुरक्षा नियंत्रण तैनात करने की पहल करेगा। सर्ट–इन पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों की सेवाओं का उपयोग बाह्य ऑडिट के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

16.2.3 स्वचालित स्कैनिंग उपकरण

अनधिकृत उपकरणों और सॉफ्टवेयर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्वचालित स्कैनिंग के लिए तंत्र। दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत अंतिम बिंदु प्रबंधन (यूईएम) उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

16.2.4 मैनेज सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) की नियुक्ति

विभाग आईटी अवसंरचना के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार जल्द ही एनआईसी सूचीबद्ध एमएसपी नियुक्त करेगा। एमएसपी कृषि भवन और चंद्रलोक भवन में आईटी अवसंरचना का प्रबंधन करेगा।

16.2.5 नेटवर्क विभाजन/वर्चुअल लैन (वीएलएएन)

विभाग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) और फायरवॉल नियमों का उपयोग करके जोन को अलग करने और वीएलएएन के बीच संचार को प्रतिबंधित करने के लिए वीएलएएन विभाजन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करेगा। विभाग एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) भी स्थापित करेगा और नेटवर्क प्रबधन के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश को पूरा करने के लिए एल 3 और एल 2 स्विच खरीदेगा। स्विच के फर्मवेयर को नवीनतम संस्करण में अपडेट किया जाएगा।

****

अनुबंध

20वीं पशुधन संगणना 2019 के दौरान पशुधन और पोल्ट्री की राज्यवार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरी	सुअर	घोड़ा+ टट्टू	खच्चर	गधा	ऊंट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल कुक्कुटकु
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36438	3700	5	64761	40488	0	0	2	0	0	0	145394	1289160
2	आंध्र प्रदेश	4600087	6219499	17626971	5522133	91958	1884	240	4678	166	0	0	34067616	107863152
3	अरुणाचल प्रदेश	339221	6379	7345	159740	271463	3051	0	0	0	24075	350154	1161428	1599575
4	असम	10909239	421715	332100	4315173	2099000	12783	724	900	567	0	0	18092201	46712341
5	बिहार	15397980	7719794	213377	12821216	343434	32176	1491	11264	88	0	0	36540820	16525349
6	चंडीगढ़	13440	12177	0	998	138	237	0	0	0	0	0	26990	48883
7	छत्तीसगढ़	9983954	1174722	180229	4005657	526901	675	21	142	1	0	0	15872302	18711824
8	दादरा और नगर हवेली	39736	997	84	7548	0	39	0	0	0	0	0	48404	89671
9	दमन और दीव	1840	374	68	987	0	15	0	0	0	0	0	3284	18264
10	दिल्ली'	86433	162142	932	30470	76346	2694	136	1087	157	0	0	360397	43831
11	गोवा	60247	27207	8	9446	35480	15	1	0	2	0	0	132406	349543
12	गुजरात	9633637	10543250	1787263	4867744	658	21811	5	11286	27620	0	0	26893274	21773392
13	हरियाणा	1928682	4368023	288370	334640	108240	9683	2499	800	5154	0	0	7046091	46294965
14	हिमाचल प्रदेश	1828017	646565	791345	1108413	2477	8851	20415	4797	26	1940	0	4412846	1341951
15	जम्मू और कश्मीर	2539240	690829	3247503	1730218	1215	63335	16722	9563	466	26221	12	8325324	7366308
16	झारखंड	11223052	1350313	641183	9121173	1276973	1378	73	400	0	0	0	23614545	24832906
17	कर्नाटक	8469004	2984560	11050728	6169392	323836	7018	51	8790	33	0	0	29013412	59494481
18	केरल	1341996	101504	1482	1359161	103863	560	0	65	26	0	0	2908657	29771905
19	लक्षद्वीप	2493	16	0	43188	0	0	0	0	0	0	0	45697	226025
20	मध्य प्रदेश	18750828	10307131	324585	11064524	164616	13260	2543	8135	1753	0	0	40637375	16659898

21	महाराष्ट्र	13992304	5603692	2680329	10604883	161000	18892	681	17572	465	0	0	33079818	74297765
22	मणिपुर	224472	36230	5921	38697	235255	1083	0	2	0	0	9059	550719	5897637
23	मेघालय	903570	15714	15679	397503	706364	273	0	0	0	0	0	2039103	5379532
24	मिजोरम	45701	2109	485	14820	292465	159	8	0	0	0	3957	359704	2047810
25	नागालैंड	78296	15654	361	31602	404695	70	0	2	0	0	23123	553803	2838944
26	ओडिशा	9903970	458324	1279149	6393452	135162	143	18	83	8	0	0	18170309	27439257
27	पुडुचेरी	71984	2395	2445	73630	880	29	0	4	1	0	0	151368	235999
28	पंजाब	2531460	4015947	85560	347949	52961	14243	1644	471	120	0	0	7050355	17649984
29	राजस्थान	13937630	13693316	7903857	20840203	154808	33679	1339	23374	212739	0	0	56800945	14622975
30	सिक्किम	148010	1144	2016	90506	27320	115	0	2	0	5219	0	274332	580864
31	तमिलनाडु	9518660	518795	4500491	9888746	66772	5417	305	1428	7	0	0	24500621	120781100
32	तेलंगाना	4232539	4226306	19063058	4934673	177992	3878	91	2031	71	0	0	32640639	79999404
33	त्रिपुरा	739031	7131	5460	360204	206035	17	2	10	2	0	0	1317892	4168246
34	उत्तर प्रदेश	19019641	33016785	984725	14480025	408678	75718	8933	16016	2424	0	0	68012945	12515704
35	उत्तराखंड	1852123	866318	284615	1371971	17659	7452	26293	589	15	54	0	4427089	5018684
36	पश्चिम बंगाल	19077916	630921	952886	16279340	540356	1593	26	94	45	61	0	37483238	77322602
	कुल	**193462871**	**109851678**	**74260615**	**148884786**	**9055488**	**342226**	**84261**	**123587**	**251956**	**57570**	**386305**	**536761343**	**851809931**

* दिल्ली के मामले में 19 वीं पशुधन संगणना –2012 के आंकड़े

स्रोतः 20वीं पशुधन संगणना, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन–अखिल भारतीय

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (मिलियन संख्या)	ऊन (मिलियन किलोग्राम)	मांस (000 टन)
1950-51	17.0	1,832	27.5	-
1955-56	19.0	1,908	27.5	-
1960-61	20.0	2,881	28.7	-
1968-69	21.2	5,300	29.8	-
1973-74	23.2	7,755	30.1	-
1979-80	30.4	9,523	30.9	-
1980-81	31.6	10,060	32	-
1981-82	34.3	10,876	33.1	-
1982-83	35.8	11,454	34.5	-
1983-84	38.8	12,792	36.1	-
1984-85	41.5	14,252	38	-
1985-86	44.0	16,128	39.1	-
1986-87	46.1	17,310	40.0	-
1987-88	46.7	17,795	40.1	-
1988-89	48.4	18,980	40.8	-
1989-90	51.4	20,204	41.7	-
1990-91	53.9	21,101	41.2	-
1991-92	55.7	21,983	41.6	-
1992-93	58.0	22,929	38.8	-
1993-94	60.6	24,167	39.9	-
1994-95	63.8	25,975	40.6	-
1995-96	66.2	27,187	42.4	-
1996-97	69.1	27,496	44.4	-
1997-98	72.1	28,689	45.6	-
1998-99	75.4	29,476	46.9	1859.43
1999-2000	78.3	30,447	47.9	1910.77
2000-01	80.6	36,632	48.4	1851.43
2001-02	84.4	38,729	49.5	1921.83
2002-03	86.2	39,823	50.5	2113.21
2003-04	88.1	40,403	48.5	2080.00
2004-05	92.5	45,201	44.6	2211.00
2005-06	97.1	46,235	44.9	2312.00
2006-07	102.6	50,663	45.1	2302.00
2007-08	107.9	53,583	43.9	4009.00
2008-09	112.2	55,562	42.8	4279.61
2009-10	116.4	60,267	43.1	4565.57
2010-11	121.8	63,024	43.0	4868.97

2011-12	127.9	66,450	44.7	5514.25
2012-13	132.4	69,731	46.1	5948.17
2013-14	137.7	74,752	47.9	6235.48
2014-15	146.3	78,484	48.1	6691.08
2015-16	155.5	82,929	43.6	7019.96
2016-17	165.4	88,139	43.5	7385.61
2017-18	176.3	95,217	41.5	7655.63
2018-19	187.7	1,03,804	40.4	8114.45
2019-20	198.4	1,14,383	36.8	8599.97
2020-21	210.0	1,22,049	36.9	8797.91
2021-22	222.1	1,29,600	32.9	9292.13
2022-23	230.6	1,38,376	33.6	9768.64

"_"प्राप्त नहीं/उपलब्ध नहीं

स्रोतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग

वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 (31.03.2024 तक) के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय
(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	योजना का नाम	2022–2023			2023–2024		
		बीई	आरई	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (31.3.2024 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
	गैर–योजनाएं						
1	सचिवालय आर्थिक सेवा	57.33	55.00	49.74	56.40	62.90	57.76
2	जीव–जंतु कल्याण बोर्ड	11.73	10.00	9.25	12.00	12.00	10.23
3	पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीईएसईए)	1.51	1.51	1.42	1.51	1.51	1.51
4	पशु स्वास्थ्य संस्थान	27.73	25.00	24.52	27.00	26.75	21.64
5	लघु पशुधन संस्थान	44.09	39.66	40.23	45.00	44.00	33.34
6	नस्ल सुधार संस्थान	66.69	59.00	49.96	60.00	39.54	37.19
7	दिल्ली दुग्ध योजना	370.00	335.80	357.82	360.00	270.00	195.72
8	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद		9.98	5.66	30.30	10.00	4.00
9	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र				-	25.73	19.06
	कुल गैर योजना	**579.08**	**535.95**	**538.60**	**592.21**	**492.43**	**380.46**
10	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	340.01	220.00	219.40	326.93	371	370.83

11	सहकारिता के माध्यम से डेयरी	0	0	0	19.00	166.31	166.31
12	पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	40.00	30.00	16.51	50.00	34.65	22.66
13	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2000.00	1390.02	804.91	2349.71	1500.00	1034.41
14	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	410.00	350.00	249.41	410.00	410.00	370.31
15	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	604.75	600.00	599.84	600.00	869.54	869.13
16	अवसंरचना विकास निधि	315.00	315.00	232.15	340.00	340.00	271.09
	कुल योजना	**3709.76**	**2905.02**	**2122.22**	**4095.64**	**3691.5**	**3104.75**
	कुल जोड़	**4288.84**	**3440.97**	**2660.82**	**4687.85**	**4183.93**	**3485.21**

संगठनात्मक चार्ट

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

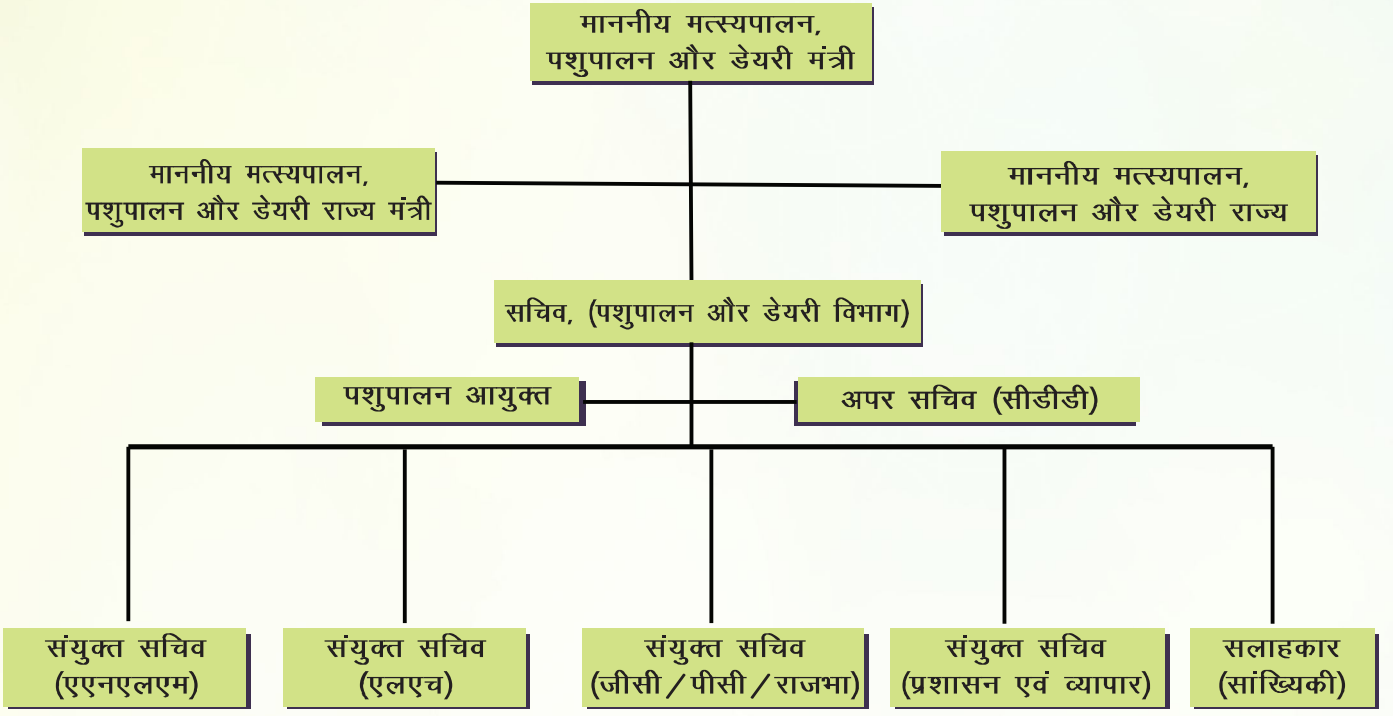

कार्य आवंटन

पशुपालन आयुक्त

पशु स्वास्थ्य और उत्पादन, पशु आनुवंशिक संसाधन, पशु जर्मप्लाज्म/जैव विविधता, पशु देखभाल और कल्याण से संबंधित सभी तकनीकी मामले; जैव–सुरक्षा और संगरोध मुद्दों से संबंधित तकनीकी मामले; पशु फार्मों के लिए उत्पादन, प्रजनन, पशु स्वास्थ्य और जैव–सुरक्षा हेतु पशुपालन और डेयरी मैनुअल तैयार करना; भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से संबंधित तकनीकी मामले; व्यापार और स्वच्छता फाइटोसेनेटरी मुद्दे से संबंधित तकनीकी मामलेय पशुधन और डेयरी विकास कार्य योजनाएं और राष्ट्रीय पशुधन नीति को तैयार करने से संबंधित तकनीकी मामले; पशुधन उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मानकों की स्थापना करने से संबंधित तकनीकी मामले; पशुधन उत्पादों, में औषधि और पेस्टीसाइड अवशिष्टों की मॉनिटरिंग से संबंधित तकनीकी मामले; मीट एवं डेयरी उत्पादों, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ समन्वय से संबंधित तकनीकी मामले और केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ कोई अन्य तकनीकी मुद्दे से संबंधित तकनीकी मामलेय एनआईएएच से संबंधित सभी तकनीकी मामले, एवियन इन्फ्लूएंजा से संबंधित सभी तकनीकी मामले; सूचीबद्ध बीमारियों (छमाही वार्षिक) के बारे में रिपोर्टिंग सहित ओआईई से संबंधित सभी मामलेय राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत टीकों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए समन्वय से संबंधित सभी मामले, जिनमें पशुओं की समय पर उपलब्धता शामिल है; आरडीडीएल/सीडीडीएल से संबंधित सभी मामले; वन हेल्थ मामलों (विश्व बैंक परियोजना सहित), एएमआर और अवशेष (रेंड्यू) निगरानी से संबंधित तकनीकी मामले; ईसीएएच और नियामक मामलों से संबंधित सभी मामलेय बीएमजीएफ परियोजना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित तकनीकी मामले; एलएच डिवीजन से संबंधित बाजार पहुंच मामलों सहित व्यापार के जोखिम प्रबंधन मामलों से संबंधित तकनीकी मामले; विदेशी, उभरते और फिर से उभरने वाले रोगों से संबंधित तकनीकी मामले– ग्लैंडर्स, रिंडरपेस्ट, एएसएफ, एलएसडी आदि; पशु रोग अधिसूचना और पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट ओआईई; वन हेल्थ, एएमआर और अवशेष निगरानी से संबंधित सभी तकनीकी मामले और वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट से संबंधित सभी मामले।

अपर सचिव (सीएंडडीडी)

राष्ट्रीय डेयरी योजनाएं, डेयरी विकास योजनाएं, राष्ट्रीय बोवाईन और डेयरी विकास परियोजना, गोकुल मिशन, प्रशासन (गोपशु और डेयरी विकास) (केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म और केंद्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना); सूचना प्रौद्योगिकी और सी एंड ईपी (क्रेडिट, विस्तार और प्रचार) से संबंधित मामले; दिल्ली दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के स्थापना मामले; किसान क्रेडिट कार्ड सहित ऋण से संबंधित सभी मामलेय जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया आउटरीच और निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ, आईईसी गतिविधियों और देश भर में सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों से प्रचार संबंधी गतिविधियों से संबंधित मामले, मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रोबिटी पोर्टल और गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) के साथ समन्वय से संबंधित सभी मामले, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और एफएसएसएआई के साथ समन्वय।

संयुक्त सचिव (एनएलएम)

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को शामिल करना: कुक्कुट विकास, बकरी और भेड़ विकास, सूअर पालन विकास, मांस वाले पशुओं का विकास, ग्रामीण बूचड़खाना योजना, परीक्षण सहित आहार और चारा, पशुधन बीमा योजनाएं, पशुपालन विस्तार योजनाएं; प्रशासन (एनएलएम) (क्षेत्रीय चारा स्टेशनों, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, केंद्रीय कुक्कुट उत्पाद परीक्षण केंद्र, गुरूग्राम, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार से संबंधित कार्य); राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से संबंधित सभी मामले; हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के साथ समन्वय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, MNRE, इलेक्टॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय; भारत के स्टड फार्मों के घोड़े के विकास और पंजीकरण से संबंधित सभी मामले; जीव–जंतु कल्याण बोर्ड और परियोजना विकास प्रकोष्ठ (इन्वेस्ट इंडिया और एएचआईडीएफ टीम को शामिल करते हुए) से संबंधित सभी मामले।

संयुक्त सचिव (एलएच)

केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण' के प्रशासन सहित पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामले; भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से संबंधित सभी मामले; मिशन निदेशक, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम; नोडल अधिकारी, आपदा प्रबंधन; सीसीएस–एनआईएएच, बागपत से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले; संसद, वीआईपी संदर्भ, वेबसाइट, डैशबोर्ड, कैबिनेट से संबंधित सभी मामले, एलएच डिवीजन से संबंधित मामले; राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत टीकों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए समन्वय से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले, जिसमें पशुओं की समय पर उपलब्धता भी शामिल है; वन हेल्थ (विश्व बैंक परियोजना सहित) से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले; व्यापार के जोखिम प्रबंधन से संबंधित मामले, जिनमें एलएच डिवीजन से संबंधित बाजार पहुंच मामलें; भी शामिल हैं; विदेशी, उभरती और फिर से उभरने वाली बीमारी–ग्लैंडर्स, रिंडरपेस्ट, एएसएफ, एलएसडी आदि से संबंधित प्रशासनिक मामले; पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आरकेवीवाई प्रस्तावों से संबंधित मामले और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ समन्वय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय के साथ समन्वय।

संयुक्त सचिव (जीसीध्पीसी / राजभाषा)

पशुपालन और डेयरी विभाग के योजना समन्वय से संबंधित सभी मामले, नीति आयोग के साथ समन्वय. नोडल अधिकारी–कोर्ट केसों की मॉनिटरिंग, स्वच्छ भारत अभियान, ई–समीक्षा, आरटीआई, लोक शिकायत (PG), DBT, सामान्य समन्वय से संबंधित सभी मामले, राजभाषा और संसद से संबंधित सभी मामले, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम तथा नागालैंड राज्यों के साथ समन्वय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ समन्वय, कानून मामलों से संबंधित समन्वय।

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं व्यापार)

मुख्यालय (स्थापना–मुख्यालय) में तैनात अधिकारियों और स्टॉफ के स्थापना संबंधी मामलों से संबंधित कार्य, नकद और सामान्य प्रशासन–II, नोडल अधिकारी – एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (AVM), डीएएचडी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी के संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी के स्थापना मामलों से संबंधित कार्य, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार से संबंधित सभी मामले, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा (एक्यूसीएस) से संबंधित सभी मामले, पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (सीईएएच), बैंगलोर से संबंधित सभी मामले, डब्ल्यूटीओ और एफएओ के साथ सेनेटरी और फाइटो– सेनेटरी (एसपीएस) मामलों के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट, वाणिज्य विभाग तथा अपेडा,

डीओपीटी, जनजातीय कार्य मंत्रालय और डोनियर के साथ समन्वय।

सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगणना, नस्ल संगणना से संबंधित सभी मामले, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले और एएचएस डिवीजन में तैनात कर्मचारियों से संबंधित कार्य, गुणवत्ता मॉनीटरिंग– नेशनल लेवल मॉनीटर।

****

पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित विषयों की सूची

भाग–I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. ऐसे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पशुधन और पक्षी–दाना तथा डेयरी और कुक्कुट उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।
2. पशुधन, डेयरी और कुक्कुट पालन तथा अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास।
3. पशुधन, डेयरी और कुक्कुट पालन से संबंधित गतिविधियों में लगे व्यक्तियों का कल्याण।
4. पशुधन और कुक्कुट विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।
5. पशुधन संगणना।
6. पशुधन सांख्यिकी।
7. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पशुधन की हानि से संबंधित मामले।
8. पशुधन आयात विनियमन, पशु संगरोध और प्रमाणन।
9. गौशालाएं और गौसदन।
10. कांजहौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले।
11. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
12. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)

भाग–II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **III** के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान के बाबत):

13. पशु चिकित्सा व्यवसाय वृत्ति।
14. पशुओं और पक्षियों को हानि पंहुचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
15. स्वदेशी प्रजातियों में परिवर्तन लाना; पशुधन की स्वदेशी प्रजातियों के लिए केंद्रीय यूथ पंजी बनाना एवं उनका रखरखाव।
16. राज्य अभिकरणों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेयरी विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप।

भाग–III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग **I** और भाग **II** में वर्णित विषय, जहां तक वे उन क्षेत्रों की बाबत विद्यमान है, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **II** के अंतर्गत आते हैं।

17. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशु और पक्षी रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास।
18. प्रतिपाल्य अधिकरण।
19. पशुधन और पक्षियों का बीमा।

भाग–IV

20. पशु उपयोग और वध से संबंधित मामले
21. चारा विकास

अनुबंध–VI

पशुपालन और डेयरी विभाग के संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

1. पशुपालन का उत्कृष्टता केंद्र, हेसरघट्टा, बैंगलोर।
2. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत, गुजरात।
3. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अंदेश नगर, जिला लखीमपुर (उप्र)।
4. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सिमिलिगुडा, सूनाबेडा (कोरापुट), ओडिशा।
5. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
6. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा, बसंतपुर, जिला संबलपुर (ओडिशा)।
7. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, आवडी, आलमदी (चेन्नई)।
8. केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना, रोहतक (हरियाणा)।
9. केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना, अजमेर।
10. केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना, अहमदाबाद।
11. केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना, संथापट, ओंगोल, जिला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)
12. क्षेत्रीय चारा स्टेशन कल्याणी, जिला नादिया, (पश्चिम बंगाल)।
13. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, जम्मू (जम्मू–कश्मीर)
14. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
15. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, हिसार (हरियाणा)।
16. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, धामरोड (गुजरात)।
17. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, आवडी, आलमधी, चेन्नई (तमिलनाडु)।
18. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, हैदराबाद।
19. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)।
20. पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
21. पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा, पल्लीकर्णी गांव, चेन्नई।
22. पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा, गोपालपुर, जिला 24 परगना (पश्चिम बंगाल)।
23. पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा, मुंबई।
24. पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा, हैदराबाद।
25. केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)
26. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर (ओडिशा)।
27. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कॉलोनी, मुंबई।
28. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़।
29. केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन निरीक्षण केंद्र, गुड़गांव (हरियाणा)।
30. दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली।

अनुबंध–VII

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और पशुचिकित्सा सहायता केंद्रो की संख्या

पशुचिकित्सा संस्थाओं की संख्या (दिनांक 31/03/2023 तक)						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशुचिकित्सा अस्पताल/ पॉलीक्लिनिक	पशुचिकित्सा डिस्पेंसरी	पशुचिकित्सा सहायता केंद्र (स्टॉकमैन केंद्र/मोबाइल डिस्पेंसरी)	कुल	दिनांक 31 जनवरी 2023 तक पंजीकृत पशुचिकित्सक
1	आंध्र प्रदेश	337	1577	1558	3472	5574
2	अरुणाचल प्रदेश	16	183	311	510	230
3	असम	21	421	767	1209	3127
4	बिहार	1098	39	1595	2732	3511
5	छत्तीसगढ़	350	835	72	1257	1215
6	गोवा	5	25	50	80	239
7	गुजरात	34	741	1057	1832	4447
8	हरियाणा	1048	1815	22	2885	2372
9	हिमाचल प्रदेश	466	1762	1228	3456	1402
10	जम्मू और कश्मीर	19	1256	225	1500	1057
11	झारखंड	35	424	433	892	927
12	कर्नाटक	697	2156	1381	4234	4786
13	केरल	279	870	15	1164	5172
14	मध्य प्रदेश	1064	1583	65	2712	3039
15	महाराष्ट्र	39	1976	2841	4856	10899
16	मणिपुर	59	151	23	233	561
17	मेघालय	4	126	121	251	433
18	मिजोरम	11	67	69	147	357
19	नागालैंड	11	55	100	166	350
20	ओडिशा	30	511	3553	4094	2791
21	पंजाब	1389	1489	20	2898	4393
22	राजस्थान	2975	0	6434	9409	4850

23	सिक्किम	23	68	63	154	189
24	तमिलनाडु	189	2741	3446	6376	6245
25	तेलंगाना	107	909	1201	2217	2124
26	त्रिपुरा	16	65	459	540	490
27	उत्तराखंड	330	10	779	1119	1156
28	उत्तर प्रदेश	2208	267	2575	5050	7107
29	पश्चिम बंगाल	113	613	2609	3335	2661
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	13	49	72	59
31	चंडीगढ़	5	9	0	14	13
32	लद्दाख	4	9	127	140	76
33	दादर और नगर और दमन दीव	1	2	14	17	5
34	दिल्ली	49	29	0	78	562
35	लक्षद्वीप	0	9	0	9	35
36	पुडुचेरी	0	17	75	92	563
	कुल योग	**13042**	**22823**	**33337**	**69202**	**83017**

****

अनुबंध–VIII

दिनांक (31.03.2024) की स्थिति के अनुसार 'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम' के तहत वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु. में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	मंजूर की गई परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित लागत	केंद्रीय हिस्सा	कुल जारी	उपयोग की गई निधियां	खर्च न की गई
1	आंध्र प्रदेश	4	235.05	162.25	95.54	54.28	41.26
2	अरुणाचल प्रदेश	2	11.91	11.26	8.84	3.72	3.46
3	असम	2	34.36	32.65	4.55	0.83	0.00
4	बिहार	17	263.23	210.19	204.07	183.19	11.94
5	छत्तीसगढ़	3	23.39	20.96	11.14	8.61	2.53
6	गोवा	2	16.90	13.93	8.74	1.78	6.95
7	गुजरात	8	552.82	337.52	207.04	107.88	88.38
8	हरियाणा	4	25.24	21.33	19.32	13.33	5.99
9	हिमाचल प्रदेश	6	57.16	52.39	43.58	40.83	2.53
10	जम्मू और कश्मीर	4	151.12	139.81	139.81	123.74	16.06
11	झारखंड	3	31.54	25.02	12.55	9.76	2.14
12	कर्नाटक	16	408.39	281.72	183.91	137.93	44.59
13	केरल	14	181.82	134.11	127.56	116.10	10.56
14	मध्य प्रदेश	13	71.29	59.36	54.70	53.71	0.49
15	महाराष्ट्र	4	51.77	46.46	45.42	36.92	7.54
16	मणिपुर	3	30.29	27.85	23.41	16.40	7.01
17	मेघालय	6	63.94	57.80	49.84	47.13	2.71
18	मिजोरम	3	11.01	10.31	10.31	10.31	0.00
19	नागालैंड	4	13.06	12.15	12.15	12.15	0.00
20	ओडिशा	7	62.60	55.33	53.84	45.63	7.82
21	पुद्दुचेरी	4	4.38	4.21	3.47	3.14	0.25
22	पंजाब	9	251.21	167.19	146.23	128.42	17.80

23	राजस्थान	28	292.15	214.72	190.33	171.08	16.72
24	सिक्किम	6	53.72	49.62	44.81	43.79	1.02
25	तमिलनाडु	9	259.23	182.10	159.44	159.44	0.00
26	तेलंगाना	8	89.16	69.67	37.71	31.10	6.40
27	त्रिपुरा	3	22.92	20.26	20.26	17.09	3.13
28	उत्तर प्रदेश	7	81.84	68.43	45.56	7.93	0.56
29	उत्तराखंड	4	75.04	64.12	47.82	41.03	6.79
30	पश्चिम बंगाल	3	4.03	3.93	3.63	3.56	0.00
	कुल जोड़	**206**	**3430.57**	**2556.67**	**2015.56**	**1630.81**	**314.67**

****

दिनांक (31.03.2024) की स्थिति के अनुसार 'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम' के तहत वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	डेयरी संयंत्र क्षमता (टीएलपीडी)		औसत दैनिक दूध खरीद (टीकेजीपीडी) (000')		कार्यात्मक डीसीएस (सं.)		किसान सदस्य ('000 में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	1049.6	264.2	9317	2315	322.69	95.92
2	अरुणाचल प्रदेश	15.0	0.0	8.5	0.0	79	0	2.17	0.00
3	असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00	0.00
4	बिहार	201.0	0.0	790.5	407.5	6620	7902	309.33	486.09
5	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	16.1	0.0	207	29	5.23	0.77
6	गोवा	90.0	0.0	70.5	0.0	70	0	9.97	0.00
7	गुजरात	100.0	400.0	4572.7	3622.2	1873	476	2988.62	69.83
8	हरियाणा	0.0	0.0	56.5	0.0	297	0	13.06	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	120.0	100.0	140.9	45.3	432	164	18.68	1.61
10	जम्मू और कश्मीर	226.5	135.0	272.0	222.0	1941	1185	96.50	67.50
11	झारखंड	0.0	0.0	85.7	24.0	895	70	17.00	2.75
12	कर्नाटक	0.0	0.0	3850.0	1434.2	6113	1943	781.21	713.95
13	केरल	1255.0	1105.0	1038.0	249.9	496	226	128.18	61.04
14	मध्य प्रदेश	15.0	15.0	242.7	57.42	1040	-491	87.28	-8.33
15	महाराष्ट्र	0.0	0.0	330.6	192.9	141	369	38.15	35.36
16	मणिपुर	10.0	0.0	31.5	4.3	150	50	5.33	1.04
17	मेघालय	70.0	60.0	61.0	0.00	103	21	1.94	0.74
18	मिजोरम	0.0	0.0	10.5	0.8	15	3	0.41	0.06
19	नागालैंड	7.0	2.0	11.1	3.2	69	49	1.73	1.22
20	ओडिशा	30.0	30.0	171.3	85.2	1071	524	58.11	33.17
21	पांडिचेरी	0.0	0.0	49.0	9.0	12	3	1.74	0.00

22	पंजाब	60.0	60.0	588.8	2199.1	984	834	57.61	48.34
23	राजस्थान	440.0	390.0	1433.6	723.1	3226	2126	149.68	115.91
24	सिक्किम	55.0	45.0	61.7	50.4	175	287	9.03	6.94
25	तमिलनाडु	100.0	100.0	1724.3	317.2	2338	864	74.06	0.10
26	तेलंगाना	0.0	0.0	508.8	162.4	1177	150	66.37	8.00
27	त्रिपुरा	16.0	0.0	9.0	0.00	55	6	4.80	0.53
28	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	452.4	15.1	2361	288	144.84	11.52
29	उत्तराखंड	55.0	50.0	196.6	24.5	1292	138	51.27	7.57
30	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	5.4	3.7	95	70	5.17	3.53
	कुल योग	**2865.5**	**2492.0**	**17839.0**	**10107.64**	**42644**	**19601**	**5450.12**	**1765.15**

दिनांक (31.03.2024) की स्थिति के अनुसार 'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम' के तहत वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य का नाम	औसत दैनिक दूध विपणन (टीएलपीडी)		बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी)				एफटीआईआर प्रौद्योगिकी आधारित दूध विश्लेषक	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	576.65	248.31	150	750.00	31	155.00	7	7
2	अरुणाचल प्रदेश	8.50	0.00	13	9.50	0	0.00	0	0
3	असम	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1
4	बिहार	400.03	236.18	72	199.00	68	187.00	11	10
5	छत्तीसगढ़	6.86	12.78	29	58.00	29	58.00	2	1
6	गोवा	49.00	0.00	57	43.50	0	0.00	1	1
7	गुजरात	1883.45	1965.23	2245	7967.50	1141	3785.00	5	5
8	हरियाणा	34.71	0.00	50	39.00	59	48.00	6	5
9	हिमाचल प्रदेश	99.83	13.32	47	86.00	19	41.00	4	2
10	जम्मू और कश्मीर	135.00	228.00	66	267.00	58	275.00	5	5
11	झारखंड	61.87	2.99	48	108.00	13	26.00	3	1
12	कर्नाटक	1555.86	479.62	760	2229.00	411	1182.00	46	18
13	केरल	779.39	648.72	117	425.00	108	392.50	12	11
14	मध्य प्रदेश	133.56	255.15	206	206.00	201	181.00	8	5
15	महाराष्ट्र	251.39	21.61	95	199.50	69	149.00	24	22
16	मणिपुर	24.74	3.76	115	23.00	38	8.40	0	0
17	मेघालय	59.75	0.00	153	76.50	61	28.94	1	1
18	मिजोरम	10.42	0.84	23	11.50	9	4.50	0	0
19	नागालैंड	13.86	3.80	31	16.00	25	13.50	0	0
20	ओडिशा	140.56	96.84	43	119.00	35	100.00	10	9
21	पांडिचेरी	42.00	0.00	20	29.50	15	14.50	1	1

22	पंजाब	411.26	613.40	513	693.50	423	580.00	20	16
23	राजस्थान	630.46	393.85	1093	1335.00	706	773.50	19	16
24	सिक्किम	69.24	27.22	231	73.50	225	73.10	1	1
25	तमिलनाडु	695.58	104.12	485	1531.00	447	1351.00	23	23
26	तेलंगाना	154.43	19.61	87	81.50	20	18.00	4	1
27	त्रिपुरा	27.66	0.00	11	11.50	11	11.50	0	0
28	उत्तर प्रदेश	237.69	2.08	0	0.00	0	0.00	1	1
29	उत्तराखंड	167.16	49.27	2	2.00	1	1.00	4	3
30	पश्चिम बंगाल	1.70	2.37	4	2.00	4	2.00	2	2
	कुल योग	**8662.62**	**5415.70**	**6766**	**16592.50**	**4227**	**9459.44**	**221**	**168**

दिनांक (31.03.2024) की स्थिति के अनुसार "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के तहत वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य का नाम	ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (एएमसीयू)		डाटा प्रोसेसर और दूध संग्रह इकाई डीपीएमसीयू)		इलेक्ट्रॉनिक मिलावट परीक्षण इकाई	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	9690	2654	0	0	283	73
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0
3	असम	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	626	626	5516	5703	617	620
5	छत्तीसगढ़	36	43	0	0	56	56
6	गोवा	57	0	70	0	19	0
7	गुजरात	4776	2333	450	0	4389	0
8	हरियाणा	120	0	344	513	1	1
9	हिमाचल प्रदेश	335	215	0	0	11	11
10	जम्मू और कश्मीर	1852	1586	0	0	96	96
11	झारखंड	84	0	526	50	0	0
12	कर्नाटक	5798	5195	0	0	2180	968
13	केरल	1055	1000	214	214	0	0
14	मध्य प्रदेश	817	817	259	9	149	149
15	महाराष्ट्र	561	561	7	7	75	75
16	मणिपुर	48	10	80	51	1	1
17	मेघालय	123	41	41	40	105	3
18	मिजोरम	71	46	0	0	3	3
19	नागालैंड	0	0	0	0	3	3
20	ओडिशा	849	672	150	0	151	99
21	पांडिचेरी	15	15	80	80	0	0
22	पंजाब	2072	1926	450	250	1265	1146
23	राजस्थान	2687	2424	100	0	2253	2170
24	सिक्किम	546	588	0	0	2	2
25	तमिलनाडु	2094	2094	716	716	732	569

26	तेलंगाना	943	323	994	1395	3	0
27	त्रिपुरा	150	150	0	0	9	9
28	उत्तर प्रदेश	0	0	210	196	8	8
29	उत्तराखंड	5	0	2575	1566	36	19
30	पश्चिम बंगाल	100	100	0	0	3	1
	कुल योग	**35510**	**23419**	**12782**	**10790**	**12452**	**6082**

अनुबंध–X

विभाग द्वारा स्वीकृत राज्यवार एमवीयू

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत एमवीयू की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	–
2	आंध्र प्रदेश	340
3	अरुणाचल प्रदेश	25
4	असम	159
5	बिहार	307
6	चंडीगढ़	–
7	छत्तीसगढ़	163
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	–
9	दिल्ली	3
10	गोवा	2
11	गुजरात	127
12	हरियाणा	70
13	हिमाचल प्रदेश	44
14	जम्मू और कश्मीर	6
15	झारखंड	236
16	कर्नाटक	275
17	केरल	29
18	लद्दाख	9
19	लक्षद्वीप	9
20	मध्य प्रदेश	406
21	महाराष्ट्र	80
22	मणिपुर	33
23	मेघालय	17
24	मिजोरम	26
25	नागालैंड	16
26	ओडिशा	181
27	पुडुचेरी	4
28	पंजाब	70

29	राजस्थान	536
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	245
32	तेलंगाना	100
33	त्रिपुरा	13
34	उत्तर प्रदेश	520
35	उत्तराखंड	60
36	पश्चिम बंगाल	218
कुल		**4335**

अनुबंध–XI

वर्ष 2023 (जनवरी – दिसंबर) के दौरान भारत में पशुधन रोगों की प्रजातिवार घटना

क्र.सं.	रोग	प्रजातियां	प्रकोप	हमला	मृत्यु
1	खुरपका और मुंहपका रोग	बोवाईन	38	1978	159
2	रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया	बोवाईन	100	673	49
		भैंस	6	18	5
		अंडाणु / बकरी	46	104	0
		कुल	152	795	54
3	ब्लैक क्वार्टर	बोवाईन	13	80	44
4	एंथ्रेक्स	बोवाईन	7	64	64
		ओवाइन / कैप्रिन	10	25	27
		कुल	17	89	91
5	फैसिओलियासिस	बोवाईन	1	15	1
6	एंटरोटॉक्सिमिया	ओवाइन / कैप्रिन	7	34	20
7	भेड़ और बकरी चेचक	ओवाइन / कैप्रिन	36	1050	234
8	नीली जीभ	ओवाइन / कैप्रिन	2	92	38
9	सी.सी.पी.पी.	ओवाइन / कैप्रिन	10	117	46
10	स्वाइन फीवर	स्वाइन	23	772	239
11	साल्मोनेलोसिस	एवियन	1	5471	985
12	रानीखेत रोग	एवियन	92	18046	7688
13	मुर्गी चेचक	एवियन	35	11296	2255
14	मुर्गी हैजा	एवियन	9	1283	204
15	मारेक रोग	एवियन	2	21	21
16	आई.बी.डी.	एवियन	52	17701	3817
17	सीआरडी	एवियन	11	334	26
18	रेबीज	बोवाईन	3	10	8
		ओवाइन / कैप्रिन	1	3	3
		कैनाइन	1	1	1
		कुल	5	14	12
19	बेबेसिओसिस	बोवाईन	17	715	3

20	ट्रिपैनोसोमोसिस	बोवाईन	6	365	6
		भैंस	1	43	0
		कुल	**7**	**408**	**6**
21	पीपीआर	अंडा / बकरी	86	6921	695
22	एनाप्लास्मोसिस	बोवाईन	2	2	0
23	ब्रुसेलिओसिस	बोवाईन	8	22	0
24	थाइलेरियोसिस	बोवाईन	4	25	18
25	अफ्रीकन स्वाइन फीवर {1}	सूअर	64	4046	3368
26	ग्लैंडर्स{2}	घोड़ा	17	35	18
{1}2429 मृत पशु					
{2} 15 मृत पशु					

वर्ष 2023–24 के लिए सभी एक्यूसीएस स्टेशनों के पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयात/निर्यात रिपोर्ट			
क्र.सं.	विवरण	निर्यात(संख्या)	आयात (संख्या)
1	पोलो के लिए घोड़े	–	116
2	घोड़े	23	86
3	अन्य–बकरियां	72	
4	अन्य	–	–
5	पालतू बिल्ली	1253	977
6	पालतू कुत्ता	3407	2897
7	तोते		03
8	बैल	775	07
9	50 किलो से कम वजन वाले	–	21
10	जीवित सजावटी मछली	2615398	12439782
11	गैलस डोमेस्टिक प्रजाति के पक्षी (फाऊल)	1596	–
12	ड्रोसोफिला	0	283
13	अन्य (अफ्रीकी ग्रे तोते)		01
14	अन्य (व्योरलाइन स्टॉक) रैट/माईस	60	6392
15	अन्य (लाल पांडा)	02	
16	प्रयोगशाला पशु (माईस)	0	151 सं.
17	मीठे पानी की सजावटी मछली	150400 सं.	2417516 सं.
18	पी. मोनडोन	0	41642 सं.
19	लाइव लग वर्म्स	0	378 कि.ग्रा.
20	अन्य (ब्रुड स्टॉक एसपीएफ एल. वन्नामेई और ब्रुड स्टॉक के पीपीएस)	0	340855 सं.
21	लाइव पॉलीचेट्स	0	26579.6 कि.ग्रा
22	अन्य (चिंपांजी, गोरिल्ला, चिड़ियाघर पशु)		7083
23	ऊंट और अन्य ऊंट के बच्चे (कैमेलिडे)	–	–
24	खरगोश और खरगोश	–	01
25	अन्य (खरगोश)	2	2
26	ड्रोसोफिला मक्खी		37 शीशियाँ

27	अन्य (शशक और खरगोश)	11	–
28	डे ओल्ड चिक्स	40656	
29	गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के पक्षी (फाऊल) (जीवित चूजे, ग्रैंड पेरेंट्स डे ओल्ड चिक्स)	12800 संख्या	23948 संख्या
30	अन्य (चिंपांजी)	–	–
31	अन्य (साइबेरियन टाइगर)	00	02
32	अन्य (प्योरलाइन स्टॉक)	–	–
33	अन्य (दक्षिणी सफेद गैंडे)	–	–
34	अन्य (गौर बोस फ्रंटलिस गौरस)	–	–
35	जी.पी. चिक्स	44251	44381
36	अन्य (स्कारलेट मैकॉ) (आरा मकाओ)	–	–
37	अन्य (कॉमन मर्मोसेट) (कैलिथ्रिक्स जैकस)	–	–
38	अन्य (नीलगाय ब्लैक बक)	–	–
	अन्य (प्रयोगशाला पशु)	––	56863
39	अन्य (हमद्रीयास बबून)	0	6
40	अल्पाका		30
41	पक्षी	4	58
क्र.सं.	विवरण	निर्यात (किग्रा)	आयात (किग्रा)
01	बोनलैस	6	122691
02	कट और ऑफल, जमे हुए	329118	140409
03	अटलांटिक साल्मन (सल्मो सलार) और डेन्यूब साल्मन (हुचोहुचो)	–	449024.59
04	मछली का मांस (सैलमन)	–	124954.6
05	मछली का मांस	5602.00	1509982.9
06	मेमने का मांस	0	997.42
07	हालिबट	0	362.3
08	टर्बट	–	34.3
09	जापानी हम्ची	–	61.2
10	मछली का मांस – केकड़े	520	0
11	मछली बाजरा	0	0
12	मछली फिलेट	–	6615668
13	फिश स्केल्स, मछली ओसियां	0	72001.5
14	आर्टेमिया	0	76757

15	हिमित	487170	5889867
16	अन्य (सूखी मछली)		2576207
17	फ्रीज ड्राइड ग्रीन शैल मसल्स पाउडर	0	210
18	स्किम्ड पाऊडर	7590	842146
19	दूध पाउडर	27216	—
20	अन्य (पशु उपोउत्पाद)		
21	व्हे, सूखा, ब्लॉक और पाउडर	30000	14015613
22	अन्य		104
23	अन्य	134	4900000
24	अन्य (अंडा)	7140	00
25	अंडे	3640509	0
26	अन्य (पशु उप–उत्पाद) –अंडे	1273850	0
27	घी	359017.56	56838.36
28	हैचिंग अड्डे	261156	14640
29	प्रजाति गैलस डोमेस्टिकस के पक्षियों (फाऊल) की संख्या (टेबल अंडे, सफेद खोल के अंडे, अंडे हैचिंग अंडे)	90006550	0
30	अंडे का पाउडर	0	9800
31	कुचली हड्डी, हड्डी चिप्स, हड्डी ग्रिस्ट	810000	1907294
32	हॉर्न और खुर (कुचले खुरों सहित)	6616500	0
33	गोपशु मछली की हड्डी, चिटिन	743770	5340
34	ताजा पनीर (कच्चा या अनक्योरड), जिसमें व्हे पनीर और दही शामिल हैं		190507
35	प्रोसेस्ड चीज कद्दूकस या पाउडर नहीं		419923
36	अन्य पनीर	435	1173434
37	सूअर, हॉग या बोर ब्रिसल्स और बाल	10355.5	127878
38	मूँगा		667218.71
39	चॅक्स	0	403773.72
40	शैल्स		79578
41	अन्य	1427.3	0
42	मानव बाल (अनवर्कड)	0	0
43	पित्त	19995.00	0

44	पित्त पेस्ट (गोजातीय पित्त, चिकन पित्त, कन्संट्रेटिड पित्त एसिड)	0	650257.5
45	रॉ सी शैल्स कौड़ी	0	258983
46	रॉ सी शैल्स	0	238447
47	ड्राईड डेकोरेटिव प्लांट मेटिरियल	0	11946
48	रिवर शैल्स	0	148380
49	अन्य (ओमेगा ए3 फैटी एसिड), मछली लिपिड तेल, इकोसंपेंट इथाईल, मछली के शरीर का तेल	0	2470
50	चिकन सॉसेज	0	24982
51	पोर्क सॉसेज	0	9907
52	फ्रोजन ब्रेडेड फिश फिलेट्स और फिश फिंगर और फ्रोजन ब्रेडेड श्रिम्प	0	15101
53	फ्रोजन स्क्विड, फ्रोजन सुरीमी ब्रेब स्वइड	0	13170
54	पाश्च्यूरित फ्रोजन ककड़े का मांस (पुनः आयात)	0	29276
55	फ्रोजन श्रिम्प	0	255649
56	फ्रोजन श्रिम्प पैटी, सीपैक श्रिम्प स्कैम्पी किर्कलैंड (नमूना), फ्रोजनश्रिम्प, पॉपकॉर्न श्रिम्प	0	79323
57	बैटर मिक्स, स्प्रिंग रोल पेस्ट्री	0	65796
58	परोटा	39162	0
59	खाद्य पदार्थ ((पास्ता, राईस स्ट्रा, मैक्रोनी, नूडल्स, ब्रेडक्रंब	0	5802
60	ब्रेडक्रंब	0	116610
61	फिश मील	0	1350700
62	ऑरेंज कॉकटेल सॉस, सोया सॉस पाउडर, गारलिक एंड हर्ष, पास्ता सॉस, सीजनिंग पाउडर	304001	
	503627.9		
63	चिकन स्टॉक क्लेरीफाइड कनसंट्रेट, टोमटो सूप	0	225
64	आइसक्रीम	0	306398

65	टैक्सचर्ड सोया प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, स्प्राउट्स विटामिन बेस प्रीमिक्स	71	145138
66	फ्लेवर्ड इन्फ्यूजन एप्पल आइसटी	0	150
67	कॉफीमेट कोल्ड घुलनशील पाउडर, नॉन–डेयरी क्रीमर, फ्लेवर्ड हर्बल टी, वेजी स्लाइस, इमुलपल्स, धा रिच अल्गल ऑयल पाउडर, फोम, माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड पाउडर, वेज सोया बॉल, क्यूरामिन फोर्ट, फैट पाउडर	0	245427
68	एक्टिपल एचपीआईएसआई श्रिम्प पाउडर–हाइड्रोलाइजेट/फिश मील, टूना मछली मील	0	582000
69	क्रिल मील	408675	4933300
70	फेदर मील	0	23071.5
71	बर्ड फूड	3162	0
72			
73	सूखा खमीर पाउडर	0	30
74	फिश स्केल	0	32200
75	सूअर, हॉग या बोर, ब्रिसल्स और बाल	10355.5	125128
76	ओसेन और हड्डियां ट्रीटिड विद एसिड (अन्य)	508970	0
77	हॉर्न उत्पाद	1908089.604	0
78	हॉर्न उत्पाद	234770.5	0
79	अन्य (हॉर्न)	5114316.51	233519
80	अन्य (शिशु फार्मूला)	0	25706
81	अन्य (भैंस सींग)	2805	
82	अन्य (सीजनिंग पाउडर)	0	37759
83	कटल फिश बोन	257565.5	0
84	माउस शुक्राणु	0	20
85	मसाला मिश्रण	36087.44	—
86	चंक्स	0	0
87	बोवाईन के अलावा हिमित वीर्य	0	0
88	मछली लिपिड तेल	0	27636

89	लैनोलिन फैटी एसिड	99952	145159
90	हैम्स और उसके कट्स	0	170529
91	कंधे और उसके कट	0	10028
92	अन्य, मिश्रण सहित	28607	145354
93	अन्य (आसव)	0	12501.15
94	मसल्स पाउडर	105.5	21050
95	मांस का अर्क	0	0
96	ऑक्टोपस	0	0
98	मिठाई	2626840	0
99	1905 के शीर्षक वाले बेकर्स के माल की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा	0	1774804.6
100	माल्ट एक्सट्रैक्ट	453.6	
101	अन्य (नूडल्स)	0	132212.36
102	चिली सॉस	0	547842
103	अन्य (नूडल्स, खाद्य सामग्री)	0	1072117.88
104	खाद्य सामग्री	0	47627
105	होमोजिनाईण्ड कम्पोजिट भोजन की तैयारी (मिठाई)	419402.26	143
106	प्रोटीन कन्संट्रेट और टैक्सर्चड प्रोटीन पदार्थ	21336	1727806.05
107	अन्य (खाद्य सामग्री और खाद्य अनुपूरक)	16403041.8	13759093.4
108	कुत्ते या बिल्ली का खाना, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया	14152117.1	54711774.8
109	कम्पाउंडिड पशु चारा	14230547	238423751
110	कम्पाउंडिड पशु फीड के लिए कंसंट्रेट	7239706.2	3682437.1
111	प्रॉन और श्रिम्प फीड, हिमित पॉलिचेटेस, जलीय कृषि फीड स्पिरुलिना पाउडर	2635533	12071052
112	प्रॉन फीड गामाश्रिम्प लार्वा फीड	0	253066
113	प्रॉन फीड गामाश्रिम्प लार्वा फीड	1022578	1346770
114	अन्य (पशु चारा)	6527317.4	41315
115	कैल्शियम पिडोलेट	6000	—
116	चोंड्रोइटिन सल्फेट	950	
117	अन्य (फिश फीड या प्रॉन फीड)	3478510.33	403792

118	फिश फूड, लाईफ एचसी फीड	1022578	1346770
119	अन्य फिनासे एंजाइम, फ्लेक्स फीड, एक्टिपल श्रिम्प एस 15, पिगीप्रो दूध, पिगीप्रो पी3एस, नोविलम डब्ल्यू प्लस	0	3657
120	मोनोकैल्शियम फॉस्फेट	0	234
121	डीएल मेथियोनीन 99%	0	106000
122	एल लाइसिन मोनोहाइड्रस क्लोराइड 98.5% फीड ग्रेड	0	72000
123	एल–थ्रेओनीन 98.5% फीड ग्रेड	0	70000
124	मानव जैविक नमूने, चोंड्रिटिन सल्फेट सोडियम	0	5070
125	बोवाइन सीरम, ग्लाइकोहीमोग्लोबिन (कोच्चि)	0	152930
126	अन्य (मछली फीड और पशु चारा, पैट च्यूज, भैंस का भोजन)	9384255.03	37940591.179
127	डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूइम्पबसे सिस्टम सोडालाईम, अल्क–रेट–आरएनए किट, वैट सेट कल्चर	0	895072
128	विटामिन डी 3	14098.15	41655
129	वीटा	0	40
130	अन्य (लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लीवर)	—	7.863
131	मिक्सड वैक्सिंस फॉर.....कल्चर्स ऑफ माईक्रो ऑर्गेनिज्म (खमीर को छोड़कर)	—	3181.68
132	सेल कल्चर संशोधित अथवा नहीं	—	186.9226
133	बटरी बीएसएल प्रोबायोटेक एलजीजी, कल्चर, पाउडर ऑर्गेनिक स्लज डाइजेस्टर, फीड ट्रीट प्रोबायोटिक	0	250197
134	एलिसा किट, ह्यूमन पेरीफेरल बूड मोनोन्यूक्लियर सेल्स, डेयरी कल्चर	0	10076
135	एससीडी प्रोबायो बैलेंस प्लस, न्यूटिर फार्म पी	0	111304
136	आइसोसोर्बिटोल डाइनिट्रेट मिक्सचर 25% लैक्टोज	0	73020
137	अन्य (क्रोन कोलफिक्स, जेली गोंद, कैल्शियम कैसिनेट	0	9548

138	व्हे प्रोटीन, लैक्टोमाइन 80ई	0	4236901
139	ग्लूयूज ड्राइव्स फ्रोम हाइड्स, टेक्निकल जिलेटिन	1324120	0
140	फार्मेस्यूटिकल जिलेटिन बोन जिलेटिन	0	8351
141	अन्य (जिलेटिन)	—	31505.5
142	अन्य (पेप्टन / डेरिवेटिव)	—	1073.65
143	गोट (कॉमन) किड स्कींस विद हेयर ऑन टैन्ड या ड्रैस्ड	0	140.1
144	कैसिइन कंसंट्रैट पाउडर, केल्टो फेरिन फीड ग्रेड, हाइड्रोलाइज्ड मैरीन कोलेजन, पी प्रोटीन	0	78155
145	आइसोलेटेड सोया प्रोटीन	0	11040
146	जिलेटिन	0	725164
147	सिल्क वेस्ट	1813596.6	—
148	अन्य	0463361.421	8238968
149	अन्य (किट, एंटीबॉडी)	0	63716
150	अन्य (कुशन, टेबल पैड)	—	148679.049
151	अन्य (डायग्नोस्टिक किट)	0	166081
152	लैब उपभोग्य सामग्रियों	0	0
153	कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म (खमीर को छोड़कर)	0	382561
154	एनीमल ब्लड प्रिपेयर्ड फॉर थेराप्यूटिक, प्रोफीलेक्टिक अथवा डायग्नोस्टिक यूजेज (एफबीएस)	0	232430.5
155	अन्य (फार्मास्युटिकल उत्पाद)	177764	41943.73
156	मैग्नीशियम टैबलेट	0	32837
157	अन्य (जैविक उर्वरक)	0	9267560.94
158	अन्य (ऑर्गेनिक फर्टीलाइजर, सी वीड एक्सट्रैक्ट, चिटोसन पाउडर, प्राइमेसी अल्फा 11)	20321	4359652
159	फार्मा जिलेटिन	0	3355896
160	इसिंगग्लास	0	286363
161	जिलेटिन, एडीबल ग्रेड और कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है	11	701405

162	हड्डियों, खाल और इसी तरह की वस्तुओं से प्राप्त गोंदय मछली गोंद	0	133888
163	अन्य (जेली गोंद)	0	1585128
164	अन्य (सिनर्जी)	7400	202507.57
165	अन्य	617120	1208021.6
166	गाय के बछड़े सहित गाय की	0	2560428
167	अन्य	91751.4	3430487
168	गाय के बछड़े सहित गाय की	0	5985540
169	अन्य (ओएक्स हीफर हाइड्स)	0	2567814
170	लैम्ब स्कीन अदर देन पेल्ट्स		50047
171	भेड़ की खाल	0	1327841
172	मेमने की खाल	0	279145
173	मेमने की पेल्ट्स	0	276583
174	गाय की खाल और अन्य, गाय के बछड़े सहित (वैट सॉल्टेड, रा, पिकल्ड, भेड़ का बच्चा, आदि)	0	2339871
175	वैट स्टेट में (वैट ब्ल्यू सहित)	0	116387
176	अन्य	548121.99	1149775.76
177	वैट स्टेट में (वैट ब्ल्यू सहित)	3261.35	5723947
178	ग्रेन स्पलिट	0	353755
179	अन्य (फिनिश्ड लैदर)	270113.39	1886008.12
180	चमड़ा	0	216404.842
181	ऑफ गोट्स या किड्स	2235.5	446247
182	अन्य (बकरी)	25	486803
183	पूर्ण गैंस, अनस्पलिट, ग्रेन स्पलिट	0	3907491
184	स्टॉक लॉट बोवाइन टैन्ड स्पलिट	0	5361592
185	अन्य (काउ, गोट, कंपोजिशन लैदर विद ए बैसिस फॉर लैदर या लैदर फाइबर, फिनिश्ड लैदर)	5516939	8610
186	वैट स्टेट में (वैट ब्ल्यू सहित)	0	339535

187	इन द वैट स्टेट (इनक्लूडिंग वैट ब्ल्यू), लैदर फर्दर प्रिपेयर्ड आफ्टर टैनिंग या क्रस्टिंग, इनक्लूडिंग पार्चमेंट ड्रेस्ड लैदर ऑफ शीप या लैब, फुल ग्रेन्स अनस्पलिट	0	2379643
188	टैक्सचर्ड लैदर	0	8185
189	फीदर ऑफ विल्ड बर्डस (अन्य)	0	10263.51
190	पेटेंट लैदर और पेटेंट लेमिनेटेड लैदर	0	27247.5
191	कंपोजिशन लैदर विद ए बैसिस ऑफ लैदर अथवा लैदर फाइबर, इनस्लैब, शीट अथवा स्ट्रिप वेदर अथवा नॉट इन रोल्स	0	1161958.34
192	गोट स्यूड लैदर	0	102
193	फर लैम्ब काफ	0	66
194	हाइड ऑफ बोवाइन लैदर	0	30677
195	गोट (कॉमन) और किड स्कींस विद हेयर ऑन टैन्ड या ड्रैस्ड	0	67034
196	हाइड्स एंड स्कीन्स ऑफ अदर एनीमल विद हेयर ऑन टैन्ड या ड्रैस्ड	0	83525
197	डॉग च्यूस	02	0
198	श्रिंप बॉडी स्केल्स	109146	0
199	पिलो, सोफा कुशन	0	100810
200	गद्दा	0	132706
201	फर लैदर	0	3025
202	तैयार लैदर	0	624865.142
203	अन्य (फिनिश्ड लैदर बोवाइन, पिग लाइनिंग लैदर)	0	152532
204	जैन्यून लेदर	0	32315
205	फिनिश्ड लैदर ऑस्ट्रिच	0	23
206	ऑफ लैंब द फॉलोइंगरू अस्त्रखान, ब्रॉडटेल, काराकुल, फारसी और सिमिलर लैंब, इंडियन, चाइनीज, मंगोलियाई या तिब्बती लैंब, हॉल, विद या विदाउट हेड, टेल या पाज	0	212785
207	हाइड़स एंड स्कींस ऑफ अदर एनीमल विद हेयर ऑन टैन्ड या ड्रेस्ड	0	69694

208	हेड टेल पाज और अदर पीसेज या कटिंग नॉट असेम्बल्ड	0	123165
209	हॉल स्कींस एंड पीसेज अथवा कटिंग, असेम्बल्ड	0	257
210	अन्य	133653.3	110417
211	अन्य	154405	50779748.906
212	शोर्न (ऊन)	0	38548164.816
213	अदर (ग्रीसी ऊन)	0	40297928.9
214	अन्य (एक्सक्लूडिंग पिग एंड बोर ब्रिस्टल्स)	22383.5	0
215	अन्य	21896079	262147
216	ऊन टोप्स	506323.09	16850
217	ऊन नोयल	34460	0
218	शोर्न ऊन/स्काउर्ड ऊन	0	12075
219	अन्य	0	461
220	अन्य (फाइन एनीमल हेयर)	0	9154
221	बैग्स फिल्ड विद फेदर अथवा डाउन	0	188.6
222	डक डाउन फेदर	0	11246
223	बैडमिंटन शटल कॉक्स	0	641733
224	जिलेटिन कैप्सूल, एमपिटी	1650264.45	116011
225	मीट बोनलेस, पोर्क मीट	0	5900
226	काराकास और हाफ काराकास ऑफ लैंब फ्रोजन	0	9851
227	फ्रेश फिश, ड्राई फिश	796892	15913803 कि.ग्रा
228	फ्रेश चिल्ड लेडी फिश	0	12 कि.ग्रा
229	सार्डिन	0	74000 कि.ग्रा
230	रिबन फिश	0	27000 कि.ग्रा
231	फ्रोजन पंगेसियस/बासा फिललेट्स	0	1074260 कि.ग्रा
232	फ्रोजन यलो फिन सोल/फ्रोजन फिश	0	436151 कि.ग्रा
233	फ्रोजन किंग, शैल, हिल्सा सी बास	0	10487
234	फ्रोजन माई फिश	0	24181
235	फ्रोजन यलो फिन टूना	0	190936

236	फ्रोजन सॉल्मन फिश	0	217728
237	फ्रोजन व्हाइट टूना	0	26665
238	फ्रोजन मैकेरल	0	27012
239	फ्रोजन मीट प्रोडक्टस	0	73550
240	फ्रोजन फ्लैट ऑफ फ्लैट फिन फिश	0	25355
241	अलास्का पोलेक (थेराग्रा चाल्कोग्राम)	0	44900
242	फ्रोजन फिश	0	73780
243	सियर फिश	0	24056
244	फ्रोजन क्रिल	0	89307 कि.ग्रा
245	फ्रीज ड्राइड श्रिंपध फ्रोजन पीयूडी श्रिंप	0	469494
246	फ्रोजन मसल्स	0	5000
247	फ्रोजन चिकन मीट	54550	0
248	फ्रोजन स्क्विड	0	784334
249	फ्रोजन ऑक्टोपस	0	21792
250	फ्रोजन पॉलीचेट्स	0	2016
251	फ्रोजन स्कैम्पी टेल्स, फ्रोजन होसो श्रिंप	0	317170
252	फ्रोजन कूक्ड क्रेब्स	0	340904
253	नॉर्वे लॉबस्टर्स	0	231956
254	स्वीट्स व्हे पाउडर	0	47950
255	स्किम्ड मिल्क पाउडर	0	16000
256	एंकर मिल्क पाउडर	0	18432
257	फ्रोजन मिल्क पाउडर	456000	0
258	अंडे की जर्दी	0	13680
259	व्हे कंसंट्रेटेड, इवेपोरेटेड अथवा कंडेंस्ड, लिक्विड या सेमीसोल्ड (एसआईपी कैटेगरी), स्वीट व्हे पाउडर, व्हे परमीट पाउडर	0	2021995
260	व्हे परमीट पाउडर	0	599675
261	होल एग पाउडर	0	2800
262	अनसॉल्टेड बटर, क्रीमी बटर, क्रीमी आईक्यूएफ	0	9600
263			
264	शहद	23586	0
265	औक्स गैलस्टोन	1372.08	0

266	अन्य (पिग ब्रिस्टल)	4600	0
267	हॉर्न प्रोडक्टस	234770.5	0
268	सींग और खुर	67356	0
269	पशु उत्पाद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त	65556.29	0
270	बोवाइन सीरम	0	54433.45
271	फेटल बोवाइन सीरम	0	15764.81
272	हॉर्स सीरम	0	118.6
273	नवजात बछड़ा सीरम	0	6318.25
274	वयस्क बोवाइन सीरम	0	4
275	बीएसए	0	17.73
276	पोर्सिन सीरम		6
277	अन्य (एंटीबॉडी, एंटीसेरा)	47.5	4820.156
278	वीर्य	0	243.7
279	अन्य (प्रयोगशाला उपभोग्य सामग्रियों)	0	24
280	बोवाइन एल्बुमिन और पशुओं की दवाएं	0	40
281	मिल्क एल्बुमिन इंक्लूडिंग कंसंट्रेट ऑफ टू या मोर व्हे प्रोटीन	0	10
282	प्रोटीन कंसंट्रेट और टेक्सचर्ड प्रोटीन सब्सटेंसेज	0	243911.69
283	अन्य खाने के लिए तैयार (परोटा)	60354	0
284	अन्य खाने के लिए तैयार	1521077.86	608
285	अन्य खाने के लिए तैयार (बादाम पेय)	1209.6	0
286	अन्य (मल्टीविटामिन)	3388	1670
287	आइसक्रीम एंड अदर एडीबल आईस, वेदर या नॉट कंटेनिंग कोको	0	821.4
288	खाद्य की तैयारी	29632.76	0
289	मैग्नीशियम की गोलियां	0	32837
290	नॉन–स्टेरायडल ड्रग, जिलेटिन कैप्सूल	49544	234000
291	अन्य (जेली गोंद)	0	158120
292	लैम्ब पेल्ट	0	228583
293	अन्य	0	2119

294	लैदर फर्दर प्रिपेयर्ड आफ्टर टेनिंग या क्रस्टिंग, इन्क्लूडिंग पार्चमेंट–ड्रैस्ड लैदर, ऑफ शीप या लैंब विदाउट वूल ऑन, वेदर या नॉट स्पिलिट, अदर देन लैदर ऑफ हेडिंग 4114	0	106.5
295	समुद्री शैल	15177.36	0
296	हाइड्स या स्कीन्स ऑफ अदर बोवाइन और इक्वाइन एनीमल्स विद हेयर ऑन, टैन्ड या ड्रैस्ड	0	22441.68
297	गोट (कॉमन) या किड स्कीन्स विद हेयर ऑन, टैन्ड या ड्रैस्ड	0	3756.2
298	भैंस सींग	295447.4	0
299	भैंस हॉर्न बटन ब्लेंक	107424	0
300	वर्क्ड कोरल	444507.02	6539.405
301	बटन मोल्ड और बटन के अन्य भागय बटन ब्लेंक	494223	0
302	बटन ब्लेंक	388629.32	0
303	बटन ब्लेंक	388629.32	0

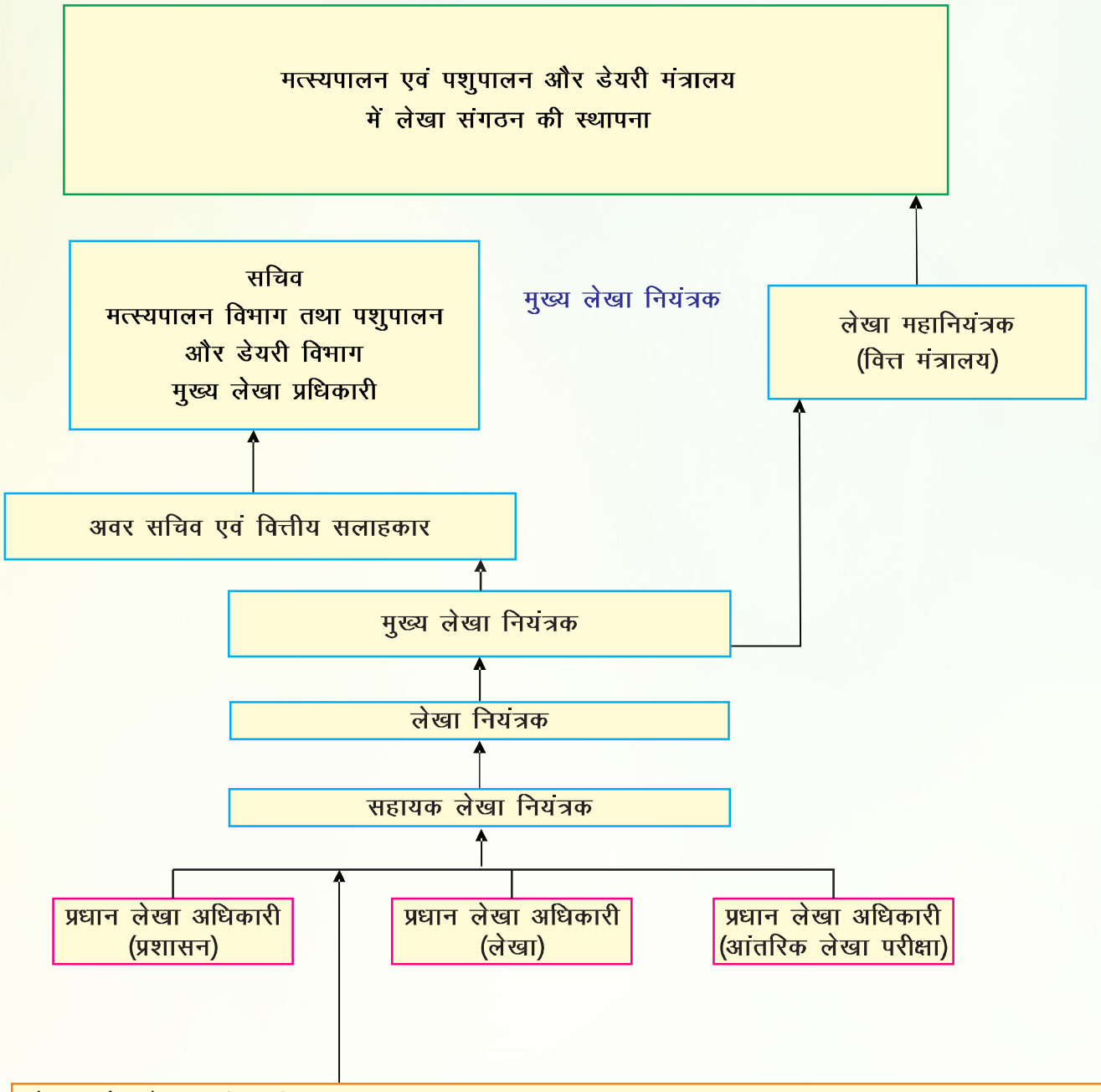

वेतन और लेखा अधिकारी

1) पीएओ (सचिवालय)
2) पीएओ (सचिवालय I)
3) पीएओ (विस्तार)
4) पीएओ (डीएमएस)
5) पीएओ (पीपीएम) फरीदाबाद
6) पीएओ (चेन्नई)
7) पीएओ (कोचीन)
8) पीएओ (कोलकाता)
9) पीएओ (एएचडी) मुंबई
10) पीएओ (नागपुर)
11) पीएओ (ए और एफडब्लयू मूंबई)

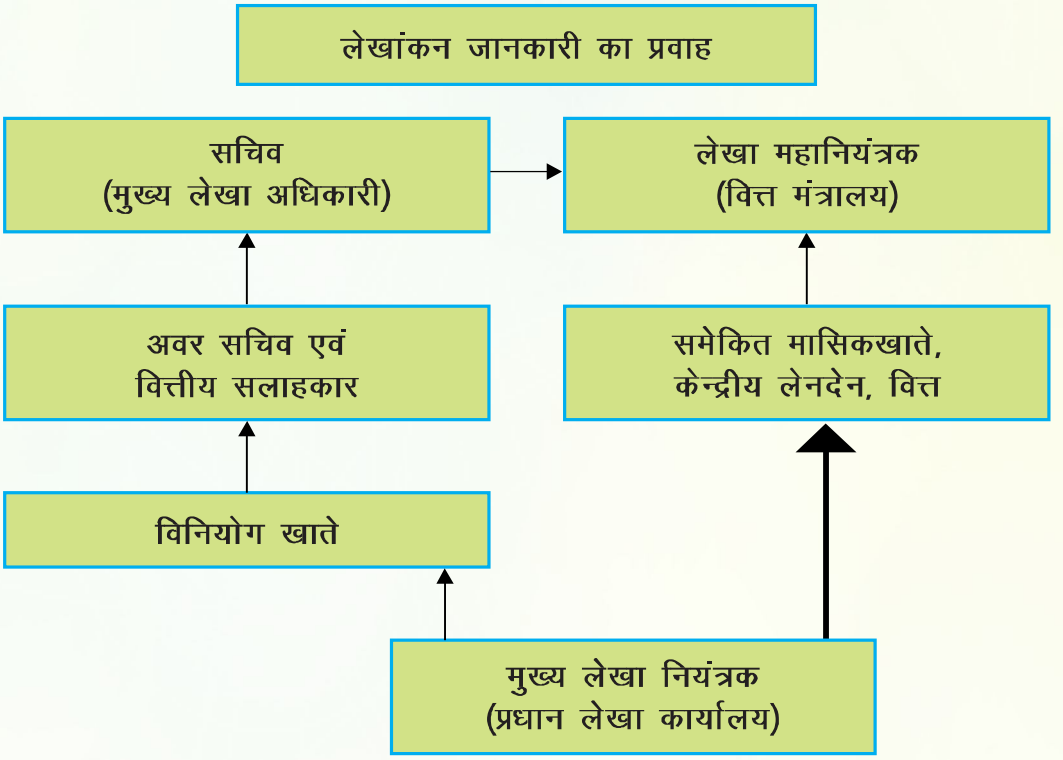
लेखांकन जानकारी का प्रवाह
सचिव
(मुख्य लेखा अधिकारी)
लेखा महानियंत्रक
(वित्त मंत्रालय)
अवर सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार
समेकित मासिकखाते,
केन्द्रीय लेनदेन, वित्त
विनियोग खाते
मुख्य लेखा नियंत्रक
(प्रधान लेखा कार्यालय)

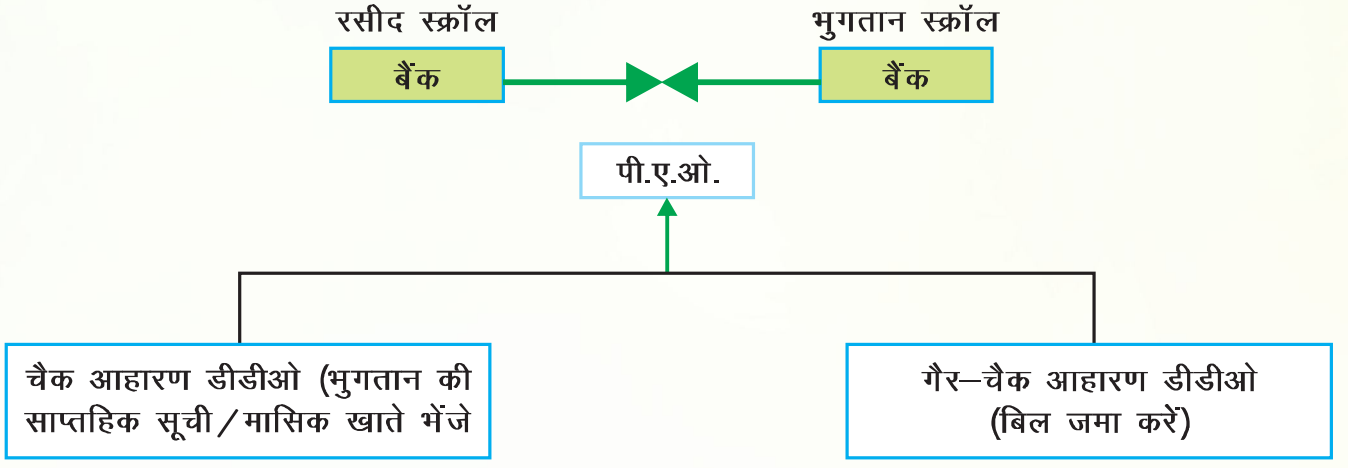
रसीद स्क्रॉल
बैंक
भुगतान स्क्रॉल
बैंक
पी.ए.ओ.
चैक आहारण डीडीओ (भुगतान की साप्तहिक सूची/मासिक खाते भेंजे
गैर–चैक आहारण डीडीओ
(बिल जमा करें)

प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर

एआई	कृत्रिम गर्भाधान
एआईसी	कृत्रिम गर्भाधान केंद्र
एएमएफ	निर्जल दूध वसा
एपीईडीए	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीएचसीए	एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग
एएससीएडी	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
बीई	बजट अनुमान
बीजीसी	गोजातीय जननांग कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस
सीएडीआरएडी	पशु रोग अनुसंधान और निदान केंद्र
सीएएलएफ	पशुधन और खाद्य में विश्लेषण और सीखने के लिए केंद्र
सीबीपीपी	संक्रामक गोजातीय प्लुरो–निमोनिया
सीसीबीएफ	केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म
सीडीडीएल	केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला
सीएफएफ	कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण भ्रूण
सीएफएसपीटीआई	केंद्रीय फ्रोजनवीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान
सीएफवी	कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण वेनेरेलिस
सीएचआरएस	केंद्रीय झुंड पंजीकरण योजना
सीएमयू	केंद्रीय निगरानी इकाई
सीपीडीओ	केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीएसबीएफ	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म
सीएसएफ	शास्त्रीय स्वाइन बुखार
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजना
सीवीई	सतत पशु चिकित्सा शिक्षा
डीसीजीआई	औषधि महानियंत्रक भारत
डीईडीएस	डेयरी उद्यमिता विकास योजना
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीएमआई	विपणन और निरीक्षण निदेशालय
डीएमएस	दिल्ली दूध योजना

ईईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
ईएसवीएचडी	मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण
ईटीटी	भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफएमडी	खुरपका और मुँहपका रोग
एफएमडी–सीपी	खुरपका और मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआईएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
एचएसीसीपी	खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु
आईएएसआरआई	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
आईबीएम	इन बोर्ड मोटर
आईबीआर	संक्रामक गोजातीय राइनोट्रैचेटिस
आईडीडीपी	गहन डेयरी विकास कार्यक्रम
आईजीएफआरआई	भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान
आईएनएपीएच	पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसएस	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण
आईयूयू	अवैध, अनियमित और अप्रतिबंधित
जेडी	जॉन की बीमारी
एमसीएस	निगरानी, नियंत्रण और निगरानी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलपी	प्रमुख पशुधन उत्पाद
एमएमएसआरटी	मोबाइल सैटेलाइट सेवा रिपोर्टिंग टर्मिनल
एमएसपी	न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनडीपी	राष्ट्रीय डेयरी योजना
एनडीआरआई	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
एनजीसी	नई पीढ़ी की सहकारी समितियाँ
एनआईएएच	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान

एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएलडीबी	राष्ट्रीय पशुधन
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एनपीबीबी	राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम
एनपीबीबी और डीडी	राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम
एनपीसीबीबी	राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना
एनपीआरएसएम	राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट निगरानी और निगरानी परियोजना
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
ओबीएम	आउट बोर्ड मोटर
ओआईई	कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय डेस एपिजूटीज
ओएनबीएस	ओपन न्यूक्लियस प्रजनन सिस्टम
पीईडी	पेशेवर दक्षता विकास
पीपीआर	पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
पीटीपी	प्रजनन परीक्षण कार्यक्रम
पीवीसीएफ	पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड
क्यूआर	मात्रात्मक प्रतिबंध
आरडीडीएल	क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफडी	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज
आरजीएम	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईए	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी
एसआईपी	स्वच्छ आयात परमिट
एसआईक्यू और सीएमपी	गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
एसएलबीटीसी	राज्य पशुधन प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र
एसएलसीएएनजीआर	पशु आनुवंशिक संसाधनों पर राज्य स्तरीय समिति
एसएलएसएमसी	राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति
एसएमपी	स्किम्ड मिल्क पाउडर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया

एसएससीसी	राज्य वीर्य संग्रह केंद्र
एसएसयू	द्वितीय चरण इकाई
टीसीडी	पशुपालन सांख्यिकी में सुधार के लिए दिशा–निर्देश की तकनीकी समिति
टीसीएमपीएफ	तमिलनाडु सहकारी दूध उत्पादक संघ
टीआरक्यू	टैरिफ दर कोटा
टीएसयू	तृतीय चरण इकाई
यूबीकेवी	उत्तर बंगा कृषि विश्व विद्यालय
वीसीआई	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
वीएमएस	पोत निगरानी प्रणाली

सत्यमेव जयते

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

Department's Website : https://www.dahd.nic.in • Farmer's Portal : http://www.farmer.gov.in

@Dept_of_AHD @DeptofAHD https://apps.mgov.in/details?appid=1526